त्रयोदश माला, खंड 18, अंक 11

सोमवार, 6 अगस्त, 2001
15 श्रावण, 1923 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

52
6.2.2002

सत्यमेव जयते

(खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 6 अगस्त, 2001/15 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201, 203 और 204	3–35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 202 और 205 से 220	35–71
अतारांकित प्रश्न संख्या 2087 से 2316	71–331
सभा पटल पर रखे पए पत्र	331
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
बाढ़ प्रबन्धन	335
श्री अर्जुन सेठी	335
प्रतिस्पर्धा विधेयक	366–368
नियम 377 के अधीन मामले	369–374
(एक) मध्य प्रदेश में सारंगपुर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 के समुचित रखरखाव की आवश्यकता	
श्री थावरचन्द गेहलोत	369
(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	369
(तीन) उड़ीसा के बालासोर जिले में भोगराई विकास खंड में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री खारबेल स्वाइं	370
(चार) जम्मू-कश्मीर में किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता	
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा	370

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मकरोनिया स्टेशन के रेलवे फाटक पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	371
(छह) नागपुर शहर को हज यात्रियों के लिए विमान सेवा स्थल (एम्बार्केशन प्वाइंट) घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	371
(सात) चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों के आवंटियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	372
(आठ) कृषि उत्पादों और तेल पर आयात शुल्क में दस प्रतिशत की कटौती वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री टी. गोविन्दन	372
(नौ) देश में वित्तीय संस्थाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजी लाल सुमन	373
(दस) दल-बदल रोधी कानून में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
होलखोमांग हौकिप	373
हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	374–377
श्री बालासाहिब विखे पाटील	374, 376
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	375
खण्ड 2 और 1	377
पारित करने के लिए प्रस्ताव	377
अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	377–414
श्री अरुण जेटली	377, 404
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल	380
श्री पवन कुमार बंसल	382
श्री वरकला राधाकृष्णन	387
श्री धर्मराज सिंह पटेल	391
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	393
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	396
श्री सोमनाथ चटर्जी	398

विषय	कॉलम
श्री ए.सी. जोस	401
श्री अजय चक्रवर्ती	402
खण्ड 2 से 38 और 1	410
पारित करने के लिए प्रस्ताव	414
नियम 193 के अधीन चर्चा	
आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखर वार्ता	414–439, 439–492
श्री अली मोहम्मद नायक	414
श्री आर.एल. भाटिया	435
श्री प्रभुनाथ सिंह	443
श्री जसवन्त सिंह	450
श्री अमर रायप्रधान	481
श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर	484
डा. गिरिजा व्यास	491
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	496
श्री जे.एस. बराड़	497
राज्य सभा से संदेश	449

लोक सभा

सोमवार, 6 अगस्त, 2001/15 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने डोडा कांड के कारण प्रश्न काल को स्थगित करने हेतु एक सूचना दी है। *...(व्यवधान)* जम्मू और कश्मीर घाटी के डोडा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं*...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, हमें एक निवेदन करना है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हमें आपकी सूचना मिली है।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, यह मामला अति महत्वपूर्ण है*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको शून्य काल में बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बाढ़ के बारे में आपको जीरो ऑवर में चांस देंगे और हाउस में उस पर डिस्कशन भी होगा। अभी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर की हालत बहुत गम्भीर है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: गम्भीर विषय है, इसीलिए तो उस पर जीरो ऑवर में आपको चांस देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है। श्री ओवेसी यहां उपस्थित नहीं हैं, अब श्री एम. चिन्नासामी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर की हालत बहुत गम्भीर है और उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि बाढ़ के बारे में भी डिस्कशन होगा। आपको जीरो ऑवर में चांस मिलेगा, यह प्रश्न काल है। अभी नहीं, आपको जीरो ऑवर में चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, यह प्रश्न काल है। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है। आप कर क्या रहे हैं?

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मुझे आपके व्यवहार को गंभीरता से लेना होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री चिन्नासामी बोलेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

धनादेशों (मनीआर्डरों) का विलम्ब से वितरण

*201. **श्री एम. चिन्नासामी:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनादेशों के दुर्विनियोग और विलम्ब से वितरण सम्बन्धी शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान ऐसी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद शिकायतों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समूची धनादेश प्रणाली को उपग्रह के माध्यम से संचालित करने के लिए कुछ नए अति लघु अपरचर टर्मिनल और विस्तारित उपग्रह धनादेश केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है; और

(च) धनादेश संबंधी शिकायतों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब-संबंधी शिकायतों की संख्या में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है। बल्कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मनीआर्डरों के दुर्विनियोग-संबंधी शिकायतों में कमी आई है। यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा:-

वर्ष	मनीआर्डर शिकायतों की कुल संख्या	मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब के बारे में शिकायतों की कुल संख्या	दुर्विनियोग के बारे में शिकायतों की कुल संख्या
1998-99	388091	109463 (28%)	451 (0.11%)
1999-2000	422408	101932 (24%)	369 (.0.8%)
2000-2001	426231	109914 (26%)	214 (0.05%)

मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या में यदि अधिक कमी नहीं रही है, तो इसका आंशिक कारण यह है कि वी.एस.ए.टी. प्रणाली के माध्यम से वर्षभर में केवल लगभग 12 प्रतिशत मनीआर्डर परियात ही धीमी गति वाले 77 वी.एस.ए.टी. के माध्यम से उपग्रह के जरिए भेजा जा रहा है। विभाग 943 विस्तारित उपग्रह केन्द्रों के नेटवर्क के साथ 150 उच्च गति वाले वी.एस.ए.टी. स्थापित करने में लगा हुआ है जिससे विभाग समस्त मनीआर्डर परियात को उपग्रह के माध्यम से भेज सकेगा। इससे वी.एस.ए.टी. नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से भुगतान की सूचना प्राप्त होने के बाद, इसकी जानकारी प्रेषक को देना भी संभव हो सकेगा। इससे उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर में वृद्धि तथा मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब की शिकायतों में कमी आएगी। ऐसी आशा है कि यह नेटवर्क 30 सितम्बर, 2001 तक चालू हो जाएगा।

मनीआर्डरों के भुगतान से संबंधित विलंब को कम करने के लिए हाल में अनेक कदम उठाए गए हैं। ये निम्नानुसार हैं:-

(1) मनीआर्डरों के भुगतान के लिए नकदी ले जाने की लाइन लिमिट में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्याप्त वृद्धि की गई है।

(2) डाकघरों को नकदी शीघ्र भेजने के लिए मेकैनिकल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(3) बाधाओं को दूर करने के प्रयोजन से ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब देखा जाता है।

(4) दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

श्री एम. चिन्नासामी: माननी उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत प्राप्ति में कमी ऐसा मामला नहीं है, लेकिन मनीआर्डरों का दुर्विनियोग एक सामाजिक अपराध है। विवरण में यह बताया गया है कि डाकघरों को नकदी शीघ्र भेजने के लिए मेकैनिकल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए अनुदेश जारी किए गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से अनुदेश जारी किए गये हैं।

श्री तपन सिकदर: महोदय, यह तथ्य है कि मनीआर्डरों के भुगतान में हुई देरी संबंधी शिकायतों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, परंतु यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मनीआर्डरों के भुगतान में देरी और दुर्विनियोग संबंधी शिकायतों में कुछ कमी आई है।

1998-99 के दौरान, मनीआर्डरों संबंधी शिकायतें 3,88,091 थी और मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब की शिकायतें 1,09,463 थीं, अर्थात् यह 28 प्रतिशत और मनीआर्डरों के दुर्विनियोग की शिकायतें 451 अर्थात् केवल 0.11 प्रतिशत है। वर्ष 1999-2000 में मनीआर्डरों संबंधी शिकायतें 4,22,408 थी और मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब संबंधी शिकायतें 1,19,032 थी अर्थात् 24 प्रतिशत, और इस दौरान मनीआर्डरों के दुर्विनियोग संबंधी शिकायतें 369 अर्थात् केवल 0.08 प्रतिशत थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान मनीआर्डरों संबंधी शिकायतें 4,26,231 थी इस अवधि में मनीआर्डरों के विलंब संबंधी शिकायतें 1,09,914 अर्थात् 26 प्रतिशत थी और इस अवधि के दौरान मनीआर्डरों के दुर्विनियोग संबंधी शिकायतें केवल 214 अर्थात् केवल 0.6 प्रतिशत थी।

श्री एम. चिन्नासामी: महोदय, विवरण में इसका भी उल्लेख किया गया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-सी सख्त कार्रवाई की जाती है, क्या ये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी या निलंबन या जुर्माने या जेल की सजा के रूप में होती है।

श्री तपन सिकदर: महोदय, इस अवधि में मनीआर्डरों के दुर्विनियोग संबंधी शिकायतें 214 थी और जिन मामलों में मनीआर्डर का भुगतान न होने संबंधी शिकायतें आई वह 51,637 थी। यह कुल का 12 प्रतिशत है। महोदय, इन मामलों में कार्रवाई की गई है, और दुर्विनियोग के इन मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं।

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): उपाध्यक्ष जी, दो-तीन प्रश्न हैं। पहला यह है कि सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जहां हमने हर स्तर पर, नीचे से ऊपर तक, जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको सतर्क किया है, वहीं हमने अपने स्तर पर एक विजिलेंस या ग्रीवेंस सैल की स्थापना यहां हैड ऑफिस में की है जिससे यदि कोई भी शिकायत हो, किसी की भी हो, वह सीधे यहां पहुंचा दे। उसके अलावा कुल मिलाकर 77 वीसैट्स के माध्यम से मनीआर्डर तुरंत पहुंचाने की कार्रवाई होती है। एक वी-सैट से हम प्रतिदिन 560 मनीआर्डर्स भेजते हैं और इस तरीके से कुल मिलाकर 41,120 मनीऑर्डर्स प्रतिदिन भेजे जाते हैं। हम वी-सैट्स की संख्या बढ़ाकर 150 नये वी-सैट्स लगाने जा रहे हैं और जब ये 150 लग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि उसी दिन सौ प्रतिशत एरिया कवर हो जाएगा। इससे काफी सुधार होगा और जहां तक सवाल है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह कार्रवाई हमने की है कि 2000-2001 में 427 कर्मचारियों को दंड दिया गया है।

श्री राजो सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी दोनों ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहां जितने पोस्ट ऑफिस हैं। जहां से मनीऑर्डर्स भेजे जाते हैं, वे ज्यादातर देहाती इलाके हैं और जहां नयी प्रणाली प्रारम्भ करने की बात चल रही है, पर वह अभी तक लागू नहीं हो सकी है। मंत्री जी ने कहा कि शिकायत आने के बाद कार्रवाई होती है, जिसमें काफी समय लगता है, दो-तीन वर्ष लग जाते हैं। जो स्थानीय पदाधिकारी, सुपिरिंटेंडेंट होते हैं और जो जिले के अंदर रहते हैं, वे इसके लिए सक्षम नहीं हैं। इसके लिए स्टेट लैवल पर डायरेक्टर सक्षम रहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के ग्रामीण इलाके के जो पोस्ट ऑफिसेज हैं और उसमें तीन वर्ष के भीतर जितनी शिकायत दर्ज हुई है, रुपया पेमेंट नहीं हुआ तो क्या उन सारे लोगों को रुपया पेमेंट करने की शीघ्रातिशीघ्र

व्यवस्था की जाये और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार कौन सी व्यवस्था करने जा रही है जिससे लोगों को रुपया आसानी से मिल सके और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके।

श्री राम विलास पासवान: यदि हमने कार्रवाई नहीं की होती तो फिर इतने लोग सस्पेंड कैसे होते? कार्रवाई हो रही है और यह कार्रवाई तेजी से हो, आमतौर से कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही मेरा मकसद नहीं है, कार्रवाई ऐसी जगह की जाती है जहां मिसएप्रोप्रिएशन होता है और बहुत सी ऐसी जगहों से शिकायतें आती हैं जहां देरी से मनीआर्डर पहुंचते हैं। मनीआर्डर देरी से न पहुंचे और तुरंत मनीआर्डर पहुंचे, इसके लिए हम नये-नये उपकरण और आधुनिकतम टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेट निश्चित कर दी है कि इतने दिन के अंदर, तीस दिन के अंदर यदि मनीआर्डर नहीं मिले तो यह माना जाएगा कि मनीआर्डर या तो मिसएप्रोप्रिएशन हो गया है या संबंधित अधिकारी उसके लिए रैस्पांसिबिल है। ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वह संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या है।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन: महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

विवरण से पता चलता है कि उपग्रह प्रणाली की स्थापना के बावजूद मनीआर्डरों के विलंब और अनियमित वितरण के मामले संबंधी शिकायतों में कोई खास कमी नहीं आई है। कर्मचारी और उनके नेता यह शिकायत कर रहे हैं कि नया तंत्र ही मनीआर्डरों के अनियमित वितरण और विलंब का कारण है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि क्या वह पुरानी पद्धति को ही अपनाने का विचार करेंगे क्योंकि कर्मचारी और उनके नेता पुरानी पद्धति को तरजीह दे रहे हैं। क्या मैं स्थिति को जान सकता हूं?

श्री तपन सिकदर: महोदय, वास्तव में हमने केवल 77 वी.एस.ए.टी. प्रणाली स्थापित की है और दूसरी 150 वी.एस.ए.टी. प्रणाली की स्थापना इस वित्तीय वर्ष में की जाएगी। देश के 26006 उप-डाकघर इसके अंतर्गत होंगे और इन 26006 उप-डाकघरों, संपूर्ण ग्रामीण डाकघर और अन्य डाकघर कार्य करेंगे।

इसके बाद ही प्रणाली में तेजी आएगी और मनीआर्डरों के विलंब संबंधी मामलों की शिकायतों में तेजी से कमी आएगी।

मेरे विचार से, पुरानी प्रणाली को अब दुबारा शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन में केवल 12 प्रतिशत मनीआर्डर ही इन 77 वी-सेट प्रणाली द्वारा भेजे जाते हैं। जब हम दूसरी 150 वी-सेट प्रणाली स्थापित कर पाएंगे तो, यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने ग्रामीण बैंक प्रणाली और वाणिज्यिक बैंक प्रणाली के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विचार किया है? अधिकतर समस्या जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। खत्म हो जाएगी यदि डाकघरों को निकटतम वाणिज्यिक बैंकों में सीधे पैसा जमा करने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि बहुत सारी समस्या समाप्त हो जाएगी यदि डाक प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली को जोड़ दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, यह संभव है क्योंकि वहां पर भी वाणिज्यिक बैंक हैं।

दूसरा, क्या सरकार ने लोगों को डाक बचत बैंक खाते के माध्यम से अपनी आय कर इत्यादि जमा करने की अनुमति देने संबंधी विचार किया है?

श्री तपन सिकदर: डाकघरों के माध्यम से लघु बचत योजना चलाई जा रही है। हमने ऐसी घोषणा की है कि वे डाक घर आई.बी.डी.आई. के लिए पैसा जमा करने वाले ऐजेंट के रूप में कार्य करें। जहां तक बैंक के संचालन का प्रश्न है इसके लिए केन्द्र सरकार ने डाक विभाग को अभी इजाजत नहीं दी है।

अब माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है तो अब हम केन्द्र सरकार को इस बाबत सुझाव देंगे। नि:संदेह उनका सुझाव बहुत अच्छा है। हम इसे सरकार के समक्ष रखेंगे और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में सरकार इस पर विचार कर सकती है।

श्री दलित एजिलमलाई: माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, देश में मनीआर्डरों से संबंधित शिकायतों पर आंकड़ों और संख्याओं का यह खूबसूरत संकलन है। मनीआर्डर प्रणाली बड़ी ही सरल प्रणाली है। जिसका उद्देश्य आम आदमी को सुविधा देना है। यह शेयर प्रमाणपत्र रखने और बैंकों में कुछ जमा पूंजी रखने जैसा नहीं है। यह प्रणाली गरीब लोगों और ग्रामीण जनता को मुख्यत: गांवों में रखती है, को मदद करने के लिए है। इस प्रणाली में आज भी लोगों का इतना भरोसा है कि वे पैसे भेजने की किसी अन्य व्यवस्था की बजाय इसे ही अपनाना पसंद करते हैं। यह प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यदि देश का ऐसा कोई विभाग है जो इतनी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करता है तो लोग कहते हैं कि यह डाक-विभाग है, क्योंकि डाक सेवा विशेषकर पैसे भेजने संबंधी प्रणाली को संपूर्ण देश में आम आदमी द्वारा बहुत सराहा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अनुपूरक पूछिए।

श्री दलित एजिलमलाई: महोदय, माननीय सदस्य ने अभी स्वीकार किया है कि शिकायतों की संख्या में कमी आई है। इसका अर्थ हुआ शिकायतें अभी भी हैं। ये आम आदमियों की समस्याओं से ताल्लुक रखती हैं। शिकायतें अभी भी हैं और ये आगे भी रहेंगी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इसका कारण विभाग में मजदूरों का शोषण है। पूरे देश में और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग इडीएएस के रूप में लाखों लोगों को रोजगार देता है। अतिरिक्त डाक एजेंटों के रूप में साढ़े तीन लाख लोग कार्यरत है। उन्हें रोजगार मिला है और वे कार्य कर रहे हैं। वे मनीआर्डर, वृद्धावस्था पेंशन, अल्प राशि या जो भी हो, ले जाकर बांटते हैं। परंतु उनकी अपनी तनख्वाह 500-600 रु. से ज्यादा नहीं है और उनको इससे अधिक कुछ नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री दलित एजिलमलाई: इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि सरकार को एक आदर्श रोजगारदाता बनना चाहिए। आपके नियम हैं, शर्तें हैं और आपके अपने दिशा-निर्देश हैं। स्थिति यही है।

आप इन साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को क्यों और कैसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के रूप में नियुक्त करते हैं जबकि आप उनको उनका देय वेतन भी नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अनुपूरक है। श्री दलति एजिलमलाई यह मनीआर्डरों में होने वाले विलंब से संबंधित है।

श्री दलित एजिलमलाई: जी, हां। पैसे के दुर्विनियोग के कारण ही ऐसा है। आप अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को बहुत थोड़े पैसे का भुगतान कर रहे हैं। यही कारण है। परंतु मेरा व्यक्तिगत और दृढ़ मत है कि यदि आप इन कर्मचारियों को नियमित करेंगे और उनकी सेवाओं का उचित भुगतान करेंगे तो, मनीआर्डरों का न मिलना या कम मिलना या अनियमित मिलना या दुर्विनियोग जैसी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और विभागेतर एजेन्टों की चिरलंबित शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इसमें कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री तपन सिकदर: यह प्रश्न नहीं उठता और यह किसी विशेष प्रश्न से संबंधित नहीं है। परंतु मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि जी हां 3,09,000 विभागेतर एजेन्ट कार्य कर रहे हैं। पहले उन्हें ईडीए कहा जाता था अब उनका नाम बदल दिया गया है। अब उन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उनका केवल नाम ही बदला गया है, उनके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर: मुझे खेद है, श्री बसुदेव आचार्य, श्री अटल बिहार वाजपेयी की सरकार में उनका ईडीए नाम ही नहीं बदला है अपितु उनके वेतन में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है।

श्री बसुदेव आचार्य: उनको सेवा-निवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं मिले हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से एक मूलभूत मामले पर प्रश्न पूछना चाहती हूं। हमारे देश में संचार प्रणाली की विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अत्यंत शोचनीय दशा है। क्या सरकार ने मनीआर्डरों के जल्द वितरण पर किसी कार्यक्रम, किसी योजना को बनाने का निर्णय किया है? यही प्रमुख प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: बिहार में व्हीकल्स तो ला देंगे लेकिन वहां रोड्स होंगी तभी वे चलेंगे।

श्रीमती श्यामा सिंह: व्हीकल्स के लिए आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: श्यामा सिंह जी, मैंने कहा है कि व्हीकल्स तो रोड़ पर ही चलेंगी न।...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह: पासवान जी, व्हीकल्स की कमी है। ...*(व्यवधान)* हैलीकाप्टर से डिलीवरी थोड़े ही जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जस कौर मीणा: माननीय उपाध्यक्ष जी, दूरदराज के ऐरिये में जो सैनिक परिवार रहते हैं, खास कर राजस्थान में ऐसे दूरदराज के इलाकों में अनेक सैनिकों के परिवार रहते हैं, जहां मनीआर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। महीने-महीने, डेढ़-डेढ़ महीने में भी वहां भेजा हुआ पैसा लोगों को नहीं मिलता है। हमारे जो सैनिक देश की महत्वपूर्ण सेवा में लगे हुए हैं उनके परिवारों के पास मनीआर्डर के शीघ्र पहुंचाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, जैसा मैंने कहा कि मेरे पास आंकड़े हैं। 87 प्रतिशत मनी आर्डर्स प्रतिदिन मिल जाते हैं,

बाकी मनीआर्डर्स की डिलीवरी में कई तरह की कठिनाईयां हैं। ग्रामीण इलाकों में नाम, पता या एड्रेस ठीस से नहीं लिखा होता है। अभी जैसे श्यामा सिंह जी ने कहा कि कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि तीन-तीन, चार-चार नदियां पर करनी पड़ती हैं। पोस्ट ऑफिस खोलने का जो क्राइटेरिया है उसमें भी हम कुछ नियमों से बंधे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने जो वी-सेट के बारे में कहा, वह ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम उसे टाइम बाउंड कर सकते हैं। अभी भी टाइम बाउंड है, लेकिन टाइम बाउंड के अनुसार नहीं होता है तो कार्यवाही भी करते हैं। आपने जो सजेशन दिया है उसमें हम स्वयं देखेंगे कि हमारे जो लोग आर्मी में हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं, वहां के संबंध में शिकायत आएगी तो उस शिकायत की तत्काल स्पेशल ढंग से जांच कराई जाए, इसे हम स्वयं देखेंगे।

सेल्यूलर लाइसेंस

+
*203. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने हाल में चौथे सेल्यूलर स्लॉट के लिए देश के सत्रह सर्किलों में निजी बोलीदाताओं के लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) उक्त लाइसेंस प्रदान करने के लिए कौन से नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या 11 जुलाई 2001 के ''दि टाइम्स आफ इंडिया'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार उक्त लाइसेंस दिए जाने में निविदा मानदंडों का घोर उल्लंघन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) देश में 17 सेवा क्षेत्रों में नए सेल्यूलर लाइसेंस देने के लिए बोली प्रक्रिया के आधार पर सफल बोलीदाताओं की घोषणा कर दी गई है और कोट किए गए प्रवेश शुल्क के भुगतान हेतु 31.7.2001 को मांग-पत्र जारी कर दिए गए हैं। सफल बोलीदाता कम्पनियों के नाम जिस सेवा क्षेत्र के लिए उक्त मांग पत्र जारी किए गए हैं और कोट किया गया प्रवेश शुल्क अनुबंध-I में दर्शाया गया है। बोलीदाताओं को प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा जिसके बाद उन्हें लाइसेंस देने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किए जाएंगे। आशय-पत्र की शर्तें पूरी करने के आधार पर ये लाइसेंस दिए जाएंगे।

(ग) सेल्यूलर लाइसेंस प्रदान करने के लिए मुख्य-मुख्य नियम एवं शर्तें अनुबंध-2 में दर्शाई गई हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) पूर्व अर्हता बोलियों का मूल्यांकन करते समय यह देखा गया कि रिलाएन्स समूह की दो कम्पनियां अर्थात् मैसर्स रिलायबल इन्टरनेट सर्विसेज लि. तथा रिलाएन्स कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. दोनों ने अपनी-अपनी बोलियां 15 सेवा क्षेत्रों के लि.ए प्रस्तुत की हैं। इन दोनों कम्पनियों के इक्विटी होल्डिंग से यह पता चला कि दोनों के साझेदार अलग-अलग हैं और इस प्रकार निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदण्ड का स्वभावत: कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तथापि, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिए, सभी बोलीदाताओं से यह पुष्टि करने के लिए कहा गया है कि एक ही सेवा क्षेत्र के लिए बोली लगाने वाली किसी भी बोलीदाता कम्पनी में साझेदार/प्रोत्साहक/घटक कम्पनी का कोई साझा हित नहीं है। कोई साझा हित होने की स्थिति में एक सेवा क्षेत्र के लिए केवल एक ही बोली पर विचार किया जाएगा। उन्हें केवल वही बोलियां रखने का विकल्प दिया गया ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित हो सके। इस स्थिति में मैसर्स रिलाएन्स कम्युनिकेशन्स प्रा.लि. ने 15 सेवा क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत अपनी सभी बोलियों को वापस लेने का निर्णय लिया जिसकी कम्पनी को अनुमति दी गई। वित्तीय बोलियों को खोलने के पहले चरण से पूर्व ही कम्पनी को बयाना राशि बैंक गारन्टी (ईएमबीजी) तथा वित्तीय बोलियां वापस कर दी गईं। एक बोली को अनुमति न देने से बोली प्रक्रिया में उचित प्रतियोगिता सुनिश्चित हुई है।

पूर्व अर्हता चरण में अपात्र घोषित अथवा सरकार द्वारा दिए गए विकल्प में बोलियां वापस लेने वाले बोलीदाताओं का ईएमबीजी जब्त नहीं किया जा सकता।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-I

सेवा क्षेत्र	स्लॉटों की सं.	सफल बोलीदाता का नाम	लागू प्रवेश शुल्क (करोड़ रुपए में)
(महानगर)			
मुम्बई	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	203.66
कोलकाता	1	मै. रिलाइबल इंटरनेट सर्विसेज लि.	78.01
दिल्ली	1	मै. बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशन्स लि.	170.70
चेन्नई	1	मै. बाराखम्भा सेल्स एंड सर्विसेज लि.	154.00
दूरसंचार सर्किल			
आन्ध्र प्रदेश	1	मै. बाराखम्भा सेल्स एंड सर्विसेज लि.	103.01
गुजरात	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	109.01
हरियाणा	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	21.46
हिमाचल प्रदेश	1	मै. एस्कॉर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	1.10
कर्नाटक	1	मै. बाराखम्भा सेल्स एंड सर्विसेज लि.	206.83
केरल	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	40.54
मध्य प्रदेश	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	17.4501
महाराष्ट्र	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	189.00
पंजाब	1	मै. एस्कॉर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	151.75
राजस्थान	1	मै. एस्कॉर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	32.25
तमिलनाडु	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	79.00
उत्तर प्रदेश (प.)	1	मै. भारती सेल्यूलर लि.	30.55
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1	मै. एस्कॉर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	45.25

अनुबंध-II

नये सेल्यूलर सेवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए टेंडर की मुख्य-मुख्य नियम एवं शर्तें

1. बोलीदाता को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होना चाहिए।

2. बोलीदाता कम्पनी कई सेवा क्षेत्रों के लिए आवदेन कर सकती है बशर्ते कि कम्पनी ने नेटवर्थ, प्रदत्त इक्विटी और अनुभव आदि जैसी प्रवेश सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा कर लिया हो।

3. सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए लाइसेंस सामान्यतया 20 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जाएगा जिसे एक बार 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

4. पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान बोलीदाता कम्पनी में कुल विदेशी इक्विटी किसी भी समय 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. लाइसेंस ''मल्टी स्टेज इन्फार्म्ड असेंडिंग बिडिंग प्रोसेस'' के रूप में बनायी गयी निविदा प्रक्रिया के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

6. कम्पनी की नेटवर्थ 30 करोड़ रु., 50 करोड़ रु. और 100 करोड़ रु. होगी तथा प्रदत्त इक्विटी ''ग'' ''ख'' और ''क'' सेवा क्षेत्रों की श्रेणी के लिए क्रमशः 3 करोड़ रु., 5 करोड़ रु. और 10 करोड़ रु. होगी। सेवा क्षेत्र में बोली लगाने के लिए नेटवर्थ जोड़ी जाएगी।

7. प्रवर्तक कम्पनी समान सेवा क्षेत्र के लिए एक से अधिक बोलीदाता कम्पनी में साझेदारी नहीं रख सकती है।

8. मौजूदा लाइसेंसधारक, समान सेवा क्षेत्र के लिए बोली नहीं लगा सकते हैं।

9. बोलीदाता कम्पनी और/अथवा इसकी प्रवर्तक कम्पनियों को दूरसंचार क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए।

10. सफल बोलीदाता को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अंतिम बोली के आधार पर एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान तथा वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) और निष्पादन बैंक गारंटियां (पीबीजी) तथा दूरसंचार विभाग से सफल बोलीदाता कम्पनी या किसी प्रवर्तक/साझेदार या सहायक कम्पनी को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 सहित) की धारा 4 के अंतर्गत जारी किसी लाइसेंस से उत्पन्न सभी भुगतानों के मामले में ''बेबाकी प्रमाणपत्र'' प्रस्तुत करना होगा।

11. सेल्यूलर सेवाओं के संबंध में नए और मैजूदा ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस शुल्क, मेट्रो सेवा क्षेत्रों तथा श्रेणी ''क'' सर्किलों के लिए ''समायोजित सकल राजस्व'' (एजीआर) का 12%, श्रेणी ''ख'' सर्किलों के लिए एजीआर का 10% तथा श्रेणी ''ग'' सर्किलों के लिए एजीआर का 8% होगा जो बुनियादी सेवाओं के बराबर होगा जिसमें स्पेक्ट्रम प्रभार शामिल नहीं होंगे।

12. इसके अलावा, सेल्यूलर लाइसेंसधारक 4.4 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम के लिए एजीआर का 2% (अथवा 6.2 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम के लिए एजीआर का 3%, जैसा भी मामला हो) की राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेस्ट्रम प्रभारों का भुगतान करेंगे।

13. फ्रिक्वेंसियां राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आबंटन योजना-2000 (एनएफएपी-2000) में निर्धारित नामित बैंडों से आबंटित की जाएंगी। रिक्त स्लाटों के लिए चयनित ऑपरेटरों को 935-960 मेगाहर्ट्ज सहित 890-915 मेगाहर्ट्ज के सेल्यूलर बैंड में तथा चौथे सेल्यूलर आपरेटर को 1805-1880 मेगाहर्ट्ज सहित 1710-1785 मेगाहर्ट्ज के सेल्यूलर बैंड में उपयुक्त फ्रिक्वेंसी स्पॉट आबंटित कराए जाएंगे।

14. न्यूनतम रॉल-आउट दायित्वः- लाइसेंस की प्रभावी तारीख के पहले वर्ष में दूरसंचार सर्किलों में कम से कम 10% जिला मुख्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध होगी तथा 50% जिला मुख्यालयों को तीन वर्षों के भीतर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। लाइसेंसधारकों को यह अनुमति भी होगी कि वे जिला मुख्यालयों के बदले जिले के किसी अन्य नगर में यह सुविधा प्रदान करें। जिला मुख्यालयों को लाइसेंस की प्रभावी तिथि की स्थिति के अनुसार चुना जाएगा।

श्री किरीट सोमैया: उत्तर में अनुबंध में यह स्पष्टतः उल्लिखित है- तथा मैं नियमों तथा शर्तों की सं. 7 की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं-''प्रवर्तक कम्पनी समान सेवा क्षेत्र के लिए एक से अधिक बोलीदाता कम्पनी में साझेदारी नहीं रख सकती है।'' खण्ड (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने रिलायंस समूह की कम्पनियों का उल्लेख किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे आए कि इन दोनों कम्पनियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई समान वित्तीय हित नहीं है? वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे तथा उन्होंने किसके जरिए जांच कराई? मैं जानना चाहता हूं क्या उन्होंने कम्पनी कार्य विभाग से संपर्क किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि उनका साझा हित नहीं था तो कम्पनी ने लाइसेंस की एक अर्जी को वापस क्यों लिया। कम्पनी ने क्यों वापस लिया? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने दोनों अर्जियों को कैसे निरर्हित नहीं किया?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): पहली बात यह है कि इन्होंने जैसा प्रश्न पूछा है, रिलाएन्स ने वहीं बिड किया जहां पहले से उनका बिड नहीं था। दूसरी बात यह है कि रिलाएन्स कम्युनिकेशन और रिलायबल इन्टरनेट सर्विसेज ने बिड दाखिल किया था लेकिन दोनों कंपनियों के एक दूसरे की कंपनियों में साझेदार पार्टनर नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने फाइनेंशियल बिड के पहले ही प्रस्ताव वापस ले लिया। इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न उठता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि इन दोनों के बीच कोई सांझा हित नहीं था? आपने कैसे जांच-पड़ताल किया? आपने जानकारी कहां से प्राप्त की? आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि उनमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी प्रकार का हित नहीं था? यदि कोई सांझा हित नहीं था तो रिलायंस ने एक अर्जी वापस क्यों ली?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अगर आप हमारा जवाब पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि पूर्व अर्हता बोलियों का मूल्यांकन करते समय यह देखा गया कि रिलाएन्स समूह की दो कंपनियां अर्थात् मैसर्स रिलायबल इन्टरनेट सर्विसेज लि. तथा रिलाएन्स कम्युनिकेशन्स प्रा.लि. दोनों ने अपनी-अपनी बोलियां 15 सेवा क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत की हैं। इन दोनों कंपनियों के इक्विटी होल्डिंग से यह पता चला कि दोनों के साझेदार अलग-अलग हैं और इस प्रकार निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदण्ड का स्वभावत: कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बावजूद जब बिड का प्रौसेस शुरू हुआ और डिपार्टमेंट को यह पता चला कि इसमें जो रिलाएन्स टैलीकॉम और रिलाएन्स इंडस्ट्रीज लि. है उसका रिलाएन्स कम्युनिकेशन के साथ में पार्टनर पहले से है, हालांकि जहां इन्होंने ऐसा किया है वहां उन्होंने एप्लाई नहीं किया। फिर हम लोगों ने यह प्रतिबंध नहीं रखा था। इतना ही प्रतिबंध रखा था कि कॉमन एरिया में कॉमन पार्टनर नहीं रख सकते हैं, दूसरे रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि रिलाएन्स इंडस्ट्रीज का रिलाएन्स कम्युनिकेशन में पार्टनर है और रिलाएन्स टैलीकॉम का रिलायबल इन्टरनेट में है तो उसमें तुरंत वार्निंग लैटर लिखा गया और सब लोगों को कहा गया कि यदि किसी के दोनों में पार्टनर्स हैं तो वे बिड वापस कर लें जो उन्होंने वापस कर ली। उनका 15 जगहों में से केवल एक जगह ही सबसे हाइयैस्ट बिड आया है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने के पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि कम्पनी ने अपनी दूसरी अर्जी कैसे और क्यों वापस ली- यह उत्तर से स्पष्ट नहीं होता है। यदि उनका कोई सांझा भागीदार नहीं था और यदि उनका कोई सांझा हित नहीं था तो अर्जी वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए पहले अनुपूरक के संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी से कहें कि वे रिलायंस समूह की सभी कम्पनियों के सभी आंकड़े प्रस्तुत करें। इसमें कम्पनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और स्टाक एक्सचेंजों के जरिए पूछताछ होने दें। मैं जानना चाहता हूं कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। वह सदन को बतायें कि भागीदार कौन था तथा सांझा हित क्या था। हम यह भी जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: महोदय, किसी करार का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसमें कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है। मैंने यहां तक कहा है कि यदि कोई कॉमन इंटरस्ट हो तो उसे देखा जा सकता है। वह सिर्फ एक जगह नहीं जाता है, दूसरी जगह जा सकता है। आपका यह कहना कि टैंडर का कहीं वॉयलेशन हुआ है या बिड प्रोसिजर का वॉयलेशन हुआ है, उचित नहीं होगा। इसका कहीं वॉयलेशन नहीं हुआ है। इसे रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: मंत्री महोदय, उत्तर देने से बच रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उनका प्रश्न निविदा से संबंधित नहीं है, उनका प्रश्न दूसरा है। मंत्री महोदय इस बात से परिचित हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: प्रश्न का समुचित उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दें।

श्री पवन कुमार बंसल: उत्तर अपने आप में विरोधी है। उन्होंने जो उत्तर दिया है हम वह देख सकते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं, उनके कोई भी भागीदार सांझे नहीं हैं तथा दूसरे स्थान पर वे कहते हैं बोलियों की अस्वीकृति से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने स्पष्ट कर दिया है तथा जो कुछ भी जानकारी देनी थी उन्होंने दे दी है। यदि उन्हें और जानकारी देनी है, तो वह सदस्य को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसकी जानकारी हमें बाद में दे सकते हैं। आप उन्हें बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, यदि वे जो सूचना मांग रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है तो कृपया इसे भेज दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हम इनफार्मेशन दे देंगे। हमारे विभाग में हर चीज में ट्रांसपेरेंसी है। माननीय सदस्य जिस चीज के बारे में सूचना चाहेंगे, हम दे देंगे।

श्री किरीट सोमैया: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्वश्चन पूछा था, उसका रिप्लाई मंत्री महोदय ने बाद में दिया।

मंत्री महोदय ने कम्पीटिशन ज्यादा करने के लिए फोर्थ सेल्यूलर जो ओपन किए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं यह मामला कोर्टबाजी में रुक न जाए। फोर्थ सेल्यूलर कब शुरू होंगे और उसके क्या-क्या फायदे होंगे, यदि आप इन सबके बारे में जानकारी देंगे तो हमें आनन्द होगा।

श्री राम विलास पासवान: जहां तक कोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूं कि कोर्ट में सारे के सारे मामले धीरे-धीरे क्लीयर हो रहे हैं। हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। तीन कोर्ट केस दिल्ली, मुम्बी और चेन्नई में दाखिल हुए थे। दिल्ली में अभी केस पैंडिंग है और वह खुला नहीं है। कोर्ट की तरफ से इस बारे में कोई डायरैक्शन नहीं आई है। मुम्बई कोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले को डिसमिस कर दिया है। चेन्नई में जो मामला था, उन्होंने भी 31 जुलाई को अपना स्टे वेकेट पर दिया है। इसलिए वहां से वेकेट होने के बाद अब कोई ज्यादा प्राबलम नहीं होनी चाहिए।

श्री किरीट सोमैया: कब से प्रोसैस शुरू होगा?

श्री राम विलास पासवान: प्रोसैस ऑलरेडी शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय जी, निश्चित रूप से श्री किरीट सोमैया द्वारा उल्लिखित खण्ड 7 पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती परंतु आश्चर्य है उसका उपयोग वीएसएनएल के विरुद्ध किया गया है। महोदय, वीएसएनएल जिसकी हालत सरकार के हाथों में अत्यधिक खराब हुई है और जिसका कारण ठीक-ठीक केवल मंत्री जी को ही ज्ञात है, में विनिवेश किया जा रहा है तथा इसे ऐसी स्थिति में लाना चाहिए था जहां विश्व में इसका स्टॉक काफी ऊंचा हो गया होता। ताकि और पूंजीनिवेशक यहां आते। वीएसएनएल चौथे स्लाट के लिए आवेदन करना चाहता था परंतु वीएसएनएल को इस दिखावटी तर्क पर आवेदन न करने का निदेश दिया गया कि वीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड पहले से ही वहां कार्य कर रहा है। यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह इस शर्त के बिल्कुल अनुरूप नहीं है कि एक प्रवर्तक कम्पनी एक से अधिक बोलीदाता कम्पनी में सांझेदारी नहीं रख सकती है। यह एक शर्त है परंतु वास्तव में यह वीएसएनएल पर लागू नहीं होती जिसके एकाधिकार की समाप्ति की अवधि दो वर्ष और कम कर दी गई है जिससे इस पर गहरा आघात लगा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया है।

इसके साथ ही जब दूरसंचार प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी का आमेलन एक वास्तविकता बनने जा रहा है तब हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे है जिसमें सरकार डब्ल्यूएलएल और मोबाइल के बीच कुछ कृत्रिम अंतर पर कायम है। महोदय, संभवतः इस पर काबू पाने के लिए एक स्थान पर माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में शर्त सं. 11 का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार नए और विद्यमान प्रचालकों के लिए सेल्यूलर सेवाओं के प्रयोजन से लाइसेंस शुल्क मूल सेवाओं के सममूल्य पर 12 प्रतिशत होगा। वह यहां मूल सेवाओं को क्यों ला रहे हैं जबकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि मूल सेवाओं के लिए शर्तें अन्यत्र बिल्कुल भिन्न है? उन शर्तों पर जिन्हें अस्वाभाविक रूप से सम्मिलित कर लिया गया है, कई लोग आपत्ति कर रहे हैं तथा अंगुली भी उठा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: तो, आपका प्रश्न क्या है?

श्री पवन कुमार बंसल: मेरा प्रश्न दो खंडों में है। पहला आपने वीएसएनएल को बोली लगाने से क्यों रोका? दूसरा जहां तक शुल्क के भुगतान तथा विविध (स्पेक्ट्रम) प्रभारों के भुगतान का प्रश्न है आपने डब्ल्यूएलएल तथा मोबाइल के बीच बनावटी अंतर क्यों उत्पन्न किया है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बी.एस.एन.एल. का सवाल है, हमने नियम बनाया है कि अगर किसी कम्पनी की 10 प्रतिशत इक्विटी है तो वह उस एरिया में नहीं जा सकती। उस दृष्टिकोण से वी.एस.एन.एल. या एम.टी.एन.एल. की इक्विटी उससे ज्यादा है, इसलिये उसको अलाऊ नहीं किया गया। जहां तक डब्ल्यू.एल.एल. का सवाल है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मंत्री जी, क्या आपने इसके लिये कानूनी राय ली कि इस चीज के लिये बी.एस.एन.एल. पर अप्लाई नहीं कर सकता। वी.एस.एन.एल. पर आप फैसला करते हैं और उन्हें कह देते हैं कि दो साल पहले लौंग डिस्टैंस इंटरनैशनल काल्स पर जो मोनोपोली थी, वह खत्म हो गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान: मुझे उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: ऐसा सरकारी अंडरटेकिंग्स के साथ क्यों हो रहा है। यह सरकार पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स को खत्म कर रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: यह बात सही है कि दो साल पहले भी बी.एस.एन.एल. अपनी सेवायें शुरू कर सकती थी लेकिन दो साल पहले उनके इनफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक 16 रुपये प्रति मिनट आउट गोइंग काल पड़ती थी और कुल मिलाकर 25 रुपये प्रति मिनट पड़ती थी जिससे 3 मिनट का 75 रुपये पड़ता था। इस दृष्टिकोण से जब हमने गांवों में टेलीफोन पहुंचाना है, उस हिसाब से हमारे पास कोई कारूं का खजाना नहीं है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यह स्पष्ट करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: आप कहां पहुंच रहे हैं? सभी प्राइवेट आप्रेटर्स ने जिम्मेदारी ली थी। जो रोल आउट प्लान था, मंत्री जी उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह सरकार की जानबूझकर बनाई गई योजना अथवा डिजाइन है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी जी, उन्हें उत्तर पूरा करने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सरकार ऐसा जानबूझकर एक योजना के तहत कर रही है ताकि वह वी.एस.एन.एल. का विनिवेश कर सके। क्या आप वी.एस.एन.एल. के एक साल पहले के आंतरिक प्रतिवेदन के बारे में जानते हैं। वह बहुत लाभ कमा रही थी परंतु उसे जानबूझकर बोली के बाहर रखा गया ताकि उसे रुग्ण बनाया जा सके।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: चूंकि मंत्री जी गांवों का उल्लेख कर रहे हैं, उन्हें केवल इतना कहने दें क्या पहले कथित शर्तों का पालन किया गया है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, मैं इत्मिनान से एक एक चीज का जवाब दूंगा लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं बता रहूं कि हमें दोनों चीजें करनी पड़ती हैं- रन भी बनाने पड़ते हैं और विकेट भी बचानी पड़ती है। इसी प्रकार पैसे को भी देखना पड़ता है और कितनी अधिक जगह हम सेवायें ले जा सकते हैं, यह भी देखना पड़ता है।

मोबाइल सेवा के लिये जहां तक जमीनी कार्यवाही की बात है, हमने केबल बिछाने का काम किया है। आपको मालूम है कि पहले मोबाइल सेवा बहुत महंगी थी। जब हमें डब्ल्यू.एल.एल. की नई टैक्नालौजी मिल गई है और जो डब्ल्यू.एल.एल. हैंडशेक की बात है, जिसका आप एंटायर्ली विरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: उपाध्यक्ष जी, ये लोग कार्यवाही नहीं करने दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, उन्हें उत्तर देने दें। आप क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप लोग रेवेन्यू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, उन्होंने दो मुद्दे उठाए हैं तथा आप केवल उनका उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है।

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह अच्छा काम करें लेकिन काम नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, आपके दोनों सवालों का उत्तर देने के लिये मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, आप सुनिये। श्री बंसल वह आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष जी, 70 हजार टेलीफोन्स की जगह 36 फोन लगे हैं, और ये रोल आउट प्लान की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह आपके दो प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूडी जी, कृपया अब विघ्न मत पहुंचाए। यह प्रश्न काल है। तथा हमारे पास कुछ प्रश्न भी हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, हमने कहा कि जब हमें सस्ती टैक्नालौजी मिल गई है तभी हम 1.20 रुपये प्रति मिनट में 200 कि.मी. तक लोगों को यह सुविधा दे रहे हैं। वही हमने काम किया है, फिर भी उसमें आप लोगों का विरोध क्यों हो रहा है?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने चार सेल्यूलर लाइसेंसों के संबंध में निविदा नीति क्यों तैयार की है? यह आपका कार्य है- आप इसे स्वीकार करें अथवा अस्वीकार। जब आप श्री किरीट सोमैया को जानकारी देंगे तब हम इसका अवलोकन करेंगे*...(व्यवधान)* हमें डिप्टी स्पीकर साहब ने बोलने की इजाजत दी है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें सदन में बोलने की इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: उपाध्यक्ष जी, जब तक हमें नहीं बोलने देंगे, इनको इजाजत नहीं दी जाये*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे जी, सभा में यह क्या हो रहा है? मैंने उन्हें सदन में बोलने की इजाजत दी है।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): उपाध्यक्ष जी, इनके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने चार सेल्यूलर लाइसेंसों के लिए निविदाएं क्यों आमंत्रित की तथा डब्ल्यू.एल.एल. के मामले में उन्होंने निविदाएं क्यों नहीं आमंत्रित की।*...(व्यवधान)* महोदय यह तो हद हो गयी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे जी, यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह तो गलत है। वह मुझे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे बोलने का अधिकार है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे जी, मैंने उन्हें सदन में बोलने की इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: सर ये लोग बिना बात चिल्लाते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि ऐसा उनका व्यवहार है, तो मैं प्रश्नकाल चलने नहीं दूंगा।*...(व्यवधान)* हद हो गयी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक जगह टेन्डर और एक जगह फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व इसका क्या मतलब है।

श्री लाल मुनी चौबे: संसद नियमों के अधीन चलती है और ये बीच में खड़े हो जाते हैं?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे जी, मैंने सदन में उन्हें बोलने की इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मेरा प्रश्न यह है चार सेल्यूलर प्रचालकों को लाइसेंस देने के मामले में निविदाएं मंगाने के मानदण्ड क्यों अपनाये गये तथा डब्ल्यू.एल.एल. के मामले में क्यों कोई निविदा नहीं मंगाई गई तथा यह केवल पहले आओ पहले पाओं के आधार पर दिया गया?*...(व्यवधान)* यह विसंगति क्यों?*...(व्यवधान)* महोदय, मैं अपना प्रश्न दुहराता हूं। चार सेल्यूलर लाइसेंसों के मामले में निविदा के मानदण्ड क्यों अपनाये गये तथा डब्ल्यू.एल.एल. के मामले में क्यों कोई निविदा नहीं मंगाई गई तथा इसे केवल 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर क्यों किया गया?*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: अगर यह मंत्री जी का जवाब नहीं सुनने हैं तो इनका प्रश्न भी नहीं सुनना चाहिए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप इनका उत्तर सुनिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप इन्टरप्शन कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: मेरा कहना है कि इनका सवाल जब तक न सुनें जब तक इनके नेता खड़े होकर न कहें*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इस तरह से व्यवधान उत्पन्न मत करें। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: इनका प्रश्न तब तक नहीं सुनें जब तक ये जवाब नहीं सुनें*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम आपकी परवाह नहीं करते। आप सुनना नहीं चाहते, मत सुनिये। आप हमें मत सिखाइये।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे जी, मैं बोल रहा हूं। कृपया आप बैठ जायें। आज आपको क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, पहले इन्हें चुप कराइये*...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: प्रियरंजन दासमुंशी जी ने पूछा कि उसमें अपने टेन्डर इन्वाइट किया, क्या इसमें टेन्डर इन्वाइट नहीं किया। इसका सीधा सा एक लाइन का जवाब है कि डब्ल्यू.एल.एल. जो टैक्नोलोजी है, वह फिक्स्ड लाइन के अंदर है। फिक्स्ड लाइन के लिए हमने कह दिया है कि किसी भी एरिया में जितने भी लोग आना चाहें, आयें, हमने अनलिमिटेड प्लेयर्स को अलाऊ किया है और इसलिए इसमें उन तरह की बात की कोई जरूरत नहीं है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह डब्ल्यू.एल.एल. बिना निविदा आमंत्रित किए जारी की गई है तथा माननीय मंत्री जी यह स्वीकार कर रहे हैं।*...(व्यवधान)* यह धृष्ट कार्य है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास जी, मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना होगा। कृपया बैठ जाएं। आप हर मामले में बोल पड़ते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: सवाल मुन्शी जी ने डब्ल्यू.एल.एल. के बारे में अभी पूछा था, आपने उसके उत्तर में कहा कि रिलायन्स की दो कम्पनीज ने बिड में पार्टीसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने विदड्रा कर लिया और उनका डिपाजिट भी आपने वापिस कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा प्रैशर था जिससे आपने उन्हें उनका डिपाजिट वापिस कर दिया।

मेरा दूसरा सवाल है कि आपने सभा में ऐसा वचन दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: मेरा सवाल है कि डब्ल्यू.एल.एल. को बाद में आप कहीं सेलुलर के अन्दर तो कन्वर्ट नहीं कर देंगे, अभी तो आप उन्हें बिना लाइसेन्स के 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस' पर दे रहे हैं। इससे पासवान जी आपकी मिनिस्ट्री बहुत बदनाम हो रही है, आपकी मिनिस्ट्री में ट्रान्सपेरेन्सी नहीं है। *...(व्यवधान)* मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ समय बाद डब्ल्यू.एल.एल. को सेल्यूलर फोन में बदलने जा रही है अथवा नहीं।

श्री राम विलास पासवान: सबसे पहली बात है कि हमारी मिनिस्ट्री को इनसे सर्टीफिकेट नहीं लेना है कि कौन बदनाम हो रहा है या कौन क्या हो रहा है।*...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: आपको देश की जनता से सर्टीफिकेट लेना है, देश की जनता आपको सर्टीफिकेट देगी।*...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: हम लोग 30-35 सालों से राजनैतिक जीवन में हैं और हमारी जनता पर नजर है। जनता को जो चीज कम दाम पर मिलेगी, जो अफोर्डेबल सर्विस होगी, उसको देंगे और किसी राज्य का कोई मुख्य मंत्री ऐसा नहीं है जो डब्ल्यू.एल.एल. की मांग नहीं कर रहा है चाहे वह किसी भी पार्टी का मुख्य मंत्री हो। हर आदमी डब्ल्यू.एल.एल. की मांग करे और यहां आकर आप विरोध करें तो वह ठीक नहीं है।

जहां तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस का सवाल है, यह नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ। पहले जाकर उनको पीओपी पाइंट्स ऑफ प्रैजेन्स) लेना पड़ेगा और इसके लिए हमने यह मापदंड रखा है कि एक-तिहाई फोन रूरल एरिया में लगेंगे, एक-तिहाई अर्बन एरियाज में लगेंगे और एक-तिहाई सैमी-अर्बन एरियाज में लगेंगे, तब उनको स्पैक्ट्रम मिलेगा और उसके लिए अलग से ऐलोकेशन उनको दिया जाएगा। इसलिए पूरी की पूरी ट्रांसपेरेन्सी उसमें है, कहीं पर कुछ खराबी नहीं है। जो इसका विरोध कर रहे हैं ये गरीबों के दुश्मन हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम सभी डब्ल्यू.एल.एल. का समर्थन करते हैं। परंतु 'पहले आओ पहले पाओ' का नहीं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा)**:** मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं जोर देकर कहता हूं कि ऐसा नहीं किया गया। मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, पार्लियामेंट के मेम्बर्स का जो मत है, उसको हाथ हिलाकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लोग भी आम जनता के जन-प्रतिनिधि हैं। उस तरह से कहना कि इनसे सर्टिफिकेट हम नहीं चाहते, मंत्री महोदय के स्तर पर यह रवैया सही नहीं है। उस पर हमें आपत्ति है। *...(व्यवधान)* मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया।*...(व्यवधान)* डब्ल्यू.एल.एल. का कोई विरोध नहीं कर रहा है। मात्र यह बात चल रही है कि इसके लिए टेन्डर क्यों नहीं किया गया। उसका सवाल-जवाब हो रहा है लेकिन राशिद अलवी जी ने जो प्रश्न पूछा, उसका जवाब पासवान जी ने नहीं दिया कि डब्ल्यू.एल.एल. कहीं भविष्य में सेल्यूलर में कनवर्ट होगा या नहीं - इस सवाल पर स्पष्ट रूप से अपना मत आप सदन में रखें, यही हमारा निवेदन है।

श्री राम विलास पासवान: मैंने कह दिया कि डब्ल्यू.एल.एल. को फिक्स्ड टैलिफोनी के अंतर्गत रखा गया है। कल आपकी सरकार आए और आप बदल दें तो मैं क्या करूंगा?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मंत्री जी जो कहते हैं उससे कोई भी व्यक्ति स्थिति समझ सकता है। इसका अर्थ है कि इसे परिवर्तित किया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री जी को उत्तर में केवल 'हां' अथवा नहीं कहना है।*...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी को उस मुद्दे को स्पष्ट करना है।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: मैं सिंधिया जी से आग्रह करना चाहता हूं और मैंने यह कह दिया कि डब्ल्यू.एल.एल. फिक्स्ड टैलीफोनी के अंतर्गत रखा गया है, आपको यदि कुछ करना है तो

आप करें लेकिन हर चीज में आरोप लगा देना करप्शन का या स्कैम का, यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और माननीय सदस्य जिस बात को बोलें पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला करें।

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी जवाब नहीं दिया...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैंने कहा कि यह भविष्य में सैल्यूलर में नहीं जाएगा। मैंने यह भी कह दिया कि जो स्पैक्ट्रम ऐलोकेशन होगा वह पीओपी के आधार पर होगा और जो लगाएंगे, वहां जितना पीओपी लगाएंगे, उसी के मुताबिक उनको स्पैक्ट्रम ऐलोकेशन मिलेगा। ये सारी चीजें हम बार-बार कह रहे हैं, पिछले सत्र से कह रहे हैं और उसके बाद उसी चीज को आप घुमा रहे हैं तो हम उसका क्या जवाब दें?

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के किरायों में वृद्धि

*204. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने हाल में अपने विमान किरायों में वृद्धि की है, जबकि विदेशी विमान कम्पनियों ने अपने विमान किरायों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बढ़े हुए किराए का विनिवेश प्रक्रिया और भारत में पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वायुयान नियमावली के अनुसार, भारत के लिए तथा यहां से विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली विमानकंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किरायों में संशोधन करने से पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लें।

अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन परिसंघ (आयटा) भिन्न-भिन्न सेक्टरों के लिए विमान किराया निर्धारित करने के लिए टैरिफ समन्वय सम्मेलनों का आयोजन करता है। इन बैठकों में संबंधित विमानकंपनियां भाग लेती हैं। संबंधित मार्ग पर प्रचालनरत सभी विमानकंपनियों द्वारा किरायों के बारे में सहमति मतैक्य से होती है। एअर इंडिया सभी आयटा एयरलाइनों की ओर से डीजीसीए के समक्ष किराए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती है। ये किराए तब डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

उक्त सम्मेलन में किराया वृद्धि सहमति के आधार पर, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस ने इस वर्ष अन्य एयरलाइनों के साथ अपने-अपने किरायों में वृद्धि की है। विमान किराए में यह वृद्धि सेक्टर तथा यात्रा श्रेणी के आधार पर 5 प्रतिशत से 21.5 प्रतिशत की रेंज में है।

तथापि, सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानकंपनियों को यह अनुमति है कि वे भारत और अपने-अपने देशों के बीच सीधी प्रचालन सेवा के लिए आयटा अनुमत किरायों की अपेक्षा अपेक्षाकृत कम विशेष एक पक्षीय किराए डीजीसीए को प्रस्तुत करें। ये किराए सामान्यतया लीन सीजन के दौरान प्रस्तुत एक सीमित नियत अवधि के लिए होते हैं। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस समेत अधिकांश विमानकंपनियों ने इस वर्ष इन भिन्न-भिन्न सेक्टरों में भिन्न-भिन्न समय पर सीमित समयावधि के लिए विशेष एकपक्षीय किराए प्रस्तुत किए हैं, जो आयटा अनुमत किरायों की अपेक्षा अपेक्षाकृत कम हैं। सामान्यतया अन्य विमानकंपनियां प्रतियोगिता में बनी रहने के लिए सीधी प्रचालनरत विमानकंपनियों (तृतीय तथा चतुर्थ स्वतंत्रता केरियरों) द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय किरायों को समनुरूप बनाती हैं। अत: केवल विदेशी विमानकंपनियों ने ही अपने किरायों को अपेक्षाकृत कम किया है जबकि एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने अपने-अपने किरायों में वृद्धि कर दी है।

चूंकि विमान किरायों में वृद्धि/कमी मूलत: वाणिज्यिक व्यवहार्यता और बाजार में मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है और अधिकांश विमानकपंनियों द्वारा इसका निदान किया जाता है, इससे पर्यटन और विनिवेश पर किसी महत्वपूर्ण ढंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। इसके अलावा पर्यटन बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जबकि विमान किराए उन कारकों में से केवल एक ही कारक है।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़: उपाध्यक्ष जी, इस देश में पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज का जो हाल है वह सारे देश को मालूम है और वहां के तमाम इंप्लाइज, इस देश के लिए खून-पसीना एक करके जिन लोगों ने उसकी फाउंडेशन तय की हैं, सारे देश में आज उनके लिए चिन्ता है।

"नसीर तेरी गलियों में वतन, जहां चली है रसम, कि कोई न सर उठा के चले,"

यह हालत आज के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज की हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के किरायों में वृद्धि की जा रही है और किराए में वृद्धि के बावजूद जो फारेन एअरलाइंस हैं वे हमारी एअरलाइंस से बैटर हैं जबकि हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही हैं। इसके बावजूद आप एअरलाइंस के किराए बढ़ाते चले जा रहे हैं और जब सर्विस नाकस हो जाती है तो उसे बेचने का इंतजाम कर दिया जाता है। मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि 5 प्रतिशत से लेकर 21.5 प्रतिशत तक आपने किराए में बढ़ोत्तरी कर दी है, इससे भारतवर्ष के टूरिज्म के ऊपर विपरीत असर पड़ा है। लेकिन सही मायनों में जबकि एअर इंडिया के इतने हादसे हो रहे हैं उसके बावजूद दुनिया के हर कोने में बैठा भारतीय एअर इंडिया से यात्रा करने में गौरव महसूस करता है। हमारी स्थिति यह है कि आपकी एअर लाइंस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग भारतीय इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया से यात्रा करना ज्यादा पसन्द करते हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वह कृपया इस बारे में कुछ प्रकाश डालें?

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बराड़ साहब ने जो सवाल पूछा है, उसका मैंने लिखित जवाब दिया है, जो अपने आप में संपूर्ण जवाब है। उसमें सभी बातों का समावेश किया गया है। अभी हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया है। मैं आपको जो न्यूयार्क का किराया है, उसकी तुलनात्मक स्थिति बताता हूं। वहां ब्रिटिश एयरवेज 41 हजार रुपए, एयर फ्रांस 35 हजार रुपए, केएलएम 43 हजार रुपए, युनाइटेड एयरलाइंस 41 हजार रुपए, स्केंडेनेवियन 38 हजार रुपए, वर्जिन 36 हजार रुपए, एमीरैट्स व आस्ट्रियन 35,490 रुपए लेती हैं और कुवैत एयरलाइंस 35,500 रुपए किराया लेती है जबकि इंडियन एयरलाइंस 41,280 रुपए लेती है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को टोरंटो के तुलनात्मक किराए की स्थिति बताना चाहता हूं। ब्रिटिश एयरवेज 38 हजार रुपए, हम लेते हैं 35 हजार रुपए। लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज 28 हजार रुपए, एअर फ्रांस 26 हजार रुपए, केएलएम 28 हजार रुपए, युनाइटेड एअरलाइंस 22 हजार रुपए, स्केंडेनेवियन 22 हजार रुपए और एअर इंडिया 20 हजार रुपए लेती है और आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा ले रहे हैं। पेरिस का ब्रिटिश एयरवेज 28 हजार रुपए, एअर फ्रांस 26 हजार रुपए, केएलएम 28 हजार रुपए और इसी तरह से हम लेते हैं 22 हजार रुपए। अब आगे चलिए गल्फ की बात मैं बताना चाहता हूं। बैंकाक के लिए एयर फ्रांस 13,900 रुपए लेती है, एअर इंडिया 14,500 रुपए लेती है और सिंगापुर 15 हजार लेती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: खाड़ी के देशों के लिए कितना किराया है।

श्री शरद यादव: मैं खाड़ी के देशों के बारे में आंकड़े दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़: उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, यह डिटेल हमारे सामने नहीं है। जब हमें कंपैरेटिव स्टडी मालूम नहीं है, तो मंत्री जी से क्या कहें।

श्री शरद यादव: मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया के जो किराए हैं वे अन्य इंटरनैशनल एअरलाइंस के किरायों से कम हैं। कोई एक-दो कंट्रीज हो सकती हैं जहां हमारे किराए थोड़े ज्यादा हों। वैसी कोई दिक्कत नहीं है और हमारी एअरलाइंस बिलकुल ठीक और दुरूस्त चल रही है। जब हमने चार्ज संभाला था तब उसमें 175 करोड़ रुपए का घाटा था और अब एअर इंडिया को 4-5 करोड़ रुपए का प्राफिट हो रहा है।

श्री जे.एस. बराड़: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री यह है कि लुधियाना और अमृतसर शहरों को देश का मानचेस्टर माना जाता है। लुधियाना में बहुत अधिक इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहां इंडियन एअरलाइंस की एक भी फ्लाइट नहीं जाती है। अमृतसर में भी सातों दिन की बजाय केवल तीन दिन ही फ्लाइट जाती है और चंडीगढ़ की तो हालत बहुत ही खराब है। वहां की फ्लाइट बहुत अनियमित है। जब जाना होता है, तो बार-बार पूछना पड़ता है कब फ्लाइट जाएगी। जब पूछते हैं, तो बताया जाता है कि अभी कोई सरटेंटी नहीं है जब जहाज आएगा, तब बताया जाएगा। उस रूट पर कोई मुकम्मल कोआर्डीनेशन नहीं है। मैं मंत्री महोदय से दर्खास्त करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ भारतवर्ष का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वह लेह व अमृतसर से भी जुड़ा है, क्या इस रूट पर आप ज्यादा फ्लाइट चलाने की कोशिश करेंगे?

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अमृतसर का सवाल उठाया है। यद्यपि उनका सवाल मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि हम अभी अमृतसर होकर आए हैं। हमने वहां से आने के बाद उसे इंटरनैशनल एयरपोर्ट घोषित किया है।...*(व्यवधान)* रनवे की दिक्कत है। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: कांग्रेस ने नौ एम.पीज में से आपने किसी को नहीं बुलाया।

श्री शरद यादव: मैं माफी चाहूंगा, श्री आर.एल. भाटिया हमारे साथ थे।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: वे तो अमृतसर में थे।

श्री शरद यादव: मैं उनको अपने साथ ले गया था। हमने उन्हें विशिष्ट अतिथि बनाया था।...*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि सभी एम.पीज को हम नहीं ले जा पाए लेकिन निश्चित तौर पर श्री भाटिया, जो विदेश मंत्री रहे हैं, मेरे साथ गए थे और कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां थे। सभी पार्टियों के लोगों की लगातार यह मांग रही है कि अमृतसर में और सर्विस की जरूरत है। अभी हमारा फ्लीट छोटा है, इसीलिए हमने छः एयरबस लीज पर और छः ए.टी.आर., जो छोटे जहाज हैं, लेने के बारे में सोचा है। जैसे ही ये फ्लीट ज्वाइन कर जाएंगे, निश्चित तौर पर अमृतसर की दुनिया और देश के भीतर कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए हम प्रयास करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने कहा कि पांच करोड़ रुपये प्रॉफिट हो गया है, आप अभी इसे नहीं बेचेंगे, क्या ऐसा आश्वासन आप सदन में देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह बहुत संतोषजनक है। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया दोनों के काम में सुधार हो रहा है। अब वे घाटे के बावजूद कुछ मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि उनके डिसइन्वैस्टमैंट मिनिस्टर इन दोनों कम्पनियों को बेचने के लिए क्यों उतारू हैं? यह मत कहिए कि उतारू नहीं हैं क्योंकि हमारे पास उनका खत है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी की राय एक है, मंत्रिमंडल की राय दूसरी है। वही हालत हमारे पूर्व वक्ता, श्री राम विलास पासवान की है। वह टेलीफोन डिपार्टमेंट में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता। जो सरकार की हालत है, आप जो वक्तव्य देते हैं, अगर उसमें मुनाफा हो रहा है तो क्या आप इस सदन को आश्वासन देने की हैसियत में हैं कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का डिसइन्वैस्टमैन्ट नहीं होगा?

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, डिसइन्वैस्टमैंट डिपार्टमेंट अलग है। आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने जो प्रश्न पूछा है, वैसा कोई मतभेद नहीं है। डिसइन्वैस्टमेंट का डिसीजन कैबिनेट से हुआ है। निश्चित तौर पर हम उसे प्रॉफिट में ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उसे मजबूत करके, बेच नहीं रहे हैं, उसका बेहतर मैनेजमैंट हो जाए, इसका इंतजाम कर रहे हैं।

श्री बसुंदेव आचार्य: क्या वहां प्राइवेट मैनेजमैंट होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: माडर्न बेकरी को बेचा गया। उस समय माडर्न बेकरी मुनाफे में थी। जब प्राइवेट हाथों में गई तो आज वह घाटे में है। क्या वही बात एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के साथ नहीं दोहराई जाएगी? दुनिया में जहां भी इस तरह का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेट कम्पनियों ने शेयर्स को नीचे गिराया है, वहां बर्बादी की है और जो कुछ भी शेयर्स का हिस्सा सरकार के हाथ में रहा है, उसे भी उन्होंने खरीद लिया है। क्या हमारे मित्र शरद यादव जी माडर्न बेकरी और बाल्को से कोई शिक्षा लेंगे?

श्री शरद यादव: माननीय चन्द्रशेखर जी ने जो सवाल उठाया है, विनिवेश मंत्रालय बिल्कुल अलग है और मैं समझता हूं कि उसके मंत्री आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए कम्पीटैंट व्यक्ति हैं। मुझे इसकी डिटेल मालूम नहीं है और न ही मैं इसका जवाब देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, क्या विनिवेश के मामले में नागर विमानन मंत्री को विश्वास में लिया गया है?...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें सदन में प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी गई है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): मंत्री महोदय, ने अभी-अभी यहां कहा कि आप ए.टी.आर. खरीदने जा रहे हैं, क्या यह बात उनके ध्यान में है कि इस वक्त हिमाचल सैक्टर में जो डोर्नियर प्लेन चलता है, उसके किराये इतने अधिक हैं कि उससे हमारे टूरिज्म पर कुप्रभाव पड़ रहा है। जब आप ए.टी.आर. खरीदेंगे तो कुल्लु के एयरपोर्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाकर, ताकि वहां पर यह प्लेन उतर सके, इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह वाजिब बात है। कुल्लू में जो सर्विस है, उसके किराये बहुत ऊंचे हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल में और देश में कुछ ऐसे सैक्टर हैं, जहां सब्सिडी नहीं है। नार्थ-ईस्ट और लद्दाख में सब्सिडी है, लेकिन यहां सब्सिडी नहीं है। निश्चित तौर पर

हिमाचल प्रदेश में जो सर्विस चलती है, वह सर्विस कामर्शियली वायबल नहीं है। वहां जाने के लिए एक-एक या दो-दो दिन लगता है और उसकी ऑपरेशन कास्ट भी ज्यादा आती है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि उसे सुधारने का हमारा इरादा है। वहां के एयरपोर्ट को भी हम ठीक करना चाहते हैं। जिस एयरपोर्ट का इन्होंने जिक्र किया है, उस एयरपोर्ट पर देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। उस मामले में हम आगे विचार कर रहे हैं कि किस तरह उसको ठीक किया जाये, उस पर काम किया जाये।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, कृपया इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि कई सदस्य इस मुद्दे पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं इसलिए क्या आप आधे घंटे की चर्चा पर सहमत हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: नहीं, उपाध्यक्ष जी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हम इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा नहीं वरन् व्यापक चर्चा चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बांस में फूल आने से पर्यावरण को नुकसान

*202. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांस में फूल आने से पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बांस में फूल आने के पिछले मौसम में हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) बांस एक सुस्थापित चक्रीय आधार पर पुष्पित होते हैं। बांसों के पुष्पित होने से पारि-प्रणाली और पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, बहुत बड़ी मात्रा में निकले हुए बांस के फूलों से भयंकर दावानल और कृन्तक (रोडेन्ट) के खतरे की संभावना रहती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की घटना घटित होती है वहां राज्य सरकार द्वारा सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

अधिक संख्या में प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाना

*205. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 2001 के ''नवभारत टाइम्स'' में और अधिक प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) नई योजना के कारण होने वाली संभावित छंटनी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बाद भविष्य निधि कोष में कितनी धनराशि की वृद्धि होने की संभावना है और इससे भविष्य में रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावन है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। समाचार में कहा गया है कि यदि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के दायरे में लिए जाने के लिए कर्मचारियों की संख्या की सीमा 20 से घटाकर 10 की जाती है तो जहां एक ओर अधिक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि इससे रोजगार के मौके कम होंगे।

भविष्य निधि के दायरे में लिये जाने की सीमा 20 से घटाकर 10 करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के प्रस्ताव को त्रिपक्षीय रूप में विचार-विमर्श के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को भेजा गया है। दायरे में लिए जाने के लिए सीमा घटाये

जाने की स्थिति में भविष्य निधि राशि में वृद्धि तथा रोजगार पर इसके प्रभाव का अभी आकलन करना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

*206. **श्री चन्द्र विजय सिंह:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और अतिक्रमण रोकने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1997 से 1998 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, किन्तु 1999 में यह संख्या घटी है। वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान राज्यवार और वर्षवार सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों और घायल व्यक्तियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधान के अनुसार बनाए गए फार्मूला के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना, सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और अतिक्रमण को रोकना एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों पर विचार किया जाता है। इन उपायों में चार लेन बनाना, विद्यमान दो लेन वाले मार्गों को सुदृढ़ करना, बाइपासों का निर्माण, ज्यामितीय सुधार जैसे विभिन्न सुधार कार्य करना और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सड़क संकेतों, चिह्नांकनों आदि की भी व्यवस्था करना शामिल है। अतिक्रमणों को रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से ''सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)'' अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं

अखिल भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5679	8245	8518
अरुणाचल प्रदेश	54	51	53
असम	1584	1647	1754
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	886	1000	887
गुजरात	7071	7765	7758
हरियाणा	2316	2832	2779
हिमाचल प्रदेश	661	1033	829

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	567	2120	2112
कर्नाटक	8530	8275	अनुपलब्ध
केरल	7508	7212	7596
मध्य प्रदेश	7587	7885	6783
महाराष्ट्र	16473	15197	15343
मणिपुर	161	192	214
मेघालय	203	250	159
मिजोरम	27	61	36
नागालैंड	22	43	57
उड़ीसा	2107	2353	2651
पंजाब	1229	1160	1223
राजस्थान	6924	7219	6778
सिक्किम	48	32	33
तमिलनाडु	13107	13731	16329
त्रिपुरा	291	108	242
उत्तर प्रदेश	5648	5741	6442
पश्चिम बंगाल	3815	3130	अनुपलब्ध
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चंडीगढ़	56	38	56
दादर एवं नगर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दमन एवं दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली	1227	1155	1153
लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पांडिचेरी	233	215	378
कुल	94014 (अनंतिम)	98690 (अनंतिम)	96163 (अनंतिम)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मृत व्यक्ति

अखिल भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2228	3102	3273
अरुणाचल प्रदेश	13	28	13
असम	866	787	848
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	111	107	96
गुजरात	1590	1380	1241
हरियाणा	1110	1154	1137
हिमाचल प्रदेश	181	292	209
जम्मू और कश्मीर	131	423	307
कर्नाटक	1896	1947	अनुपलब्ध
केरल	851	826	876
मध्य प्रदेश	1506	1519	1480
महाराष्ट्र	3197	3156	3181
मणिपुर	43	40	73
मेघालय	100	87	78
मिजोरम	12	39	16
नागालैंड	15	10	13
उड़ीसा	673	803	869
पंजाब	938	859	887
राजस्थान	2078	2118	2313
सिक्किम	10	10	10
तमिलनाडु	2775	3106	3639
त्रिपुरा	59	46	86
उत्तर प्रदेश	3165	3318	3700
पश्चिम बंगाल	1843	1172	अनुपलब्ध

1	2	3	4
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	कुछ नहीं	कछु नहीं	कुछ नहीं
चंडीगढ़	25	14	21
दादर एवं नगर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दमन एवं दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली	415	305	296
लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पांडिचेरी	32	34	72
कुल	25863 (अनंतिम)	26682 (अनंतिम)	24787 (अनंतिम)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर घायल व्यक्ति

अखिल भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7052	9286	10181
अरुणाचल प्रदेश	134	62	72
असम	2623	2364	2938
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	605	695	504
गुजरात	7069	7735	7275
हरियाणा	2554	2897	3047
हिमाचल प्रदेश	1006	1488	1121
जम्मू और कश्मीर	526	2646	2066
कर्नाटक	11128	9906	अनुपलब्ध
केरल	10748	10805	8782
मध्य प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	13388	13050	12624
मणिपुर	294	472	375
मेघालय	329	165	219

1	2	3	4
मिजोरम	57	147	49
नागालैंड	63	30	50
उड़ीसा	2669	2913	3701
पंजाब	1077	990	1096
राजस्थान	7664	9122	7996
सिक्किम	69	40	68
तमिलनाडु	9074	9822	14706
त्रिपुरा	504	209	399
उत्तर प्रदेश	4084	4437	4809
पश्चिम बंगाल	3338	3667	अनुपलब्ध
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चंडीगढ़	44	34	48
दादर एवं नगर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दमन एवं दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली	1011	1012	950
लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पांडिचेरी	265	204	375
कुल	87375 (अनंतिम)	94198 (अनंतिम)	83451 (अनंतिम)

[हिन्दी]

खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन

*207. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने की दृष्टि से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विधेयक के प्रारूप को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी मानदंड

*208. **डा. जयन्त रंगपी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए निर्धारित मानक मानदंड क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण या सुधार करते समय कौन-कौन से मानदंडों और विनिर्देशों का पालन किया जाता है; और

(ग) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों का आबंटन किस आधार पर किया जाता है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी मापदंड इस प्रकार हैं:-

(1) देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।

(2) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(3) राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानी तथा राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।

(4) महापत्तनों, विशाल औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें।

(5) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(6) ऐसी प्रमुख सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त कमी होती हो और जिससे पर्याप्त आर्थिक विकास होता हो।

(7) ऐसी सड़कें जिनसे पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े भू-भाग को खोलने में मदद मिलती हो।

(8) ऐसी सड़कें जिनसे 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होती हो।

(9) ऐसी सड़कें जो तकनीकी आवश्यकताओं और भूमि आवश्यकताओं दोनों के संदर्भ में राज्यीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानक स्तर की हों।

(10) सड़क और उसका मार्गाधिकार क्षेत्र किसी भी किस्म के अतिक्रमण से मुक्त हो और राज्य की संपत्ति हो।

(11) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपेक्षित मार्ग क्षेत्र (वरीयत: 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हो और अतिक्रमण मुक्त हो तथा राज्य सरकार 6 महीने में अधिग्रहण की औपचारिकता पूरी करे।

नोट: राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर देश की समग्र आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है न कि किसी स्थानीय आवश्यकता विशेष के आधार पर।

(ख) ये राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति, यातायात सघनता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता पर आधारित है।

(ग) धनराशि राज्य-वार आबंटित की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर में गिरावट

***209. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में भू-जल स्तर के नीचे गिर जाने के कारण पेयजल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें पेयजल की व्यवस्था के लिए योजना बनाती हैं, उसे धन देती हैं और उन्हें कार्यान्वित करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आबादी के लिए सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करने में राज्यों को सहायता और दिशा-निर्देश दे रहा है। शहरी क्षेत्रों में, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय पेय जल का प्रावधान करने के लिए राज्यों को सहायता देता है।

जहां तक भूमि जल स्तर में गिरावट का संबंध है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" नामक अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक आधार पर भूमि जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन संबंधी प्रयोग

किए हैं। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इस स्कीम के तहत अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुमोदित प्रस्तावों के 1-2 वर्षों के अंदर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन
3.	बिहार	4	18.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी हो गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखण्ड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरा होने के अंतिम चरण पर हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	15	251.49	छः स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन

[अनुवाद]

सुपर मार्किट के रूप में डाकघर

*210. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 2001 के नवभारत टाइम्स में डाकघरों को सुपर मार्किटों में परिवर्तित करने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो डाकघरों को वित्तीय सुपर मार्किट बनाने के लिए कौन-कौन सी नई सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) कितने डाकघरों को ऐसी नई सेवाओं से सुसज्जित किया जा रहा है; और

(घ) इनसे आम जनता के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) हाल ही में डाक विभाग ने नई वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला शुरू की है, जैसे कि 185 देशों से तत्काल धन अंतरण और विभिन्न म्युचुअल फंड कंपनियों के म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों सहित प्रमुख शहरों में 253 डाकघरों से तत्काल धन अंतरण सेवा प्रचालित की जा रही है और 215 डाकघरों में म्युचुअल फंड उत्पादों की शुरूआत की गई है।

प्रारंभ में ये नई सेवाएं चुनिंदा डाकघरों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई हैं और जहां तक इन सेवाओं का और अधिक डाकघरों में विस्तार करने का सम्बन्ध है, यह इनके प्रति ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

एक ओर जहां धन अंतरण सेवा का लाभ उठाते हुए अप्रवासी भारतीय (एन आर आई) अपने परिवारों को धन सीधा भेज रहे हैं तो दूसरी ओर इस सेवा से डाकघर के माध्यम से देश में अति आवश्यक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। डाकघर के माध्यम से विभिन्न वित्तीय कंपनियों के म्युचुअल फंड का वितरण होने से निवेशकों को ये उत्पाद आसानी से सुलभ हो रहे हैं। इस प्रकार पारंपरिक वित्तीय और प्रीमियम उत्पादों की विविधता से युक्त आज के डाकघरों को प्रेस द्वारा वित्तीय सुपर मार्किट कहा जा रहा है।

दिल्ली में वनों की कटाई के बारे में रिपोर्ट

*211. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 जून, 2001 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक दिल्ली के रेगिस्तान बन जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के पर्यावरण विभाग के लिए तैयार की गई दिल्ली पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, 2001 में बताया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के मूल्यांकन अनुसार, दिल्ली का वनावरण वर्ष 1987 में 15 वर्ग कि.मी. से बढ़कर वर्ष 1999 में 88 वर्ग कि.मी. हो गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि रिज क्षेत्र के वनों में अतिक्रमण होने से जैव विविधता का अवक्रमण हुआ है, तथापि दिल्ली में वनस्पतियों और वनावरण की स्थिति में समग्र रूप से वृद्धि का रुख रहा है। 1981-83 से दिल्ली सरकार के वनीकरण प्रयासों से वनावरण/वृक्षावरण के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है और इस बात पर विश्वास करने का ऐसा कोई कारण नहीं है कि वर्ष 2021 तक दिल्ली एक रेगिस्तान में तबदील हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने वन/वृक्षावरण, जो शहर के लिए ग्रीन फेफड़ों का काम करते हैं, में और अधिक बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से दिल्ली में बड़े पैमाने पर वनीकरण करने और उसे हरा-भरा बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

हिमालय के वनों की कटाई

*212. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमालय में हुई वनों की कटाई का ब्यौरा क्या है और इससे अब तक उत्तरी भारत के पारिस्थितिकीय संतुलन पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने हिमालय के वनों की कटाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर दो वर्ष बाद वनावरण का मूल्यांकन किया जाता है। हिमालय से जुड़े अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल राज्यों के पहाड़ी प्रदेशों में समुद्री स्तर से ऊपर 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 77 जिले हैं। वर्ष 1997 और 1999 के मूल्यांकनों में, इन जिलों में 460 वर्ग कि.मी. की शुद्ध वृद्धि देखी गई है। उत्तरी भारत के पारिस्थितिक संतुलन के बारे में वर्ष 1997 और वर्ष 1999 के दौरान वनावरण-परिवर्तन के वास्तविक प्रभाव के बारे में कोई विशेष अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। तथापि, वन आवरण का परिवर्तन, मृदा अपरदन, भौम-जल स्तर, वर्षा, प्राणिजात और वनस्पतिजात सहित पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करता है।

(ख) और (ग) देश में वनों की कटा को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(1) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(2) वनों के विकास और अनुरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(3) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्भव में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के संबंध में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमियों के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिनियमन किया गया है।

(5) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है।

(6) वन संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु निवेश में वृद्धि करके पारिस्थितिक स्थायित्व और लोक केन्द्रित विकास हेतु वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान में वृद्धि करने के संबंध में इस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना तैयार की है।

[हिन्दी]

अतिक्रमणाधीन वन भूमि

*213. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अतिक्रमणाधीन वन भूमि की जोतों को ऐसे भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और आदिवासियों को पट्टे पर देने के लिए कोई नीति बनाई है, जो कई वर्षों से उन जोतों पर खेती कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार अतिग्रमणाधीन वन भूमि को कृषि कार्यों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों

और भूमिहीनों को सौंपने हेतु राज्य सरकारों को निदेश देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत स्थानीय लोगों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए 25.10.1980 से पहले वन भूमियों पर किए अतिक्रमण को नियमित करने का प्रावधान है। इस प्रकार का नियमन केवल तभी अनुज्ञेय है यदि संबंधित राज्य सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं के अनुसार पात्रता हेतु कोई मानदण्ड विकसित किए थे तथा ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने का निर्णय किया था परन्तु 25.10.1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन से पहले इस निर्णय को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।

25.10.1980, जब वन (संरक्षण) अधिनियम प्रवृत्त हुआ, उसके बाद किया गया कोई भी ऐसा अतिक्रमण का नियमन अनुज्ञेय नहीं है।

(ग) और (घ) 31.12.1976 से पहले मध्य प्रदेश के 46 जिलों में 1.03 लाख हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण को इस मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1990 में नियमित किया गया था।

तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने 1.83 लाख हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमणों को नियमित करने हेतु एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

श्रेणी	अतिक्रमण की अवधि	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	परिवारों की संख्या
1	31.12.1976 तक	64966.633	46642
2	01.01.1977 से 06.03.1979 तक	106565.401	96115
3	07.03.1979 से 25.10.1980 तक	11953.981	9281

श्रेणी-1: इस श्रेणी के प्रस्तावों में केवल ऐसे मामलों को शामिल किया गया है जिन्हें पहले के प्रस्ताव में छोड़ दिया गया था। इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए, कुछ शर्तों के अध्ययधीन, मई, 2001 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

श्रेणी-2 की जांच: प्रस्ताव से पता चला है कि कुछ अपात्र व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने से संबंधित प्रस्तावों को भी इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों को अपने प्रस्तावों में संशोधन और 6.3.1979 को विद्यमान पात्रता के मानदण्डों के आधार पर क्षेत्र का आकलन करने का अनुरोध किया गया है।

श्रेणी-3: इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने 25.10.1980 तक वन भूमि पर अतिक्रमणों को नियमित करने हेतु नीति निर्णय के बारे में कोई लिखित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

पारे का आयात और उपयोग

*214. **श्री पी.आर. खूंटे:**
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्ष के दौरान कास्टिक सोडा का विनिर्माण करने वाले प्रत्येक 'मरकरी सैल प्लांट' ने पारे का कितनी मात्रा में आयात और उपयोग किया;

(ख) इसका हवा और पानी में किस प्रकार निपटान किया गया;

(ग) क्या इसका निपटान पर्यावरण मानकों के अनुरूप किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए पारे की मात्रा निम्नलिखित है:

वर्ष	आयातित पारा (टन)
1998-99	125
1999-00	207
2000-2001	251

पिछले तीन वर्षों के दौरान कास्टिक सोडा के उत्पादन में पारे की कुल खपत निम्नलिखित है:

वर्ष	खपत की मात्रा (टन)
1998-99	36
1999-00	33.3
2000-2001	34.1

(ख) से (घ) पारायुक्त अपशिष्ट जल को अवक्षेपण/अधिशोषण/आयन तकनीकों से शोधित किया जाता है ताकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति हो सके। पारे के स्तर को निर्धारित सीमा के अन्दर बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाष्प जैसे पारा युक्त उत्सर्जनों को अवरुद्ध किया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार चल रहे सभी क्लोर-अल्कली संयंत्रों को अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण पद्धतियां प्रदान की गई हैं।

भारतीय नदियों में बढ़ता प्रदूषण

*215. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की प्रमुख नदियों में प्रदूषण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत और विदेशों में किए गए अध्ययनों से क्या परिणाम सामने आए हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में सभी बड़ी नदियों के 507 स्थानों में जल गुणता की निगरानी कर रहा है। इन अध्ययनों के परिणामों से पता चला है कि जल गुणता नदियों के उन हिस्सों विशेषकर, जहां बड़े शहर स्थित है, में खराब है। यह मुख्यतया नगरों/शहरों से अशोधित अपशिष्ट जल के विसर्जन और बाद में नदियों के बेसिन में सतही और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण कम बहाव रह जाने के कारण है। बड़ी तथा मझौली/छोटी नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित भागों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

अप्रैल, 1995 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रुड़की विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा अखिल भारतीय हाईजीन एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त टीम ने गंगा कार्य योजना चरण का व्यापक मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि गंगा कार्य योजना, जैसे कि इसकी संकल्पना की गई थी और कार्यान्वयन किया गया था, अन्य नदी बेसिनों के लिए प्रयोग में लाने हेतु एक उपयुक्त कार्यक्रम है। जल गुणता की बहाली में जरूरी पहले उपाय के रूप में कार्बनिक तत्वों के विसर्जन में कमी करना था जो काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है। जनवरी, 1998 में मैट्रोइकोनोमिका, इंगलैंड तथा कुछ भारतीय संस्थानों अर्थात् इन्स्टीट्यूट आफ इकानॉमिक ग्रोथ, नई दिल्ली, भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ तथा अखिल भारतीय हाईजीन एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के प्रतिनिधियों वाली एक टीम द्वारा गंगा कार्य योजना चरण-1 का लागत लाभ विश्लेषण किया गया था। अध्ययन का व्यापक निष्कर्ष यह है कि इसकी कई कमियों के बावजूद भी गंगा कार्य योजना से भारत को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं। स्नान श्रेणी के मानकों का उल्लंघन करने वाले नदी का प्रदूषित भाग कन्नौज और वाराणसी के बीच कम से कम 740 किलोमीटर होता परन्तु गंगा कार्य योजना चरण-1 के कारण यह क्षेत्र 437 किलोमीटर ही रह गया है। प्रयोक्ता तथा गैर-प्रयोक्ता दोनों को लाभ पहुंचा है और परिणाम यह है कि चरण-1 से लाभ की वास्तविक दर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की अपेक्षित दर लगभग 10% से बेहतर है। लागत और लगे समय के संबंध में गंगा कार्य योजना टैम्स, रिने तथा डैन्यूब जैसी विश्व की अन्य बड़ी नदियों की तुलना में बेहतर है।

(ग) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

1. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत 27 मुख्य नदियों के प्रदूषित भाग, जो 16 राज्यों के 151 नगरों में फैले हुए हैं, में 3318 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रदूषण निवारण के कार्य शुरू किए गए हैं। इन नदियों की सूची उक्त अनुबंध के भाग "क" में दे दी गई है।

2. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए महत्वपूर्ण प्रदूषण उपशमन कार्यों में निम्नलिखित शामिल है:

* खुली नालियों के माध्यम से नदी में गिरने वाले अशोधित मलजल को नदी में गिरने से रोकने के लिए अवरोधन और दिशा-परिवर्तन तथा उसे शोधन के लिए डाईवर्ट करना।

* डाईवर्ट किए गए मलजल के शोधन के लिए मलजल शोधन संयंत्र।
* नदी किनारे खुले में शौच करने को रोकने के लिए कम लागत के सफाई कार्य।
* काष्ठ के उपयोग को कम करने और श्मशान घाटों में लाए गए शवों का उपयुक्त शवदाह सुनिश्चित करने में सहायता के लिए विद्युत शवदाहगृह एवं उन्नत काष्ठ शवदाहगृह।
* स्नान घाटों आदि का सुधार जैसे नदी तटाग्र विकास कार्य।
* अन्य लघु विधिक कार्य।

3. बड़ी और मझौली/छोटी नदियों में अपशिष्ट जल विसर्जन करने वाले शहरों/नगरों को कार्य योजना तैयार करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

4. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की नदियों और झीलों में उनके बहिस्रावों के उत्सर्जन की निगरानी का जा रही है। इन नदियों की सूची ऊपर उल्लिखित अनुबंध के भाग 'ख' के रूप में है।

5. औद्योगिक इकाइयों के समूह में सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सी टी पी) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

विवरण

नदी	प्रदूषित क्षेत्र	वर्तमान श्रेणी	अपेक्षित श्रेणी	महत्वपूर्ण मानदण्ड
1	2	3	4	5
1. घोर प्रदूषित क्षेत्र				
साबरमती	1. अहमदाबाद शहर से साबरमती आश्रम के ठीक ऊपरी भाग	ई	बी	डी.ओ.बी.ओ.डी. कालीफार्म
	2. साबरमती आश्रम से वेयुथा	ई	बी	डी.ओ.बी.ओ.डी. कालीफार्म
सिन्धु (सतलुज की सहायक नदी)	1. अधोप्रवाह लुधियाना से हरिका	आंशिक डी आंशिक ई	सी	डी.ओ., बी.ओ.डी.
	2. नांगल का अधोप्रवाह	ई	सी	अमोनिया
यमुना	1. दिल्ली से चम्बल संगम	आंशिक डी आंशिक ई	सी	डी.ओ., बी.ओ.डी. कालीफार्म
	2. दिल्ली, आगरा और मथुरा की शहरी सीमा में	-वही-	बी	-वही-
सुवर्णरेखा	हाथी बांध से बहारा गोरा	आंशिक डी आंशिक ई	सी	-वही-
गोदावरी	1. नासिक अधोप्रवाह से नान्देड़	आंशिक डी आंशिक ई	सी	बी.ओ.डी.
	2. नासिक और नान्देड़ की शहरी सीमा	-वही-	बी	बी.ओ.डी.

1	2	3	4	5
कृष्णा	कराड से सांगली	आंशिक डी आंशिक ई	सी	बी. ओ.डी.
चम्बल	नागदा अधोप्रवाह और कोटा (दोनों) स्थानों पर लगभग 15 कि.मी.)	आंशिक डी आंशिक ई	सी	बी. ओ.डी., डी.ओ.
दामोदर	धनबाद अधोप्रवाह से हल्दिया	आंशिक डी आंशिक ई	सी	बी. ओ.डी., विषाक्त
गोमती	लखनऊ से गंगा संगम में	आंशिक डी आंशिक ई	सी	डी. ओ., बी.ओ.डी. कलीफार्म
काली	मोदीनगर अधोप्रवाह से गंगा संगम में	आंशिक डी आंशिक ई	सी	-वही-
खान	1. इन्दौर की शहरी सीमा में	ई	बी	-वही-
	2. इन्दौर का अधोप्रवाह	ई	डी	-वही-
क्षिप्रा	1. उज्जैन की शहरी सीमा	ई	बी	-वही-
	2. उज्जैन का अधोप्रवाह	ई	डी	-वही-
हिण्डन	सहारनपुर से यमुना संगम में	ई	डी	डी ओ, बी ओ डी, विषाक्त
2. कम घोर प्रदूषित क्षेत्र				
वैतरणी	चान्दबाली का ऊपरी भाग	डी	बी	बी ओ डी और कालीफार्म
कृष्णा	1. धूम धाम से नारसों बाबरी (महाराष्ट्र)	डी	सी	बी ओ डी और कालीफार्म
	2. सहायक नदियां (महाराष्ट्र)	डी	सी	-वही-
	3. नागार्जुन सागर डैम तक और उस डैम से रिपैला के ऊपरी भाग (आंध्र प्रदेश)	डी	सी	बीओडी और कालीफार्म
भद्रा	भद्रा बांध के के आई सी सी एल के अधोप्रवाह से मूल (कर्नाटक)	डी	सी	कुल कालीफार्म
ब्रहामिणी	धर्मशाला के अधोप्रवाह	डी	सी	बी ओ डी और कालीफार्म
तुंगा	थिरथाहाली से भद्रा में संगम तक	सी	बी	कुल कालीफार्म
कावेरी	1. तालाकावारी से 5 किलोमीटर मैसूर जिला बार्डर यगानी (कर्नाटक)			
	2. के आर सागर डैम से होगनीकाल (कर्नाटक)			

1	2	3	4	5
	3. पुगालुर से ग्रेण्ड एनीकट (तमिलनाडु)			
	4. ग्रेण्ड एनीकट से कुम्टाकोणम (तमिलनाडु)			
तापी	नेपानगर शहरी सीमा से बुरहानपुर शहरी सीमा (मध्य प्रदेश)			
नर्मदा	जबलपुर की शहरी सीमा किनारे (मध्य प्रदेश)			
बेतवा	बेतवा, विदिशा और माण्डीदीप और भोपाल (मध्य प्रदेश)			

टिप्पणी: जल गुणता वर्गीकरण नीचे दिए अनुसार है:

ए	पारम्परिक शोधन के बिना पेय जल स्रोत परन्तु शुद्धिकरण के बाद
बी	बाह्य स्नान, तैराकी और जल क्रीड़ा
सी	पारम्परिक शोधन के साथ पेय जल जिसका शुद्धिकरण किया गया हो
डी	वन्यजीव और मत्स्यपालन संवर्द्धन
ई	सिंचाई, औद्योगिक प्रशीतन और अपशिष्ट निपटान
डी ओ	घुलित आक्सीजन
बी ओ डी	जैव रसायन ऑक्सीजन मांग
यू/एस	ऊपरी भाग
डी/एस	अधोप्रवाह

(ख) मध्यम और छोटी नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्र

क्र.सं.	नदी/क्षेत्र		एजेंसी
1	2		3
1.	दमनगंगा/लघु	अधो प्र., जी आई डी सी इस्टेट वीयार, वापी दमन गांव	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
2.	कोलाक/लघु	अधो प्र. जी आई डी सी नाला मिलन, वापी, कोलाक गांव	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
3.	पार (मुहाना)/लघु	अतुल के वीयार के बाद मागोद-डूंगरी गांव	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
4.	विश्वामित्री/मध्यम	(उप) ऊपरी भाग -बड़ोदरा शहर- पिंगलवाड़ा में आर धाधर के साथ संगम	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड

1	2	3
5.	धाधर/मध्यम अधो प्र. डिंगलवाड़ा गांव अमोद में विश्वामित्री के साथ संगम	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
6.	धाधर/मध्यम गांव जैतपुर-गांव रतिया (तटीय राजमार्ग पर)	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
7.	अम्बीका/मध्यम गांव बिलीमोरा-गांव बाधरोजे	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
8.	खांडेपार (मांडवी बेसिन-मध्यम)	गोवा रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
9.	गुलोली (जुआरी बेसिन)	गोवा रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
10.	साल/लघु	गोवा रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
11.	वालापट्टनम/लघु	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
12.	कल्लाड़ा/लघु	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
13.	चलक्कुड़ी/लघु	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
14.	मुवटुपुजा/लघु	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
15.	अचेनकोल/लघु	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
16.	कारामाना एवं किल्लीयार/लघु	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
17.	चलीयार/मध्यम	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
18.	भारथापुजा/मध्यम	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
19.	परियार/मध्यम	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
20.	पांबा/मध्यम	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
21.	वैगाय/मध्यमः ऊपरी भाग-अधो प्रवाह	तमिलनाडु रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
22.	वैगाय/मध्यमः मदुराई थिरूपुवनम	तमिलनाडु रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
23.	बुधाबालंगा/मध्यम	उड़ीसा रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
24.	नागावली/मध्यम	उड़ीसा रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
25.	कालीनाड़ी/मध्यम	कर्नाटक रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड
26.	नेत्रावली	कर्नाटक रा.प्र.नि. बोर्ड/के.प्र.नि. बोर्ड

रा.प्र.नि. बोर्ड - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के.प्र.नि. बोर्ड - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कार्य

*216. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सड़कों की पूरी लम्बाई को अलग-अलग भागों में बांटकर चार लेन की सड़क बनाने संबंधी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कुल सड़कों में से कितनी लम्बाई की सड़कों को 'बनाओ और चलाओ' (बिल्ड एवं आपरेट) योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को दिया गया है और कितनी लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य सरकारी क्षेत्र को दिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता चार महानगरों को जोड़ने वाले 5952 कि.मी. लम्बे स्वर्णिम चतुर्भुज और जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबन्दर से जोड़ने वाले 7300 कि.मी. लम्बे उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को 4/6 लेन का बनाया जाना है जिनकी कुल लम्बाई 13252 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के दोनों बड़े कार्यों को क्रमश: 2003 और दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) जी हां।

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार, बी ओ टी के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 202 कि.मी. और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 61 कि.मी. में कार्य शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

उत्प्रवासियों को सामाजिक सुरक्षा-सह-बीमा सुरक्षा प्रदान करना

*217. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में रोजगार प्रदान करने वाली एजेंसियों की ओर से उत्प्रवासियों को विदेश प्रवास के दौरान उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार/छटनी जैसी आकस्मिकताओं से बचाने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा-सह-बीमा सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एजेन्ट द्वारा सामाजिक सुरक्षा/बीमा प्रदान करने की सामर्थ्य के अनुसार चुनिंदा आधार पर उत्प्रवास की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्प्रवास प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और वैध बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) खाड़ी देशों में घरेलू कामकाज के लिए जाने वाली महिला कामगारों (हाउस मेड) को विशेष रूप से बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंजीकृत भर्ती एजेन्ट मैसर्स महाराजा ट्रैवल सर्विस, मुम्बई से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त प्रस्ताव की उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अंतर्गत जांच की गई थी और उसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया। उत्प्रवास अनुमति प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और कार्यविधि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है। उत्प्रवास कार्यप्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

खेलों के लिए नवीन परियोजनाएं

*218. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में खेलों का स्तर सुधारने के लिए कोई नवीन योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने देश में खेल संबंधी बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी देश/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वित्त पोषण एजेंसी के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार, "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" (एन.एस.डी.एफ।) नामक एक योजना पहले ही प्रारम्भ कर चुकी है ताकि विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी, अर्धसरकारी, निजी तथा निगमित क्षेत्र की ईकाईयों/एजेंसियों तथा अलग-अलग व्यक्तियों जिनमें अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) शामिल हैं, से खेलों के संवर्धन के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।

(ग) राष्ट्रीय खेल विकास निधि की योजना के अंतर्गत धनराशि राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लम्बी दूरी की अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाओं का निजीकरण

*219. **श्री पदमसेन चौधरी:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लम्बी दूरी की अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाओं (आई.एल.डी.) का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय वॉइस सेवाओं पर विदेश संचार निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2002 को एकाधिकार समाप्त हो जाने पर निजी क्षेत्र को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति देना संभव होगा। तदनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अनुसार, विनियामक प्राधिकरण से सिफारिशें मांगी गई हैं, जिनके आधार पर नये सेवा प्रदाता को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति

*220. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2000 में एक राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के कार्य और शक्तियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए मार्च, 2001 में सभी संसद सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) प्रारम्भ में राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति (एनटीएससी) का गठन फरवरी 2000 में हुआ था जिसका 21.03.2001 में पुनर्गठन किया गया।

(ख) समिति निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है और उन पर अपने सुझाव/सिफारिशें दे सकती है:-

(1) जन-उपयोगी स्थानों विशेषकर ग्रामीण/पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्र, अस्पताल, राजमार्ग, तीर्थ स्थानों तथा पर्यटक केन्द्रों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार।

(2) सार्वजनिक टेलीफोन संबंधी अवधारणा।

(3) दोष-निवारण, नए टेलीफोन कनेक्शनों और टेलीफोन स्थानान्तरित करने के लिए अनुरोध।

(4) बिलिंग प्रणाली विशेषत: भुगतान न करने पर टेलीफोन काटने/बहाल करने से संबंधित बिलिंग प्रणाली ताकि देश में समग्र टेलीफोन बिलिंग प्रणालियों में सुधार लाया जा सके।

(5) जब उपभोक्ता दूरसंचार परिसरों में आएं तब उन्हें सुविधाएं प्रदान करना।

(6) जब ग्राहक टेलीफोन कर्मचारियों को कॉल/संपर्क करते हैं तो उनके प्रति शिष्टाचार बरतना।

(7) प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि वे ग्राहक-अनुकूल बन सकें।

(8) क्षमता को बढ़ाना/शिकायत निवारण तंत्र को सभी स्तरों पर सशक्त बनाना।

(9) 197, 198 तथा 199 इत्यादि की विशेष सेवाओं में सुधार।

(10) सूचना-प्रसार के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं के बारे में जन-जागरूकता उत्पन्न करना।

(ग) और (घ) 21.3.2001 को समिति के पुनर्गठन से पहले एनटीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ने समिति के विचारार्थ विषयों का उल्लेख करते हुए तथा उन पर सुझाव आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखा था।

[अनुवाद]

विदेशी एयर लाइंसों को बिक्री कर से छूट

2087. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान से विदेशी एयर लाइंसों को छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे करों का भुगतान न करने के कारण उन पर अत्यधिक बकाया राशि जमा हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या एयर टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर करों के भुगतान से इस छूट का लाभ घरेलू एयर लाइंसों को भी दिए जाने की आशा है;

(घ) क्या इससे किरायों पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारत के लिए यहां से और यहां से होकर अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालन करने वाले किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड किसी विमान द्वारा लिए गए ईंधन और स्नेहकों से संबंधित सभी ड्यूटियों और करों से छूट देने विषयक संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन किसी कानून के अधिनियम के लिए संसद में एक बिल पेश किया जा चुका है।

(ख) तेल कंपनियों की भारतीय हवाई अड्डों से विदेशी एयरलाइनों के प्रति विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बिक्री पर राज्य सरकारों को अदा किए गए बिक्री करों के कारण 31.3.2001 को यथा स्थिति 694.27 करोड़ रु. की राशि बकाया है जिसकी वसूली की जानी है लेकिन उक्त एयरलाइनों द्वारा तत्संबंधी भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) इस बिल से घरेलू विमानकंपनियों को कोई लाभ नहीं होगा चूंकि इसका अभिप्राय विभिन्न देशों के साथ विमान सेवा करारों के अंतर्गत मात्र भारत के दायित्व की पूर्ति करना है।

(घ) से (च) इसका किराए पर कोई प्रभान नहीं पड़ेगा चूंकि विदेशी एयरलाइनें इस समय भी विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों से उनके विमानों द्वारा लिए गए ए टी एफ पर कोई बिक्री कर अदा नहीं कर रही हैं।

[हिन्दी]

आई.सी.ए.डी. नियमों के अनुरूप हवाई अड्डों पर धावनपट्टी पर बत्तियां लगाना

2088. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदौर, हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डों पर धावनपट्टी पर बत्तियां लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धावनपट्टी पर बत्तियां गलत स्थान पर लगाई गई थीं और इन्हें हटाया जा रहा है तथा ये नए स्थान पर लगाई जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। इन्दौर, हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डों पर धावनपथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य 1970 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

द्वारा 1986 में बने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व किया गया था।

(ग) जी, नहीं। धावनपथ प्रकाश व्यवस्था किए जाने के समय उस समय लागू इकाओ मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूरा कर रही थी। इस प्रकाश व्यवस्था को अधिकतम 3 मीटर की दूरी पर पुन: लगाया जा रहा है जिससे वर्तमान इकाओ मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बंगलौर में 1.74 लाख रुपए और हैदराबाद में 1.80 लाख रुपए खर्च किए हैं और इन्दौर में कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

खतरनाक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध

2089. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा निस्टाड्स न्यूज वाल्यूम-3 नं. 1, 1 अप्रैल, 2001 में खतरनाक रसायनों के संबंध में निस्टाड्स द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें और नए निष्कर्ष क्या हैं जो अनेक अन्य रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं है और इस अध्ययन पर होने वाले विशेष परिव्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन आंकड़ों का उपयोग किस तरह किया जाएगा;

(ग) क्या एकत्र किए गए वैकल्पिक रसायनों की सूची, जिसे हानिकारक रसायनों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन रसायनों के प्रबन्धन के बारे में विभिन्न देशों की नीतियां क्या हैं और ये भारत तथा चीन में अपनाई जा रही नीतियों से किस तरह भिन्न है;

(च) क्या देश में इन रसायनों के विनिर्माताओं की सूची को पहले के सी.पी.सी.बी./सी.आई.बी. सूची के पश्चात् संकलित और अद्यतन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या हमारी सूची में ऐसा कोई रसायन है जो अन्य देशों में प्रतिबंधित है; और

(झ) यदि हां, तो सार्वजनिक सूचना के लिए तत्संबंधी सूची क्या है और देश में मच्छर भगाने वाले रसायनों के उपयोग सहित वैज्ञानिकों द्वारा सुरक्षित रख-रखाव का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (झ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने उन रसायनों और उत्पादों, जिनके उत्पादन एवं आयात/निर्यात पर अन्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन उनका उत्पादन और उपयोग भारत में हो रहा है, पर एक स्टेट आफ आर्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास संस्थान (निस्टाड्स) नई दिल्ली को सौंपा है। अध्ययन के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:

1. उन रसायनों और उत्पादों (औद्योगिक एवं कृषि दोनों) की सूची तैयार करना जिनका उत्पादन एवं व्यापार (आयात/निर्यात) पर अन्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन उनका उत्पादन भारत में हो रहा है।

2. उन रसायनों के विकल्पों की सूची तैयार करना जो विदेशों में प्रतिबंधित हैं लेकिन जिनका उत्पादन भारत में हो रहा है।

3. ऐसे रसायन, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं लेकिन जिनका विनिर्माण भारत में किया जा रहा है, पर अतिरिक्त शुल्क या उन्हें निरूत्साहित करने जैसे अर्थोपाय सुझाना।

4. अन्य एशियाई देशों (चीन, कोरिया आदि) और यूरोप एवं अमरीका द्वारा अपनाई गई रसायन सुरक्षा नीतियां।

5. विदेशों में प्रतिबंधित/नियंत्रित रसायनों एवं उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयों का स्थान और स्वामित्व निस्टाड्स ने 23 जुलाई, 2001 को अंतिम रिपोर्ट का प्रारूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रस्तुत कर दिया है।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

2090. **श्री सुनील खां:**
डा. जयन्त रंगपी:
डा. संजय पासवान:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस समय पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में विशेषकर दुर्गापुर क्षेत्र में और असम के दीफू क्षेत्र में कितने एस.टी.डी./ आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ग) उक्त बूथ स्थापित करने के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं;

(घ) उक्त आवेदनों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त कितने बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सभी पात्र आवेदकों को उनके पंजीकरण के अनुसार एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर उदारतापूर्वक आबंटित किए जाते हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल और असम में कार्य कर रहे एसटीडी/ आईएसडी/पीसीओ बूथों के जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर क्षेत्र में क्रमश: 554 और 152 एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ काम कर रहे हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल में 5493 और असम में 340 आवदेन एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों की संस्थापना के लिए लंबित है।

(घ) मार्च 2002 तक लम्बित आवेदनों को उत्तरोत्तर रूप से निपटाया जाना है।

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान पश्चिम बंगाल और असम में क्रमश: 6353 और 2000 एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों की संस्थापना का प्रस्ताव है बशर्ते कि आवेदक उपलब्ध हों।

विवरण

1		2
जिले का नाम		एसटीडी/आईएसडी /पीसीओ बूथों की संख्या
राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल		
1.	आसनसोल	2124
2.	बांकुरा	158
3.	बेरहामपुर	702
4.	हावड़ा	79
5.	हुगली	131
6.	24 परगना उत्तर	347
7.	24 परगना दक्षिण	98
8.	कूचबिहार	312
9.	जलपाईगुड़ी	611
10.	खड़गपुर	1105
11.	कृषनगर	363
12.	मालदा	400
13.	पुरूलिया	95
14.	उत्तर दीनाजपुर	347
15.	दक्षिण दीनाजपुर	268
16.	सिलीगुड़ी	1164
17.	सुरी	697
18.	कलकत्ता महानगर	14426
राज्य का नाम: असम		
1.	कामरूप	3219
2.	डिबरूगढ़	526
3.	तिनसुकिया	520

1		2
4.	कछार	662
5.	करीमनगर	458
6.	हेलाकांडी	112
7.	एन.सी. हिल्स	64
8.	जोरहाट	340
9.	शिवसागर	304
10.	गोलाघाट	159
11.	बोंगाईगांव	260
12.	गोलपाड़ा	94
13.	धुबरी	261
14.	कोकराझार	93
15.	बारपेटा	289
16.	नालबाड़ी	124
17.	सोनितपुर	612
18.	दारंग	254
19.	उत्तम लखीमपुर	221
20.	धेमाजी	73
21.	नगांव	637
22.	मोरीगांव	108
23.	कारबी अंगलांग (दिफू क्षेत्र)	152

डाक बांटना

2091. डा. वी. सरोजा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक बांटने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी संगठन नियुक्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। डाक का वितरण विभाग के अपने वितरण नेटवर्क तथा ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से किया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस हेतु सार्वजनिक पेशकश

2092. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस हेतु प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) सरकार ने इंडियन एयरलाइंस में भारत सरकार की 49 प्रतिशत की इक्विटी को घटाने का निर्णय किया है और ऐसा अंतर्देशीय विमान परिवहन नीति की परिधि के अधीन एक वास्तविक भागीदार को 26 प्रतिशत की बिक्री करके वित्तीय संस्थानों को 25 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करके और कर्मचारी स्टाक विकल्पों इत्यादि की ऑफर करके किया जाना है। सरकार के निर्णय पर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग

2093. श्री जय प्रकाश: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए इस राज्य से गुजरने वाले अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मिसिंग लिंकों की कुछ लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में हवाई अड्डों के लिए भूमि

2094. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुलबर्गा, हासन और मैसूर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कई सौ एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हवाई अड्डों के विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन हवाई अड्डों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हसन में लगभग 144 एकड़ भूमि तथा मैसूर हवाई अड्डे पर 292 एकड़ भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई कर रही है। गुलबर्ग हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य सरकार का है।

(ग) और (घ) हसन और मैसूर के हवाई अड्डे पिछले वर्षों से गैर-प्रचालनात्मक रहे हैं चूंकि इन हवाई अड्डों से कोई उड़ानें प्रचालित नहीं की गयी हैं। इसलिए, इन हवाई अड्डों के विकास कार्यों के लिए कोई मांग नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना/विस्तार करना/मरम्मत करना

2095. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में फरवरी 1997 से आज तक किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, विस्तार करने और मरम्मत करने का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) बिहार से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन पर किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, 19, 28, 28ए, 30, 31, 57, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 पर फरवरी, 1997 से चौड़ा करने, उनके विस्तार और मरम्मत का कार्य किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटन और व्यय नीचे दिया गया है

क्रम सं.	वित्त वर्ष	विकास कार्य		रखरखाव कार्य	
		आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
1.	1998-99	83.27	81.60	33.37	33.37
2.	1999-2000	171.73	151.56	61.88	53.06
3.	2000-2001	176.55	167.15	56.99	48.59

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम हवाई अड्डा विस्तार परियोजना हेतु लागत हिस्सा अनुपात

2096. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ विशाखापत्तनम हवाई अड्डा विस्तार परियोजना हेतु लागत हिस्सा अनुपात को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भूमि की लागत को छोड़कर, 105 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। धावनपथ के विकास और विस्तार की लागत हिस्सा अनुपात रक्षा मंत्रालय, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्रमश: लगभग 50%, 25%, 25% से किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त परियोजना को, इस कार्य को दिए जाने की तारीख से 30 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

झारखंड की सिंचाई योजनाएं

2097. **प्रो. दुखा भगत:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड की किन-किन सिंचाई योजनाओं को विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान योजना-वार कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितना कार्य किया गया;

(घ) केन्द्र सरकार के पास कितने सिंचाई प्रस्ताव लम्बित हैं और इनके लम्बित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) झारखंड राज्य सरकार से सिंचाई स्कीम के लिए विदेशी सहायता के वास्ते कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पूर्व पुनर्गठित बिहार राज्य की सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना जो अब नये बने राज्य झारखंड में आती है, के लिए वर्ष 1983-1989 के दौरान 127 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता मुहैया कराई गई थी।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास विमान

2098. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास इस समय कितने विमान हैं;

(ख) प्रत्येक एयरलाइंस के पास संचालन में और उड़ाए जाने के योग्य न होने के कारण बेकार पड़े विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के यात्री और सामान ढ़ोने वाले विमानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो एयरलाइंस-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी संख्या में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) इस समय एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर में क्रमश: 23 और 55 विमान हैं जिनमें ड्राइ लीज पर लिए गए चार विमान भी शामिल हैं। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान बेडे के सभी विमान प्रचालन में हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि एअर इंडिया का शीघ्र ही अपनिवेश होने जा रहा है इसलिए इन्होंने इस समय कोई भी नया विमान नहीं खरीदने का निर्णय किया है। इसके बजाय, अपने मार्गों तथा यात्री वहन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से चार ए-310-300 विमानों को ड्राइलीज पर लिया है। इन विमानों को पहले ही एअर इंडिया के विमान बेड़े में शामिल किया गया है। इंडियन एयरलाइंस ने अपनी अल्पकालिक क्षमता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चार ए-320 विमानों को ड्राइ लीज पर लेने के लिए बोलियां आमंत्रित

की हैं। ये बोलियां 29 जून, 2001 को खोली गई थी। चार ऑफर प्राप्त हुए थे और अन्त:विभागीय समिति द्वारा इसकी जांच की जा रही है। एलायंस एयर ने भी 2 जुलाई, 2001 को वैश्विक निविदा के लिए 6 एटीआर 42-500 को पट्टे पर देने के लिए विज्ञापन जारी किया था। निविदा सूचना का प्रत्योत्तर पांच पट्टा कंपनियों से प्राप्त हुआ है। प्राप्त ऑफर की जांच अन्त:विभागीय समिति द्वारा की जा रही है।

टेलीफोन कनेक्शन

2099. श्री अनन्त गंगाराम गीते: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-2001 के दौरान दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसमें क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन शहरों में कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 2000-2001 के दौरान दिल्ली और मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) द्वारा नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

2000-2001 के दौरान	एमटीएनएल, दिल्ली	एमटीएनएल, मुम्बई
लक्ष्य	1,60,000	1,70,000
उपलब्धियां	1,61,620	1,33,914

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन शहरों में प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन कनेक्शनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

एमटीएनएल, दिल्ली	एमटीएनएल, मुम्बई
1,25,000	1,25,000

[हिन्दी]

नर्मदा घाटी विकास परियोजना

2100. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सफाई योजना द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत नर्मदा सफाई योजना नामक कोई भी परियोजना शुरू नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कालीकट हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की प्रणाली

2101. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कालीकट हवाई अड्डे (केरल) पर रात्रि में विमान उतरने की प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले से ही कालीकट हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाएं प्रदान की हुई हैं जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने और नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमति मिल जाने के बाद ही संभवत: शुरू किया जाएगा।

कन्याकुमारी से मुंबई तक स्वर्ण चतुर्भुज

2102. श्री टी. गोविन्दन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कन्याकुमारी से मुंबई तक पश्चिमी तट के साथ-साथ स्वर्ण चतुर्भुज के एक छोर को जोड़ने वाले "राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना" नामक राजमार्ग विकास के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली शुरू करना

2103. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में आप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली की बजाय वायरलैस इन लोकल लूप प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका उपकरण लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली ओ.एफ.सी. प्रणाली से महंगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में अधिक प्रभावी और कम लागत वाली प्रणाली को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रणाली और आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) भिन्न अनुप्रयोगों के लिए पूर्णत: दो भिन्न प्रौद्योगिकियां हैं। ये प्रौद्योगिकियां एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकती। डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली का प्रयोग अभिगम्यता नेटवर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है जबकि ओएफसी का उपयोग दो एक्सचेंजों के बीच पारेषण कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाता है।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियां शुरू करने की योजना बनायी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियों की 6 लाख लाइनों के प्रापण के लिए आदेश दिया जा चुका है। डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली की प्रति लाइन लागत लगभग 32,000/- रु. है जिसमें उपभोक्ता के परिसर में वायरलेस टर्मिनल की लागत शामिल है। डब्ल्यू.एल.एल. इस समय उपलब्ध अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लागत-प्रभावी समाधान है।

पदों का युक्तियुक्त बनाया जाना

2104. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के मुख्यालयों में अधीक्षकों/अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के वर्षों से लम्बित पदों को युक्तियुक्त बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ई.पी.एफ. और एम.पी. अधिनियम, 1952 में ई.पी.एफ.ओ. के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन प्रदान करने का प्रावधान है;

(ग) क्या ई.पी.एफ.ओ. के अधीक्षकों की भर्ती विधि, शैक्षिक योग्यता और कार्य संबंधी जिम्मेदारियां अन्य सरकारी विभागों के अनुभाग अधिकारियों के तुल्य हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ई.पी.एफ.ओ. के कर्मचारी अधिनियम के अन्तर्गत समान शर्तों को पूरा करते हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार, ई.एस.आई. और केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के वेतन में समानता है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर ई.पी.एफ.ओ. के कर्मचारियों की उपरोक्त श्रेणियों के पक्ष में प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए विचार कर रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (छ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5घ(7)(क) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की भर्ती का तरीका, वेतन और भत्ते, अनुशासन और अन्य सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि समतुल्य वेतनमान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के आधार पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीक्षक के पद तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती का तरीका और वेतन एक समान नहीं हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधीक्षक को अनुभाग अधिकारी के रूप में पुन: पदनामित किये जाने एवं सहायकों के वेतनमानों को केन्द्रीय सचिवालय के सहायकों के वेतनमान के बराबर किये जाने के संबंध में संगठन के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

असम में बाढ़ नियंत्रण

2105. **श्री एम.के. सुब्बा:**
श्रीमती मिनाती सेन:
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 2001 के ''असम ट्रिब्यून'' में ''परमानेंट सोल्यूशन्स मस्ट टू टेम ब्रह्मपुत्र'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो असम में बाढ़ की बारहमासी समस्या के स्थायी समाधान के लिए ब्रह्मपुत्र का मार्ग परिवर्तन करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके, अपने संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इस मंत्रालय के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने माजुली दीप सहित ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। मास्टर योजनाओं में भंडारण जलाशयों के रूप में दीर्घकालिक/स्थाई समाधान का सुझाव दिया गया है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए मास्टर योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं

2106. **श्री भीम दाहाल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या उनकी आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) इस प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। असम और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों मे टेलीफोन की मांग को पूरा करने के लिए, वर्ष 2001-2002 के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:-

* इन क्षेत्रों में 52 टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है।
* इन राज्यों के बिखरे और दूरदराज के क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणालियों की 60,000 लाइनें प्रदान करने की योजना है।
* दुर्गम क्षेत्रों के लिए 120 उपग्रह-टर्मिनल स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है।

(ग) और (घ) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार असम और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य-वार प्रतीक्षा सूची नीचे दी गयी है:-

सर्किल का नाम	राज्य का नाम	30.6.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
उत्तर-पूर्व-1	मेघालय	2022
	मिजोरम	885
	त्रिपुरा	4256
उत्तर-पूर्व-2	अरुणाचल प्रदेश	1898
	मणिपुर	1704
	नागालैंड	612
	असम	13570
	सिक्किम	70

उपरोक्त प्रतीक्षा सूची मार्च, 2002 तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

लाइनमैन के विरुद्ध शिकायतें

2107. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लाइनमैन धोखाधड़ी और ठगी के कार्य में शामिल हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के मालिकों/व्यापारियों की लाइनों को अन्य निजी व्यक्तिगत लाइनों से जोड़ा जा रहा है जिससे उन लाइनों का दुरूपयोग हो रहा है और जिसके फलस्वरूप निजी उपभोक्ताओं के बहुत अधिक टेलीफोन बिल आ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कारवाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) एस टी डी/आई एस डी लाइनों के दुरूपयोग संबंधी कुछ मामलों का पता लगाया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां, दोषी पाये गए कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है:-

(1) ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

(2) प्रभावित उपभोक्ताओं को बिलों में छूट दी जाती है।

(3) अधिकांश एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं को डायनैमिक लॉक उपलब्ध कराए जाते हैं।

[अनुवाद]

डी जी एफ ए एस एल आई में रिक्तियां

2108. श्री रामजी मांझी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैक्ट्री सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रम मंत्रालय (डी.जी.एफ.ए.एस.एल.आई.) में अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में डी.जी.एफ.ए.एस.एल.आई. द्वारा कामगारों की कार्य स्थिति उनके स्वास्थ्य की स्थिति, और औद्योगिक सुरक्षा संबंधी अन्य मामलों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) कारखाना सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय सहित सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, मृत्यु, त्यागपत्र आदि जैसे विभिन्न कारणों से पद रिक्त हो जाते हैं। इन्हीं कुछ कारणों से कारखाना सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय में कुछ पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरा जाना एक सतत् और समय लगाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती संबंधी आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य के विभिन्न पहलुओं पर छह सर्वेक्षण/सुरक्षा जांच/अध्ययन संबंधी कार्य शुरू किया है। जब कि 8 पोर्टों में सुरक्षा जांच और केरल में व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य की क्षमताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन पर अध्ययन पूर्ण हो चुका है, शेष चार अध्ययनों/सर्वेक्षणों में प्रगति हो रही है।

कुछ प्रक्रिया संबंधी कार्यों, भण्डारण के रखरखाव और खतरनाक रसायनों के परिवहन, समस्त सुरक्षा संबंधी उपकरणों के रखरखाव की आवश्यकता आदि के संचालन से संबंधी विशिष्ट सिफारिशों सहित सुरक्षा जांच रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए पोर्टों के संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जा चुकी है। केरल में व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी क्षमताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित अध्ययन से पता चला है कि कई कारखानों में उचित कार्य प्रक्रिया और कार्य की सुरक्षित प्रणाली नहीं अपनाई गई जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं घटीं। केरल की राज्य सरकार से पहले ही इस मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि अध्ययन रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जाए।

दमन और दीव में सड़क नेटवर्क

2109. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग सड़क नेटवर्क का कितना काम और किया गया; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए ही जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होते हैं। दमन और दीव में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। दमन और दीव प्रशासन ने सूचित किया है कि संघ राज्य क्षेत्र में 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार 231.33 कि.मी. लम्बा सड़क नेटवर्क है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सड़क नेटवर्क में 12.45 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़कें शामिल की गई हैं।

(ख) दमन और दीव में सड़कों के विकास के लिए धनराशि, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान का जा रही है। वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक किए गए 1721.46 लाख रु. के कुल आबंटन का पूर्णत: उपयोग किया गया है।

कालीकट में अप्रवासियों के संरक्षणकर्त्ता का कार्यालय खोला जाना

2110. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट में अप्रवासियों के संरक्षणकर्त्ता का कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार कार्यालय के लिए स्थान प्रदान करने और प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यालय को परिचालन लायक बनाने में विलंब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) केरल सरकार से कालीकट में उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके लिए उन्होंने कार्यालय हेतु स्थान तथा इसे चलाने के लिए अपने एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं प्रदान करने की पेशकश भी की थी। तथापि, कार्य के लिए अन्य देशों में जाने वाले कामगारों की विभिन्न कारणों से कम संख्या को देखते हुए तथा केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम और कोचीन में उत्प्रवास संरक्षी के दो कार्यालय पहले से ही मौजूद होने के तथ्य के मद्देनजर कालीकट में कार्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में विदेशी सहायता प्रदत्त सिंचाई परियोजनाएं

2111. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान परियोजना-वार कितनी सहायता राशि प्राप्त की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान परियोजना पर शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) अब तक जम्मू एवं कश्मीर में कोई सिंचाई परियोजना विदेशी सहायता से कार्यान्वित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सड़कों/पुलों को क्षति

2112. **श्री राजो सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में बाढ़ के कारण सड़कों और पुलों को भारी क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19, 28, 28ए, 30, 30ए, 31, 57, 80, 81, 82, 83 और 85 के कुछ खंड बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उनकी मरम्मत के लिए 9.67 करोड़ रु. के 17 प्राक्कलन स्वीकृत किए गए थे।

[अनुवाद]

प्रतिभूति जमा

2113. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **संचार मंत्री** प्रतिभूति जमा के बारे में 16 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4373 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूचनाएं कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विद्यमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार, एसटीडी, पीसीओ धारकों द्वारा रखी जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति जमा राशि की प्रत्येक वर्ष समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस दिशा में 3.67 करोड़ रुपये तक की कमी इंगित

की है। इस कमी के स्थान पर, लगभग 3.30 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त कर ली गयी है। शेष कमी के लिए न्यायालय में मुकदमें, विवाचन, कनेक्शन काट देना और इसी प्रकार के कारण उत्तरदायी हैं। ऐसी प्रतिभूति जमा की समुचित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई, 2000 के दौरान ही सभी सर्किल प्रमुखों को विस्तृत अनुदेश भी जारी किए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

टेलीफोन कनेक्शन

2114. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **संचार मंत्री** जालन्धर में टेलीफोन कनेक्शन के बारे में 7 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2342 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मास्टर तारा सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत केबल जोड़ों को लगाने के लिए सड़क खुदाई की अनुमति नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ''नॉन-ओ वाई टी'' सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उन आवेदकों को कब तक नए टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है जिन्होंने जनवरी, 1999 से जून, 1999 के बीच जालंधर सिटी में विशेष रूप से मास्टर तारा सिंह टेलीफोन एक्सचेंज के अंतर्गत आवेदन किया था।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां, लेकिन अनुमति विलम्ब से दी जाती है, क्योंकि मास्टर तारा सिंह नगर की अधिकांश गलियां कंक्रीट से बनी हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) मार्च, 2002 तक बशर्ते कि सामान और निधियां उपलब्ध हों।

तिस्ता बराज परियोजना

2115. श्री अमर रायप्रधान: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिस्ता बराज परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ;

(ख) कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और इस परियोजना द्वारा अब तक कुल कितनी भूमि सिंचित हो रही है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या परियोजना की कार्य प्रगति पर नजर रखने के लिए स्थापित निगरानी प्रकोष्ठ ने परियोजना के कार्य की निगरानी की है;

(ङ) यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु इससे प्रकोष्ठ से किस हद तक सहायता मिली है; और

(च) परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) तीस्ता बैराज परियोजना को मई, 1976 में प्रारंभ किया गया था।

(ख) परियोजना घटकों की वास्तविक प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 2001 तक सृजित संचयी क्षमता लगभग 104 हजार हेक्टेयर है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान योजना आयोग ने 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की थी जिसका विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
(करोड़ रु. में)	20.00	27.00	32.00	32.00	39.00

इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मुहैया करायी गयी केन्द्रीय ऋण सहायता का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रु. में)	5.00	15.00	10.00	19.00	20.00

(घ) से (च) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, तीस्ता बैराज परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, वित्त पोषण एवं उसका रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा उसके निजी संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। बाधाओं की पहचान करने और केन्द्रीय सहायता जारी करने संबंधी सिफारिश करने के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तीस्ता बैराज परियोजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम घटकों के कार्यान्वयन की मानीटरी की जाती है। परियोजना का पूरा होना कार्य की प्रगति, भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित निधियों के प्रावधान करने जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

विवरण

परियोजना घटकों की वास्तविक प्रगति

घटक	पूरा होने का प्रतिशत
तीस्ता बैराज	100 प्रतिशत
महानन्दा बैराज	100 प्रतिशत
दौक नगर बैराज	100 प्रतिशत
तीस्ता-महानंदा संपर्क नहर	100 प्रतिशत
महानंदा मुख्य नहर	100 प्रतिशत
दौक नगर मुख्य नहर (ई/डब्ल्यू)	83 प्रतिशत
नगर टंगन मुख्य नहर (ई/डब्ल्यू)	शुरू की जानी है
तीस्ता जलढ़ाका मुख्य नहर (ई/डब्ल्यू)	75 प्रतिशत

ई एस आई अस्पतालों का बंद किया जाना

2116. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.एस.आई. अस्पतालों में रोगियों के देखभाल की सुविधा उच्च स्तर की नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ अस्पतालों को बंद करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ई.एस.आई. अस्पतालों में रोगियों के देखभाल की सुविधा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) विद्यमान संस्थाओं के भीतर तीव्र प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा अपेक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक कार्य योजना का अनुमोदन किया है। तदनुसार, निगम ने विद्यमान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के भीतर श्रेष्ठ स्तर की विशिष्ट सेवाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि दुर्घटना, आपातकालीन और संकटकालीन देख-रेख सेवाओं की 24 घंटे उपलब्धता के साथ-साथ चिकित्सा, शल्यक्रिया, नैदानिक और पुनर्वास संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख का संचालन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है, अत: कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय ख्यातिप्राप्त संस्थाओं के साथ अनुबंध आधारित संविदात्मक व्यवस्थाएं करने को कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को श्रेष्ठ स्तर के विशिष्ट उपचार की सुविधा प्राप्त हो। बीमित व्यक्तियों को श्रेष्ठ स्तर की विशिष्ट उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए अग्रिम/चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने हेतु अधिकांश राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा के क्षेत्रीय निदेशकों के पास एक चक्रीय निधि की भी स्थापना की गयी है। वर्तमान में किसी भी अस्पताल को बन्द करने की कोई योजना नहीं है।

सड़क क्षेत्र संबंधी कार्यशालाएं

2117. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में सड़क क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर विदेश की निर्माण कंपनियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ठेकेदारों, दोनों के विपरीत हितों और उद्देश्यों पर कोई सर्वसम्मति हो पाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पथ कर-संग्रहण पर आधारित नई परियोजनाओं को रद्द करने पर सहमत हो गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) फरवरी, 2001 में आयोजित कार्यशाला में अगले दस वर्षों में राजमार्गों के विकास के लिए कार्य योजना, उनके विनियमन से संबंधित नीतिगत उपाय, कराधान, धन वापसी और ठेका प्रबंधन जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) इस कार्यशाला का उद्देश्य व्यवसाय के अवसर, कार्य माहौल, तकनीकी जनशक्ति और संसाधनों की उपलब्धता तथा अंतर्राष्ट्रीय ठेका उद्योग के प्रचालन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों से ठेका उद्योग को सूचित करना और उनसे परिचित कराना था।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा जल का संचयन

2118. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्षा जल के संचयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) पुनर्भरण अध्ययनों संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम में वर्षा जल संचयन के वास्ते गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों के शामिल होने का प्रावधान है। इस उद्देश्य के वास्ते प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से आना चाहिए।

डाक जीवन बीमा

2119. श्री रघुनाथ झा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा कारोबार में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कारोबार को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। पिछले कुछ वर्षों में अर्थात् 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के डाक जीवन बीमा व्यवसाय में क्रमश: 42%, 12% तथा 20% की वृद्धि हुई है।

(ख) लागू नहीं।

निजी कुरियर सेवा

2120. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी कुरियर सेवा की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई व्यापार विकास और विपणन प्रौद्योगिकी विकसित/ईजाद की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या प्रदत्त धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) देश में निजी कुरियर सेवा से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए विभाग ने 1996 में प्रीमियम सेवाओं का विपणन करने हेतु व्यवसाय विकास निदेशालय का गठन किया है।

(ख) से (घ) व्यवसाय विकास निदेशालय के संदर्भ में योजना निधि आबंटन, व्यय तथा अंतर के कारण नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ों रुपये में)

	आवंटन	व्यय
1998-99	5.15 रु.	3.64 रु.
1999-2000	7.20 रु.	6.68 रु.
2000-2001	6.26 रु.	5.34 रु.

1998-99 तथा 2000-2001 के दौरान नियत विनिर्देशन की इन्सर्टिंग मशीनों की अनुपलब्धता और 1999-2000 के दौरान पब्लिसिटी एजेंसी का अपनी क्षमता से कम कार्य-निष्पादन करने की वजह से कमी हुई है।

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर अनधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां

2121. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) ने आई.जी.आई. विमानपत्तन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर अनधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों की संख्या पर चिंता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन पर कार्यरत अवैध एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस) ने एयरलाइनों द्वारा गैर-सरकारी एजेंसियों को सुरक्षा कार्य सौंपे जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इन एयरलाइनों द्वारा सेल्फ-हैंडलिंग के क्षेत्र तक भी गैर-सरकारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। इस मुद्दे की जांच की गई है और ऐसा निर्णय किया गया कि नई ग्राउन्ड हैंडलिंग विनियमन के अधिसूचित किए जाने तक, इन एजेंसियों को इस प्रकार की सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी जाए जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। अब, नया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवा की प्रविष्टि) विनियमन, 2000 को अधिसूचित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागत प्रभावी व प्रतिस्पर्धी ढंग से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए गैर-सरकारी कंपनियों का चयन कर रहा है। सरकार ने इस उपबंध को भी सख्ती से लागू करने का निर्णय किया है कि गैर-सरकारी एजेंसियों को एयरलाइनों को सुरक्षा सेवा मुहैया कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बी.एस.एन.एल. हेतु वित्तीय सहायता

2122. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:
डा. वी. सरोजा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या बी.एस.एन.एल. को बिक्री कर के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (छ) दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण के समय सरकार ने यह निर्णय लिया कि वे परियोजनाएं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है किंतु जिनका सामाजिक महत्व है, उन्हें सरकार द्वारा अलग से वित्त पोषित किया जाएगा। इस निर्णय के अनुसरण में दूरसंचार विभाग ने एक उपयुक्त पूंजीगत ढांचे और रिलीफ पैकेज के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है ताकि इनका उपयोग करके बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोनी और शहरी लो-कॉलिंग सेवाओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति ऋण के भुगतान को स्थगित रखने तथा 5 वर्षों के लिए ब्याज और लाभांश और अधित्याग तथा अतिरिक्त बिक्री कर की प्रतिपूर्ति की मांग की है। वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श अंतिम दौर में है और इसके पश्चात् मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

टेलीफोन विभाग के विरुद्ध शिकायत

2123. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जूनागढ़ और जामनगर क्षेत्रों में टेलीफोन विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जूनागढ़ और जामनगर क्षेत्र में टेलीफोन विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए और शिफ्टिंग संबंधी मामलों को निपटाने के लिए अव्यवहार्य क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाए जा रहे हैं।

2. बिलिंग संबंधी मामलों की जांच की गई है और छूट प्रदान की गई है।

3. कर्मचारियों को जनता के प्रति अधिक शिष्ट बनाने की दृष्टि से उन्हें व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।

4. आप्टिकल फाइबर केबलों को बिछाने का कार्य तेज किया जा रहा है। 90 प्रतिशत एक्सचेंजों में विश्वसनीय माध्यम प्रदान कर दिया गया है। शेष एक्सचेंजों के लिए यह कार्य प्रगति पर है और इसे मार्च 2002 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

5. लंबित मांगों के आधार पर नए एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है।

6. दोष प्रवण टेलीफोन क्षेत्रों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। 5 पेयर वितरण केन्द्रों को चालू करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। उपभोक्ता के परिसार में फिटिंग का कार्य भी निष्पादित किया जा रहा है।

7. (क) जामनगर:- एक वाणिज्य अधिकारी का स्थानांतरण किया गया और एक अधिकारी के विरुद्ध लघु शास्ति आरोप-पत्र जारी किया गया।

(ख) जूनागढ़:-

1. एक मामले में निदेशिका का मुद्रण करने वाले ठेकेदार से वसूली का आदेश दिया गया।

2. दो कर्मचारियों के विरुद्ध दीर्घ शास्ति आरोप-पत्र जारी किए गए।

3. एक मामले में ठेकेदार, जिसने कम गहराई पर और बिना ईटों के केबल बिछाया था, को उसी अनुपात में राशि का भुगतान किया गया और विनिर्देशन के अनुसार कार्य निष्पादित न करने के लिए राशि घटा दी गई। इसके अतिरिक्त गलत बिल पास करने में शामिल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जूनागढ़ और जामनगर क्षेत्रों में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्रम सं.	शिकायत का प्रकार	जुलाई 1999 से जून 2000 तक की अवधि		जुलाई, 2000 से जून, 2001 तक की अवधि	
		जामनगर	जूनागढ़	जामनगर	जूनागढ़
1.	नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में विलंब	50	910	267	830
2.	शिफ्टिंग में विलंब	17	20	52	10
3.	बिलिंग संबंधी शिकायतें	25	35	72	21
4.	व्यवहार संबंधी शिकायतें	01	35	02	28
5.	आप्टिकल फाइबर प्रणाली के लिए अनुरोध	07	496	09	267
6.	नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना	08	शून्य	05	शून्य
7.	टेलीफोन खराब रहने की अवधि	195	641	395	643
8.	भ्रष्टाचार एवं कदाचार	02	37	01	48
	कुल	305	2174	803	1847

दूरसंचार सुविधाएं

2124. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1 अप्रैल, 2001 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की जमानत राशि के रूप में राज्य-वार कुल कितनी राशि प्राप्त की गई;

(ख) प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शन देने में अव्यवहार्यता के कारण प्रत्येक जमानत राशि की कुल कितनी राशि का उपयोग करना शेष है और ऐसे जमाकर्त्ताओं को कितना मुआवजा देने का प्रस्ताव किया गया;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में केबल बिछाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे टेलीफोन मांगकर्त्ताओं से सीधे अग्रिम जमानत राशि मांगने की बजाय केवल व्यवहार्यता के स्तर पर ही मांग सूचना-पत्र जारी करके उनकी परेशानियों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली-लाहौर बस सेवा

2125. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री अबुल हसनत खां:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाहौर बस सेवा सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली और लाहौर के बीच चल रही बसों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कितनी और बसें आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है और उन्हें कब तक आरम्भ किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) और पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम (पी.टी.डी.सी.) की दो बसें लगभग पूरी भर कर चलती हैं।

(ग) से (ङ) इस समय कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

प्रशिक्षण उड़ान वाले विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2126. **श्री रामशकल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितने प्रशिक्षण उड़ान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और इनमें कितने विमान चालक मारे गए;

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण विमान की तीन दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में चार विमानचालकों की मृत्यु हो गई।

(ख) और (ग) जी हां। वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के अधीन नियुक्त किए गए दुर्घटना निरीक्षक द्वारा सभी तीनों दुर्घटनाओं की जांच की गयी है। इन दुर्घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा और इसके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

15.3.1999 को पटना हवाई अड्डे के निकट स्वाति विमान वीटी-एसटीडी की दुर्घटना

15.3.1999 को बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट पटना का स्वाति विमान वीटी-एसटीडी पटना विमानक्षेत्र पर सर्किट और अवतरण कार्य कर रहे थे जिसमें एक अनुदेशक और एक प्रशिक्षु विमानचालक सवार थे दुर्घटना में दोनों चालक बुरी तरह झुलस गए और वे मारे गये।

दुर्घटना निरीक्षक द्वारा दुर्घटना का संभावित कारण इस प्रकार है:

विमान टेक ऑफ करने के बाद आरंभिक चढ़ाई में ऊपर की ओर उड़ान भरने के समय विमान के नीचे के पंख की ओर मुड़ने के वक्त खड़ा हो गया और भूमि पर आ गिरा जिसके परिणामस्वरूप इंजिन की पावर समाप्त हो गई।

दिनांक 11.6.99 को गाजीपुर में टीबी-20 विमान वीटी-ईएजी की दुर्घटना

इग्नुआ के स्वामित्व व प्रचालनाधीन टीबी-20 विमान वीटी-आईजीए, इग्नुआ फुर्सतगंज से वाराणसी होकर पटना तक जाने के लिए प्रशिक्षण उड़ान में कार्यशील था। इस विमान को एक प्रशिक्षु विमान चालक के साथ कैप्टन एस.आर. सिंह चला रहे थे और दो यात्री विमान में सवार थे। विमान में सवार हुए चारों प्राणी को प्राणघातक चोटें आईं।

दुर्घटना निरीक्षक के अनुसार दुर्घटना का संभाव्य कारण निम्नानुसार है:

डिजाइन लिमिट से अधिक यात्रियों को विमान में चढ़ाने के बाद विमान स्पाइरल (सर्पिलाकर) अवस्था में आ गया, इससे निपटने के प्रयास के क्रम में पायलट के सीबी नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना हुई।

दिनांक 7.6.99 को जयपुर में सुपर ब्लैनिक ग्लाइडर वीटी-जीएलएम की दुर्घटना

जयपुर में उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना में जयपुर ग्लाइडिंग क्लब का सुपर ब्लानिक ग्लाइडर वीटी-जीएलएम अंतर्ग्रस्त था। अनुदेशक विमानचालक कैप्टन मुरारी लाल के पर्यवेक्षण में ग्लाइडर को लगाया गया था। दुर्घटना के फलस्वरूप ग्लाइडर बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया और विमान यात्री हताहत हुए।

दुर्घटना निरीक्षक द्वारा बताया गया दुर्घटना का संभाव्य कारण निम्नानुसार है:

केबल के मुख्य अवतरण गियर में फंस जाने के कारण तथा विमान चालक द्वारा सुरक्षित अवतरण करने की असमर्थता तथा विंच ऑपरेटर की आपात काल को हैंडिल करने की असमर्थता के कारण दुर्घटना हुई।

लंबी दूरी की कालें

2127. **श्री अखिलेश यादव:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी मोबाइल आपरेटरों से लंबी दूरी की कालों से सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व सीमित दूरी की मोबाइल सुविधा शुरू होने के बाद समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में सरकार का लाभ कितना है व पूर्व में कितना था?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) इस समय निजी सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन आपरेटर अपने उपभोक्ताओं से लम्बी दूरी की कालों सहित काल के "फिक्स्ड लेग" के प्रति काल प्रभार के रूप में वसूला गया शत-प्रतिशत राजस्व एमटीएनएल/बीएसएनएल को देते हैं। तथापि, मौजूदा तथा भावी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा स्थानीय क्षेत्र में सीमित डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) प्रौद्योगिकी (जिसे आमतौर पर सीमित मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है) के अंतर्गत सब्सक्राइबर हैंड हेल्ड सेट का प्रयोग शुरू करने के बाद सेल्युलर प्रचालकों द्वारा काल के "फिक्स्ड लेग" के प्रति वसूले गए प्रभार का 5% रख लिया जाएगा।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में बोरिंग वाले नलकूप

2128. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु में चल रही केन्द्रीय सहायता प्राप्त बोरिंग वाली नलकूप योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कोई भी बोर-वेल स्कीम प्रचालित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बेरोजगार इंजीनियर स्नातक

2129. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंजीनियर स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने को वरीयता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1997 एवं 1998 के अंत तक (नवीनतम उपलब्ध) देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर, इंजीनियरी स्नातकों की संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, क्रमशः 1.86 एवं 1.81 लाख के लगभग थी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा राख बिखेरना

2130. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान अपने आवाह क्षेत्रों में पानी का बहाव बढ़ाने हेतु भारतीय नदियों में पानी का प्रवाह करने वाले हिमालय के हिमनदों पर भारी मात्रा में राख बिखेर कर प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय नदियों में ग्लेशियरों के माध्यम से पानी के प्रवाह को लेकर क्या कठिनाइयां अंतर्ग्रस्त हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) मीडिया रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान हिमालयी ग्लेशियरों के बर्फ को कृत्रिम रूप से पिघलाने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। परंतु सीमित सूचना उपलब्ध होने के कारण इससे होने वाली हानियों का ठीक-ठीक आकलन करना संभव नहीं है, ग्लेशियरों के ऊपर राख छिड़ककर कृत्रिम रूप से बर्फ पिघलाने से बाढ़ नहीं आ सकती है। क्योंकि ऐसे मामलों में बहुधा बर्फ पिघलने की दर काफी कम रहती है।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

2131. **श्री बिक्रम केशरी देव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में उड़ीसा में आई बाढ़ की गंभीरता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) भविष्य में बाढ़ को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) भारत के प्रधान मंत्री ने उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत/बचाव संबंधी कार्य के लिए 18 जुलाई, 2001 को 100.00 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि देने की घोषणा की है। दिनांक 29.7.2001 को उनके दौरे के दौरान कार्य के बदले अनाज देने संबंधी कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त रूप से 3 लाख टन चावल (अनुमानित लागत 210 करोड़ रुपये) उपलब्ध कराकर 435.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए पुनः गृह निर्माण के लिए एक लाख इन्दिरा आवास योजना इकाईयों (225 करोड़ रुपया अनुमानित लागत) के अंतर्गत राज्य सरकार को मुहैया की गयी है। केन्द्र सरकार ने भी वर्ष 2001-2002 के आपदा राहत निधि (सी आर एफ) का संपूर्ण केन्द्रीय अंशदान, 86.21 करोड़ रुपया की राशि उड़ीसा को जारी कर दी है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, महानदी पर एक अन्य बांध का निर्माण करके, सुवर्णरेखा नदी के बाढ़ नियंत्रण के लिए राजघाट के प्रतिप्रवाह पर जलनिकास चैनलों के उत्खनन के साथ ही सुवर्णरेखा मुहाने से गाद हटाने तथा वैतरणी में बाढ़ नियंत्रण के लिए वैतरणी नदी पर कानपुर बांध और भीमकुण्ड बांध के निर्माण करने से उड़ीसा में बाढ़ की समस्या में कमी आ सकती है। इस मंत्रालय के तहत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण संबंधी कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

मूल्य निर्धारण पर द्विपक्षीय समझौते

2132. **श्रीमती मिनाती सेन:**
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य निर्धारण संबंधी द्वीपक्षीय समझौते के अनुसार, एअर इंडिया की उड़ानों का किराया संबंधित पार्टियों के बीच हुए परस्पर समझौते के आधार पर तय किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 में संशोधन का प्रस्ताव किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कैरियरों को किराया निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जा सके;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों से द्विपक्षीय समझौतों का किस सीमा तक उल्लंघन होने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय कैरियरों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश के लिए यह कहां तक लाभप्रद होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के टैरिफ प्रावधान के अनुसार सामान्यतया सम्बद्ध वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा टैरिफों का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

(ख) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र में परिवर्तन करने के बारे में एक प्रस्ताव है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

समूह बीमा योजना

2133. **श्री पी. कुमारासामी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि मजदूरों के लाभार्थ हाल में शुरू की गई समूह बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना को लागू करने हेतु राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इस योजना को कब तक देश भर में शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कृषि श्रमिकों के लिए सरकार ने 1 जुलाई, 2001 से "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001" नामक योजना शुरू की है। श्रम मंत्रालय के पर्यवेक्षण में भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का कार्यान्वयन करेगा। योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं:

(छ) जीवन-सह-दुर्घटना बीमा

(ज) धन वापसी

(झ) पेंशन तथा अधिवर्षिता लाभ

इस योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष तक के कृषि श्रमिक पात्र हैं। श्रमिक प्रतिदिन 1/- रु. या प्रतिवर्ष 365/- रु. का अंशदान करेंगे और सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष से प्रति लाभभोगी, 2/- रु. प्रतिदिन या प्रतिवर्ष 730- रु. देगी।

प्रारम्भ में, यह योजना देश के 50 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। इनमें, हर राज्य से कम से कम एक जिला अवश्य शामिल होगा। प्रथम चरण के दौरान योजना के निष्पादन तथा धन की उपलब्धता को देखते हुए इस योजना का विस्तार और अधिक जिलों में किया जा सकेगा।

पल्स रेट में कमी

2134. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम द्वारा घोषित 50 से 200 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए पल्स रेटों के शुल्क में कमी की सुविधा मोबाइल फोन से भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए फोन पर की जाने वाली कालों तक नहीं बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अपनी प्रकृति में भेदभावपूर्ण नहीं है और क्या यह सेलुलर आपरेटरों द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित दरों पर अपने उपभोक्ताओं से एस.टी.डी. शुल्क वसूलने के लिए आवश्यक लाइसेंस समझौते का उल्लंघन नहीं करता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी कालों, चाहे वे भारत संचार निगम लिमिटेड के सर्किटों से की जाएं या उन पर की जाएं, के लिए एक समान दर से शुल्क वसूलने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) भारत संचार निगम लि. व महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा घोषित 50 से 200 कि.मी. दूरी हेतु पल्स दरों में परिलक्षित घटायी गयी दरों की सुविधा मोबाइल टेलीफोन से तथा बी.एस.एन.एल. द्वारा कनेक्ट और उपलब्ध कराये गए स्थिर टेलीफोनों पर की जाने वाली कॉलों पर लागू नहीं होगी।

(ख) जी, नहीं। यह भेदभावपूर्ण नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी दूरसंचार टैरिफ आदेश 99 के अनुसार प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता को अपने स्वयं के ग्राहकों को वैकल्पिक टैरिफ पैकेज की पेशकश करने की अनुमति है। 50-200 कि.मी. दूरी के घटी दरों के एसटीडी प्रभारों के रूप में रियायती/वैकल्पिक टैरिफ पैकेज बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा बुनियादी सेवा नेटवर्क से आने-जाने वाली कालों हेतु अपने ग्राहकों को दिए गए हैं जो सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं सहित अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों को भी दिया जा रहा है। सेल्यूलर नेटवर्क से बेसिक नेटवर्क को की जाने वाली कालों सहित एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को की जाने वाली कालों ''ट्राई'' द्वारा निर्धारित टैरिफों पर सहमत राजस्व भागीदारी की व्यवस्था के अनुसार प्रभारित की जाती हैं। यह भी लाइसेंस करार की शर्तों के अनुरूप है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए, कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

विकसित देशों द्वारा श्रम कानूनों को लागू करना

2135. **श्री राम प्रसाद सिंह:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य विकसित देश विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से श्रम कानून थोपने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विकसित देशों के प्रयासों का मुकाबला करने की किसी रणनीति की योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यहां के श्रम कानूनों को अधिक प्रभावी और श्रमिकोन्मुखी बनाने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) 1996 में सिंगापुर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्रीस्तरीय प्रथम सम्मेलन में अमरीका समेत कुछ विकसित देशों ने व्यापार को श्रम मानकों से जोड़े जाने का प्रस्ताव किया था। भारत सहित कई विकासशील देशों ने इसका विरोध किया था। सिंगापुर मंत्रिमंडलीय घोषणा-पत्र में विकासशील देशों के दृष्टिकोण का समर्थन किया गया तथा श्रम मानकों का उपयोग संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए करने को अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि श्रम मानकों के मामले में नीति निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सक्षम निकाय है।

1999 में सिएटल में आयोजित मंत्रीस्तरीय तृतीय सम्मेलन में यह मुद्दा फिर उभरा। हालांकि सिएटल में आयोजित मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में अमरीका तथा अन्य विकसित देशों ने व्यापार के साथ श्रम मानकों के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल बनाने का प्रस्ताव रखा था किन्तु भारत सहित अन्य विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापार और श्रम मानकों के संबंध को शामिल किए जाने का सफल विरोध किया था। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यापार को श्रम मानकों से नहीं जोड़ा जा सकता। भारत अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में व्यापार को श्रम मानकों से जोड़ा न जा सके।

(घ) और (ङ) श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतनीकरण का कार्य चलता रहता है ताकि ये मौजूदा परिस्थितियों और उभरती जरूरतों के अनुरूप बने रहें। उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा खासकर सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किए जाने के मद्देनजर कतिपय श्रम विधानों में संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई है ताकि वे बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था के अनुरूप बन सकें। भारत ने 15.10.1999 को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है ताकि मौजूदा श्रम कानूनों की समीक्षा की जा सके और उन्हें उभरते आर्थिक परिदृश्य, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, श्रम बाजार की जरूरतों और मांगों के अनुरूप बनाया जा सके।

[अनुवाद]

गोदावरी लिफ्ट सिंचाई योजना

2136. **श्री जी. गंगा रेड्डी:**
श्री के. येरननायडू:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को गोदावरी उद्वा (लिफ्ट) सिंचाई योजना में तेलंगाना क्षेत्र के जिलों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गोदावरी परियोजना के शेष भाग को शीघ्रता से पूरा करने हेतु और क्या कार्यवाही करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट 29.5.2001 को प्रस्तुत की। इसमें 50 टी.एम.सी. जल को उठाकर लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए गोदावरी में इंचमपल्ली से 16 कि.मी. की नीचे की ओर एक लिफ्ट स्कीम के निर्माण की योजना है। चूंकि यह परियोजना निचली गोदावरी उप-बेसिन जी-10 में स्थित है इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार, गोदावरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार, निचली गोदावरी उप बेसिन का सारा जल इस्तेमाल कर सकती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को कहा गया है कि वह केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि उसके बाद योजना आयोग से निवेश स्वीकृति ली जा सके।

पेयजल के लिए जल परियोजनाएं

2137. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में फ्लोराइड युक्त या खारे पानी से प्रभावित लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बारह जल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के उप-मिशन कार्यक्रम के तहत पेय जल में फ्लोराइड और खारेपन के मिलावट को दूर करने के लिए वर्ष 1994-98 के दौरान लगभग 944 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से विभिन्न राज्यों की 83 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा लगभग 709 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 235 करोड़ रुपये है। इन 83 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं के पूरा होने और शेष के क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होने की सूचना मिली है। 1.4.1998 से उप मिशन के अंतर्गत स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन और क्रियान्वयन करने की शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं।

पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूरा होने का समय संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनको त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों के आबंटन पर निर्भर करता है।

बाल्को में नैमित्तिक कामगार

2138. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाल्को के विनिवेश के बाद इसके नियमित और नैमित्तिक कामगारों के समक्ष अपने रोजगार और अन्य सेवा शर्तों को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोसी बांध

2139. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने कोसी नदी में बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने हेतु कोसी बांध के संबंध में जांच, सर्वेक्षण और अध्ययन शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार को हाल में अपनी संशोधित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। नेपाल सरकार सप्तकोसी तथा सनकोसी परियोजना से संबंधित संशोधित परियोजना रिपोर्ट (दिसम्बर, 1999) जनवरी, 2000 में प्रस्तुत कर चुकी थी। उपरोक्त परियोजना रिपोर्ट के साथ-साथ संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने लिए, संयुक्त परियोजना कार्यालय खोलने संबंधी मुद्दों पर भारत और नेपाल के संयुक्त विशेषज्ञ दल की 31 मार्च, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरी बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया था।

[अनुवाद]

राजमार्गों के विकास हेतु अलग कानून

2140. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजमार्गों का विकास करने हेतु एक समर्पित सड़क कोष बनाने के उद्देश्य से अलग कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.ओ.टी. परियोजनाओं के प्रति उद्यमियों का उत्साह बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजमार्गों के विकास हेतु उदारतापूर्वक वित्तीय छूट प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राजमार्गों के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है। इस अधिनियम में पेट्रोल और डीजल पर 1/- रु. प्रति लीटर के उपकर की वसूली और उपकर से प्राप्त धनराशि को पहले भारत की समेकित निधि में तथा संसद के अनुमोदन के बाद केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा करने का प्रावधान है। के.स.नि. से उपलब्ध धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण, रेल-सड़क क्रासिंगों और ग्रामीण सड़कों पर सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अब तक निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) स्कीम के अंतर्गत लगभग 1832 करोड़ रु. के निवेश से 21 सड़क/पुल परियोजनाओं का कार्य किया गया है।

(ङ) और (च) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहले ही कई सरल उपाय किए हैं जिनमें कर रियायत, विनिर्दिष्ट उपकरणों का करमुक्त आयात, पूंजीगत अनुदान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की अनुमति देने के रूप में अनेक प्रोत्साहन शामिल हैं।

[हिन्दी]

मुख्य शहरों को वायुमार्ग से जोड़ना

2141. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन प्रमुख शहरों को वायुमार्ग से जोड़ा गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर आए खर्च का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1998 और इससे आगे निम्नलिखित स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ा है:-

स्टेशन	तारीख
अंतर्देशीय	
शिमला	12.3.1999
कुल्लु	12.3.1999
धर्मशाला	16.9.1999
देहरादून	16.9.1999
जबलपुर	11.6.1999
अंतर्राष्ट्रीय	
दुबई	8.6.2001

(ख) जब कभी भी इंडियन एयरलाइंस द्वारा किसी नये स्टेशन के लिए विमान सेवा आरंभ की जाती है, नए स्टेशन के उद्घाटन व प्रोन्नयन/संवर्धन पर काफी व्यय आता है। सामान्य एयरलाइन व्यावसायिक रणनीति के अनुसार इस व्यय का लेखा-जोखा अलग से नहीं किया जाता है और इसे सामान्य व्यावसायिक लागत का हिस्सा मान लिया जाता है। इसी कारण, इंडियन एयरलाइंस के लिए व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

प्राणी उद्यानों को बंद करना

2142. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण के नए कानूनों के क्रियान्वयन के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत से निजी और सामुदायिक प्राणी उद्यान बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा (एच) के अनुसार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा ऐसे चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करना अपेक्षित है जिनमें वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी हितों के साथ-साथ चिड़ियाघर के जानवरों की आवास व्यवस्था, देखभाल व स्वास्थ्य रक्षा संबंधी निर्धारित मानकों और मानदंडों का पूरा ध्यान रखा जाता हो। ऐसे चिड़ियाघर, जो वन्यजीवों के संरक्षण के लक्ष्य को पूरा नहीं करते तथा अपने यहां मौजूद जानवरों को समुचित आवास व्यवस्था, देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप मुहैया नहीं कराते, उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसे चिड़ियाघरों को कानूनन बन्द किया जाना अपेक्षित है।

(ग) देश में चिड़ियाघरों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने और चिड़ियाघर के जानवरों के लिए उन्नत आवास व्यवस्था, उनकी देखभाल व स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 20.11.2000 को राज्य वन सचिवों की एक बैठक बुलाई गई थी। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी यह अनुरोध किया जाता है कि वे मामले की जांच करें और मान्यता संबंधी पत्र जारी करते समय केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों का समयबद्ध ढंग से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

पानी का संकट

2143. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 2001 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''टी.ई.आर.आई. वार्न्स अगेन्स्ट सेवियर वाटर स्कारसिटी बाई 2050'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या टाटा ऊर्जा अनुसंदान संस्थान ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में देश के अधिकांश हिस्सों में पानी की कमी हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पानी की कमी को दूर करने हेतु अधिक स्त्रोत पैदा करने के प्रयास असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी हां। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) ने डायरेक्शन इन्नोवेशन एण्ड स्ट्रेटजीस फार हार्नेसिंग एक्शन (डी.आई.एस.एच.ए.) नामक अपने अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि देश में वर्तमान जल उपयोग की स्थिति (प्रति व्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक जल उपलब्धता) वर्ष 2047 तक 750 क्यूबिक मीटर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के साथ ही जल की कमी की स्थिति (प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक जल उपलब्धता) बदल जाएगी। इस संस्थान ने यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2047 तक देश के 20 कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से 7 क्षेत्रों में जल के कमी की स्थिति पैदा हो जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक जल उपलब्धता की स्थिति को जल की कमी की स्थिति माना जाता है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो इस समय 1869 क्यूबिक मीटर है, वर्ष 2025 तक घटकर लगभग 1350 क्यूबिक मीटर हो जाएगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2050 तक 1240 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर वर्षा में भिन्नता होने तथा जनसंख्या की सघनता में भिन्नता होने के कारण भी भिन्न-भिन्न बेसिनों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता में अन्तर होता है। यह औसत इस समय ब्रह्मपुत्र बराक बेसिन में 14,507 क्यूबिक मीटर है वहीं साबरमती बेसिन में 307 क्यूबिक मीटर है। देश के 20 प्रमुख बेसिनों में से इस समय 8 बेसिनों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे है। वर्ष 2050 तक 12 बेसिनों में जब देश की अनुमानित जनसंख्या 1.64 बिलियन हो जाएगी तब जल की कमी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अनिश्चित वर्षा के कारण भी कुछ वर्षों में जल की अस्थायी कमी आ जाती है।

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जल संसाधनों के विकास के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह उत्पाद पहले 50 मिलियन टन से कम था, लेकिन वर्ष 1999 तक यह 200 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1995 तक बड़े बांधों का निर्माण करके 177 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) की सक्रिय

भण्डारण क्षमता के सृजन से यह संभव हुआ है। इन भण्डारणों के सृजन तथा अन्य लघु सिंचाई स्कीमों की सहायता से देश में 139.9 मिलियन हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में आठवीं योजना के अंत तक 90 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(घ) देश में जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, लगभग 75 बी.सी.एम. की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 132 बी.सी.एम. की क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाली त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है। भारत सरकार भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के परियोजना सुधार क्षेत्र के तहत जल प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भी कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संबंधी प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ किए हैं। सृजित और प्रयुक्त क्षमता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को भी सहायता मुहैया करायी जाती है। दीर्घावधि उपाय के रूप में, जल संसाधन मंत्रालय के तहत वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। इस अभिकरण ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल हस्तांतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

वर्षा जल का संचयन

2144. श्री भान सिंह भौरा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में वर्षा जल के संचयन हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) इस कार्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और वितरित की गई; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" नामक अपनी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इसमें वर्षा जल को संचित करना शामिल होता है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस स्कीम के तहत अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुमोदित प्रस्तावों के 1-2 वर्षों के अंदर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

विवरण

भूमि जल-पुनर्भरण स्कीम संबंधी अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन
3.	बिहार	4	18.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन है।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन है।
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी हो गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखण्ड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरा होने के अंतिम चरण पर हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन
18.	पंजाब	15	251.49	छः स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन
	कुल	136	2191.33	

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तनों के नाम बदलने हेतु निवेदन

2145. **श्री महेश्वर सिंह:**
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से गग्गल, जुब्बर, हट्टी और भुंटर विमानपत्तनों का नाम बदलकर कांगड़ा, शिमला, कुल्लू-मनाली विमानपत्तन करने का निवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, हां। हिमाचल प्रदेश में गग्गल, जुब्बर हट्टी और भुंटर हवाई अड्डों के नाम बदलकर पहले ही क्रमश: कांगड़ा, शिमला और कुल्लू-मनाली हवाई अड्डा कर दिया गया है।

टेलीफोन कनैक्शन

2146. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री पी.एस गढ़वी:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात, विशेषकर कच्छ क्षेत्र और महाराष्ट्र में अलग-अलग जिलेवार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनैक्शन पाने की प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क)

राज्य/क्षेत्र	प्रतीक्षा सूची
गुजरात	238974
कच्छ क्षेत्र	12631
महाराष्ट्र	366894

जिलेवार ब्यौरे विवरण-I और II में संलग्न हैं।

(ख) राज्य	प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने की संभावित तारीख
गुजरात	31 मार्च, 2002
महाराष्ट्र (मुम्बई के अलावा)	30 सितम्बर, 2002
मुंबई	31 मार्च, 2002

विवरण-I

गुजरात

प्रतीक्षासूची के जिलेवार ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अहमदाबाद	13386
2.	गांधीनगर	7557
3.	अमरेली	7857
4.	भरूच	3951
5.	नर्मदा	1420
6.	कच्छ	12631
7.	भावनगर	11220
8.	पंचमहल	8092
9.	दाहोद	3609
10.	साबरकांठा	14400
11.	जामनगर	10190
12.	जूनागढ़	9888
13.	पोरबंदर	2929
14.	दीव (संघ राज्य)	220
15.	मेहसाना	15700
16.	पाटन	8237
17.	खेड़ा	2331

1	2	3
18.	आनंद	2902
19.	बनासकांठा	16245
20.	राजकोट	14282
21.	सुरेन्द्रनगर	5011
22.	सूरत	40017
23.	बड़ोदरा	8085
24.	वलसाड	9730
25.	नवसारी	5673
26.	डांग	238
27.	दमण (संघ राज्य)	1644
28.	डीएनएच (संघ राज्य)	1529
	जोड़	238974

विवरण-II

महाराष्ट्र

प्रतीक्षासूची के जिलेवार ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अहमदनगर	32823
2.	अकोला	3296
3.	वाशिम	1114
4.	अमरावती	4725
5.	औरंगाबाद	12481
6.	बीड़	5652
7.	भंडारा	3193
8.	गोंदिया	1840
9.	बुलढाना	3008
10.	चन्द्रपुर	4375
11.	धुले	5308
12.	नंदुरबार	1892
13.	गढ़चिरोली	1173
14.	जलगांव	13938
15.	जालना	3449
16.	कल्याण	30080
17.	कोल्हापुर	12663
18.	लातूर	13489
19.	नागपुर	12961
20.	नांदेड़	12425
21.	नासिक	14341
22.	उस्मानाबाद	5413
23.	परभनी	3153
24.	हिंगोली	1957
25.	पुणे	37414
26.	रायगढ़	4858
27.	रत्नागिरी	7072
28.	सांगली	10620
29.	सतारा	13062
30.	सिंधुदुर्ग	6265
31.	सोलापुर	24840
32.	वर्धा	3475
33.	यवतमाल	4370
34.	मुंबई	50169
	जोड़	366894

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का क्षमता से कम उपयोग

2147. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश विमानपत्तनों का अल्प उपयोग होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक पत्तन की यात्रियों की भीड़-भाड़ से निपटने और कार्गो यातायात की क्षमता कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक विमानपत्तन की वास्तविक यात्री और कार्गो यातायात क्षमता कितनी थी; और

(ङ) सरकार द्वारा विमानपत्तनों के अधिकतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) हवाई अड्डों के उपयोग की सीमा दूसरे हवाई अड्डे से अलग होती है जो यातायात और उस समय पर आधारित होती है जब क्षमता का सृजन किया गया था। सामान्यतया, हवाई अड्डे को चालू होने के बाद भावी यातायात वृद्धि की भी पूर्ति करनी पड़ती है। हवाई अड्डे की परियोजनाओं की लंबी समापन अवधि की वजह से हवाई अड्डा सिस्टम में बेकार क्षमता निर्मित हो जाती है।

(ख) से (घ) 45 प्रमुख हवाई अड्डों में प्रत्येक पर वार्षिक यात्री हैंडलिंग क्षमता वास्तविक यात्री यातायात तथा कार्गो हैंडलिंग संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) हवाई अड्डों की क्षमता का उपयोग यातायात मांग, एयरलाइनों की वाणिज्यिक प्रचालन व्यवहार्यता पर आधारित होता है; सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए छोटे विमानों के प्रचालन के बारे में कदम उठाए हैं जो बड़ी संख्या में छोटे-छोटे हवाई अड्डों के लिए और अधिक उपयुक्त है। एलाइंस एयर की अपने विमान-बेड़े में 50 सीटनों वाले विमानों को शामिल करने की योजना है। इनकी सहायता से यह छोटे-छोटे हवाई अड्डों के लिए और अधिक उड़ानें प्रचालित कर सकेगी और साथ ही ऐसा होने से ऐसे छोटे-छोटे हवाई अड्डों के उपयोग में भी वृद्धि हो सकेगी।

विवरण

	वार्षिक यात्री क्षमता	हैंडल किए गए यात्री (लाखों में)			हैंडल किया गया कार्गो (टनों में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
	1	2	3	4	5	6	7
मुम्बई	114.50	110.19	115.59	121.78	243.58	276.66	287.61
दिल्ली	106.00	78.83	83.14	89.34	198.43	219.13	235.04
चेन्नई	48.50	35.24	36.47	40.66	74.14	99.58	105.96
कोलकाता	42.20	25.21	25.99	26.86	49.06	53.66	53.85
त्रिवेन्द्रम	11.60	11.38	10.34	10.11	30.67	28.15	25.59
बंगलौर	33.00	19.97	21.56	24.44	44.57	50.47	58.62
हैदराबाद	30.00	13.52	14.10	16.10	13.21	16.43	17.09
अहमदाबाद	8.02	7.72	8.19	8.47	7.90	8.49	9.49
गोवा	10.41	7.09	7.59	8.77	3.35	3.68	3.74
कालीकट	8.52	5.06	5.30	4.86	3.10	5.44	6.54

	1	2	3	4	5	6	7
कोचिन (प्राइवेट)	28.95	3.95	6.08	7.72	1.77	2.63	6.36
गुवाहाटी	3.32	3.71	4.09	4.51	4.98	5.79	6.56
कोयम्बतूर	5.00	2.24	2.31	2.63	2.48	3.08	3.14
वाराणसी	2.50	2.22	1.97	2.20	1.16	1.41	1.29
मंगलौर	3.00	2.18	2.13	2.14	0.26	0.29	0.26
पूणे	3.00	3.14	3.44	4.15	0.95	1.21	3.27
नागपुर	7.00	2.21	1.95	1.99	0.73	0.83	१.03
बड़ोदरा	3.59	2.24	1.77	2.12	0.60	0.53	0.77
जयपुर	5.00	2.32	2.67	2.73	0.80	0.80	0.97
श्रीनगर	4.00	1.95	2.44	2.53	0.74	0.91	1.04
लखनऊ	7.50	2.11	2.83	3.02	1.04	1.21	1.37
जम्मू	3.00	2.43	2.65	2.30	0.65	1.03	0.58
अगरतला	3.00	1.86	1.87	2.07	1.71	1.94	2.99
उदयपुर	1.50	1.26	1.59	1.59	0.04	0.02	0.08
त्रिची	1.80	0.81	0.80	0.78	0.15	0.29	0.29
पटना	3.76	1.28	1.70	1.77	1.14	2.05	2.21
इंदौर	2.00	1.46	1.50	1.80	0.72	1.08	1.12
भुवेश्वर	5.00	1.37	1.36	1.49	1.11	0.92	0.56
इम्फाल	1.50	0.93	1.10	1.05	0.97	0.38	0.89
औरंगाबाद	2.00	0.93	0.98	1.05	0.16	0.38	0.53
बागडोगरा	2.00	1.06	1.23	0.94	0.91	0.80	0.36
मदुरै	1.00	0.84	0.83	0.91	0.14	0.12	0.22
विशाखापतनम	2.00	1.09	1.27	1.34	0.45	0.56	0.42
सिल्चर	2.00	0.74	0.73	0.76	0.54	0.58	0.40
राजकोट	2.25	1.00	1.10	1.11	0.12	0.42	0.33
डिब्रूगढ़	1.50	0.64	0.67	0.78	0.54	0.49	0.45
भावनगर	2.00	0.57	0.56	0.63	0.03	0.02	0.01

	1	2	3	4	5	6	7
खजुराहो	3.00	0.66	0.67	0.57	0.13	0.08	0.02
लेह	2.00	0.90	0.97	1.05	0.37	0.35	0.25
पोर्ट ब्लेयर	2.00	0.73	1.08	1.21	0.50	0.90	1.02
रांची	2.50	0.00	0.49	0.56	0.00	0.00	0.43
भोपाल	2.00	0.71	0.69	0.75	0.04	0.07	0.16
जोधपुर	4.00	0.00	0.44	0.45	0.00	0.00	0.12
भुज	1.00	0.56	0.59	0.67	0.05	0.05	0.68
आगरा	1.20	0.45	0.46	0.36	0.06	0.05	0.03

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पुरानी स्थिति पुनः प्राप्त करना

2148. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने घरेलू हवाई यात्रा बाजार में शीर्ष स्थान की अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स को वर्ष 2001-2002 के दौरान सीमांत लाभ अर्जित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 2000 की समयावधि के दौरान, पटना में हुई बोइंग विमान की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के परिणामस्वरूप, इंडियन एयरलाइन्स के मार्किट शेयर में एकदम गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की वजह से इंडियन एयरलाइंस का शेयर अपनी प्रमुख घरेलू प्रतियोगी विमानकंपनी की तुलना में नीचे चला गया। तथापि, इंडियन एयरलाइंस कैरिज के साथ-साथ मार्किट शेयर में वृद्धिकारक प्रवृत्ति दर्ज की गई है। पिछले तीन महीनों के दौरान, इंडियन एयरलाइंस का मार्किट शेयर निम्नानुसार है:-

महीना एवं वर्ष	मार्केट शेयर (%)
अप्रैल, 2001	49.6
मई, 2001	49.7
जून, 2001	46.9

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 के लिए इंडियन एयरलाइंस के बजट प्राक्कलन के अनुसार 251.50 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई है। इस हानि से उन अन्य निवेश लागतों सहित एटीएफ लागत में त्वरित वृद्धि परिलक्षित होती है जिसमें, मुख्यतया भूमि एवं दिक्चालन प्रभार, विदेशी विनियम दर, बीमा प्रीमियम, सुरक्षा व्यय, हैंडलिंग प्रभारों आदि में वृद्धि शामिल है। इस लागत वृद्धि से इंडियन एयरलाइंस पर 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ा है। जबकि प्रचालन सेवाओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, फिर भी बजट प्राक्कलनों में कोई किराया वृद्धि नहीं की गई। इंडियन एयरलाइंस ने फ्लेक्सी-किराया नीति अपनाई है जिससे घरेलू नेटवर्क पर किरायों का निर्धारण व्याप्त गार्किट शर्तों-यथा सीजन, प्रतिस्पर्धा, उड़ानों की समयावलियों आदि को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। ऐसा करने से एयरलाइंस में बेहतर क्षमता उपयोग और अपेक्षाकृत उच्च लब्धि से सुधार होने की संभावना है। कड़े बजटीय नियंत्रण, बेहतर बेड़ा उपयोग, पायलटों, इंजीनियरों और अन्य कार्मिकों की भर्ती में वृद्धि, उत्पाद और सेवा में सुधार, लागत नियंत्रण आदि प्रयासों सहित अन्य उपाय किए गए हैं। परिणामस्वरूप, इंडियन एयरलाइंस एक बेहतर वित्तीय निष्पादन दर्ज कर पाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों अर्थात्, अप्रैल तथा मई, 2001 में इंडियन एयरलाइंस को 35.09 करोड़ रुपए की शुद्ध बजटित हानि की तुलना में 32.60 करोड़ रुपए की अपेक्षाकृत न्यून शुद्ध हानि हुई है।

बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार अवसर

2149. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार सरकारी और निजी क्षेत्रों में कितने युवकों को रोजगार दिया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है और कितनी प्रगति हुई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 में क्रमशः 401, 404 एवं 413 लाख के लगभग थी।

(घ) युवाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रोजगार के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजन संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल रोजगार रिक्तियों के केवल अंशमात्र को ही रोजगार कार्यालयों द्वारा भरा जाता है। वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए राज्यवार नियोजन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) रोजगार सृजन हेतु आयोजना पंचवर्षीय योजनाओं का एक भाग है। नौवीं योजना दृष्टिकोण में यह परिकल्पना की गई है कि बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

सरकार रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम स्मृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 1.12.97 से चल रही है, जिसमें गरीबों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं से राजस्थान में रोजगार सृजन में भी सहायता प्राप्त हुई है।

वर्ष 1993-94 के दौरान देश का कुल रोजगार जो कि लगभग 374.45 मिलियन था वह 1999-2000 के दौरान बढ़कर 397.00 मिलियन हो गया।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजन (हजार में)		
		1998 के दौरान	1999 के दौरान	2000 के दौरान
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.6	10.6	4.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	@	@	@
3.	असम	2.9	1.4	1.3
4.	बिहार	13.0	11.8	7.4
5.	गोवा	1.1	0.4	0.3
6.	गुजरात	67.4	65.2	69.4

1		2	3	4
7.	हरियाणा	13.4	7.1	4.7
8.	हिमाचल प्रदेश	3.4	4.4	2.3
9.	जम्मू और कश्मीर	0.2	@	2.8
10.	कर्नाटक	20.0	21.5	8.5
11.	केरल	16.3	22.4	16.8
12.	मध्य प्रदेश	5.9	3.8	3.9
13.	महाराष्ट्र	15.2	15.6	17.4
14.	मणिपुर	0.1	0.1	@
15.	मेघालय	0.2	0.2	0.2
16.	मिजोरम	0.1	0.2	0.3
17	नागालैंड	0.1	@	0.1
18.	उड़ीसा	3.9	4.8	2.3
19.	पंजाब	2.0	1.8	2.4
20.	राजस्थान	5.3	4.9	1.6
21.	सिक्किम*	–	–	–
22.	तमिलनाडु	18.4	19.6	13.2
23.	त्रिपुरा	1.3	1.4	0.9
24.	उत्तर प्रदेश	7.7	4.1	4.0
25.	पश्चिम बंगाल	6.1	13.3	11.7
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.3	0.6	0.3
27.	चंडीगढ़	0.9	0.4	0.5
28.	दादर व नगर हवेली	0.1	@	@
29.	दिल्ली	16.9	5.3	0.3
30.	दमन व दीव	0.1	@	@
31.	लक्षद्वीप	0.2	0.1	@
32.	पांडिचेरी	0.1	0.2	0.2
	अखिल भारत	233.3	221.3	177.7

नोट:- *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।
@आंकड़े पचास से कम।

नशीली दवाओं के दुरूपयोग संबधी घोटाले की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति

2150. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने एथलीटों के विरुद्ध नशीली दवाओं के दुरूपयोग संबंधी घोटाले की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है;

(ग) क्या अधिकांश भारतीय एथलीट नशीली-दवाओं के दुरूपयोग में शामिल हैं और देश की अस्मिता विश्व में घटी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.ए.) ने मामले की छानबीन के लिए डा. मनमोहन सिंह, सदस्य चिकित्सा आयोग, एशिया की ओलम्पिक परिषद् के अधीन एक सदस्यीय चिकित्सा आयोग की नियुक्ति की है। आयोग से 31 जुलाई, 2001 तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

(ग) भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों में एक भारोत्तोलक के सिवाय, कोई भी भारतीय खिलाड़ी किसी एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा ओलम्पिक खेलों में, परीक्षण में प्रभावयुक्त नहीं पाया गया था।

(घ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक समिति के गठन का आदेश दिया है जिसमें केन्द्र सरकार, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि होंगे जो खेलों में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम करने के लिए बैठक करेंगे तथा औपचारिकताएं तैयार करेंगे।

आन्ध्र प्रदेश में जल परियोजनायें

2151. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में पेयजल की कमी को समाप्त करने हेतु राज्य में स्वीकृत्त जल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) पेय जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी स्कीमों का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा उनके निजी संसाधनों से किया जाता है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) और प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.)- ग्रामीण पेय जल घटक के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर राज्यों के इन प्रयासों में सहायता पहुंचाती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत लगभग 181.09 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत लगभग 36.37 करोड़ रुपये वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश को जारी किया गया है। पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूरा होने का समय संबंधित राज्य सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों पर निर्भर करता है।

आन्ध्र प्रदेश में भविष्य निधि के सदस्यों के लिये घरों का निर्माण

2152. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश की सहमति के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आर.पी.एफ.सी.), हैदराबाद से भविष्य निधि के सदस्यों के घरों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के संभावित क्रियान्वयन का समय दर्शाते हुए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए मकान बनाने की योजना तैयार करने की व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश से एक अनुसंधान-पत्र प्राप्त हुआ है। तथापि, विद्यमान कानून में ऐसा कोई कार्यकलाप शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है।

हिरनों का शिकार

2153. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के सतकोशिया अभ्यारण्य में हिरण और अन्य जंगली जानवरों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यारण्य में जानवरों का अवैध शिकार रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सतकोशिया अभ्यारण्य में 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान 1 बाघ, 2 हाथियों तथा 3 हिरणों का अवैध शिकार किया गया था।

(ख) अभ्यारण्य में अवैध शिकार को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) अभ्यारण्य के भीतर प्रवेश करने वाले तथा बाहर जाने वाले वाहनों की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर जांच द्वार बनाए गए हैं।

(2) अवैध शिकारियों का पता लगाने के लिए सचल गश्त की जाती है।

(3) संदिग्ध अवैध शिकारियों के आवागमन की मॉनीटरी की उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर वायरलैस संचार सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

(4) अवैध शिकारियों की योजना और आवागमन के संबंध में सूचना देने वालों को इनाम दिए जाने के लिए गुप्त कोष सृजन किया गया है।

(5) संदिग्ध अवैध शिकारियों से वन्यजीव ट्राफियों का पता लगाने के लिए घरों में छापे मारे जाते हैं।

(6) फील्ड स्टाफ को आत्मरक्षा के लिए अग्नेय शस्त्र प्रदान किए गए हैं।

(7) आदिवासियों द्वारा व्यापक स्तर पर पारम्परिक तौर पर किए जाने वाले अवैध शिकार का सामना करने के लिए वन कर्मचारियों की सहायता हेतु सशस्त्र सुरक्षा आरक्षित बल लगाया जाता है।

एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2154. श्री अबुल हसनत खां: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के चालीस हजार से भी अधिक कर्मचारी 15 मई, 2001 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/जा रही है; और

(घ) सरकार को इसके परिणामस्वरूप कुल कितना घाटा हुआ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। केवल नोटिस दिया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कॉल सेन्टर

2155. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
डा. रमेशचंद तोमर:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों के तेजी से निवारण में विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) में शिकायतों को दूर करने के लिए "कॉल सेन्टर" स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रों की स्थापना से उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का किस सीमा तक निपटान होगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। एम.टी.एन.एल. उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र और संतोषप्रद निपटान के लिए निरंतर कठोर प्रयास करता रहा है।

(ख) और (ग) एम.टी.एन.एल. का शिकायत-निवारण व अन्य केन्द्रीय सेवाएं प्रदान करने हेतु कॉल-केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। कॉल केन्द्रों को स्थापित करने पर मुख्यत: डायरेक्टरी पूछताछ (197), परिवर्तित नम्बरों की घोषणा (1951 व 1952),

वी आई पी शिकायत के निपटान (178), उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एसटीडी)/अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (आईएसडी) पूछताछ (182), राष्ट्रीय डायरेक्टरी पूछताछ (183), इंटरनेट हेल्प डेस्क आदि पर परियात के शीघ्र सुचारू व्यवस्थापन में भारी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

डाकघर भूमि का व्यावसायिक उपयोग

2156. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघर भूमि के व्यावसायिक उद्देश्यों के उपयोग के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

[अनुवाद]

फर्जी किसान विकास-पत्र

2157. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में राजधानी में फर्जी या चोरी से किसान विकास-पत्रों की बिक्री करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच-पड़ताल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में मारे गए छापों के दौरान कुल 71.90 लाख रु. अंकित मूल्य के 1016 किसान विकास-पत्र जब्त किए गए। पुलिस द्वारा डाकघरों की नकली मोहर एवं डाक-टिकट भी जब्त किए गए।

(ग) और (घ) जी हां। दिल्ली पुलिस ने पांच मुकदमे दर्ज किए हैं और इस संबंध में छह बाहरी लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों से मिले बचत-पत्र में वे बचत-पत्र भी हैं जो वर्ष 1994-98 के दौरान इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक और विभिन्न सर्किल पोस्टल स्टैम्प डिपुओं के बीच रेलवे से ढुलाई के दौरान गुम हो गए थे।

जी.एस.आई. द्वारा धातुओं की खोज संबंधी गतिविधियों में कमी करना

2158. श्री महबूब जहेदी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण द्वारा की जा रही धातुओं की खोज, मानचित्र बनाने और खुदाई संबंधी कार्यों में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या आपदा-प्रवण जोन और धातु भंडारों की पहचान करने वाला जी.एस.आई. के अलावा कोई और संगठन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की जी.एस.आई. में काम कम होने के दृष्टिगत कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) प्रमुख राष्ट्रीय भू-विज्ञान संगठन है जिसने, पिछले 150 वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय विकास कार्यकलापों में बहुत योगदान दिया है। उदारीकरण पश्चात् परिदृश्य को देखते हुए, जिसमें गवेषण एवं खनिजों के विदोहन दोनों क्षेत्रों में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु खनिज क्षेत्र को खोला गया है, यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूमिका में एक बदलाव आना है। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व्यक्ति तथा उसके पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सक्रिया भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने तथा अद्यतन करने के लिए अपने मानचित्रण कार्यक्रम जारी रखेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश में सभी प्रमुख भूकंपों हेतु माइक्रो सीस्मिक अध्ययय करने, प्रोबेबिलिस्टिक नैचुरल हैजर्ड मानचित्र तैयार करने तथा सीस्मो टैक्टोनिक मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी है। यह हवाई, समुद्री तथा जमीनी सर्वेक्षणों द्वारा भूमि तथा अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तथा ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने तथा उनका आकलन करने का कार्य जारी रखेगा। खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, राज्य

डी जी एम जैसे अन्य संगठन खनिज भंडारों का अध्ययन करते हैं। आई एम डी एवं डब्ल्यू आई एच डी (डी एस टी) भी आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान करते हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्टाफ संख्या में कमी सरकार की नीतियों के अनुसार होगी। व्यय सुधार आयोग ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विमानपत्तनों पर नई धावन पट्टियों का निर्माण

2159. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार महाराष्ट्र में कुछ विमानपत्तनों पर नई धावन पट्टियों और नई टर्मिनल इमारतों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी अनुमानित लागत आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का महाराष्ट्र राज्य में किसी भी हवाई अड्डे पर नए धावनपथों के निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, औरंगाबाद हवाई अड्डे पर व्यस्ततम समय में 600 यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण का एक प्रस्ताव है। परियोजना का निष्पादन 66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। प्रस्ताव अभी योजना स्तर पर है और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक से निधियों के जुटाए जाने के आधार पर है।

[अनुवाद]

इचामपल्ली बांध परियोजना

2160. **श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जलमग्न होने वाली जमीन के दृष्टिगत आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर इचामपल्ली परियोजना के कार्य में बाधा डालने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद के हल हेतु सह-बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने इंचमपल्ली बहुउद्देश्यीय परियोजना में शामिल अन्तर्राज्यीय मुद्दों अर्थात् भूमि की जल मग्नता और लोगों के विस्थापन संबंधी समस्या के समाधान के लिए 6 जुलाई, 2000 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग हैं तथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकारें इसके सदस्य हैं। इस समिति ने जल संसाधन मंत्रालय को दिनांक 26.6.2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसे तीनों राज्य सरकारों को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

दूरसंचार सुविधा

2161. **श्री विजय गोयल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में करीब 50,000 अतिरिक्त वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शन जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर दिल्ली का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कनेक्शनों के लिए वर्तमान शुल्क पैटर्न क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान दिल्ली में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और उनके आधुनिकीकरण का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दिल्ली सहित देश के शहरी इलाकों में प्रस्तावित अतिरिक्त "वायरलेस इन लोकल लूप" (डब्ल्यूएलएल)-कनेक्शनों को जारी करने संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6 लाख लाइनें जारी करने का प्रस्ताव है।

(ग) दिल्ली में डब्ल्यूएलएल टेलीफोन लाइन के लिए प्रभार का मौजूदा पैटर्न नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	प्रभार	स्थिर डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	सीमित मोबिलिटी युक्त डब्ल्यूएलएल कनेक्शन
1.	प्रपत्र शुल्क	तार युक्त लाइनें (वायर्ड लाइनों) के समान	शून्य
2.	संस्थापन शुल्क		शून्य
3.	पंजीकरण के समय सुरक्षित जमा राशि		10,000 रु.
4.	किराया प्रति माह		600 रु.
5.	कॉल-प्रभार		1.40 रु. प्रति यूनिट कॉल (कोई नि:शुल्क कॉल अनुमत्य नहीं)

(घ) और (ङ) दिल्ली में सभी टेलीफोन एक्सचेंज आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टाइप के हैं। दिल्ली एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता में 2001-2002 के दौरान, 1,75,000 लाइनों की वृद्धि की जा रही है, जिनमें से 23,000 लाइनें नीचे दिए मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार से होगी:

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	लाइनें
1	2	3
1.	किदवई भवन	2000
2.	लोधी रोड	2000
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग	1000
4.	लोथियान रोड	1000
5.	भीकाजी कामा प्लेस	4000
6.	बादली	2000
7.	अलीपुर	1000
8.	नरेला डीएसआईडीसी	3000
9.	नांगलोई-2	6000
10.	कंझावला	1000

विवरण

दिल्ली सहित देश के शहरी इलाकों में जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शहर	लाइनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	5000
2.	बिहार	पटना	3000
3.	गुजरात	अहमदाबाद	5000
4.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	3000 (सरकार द्वारा क्लियरेंस के अधीन)

1	2	3	4
5.	कर्नाटक	बंगलौर	5000
6.	केरल	एर्नाकुलम	3000
7.	मध्य प्रदेश	इंदौर	3000
8.	महाराष्ट्र	मुंबई	50,000
		पुणे	3000
		सिंधदुर्ग	1000
9.	उत्तर पूर्व	शिलांग	1000 (सरकार द्वारा क्लियरेंस के अधीन)
10.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	3000
11.	पंजाब	चंडीगढ़	3000
		लुधियाना	3000
12.	राजस्थान	जयपुर	3000
13.	तमिलनाडु	चेन्नई	5000
14.	उ.प्र.	कानपुर	3000
		लखनऊ	3000
		नोएडा	3000
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	5000
16.	दिल्ली	दिल्ली	34400

मध्य प्रदेश में ट्यूबवेल लगाया जाना

2162. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में ट्यूबवेल लगाने और सिंचाई चैनलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): नलकूपों के संस्थापन के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड किसी भी स्कीम का निष्पादन नहीं कर रहा है। यह बोर्ड वैज्ञानिक अन्वेषण करता है तथा इस उद्देश्य के वास्ते विभिन्न श्रेणियों के बोरहोल खोदे गए हैं। सामान्य अन्वेषण कार्यक्रम के तहत 1.61 करोड़ रुपये की कुल लागत से मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कुल 84 बोरहोल खोदे गए हैं। केन्द्रीय भूजल बोर्ड की विशेष आपात योजना के तहत 14.58 लाख रुपये की लागत से 12 बोरहोल खोदे गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 26.65 हजार हेक्टेयर खेत सिंचाई चैनलों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को 5.36 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

प्रति उड़ान में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या पर प्रतिबंध

2163. **श्री आर.एस. पाटिल:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने प्रति उड़ान में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, छात्रों और रक्षा-कर्मियों के समूह से यात्रियों को अधिकतम सीमा दस निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबंध के कारण उनको असुविधा हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सीमा को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) उड़ान से होने वाली आय में अत्यधिक वृद्धि करने के लिए इंडियन एयरलाइंस ए-320, बोइंग-737 उड़ानों में से प्रत्येक में 10 सीटें रखती है और ए-300 की प्रत्येक उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों और रक्षा-कर्मियों के लिए 15 सीटें रियायती किराए के आधार पर रखती है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस आरक्षण प्रणाली में सामान्य किराया वाले यात्रियों के लिए एकोनोमी क्लास में सीटें आवंटित करती है और रियायती/छूट वाले यात्रियों अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और रक्षा-कर्मियों के लिए भी सीटें आवंटित करती है। यदि विमानों के प्रस्थान करते समय, सामान्य किराया वाले यात्रियों के लिए आवंटित सीटों की बुकिंग नहीं हो पाती है, ये सीटें रियायती किराया वाले यात्रियों को दे दी जाती हैं। पूरी दुनिया में एयरलाइनों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप ही इस प्रणाली को अंगीकार किया गया है।

(घ) कम भीड़-भाड़/अधिक भीड़-भाड़ वाले सीजन की मांग, उड़ानों के व्यवहार और पैटर्न के आधार पर, कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में अर्जित राशि बढ़ाने के लिए इन सीमित मूल्यों को 30 सीटों या 40 सीटों तक बढ़ा दिया गया है।

जयकवाड़ी परियोजना

2164. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों ने विचार व्यक्त किया है कि महाराष्ट्र में जयकवाड़ी परियोजना का जमीनी ढांचा सुरक्षित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर टर्मिनल इमारतों और नई धावन पट्टियों का निर्माण

2165. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में कुछ विमानपत्तनों पर नई धावन पट्टियों और टर्मिनल इमारतों के निर्माण का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विमानपत्तनों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना में खर्च होने वाली अनुमानित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या प्रत्येक परियोजना पर उक्त कार्यों के पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित हवाई अड्डों पर नए धावनपथों और टर्मिनल भवनों के निर्माण करने का निर्णय किया है जिसमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कोष्ठक में नीचे दी गई है:-

(1) विशाखापत्तनम (105 करोड़ रुपए) और मंगलौर (100 करोड़ रुपए) पर नए धावनपथ

(2) अमृतसर में नए टर्मिनल भवन का निर्माण (22.70 करोड़ रुपए), पठानकोट (नया सिविल एन्क्लेव) (15 करोड़ रुपए), वाराणसी (44 करोड़ रुपए), कुल्लू मनाली (4.50 करोड़ रुपए), कांगड़ा (3.00 करोड़ रुपए), डिब्रूगढ़ (24.50 करोड़ रुपए) और जबलपुर (7.46 करोड़ रुपए)।

विशाखापत्तनम और मंगलौर पर नए धावनपथों के निर्माण का कार्य आरंभिक अवस्था में है। अमृतसर, पठानकोट और जयपुर पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य क्रमश: नवम्बर, 2003, जून, 2003 और दिसम्बर, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है। कांगड़ा में कार्य सौंप दिया गया है और इसके कार्य के आरंभ होने से 12 महीनों के अंदर पूरा हो जाने की संभावना है। वाराणसी और कुल्लू मनाली पर कार्य सौंपा जा रहा है और कार्य के पूरा होने का समय क्रमश: 24 महीने और 12 महीने होगा। डिब्रूगढ़ में कार्य सौंपा नहीं जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि नहीं सौंपी है।

जल बंटवारा न्यायाधिकरण का गठन

2166. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नये जल बंटावारा न्यायाधिकरण के गठन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जब किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केन्द्र सरकार की यह राय होती है कि यह जल विवाद बातचीत के द्वारा हल नहीं किया जा सकता तो केन्द्र सरकार इस जल विवाद के निर्णय के लिए जल विवाद अधिकरण गठन करती है। इस समय, केन्द्र सरकार में अधिकरण के गठन करने संबंधी किसी भी राज्य सरकार का अनुरोध लंबित नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

2167. श्री के. मुरलीधरन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विकासशील देशों में कौशल निर्माण और कौशल उन्नयन में बहुपक्षीय निर्देश को प्रोत्साहन देने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में श्रम कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का कौशल, ज्ञान तथा नियोजनीयता पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रभावी, अनुकूल प्रशिक्षण तथा अतिसंवेदनशील समूहों (जैसे विकलांग व्यक्तियों) के सदस्यों को शामिल करते हुए मानव संसाधन विकास में निवेश में वृद्धि करने वाली नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना है। इसका उद्देश्य कामगारों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार उनके कौशलों को विकसित कर निर्धनता एवं निष्कासन की स्थिति से बचा जा सकता है। इस कार्यक्रम को सरकारी संस्थानों तथा नियोजकों एवं कामगार संस्थानों, उद्यमों, सार्वजनिक एवं निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं रोजगार सेवाओं के साथ चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के कुछ अंश का निधिकरण आई एल ओ के नियमित बजट से तथा कुछ अंश को विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग हेतु निधि प्रदाता देश से प्राप्त किया जाएगा।

वर्ष 2002-2003 की आगामी अवधि में विकासशील देशों में श्रम बाजार की बदलती हुई प्रवृत्तियों के अनुकूल तथा अद्यतन प्रशिक्षण एवं प्रबंधकीय तकनीकों के प्रयोग हेतु नई प्रशिक्षण प्रणाली के परीक्षण, विकास एवं सुर्पुदगी पर बल देने वाली आई एल ओ तकनीकी सहयोग गतिविधियों के प्रदाता निधिकरण (डोनर फंडिंग) के 11.3 मिलियन अमरीकी डालर के लगभग पहुंच जाने की सम्भावना है।

(ग) सरकार ने कामगारों के कल्याणार्थ अनेक कदम उठाए हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (आर.ई. एवं सी.एस.) अधिनियम, 1979, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का नियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 जैसे बहुत से विद्यमान श्रम कानूनों को अधिनियमित किया गया है। ये अधिनियम मजदूरी, कार्य के घंटों, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के संदर्भ में कामगारों के हितों की रक्षा करते हैं।

सरकार ने विद्यमान कल्याण निधियों के अंतर्गत इन क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं समूह बीमा, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा एवं आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अनेक योजनाएं बनाई हैं जैसे (1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (2) सिने कर्मकार कल्याण निधि (3) लौह, मैगनीज एवं क्रोम अयस्क खान कल्याण निधि (4) चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, तथा (5) माइका खान श्रम कल्याण निधि।

सरकार देश में ग्रामीण असंगठित कामगारों के कल्याण एवं उनकी स्थिति में सुधार हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) आदि बहुत सी प्लान योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

अवैध खनन के कारण वन्य जीवों को खतरा

2168. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बालू के अवैध खनन से वन्य जीवों, जिनमें बाघ शामिल हैं को गम्भीर क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 29 के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में केवल ऐसी गतिविधियां चलाई जा सकती हैं जो वन्यजीवों की बेहतरी में सहायक हों। खनन ऐसी गतिविधि नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में खनन कार्य लीज पर देने का एक मामला केन्द्र सरकार के नोटिस में लाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से रेत एकत्र करने से न केवल वन्य प्राणियों को अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न होता है बल्कि इससे क्षेत्र के जल विज्ञान भी प्रभावित होता है। यहां तक कि इससे भू-जल पर भी बुरा असर पड़ता है। नदी से रेत निकालने से जल के प्रवाह में तेजी आती है जिसके परिणामस्वरूप, जलाभाव महीनों में नदियां सूखी रहती हैं। इस प्रकार की स्थिति बाध सहित अन्य वन्य जीवों पर बहुत बुरा असर डालती है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के अन्तर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र से रेत निकालने संबंधी किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करता है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

एफ्रो-एशियाई खेलों के लिए आयोजक समिति का गठन

2169. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयोजक समिति के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या एफ्रो-एशियाई खेलों के लिए आयोजक समिति गठित कर दी गई है;

(ग) क्या उक्त समिति के लिए व्यक्तियों के चयन में कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका हल निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। खेलों के आयोजन से संबद्ध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से विख्यात व्यक्तियों को, उनके अनुभव तथा पेशेवर विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, आयोजन समिति में नामित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संचार संबंधी संयुक्त कार्यकारी दल

2170. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार के क्षेत्र में सहयोग का पता लगाने के लिए भारत और इराक के बीच संचार-संबंधी संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संचार नेटवर्क में इसके किस सीमा तक सहायक होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। तथापि, जुलाई, 2001 में इराक के परिवहन व संचार मंत्री के दौरे के बाद भारत व इराक के सहयोग से एक संयुक्त कार्यकारी दल के गठन की सहमति हुई है।

(ख) दोनों ओर से कार्यकारी दल के व्यक्तियों के नामांकन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) कार्यकारी दल के गठन से, रुकावटें यदि कोई हों, दूर करने तथा संचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण युवकों और खेल क्लबों को सहायता

2171. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण युवक और खेल क्लबों को सहायता के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न संगठनों के अनेक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) ग्रामीण युवाओं तथा खेल क्लबों को वित्तीय सहायता की योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा एजेंसी आधार पर कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय निधियां राज्य-वार जारी नहीं करता है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा जारी निधियों के वर्षवार, राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। पिछले वर्ष नेहरू युवा केन्द्र संगठन से प्राप्त कुछ प्रस्तावों को धनराशि के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सका। इन प्रस्तावों के साथ ही चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रस्तावों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

ग्रामीण युवाओं और खेल क्लबों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा ग्रामीण खेल क्लबों के लिए 1998-99 से 2000-2001 के दौरान जारी की गई निधियों के वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरे

(राशि रुपयों में)

		1998-99 तथा 1999-2000	2000-2001	
			वास्तविक	वित्तीय
1		2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	आन्ध्र प्रदेश	–	12	390000
4.	असम	–	43	1455000
5.	बिहार	–	–	–
6.	चण्डीगढ़	–	–	–
7.	दिल्ली	–	–	–
8.	दमन व दीव	–	–	–
9.	दादर व नागर हवेली	–	–	–
10.	गोवा	–	2	60000
11.	गुजरात	–	1	45000
12.	हरियाणा	–	27	810000
13.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–

1		2	3	4
14.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–
15.	कर्नाटक	–	16	495000
16.	केरल	–	43	1305000
17.	लक्षद्वीप	–	–	–
18	मध्य प्रदेश	–	3	90000
19.	महाराष्ट्र	–	7	210000
20.	मणिपुर	–	–	–
21.	मेघालय	–	–	–
22.	मिजोरम	–	–	–
23.	नागालैण्ड	–	–	–
24.	उड़ीसा	–	–	–
25.	पंजाब	–	7	210000
26.	पांडिचेरी	–	–	–
27.	राजस्थान	–	9	300000
28.	सिक्किम	–	2	75000
29.	तमिलनाडु	–	21	630000
30.	त्रिपुरा	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	10	300000
32.	पश्चिम बंगाल	–	17	540000
	कुल		220	6915000

विवरण-II

ग्रामीण युवाओं और खेल क्लबों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा युवा क्लबों के लिए 1998-99 से 2000-2001 के दौरान जारी की गई निधियों के वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरे

(राशि रुपयों में)

		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
		1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–

		1	2	3	4	5	6
3.	आन्ध्र प्रदेश	81	405000	120	1200000	42	420000
4.	असम	59	295000	213	2130000	68	710000
5.	बिहार	2	10000	01	10000	2	20000
6.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–
7.	दिल्ली	2	10000	02	20000	1	10000
8.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–
9.	दादर व नागर हवेली	3	15000	03	30000	–	–
10.	गोवा	–	–	–	–	–	–
11.	गुजरात	9	45000	15	150000	20	200000
12.	हरियाणा	70	350000	22	220000	11	110000
13.	हिमाचल प्रदेश	109	545000	18	180000	66	660000
14.	जम्मू व कश्मीर	8	40000	07	70000	–	–
15.	कर्नाटक	291	1455000	97	970000	59	590000
16.	केरल	140	700000	186	1860000	231	2370000
17.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
18.	मध्य प्रदेश	51	255000	44	440000	2	20000
19.	महाराष्ट्र	126	630000	213	2130000	–	–
20.	मणिपुर	31	155000	25	250000	–	–
21.	मेघालय	14	70000	50	500000	–	–
22.	मिजोरम	3	15000	–	–	–	–
23.	नागालैण्ड	1	5000	02	20000	–	–
24.	उड़ीसा	72	360000	08	80000	9	90000
25.	पंजाब	9	45000	08	80000	9	90000
26.	पांडिचेरी	–	–	04	40000	–	–
27.	राजस्थान	39	195000	26	260000	1	10000
28.	सिक्किम	4	20000	07	70000	3	30000
29.	तमिलनाडु	63	315000	113	1130000	9	90000
30.	त्रिपुरा	6	30000	05	50000	11	125000
31.	उत्तर प्रदेश	134	670000	38	380000	49	260000
32.	पश्चिम बंगाल	42	210000	28	280000	–	–
	कुल	1369	6845000	1255	125500000	570	58,05,000

विवरण-III

ग्रामीण युवाओं और खेल क्लबों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कारों के लिए 1998-99 से 2000-2001 के दौरान जारी की गई निधियों के वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरे

(राशि रुपयों में)

		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
		1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	5000	–	–	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	15000	1	10000	–	–
3.	आन्ध्र प्रदेश	19	95000	20	200000	–	–
4.	असम	18	90000	20	200000	–	–
5.	बिहार	5	25000	–	–	–	–
6.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–
7.	दिल्ली	–	–	1	10000	–	–
8.	दमन व दीव	1	5000	–	–	–	–
9.	दादर व नागर हवेली	1	5000	–	–	–	–
10.	गोवा	2	10000	–	–	–	–
11.	गुजरात	13	65000	8	80000	–	–
12.	हरियाणा	12	60000	12	120000	–	–
13.	हिमाचल प्रदेश	7	35000	5	50000	6	60000
14.	जम्मू व कश्मीर	4	20000	–	–	–	–
15.	कर्नाटक	18	90000	17	170000	–	–
16.	केरल	14	70000	14	140000	–	–
17.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
18.	मध्य प्रदेश	36	180000	–	–	–	–
19.	महाराष्ट्र	23	115000	3	30000	–	–
20.	मणिपुर	7	35000	7	70000	–	–
21.	मेघालय	1	5000	2	20000	–	–
22.	मिजोरम	2	10000	1	10000	–	–

		1	2	3	4	5	6
23.	नागालैण्ड	5	25000	–	–	–	–
24.	उड़ीसा	9	45000	–	–	–	–
25.	पंजाब	11	55000	3	30000	–	–
26.	पांडिचेरी	–	–	2	20000	–	–
27.	राजस्थान	6	30000	9	90000	13	130000
28.	सिक्किम	2	10000	2	20000	–	–
29.	तमिलनाडु	23	115000	28	280000	–	–
30.	त्रिपुरा	3	15000	1	10000	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	14	70000	17	170000	–	–
32.	पश्चिम बंगाल	10	50000	7	70000	–	–
	कुल	270	1350000	180	1800000	19	190000

कीटनाशी दवाओं के उपयोग के कारण वन्य जीवों की मृत्यु

2172. **श्री मंजय लाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष उत्तर बंगाल में अनेक वन्य जीव जिनमें कम से कम दस तेंदुए और दस हाथी भारी मात्रा में कीटनाशी दवाओं, जो अपजल के माध्यम से चाय के बागानों से होते हुए सुरक्षित वनों और अभयारण्यों से होकर बहते हुए नदियों तक रिसता है, के उपयोग के कारण मर गए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष चाय के बागानों में 4 तेंदुओं की मृत्यु, उनकी शव परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार संदेहास्पद विष द्वारा हुई है। इस कारण से किसी हाथी की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज करा दी गई है और पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ जारी है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए टी एस्टेट एरिया में सतर्कता को सक्रिय कर दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि को खातों में जमा न करना

2173. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लगभग तीन वर्षों से लाखों निजी अंशदाताओं के खातों में धनराशि जमा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस चूक हेतु कितने व्यक्ति जिम्मेवार पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली विकसित कर ली गई है कि कर्मचारियों का अंशदान और उस पर ब्याज प्रतिमाह उनके खातों में जमा हो जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) संगठन ने प्रत्येक सदस्य के लेखे की अद्यतीकरण की जांच

कराने के लिए एक आंतरिक कम्प्यूटरीकृत सत्यापन प्रणाली शुरू की थी। इस सत्यापन के माध्यम से सदस्यों के खाते के अद्यतीकरण के बही-लेखन में कई जगह कमियां देखी गई हैं जिसके संबंध में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

इसमें अनियमितता, उपेक्षा या धोखाधड़ी का मामला नजर नहीं आया और न ही कोई वित्तीय बोझ आया है। निधि या सदस्यों को कोई घाटा नहीं हुआ है।

सुधारात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कम्प्यूटरीकृत सत्यापन के तहत जिन 40,92,996 निजी खातों की पहचान की गई थी उन्हें अद्यतीकृत किया जा चुका है और संबंधित सदस्यों को लेखा पर्चियां भेजी जा चुकी हैं। मासिक अंशदान के समय से धनप्रेषण की निगरानी करने के लिए, एक विशेष कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित करके संचालित किया गया है। यह साफ्टवेयर अंशदान आगम की निगरानी करता है, त्रुटियों की पहचान करता है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संकेत देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंशदान का धनप्रेषण तुरंत सदस्य के खाते में पोस्ट किया जाए और खातों को अद्यतन रखा जाए इसके लिए भी एक अलग साफ्टवेयर रखा गया है।

गंगा नदी की गाद निकालना

2174. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार फरक्का बांध प्राधिकरण को गंगा नदी में फरक्का बांध की ऊपरी धारा में गाद निकालने और खंड सं. 28 और 29 के निर्माण का कार्य करना था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन दो बड़े कार्यों पर फरक्का बांध प्राधिकरण द्वारा क्या प्रगति की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी सलाहकार समिति की अनुवर्ती बैठकों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला द्वारा मानकचक्र पर गंगा के बायें तट में 28 कि.मी. औ 29 कि.मी. प्रतिप्रवाह पर दो स्पर मुहैया कराने संबंधी किए गए माडल अध्ययनों के परिणामों में दक्षता पर फलो चैनल के अनुकूल विकास को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया था कि सिफारिश किए गए अनुसार, तलकर्षण कार्य शुरू करने के बजाए, नए चैनल के विकास की देख-रेख की जाए।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

2175. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्रति व्यक्ति औसत कितने टेलीफोन उपलब्ध हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन की उपलब्धता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। महाराष्ट्र के जिला नासिक में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन की उपलब्धता क्रमश: 10.54 और 0.76 है।

विवरण

प्रति 100 व्यक्ति राज्य-वार टेलीघनत्व

क्र.सं.	सर्किल	शहरी टेलीघनत्व	ग्रामीण टेलीघनत्व
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	14.56	5.24
2.	आंध्र प्रदेश	9.84	1.53
3.	असम	9.70	0.27
4.	झारखंड	4.70	0.21
5.	बिहार	3.23	0.19
6.	गुजरात	12.01	1.61
7.	हरियाणा	11.74	1.59
8.	हिमाचल प्रदेश	25.81	3.51
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6.85	0.14
10.	कर्नाटक	10.46	1.86
11.	केरल	12.46	5.48
12.	मध्य प्रदेश	7.11	0.40
13.	छत्तीसगढ़	4.60	0.20
14.	महाराष्ट्र	13.29	1.47

1	2	3	4
15.	उत्तर-पूर्व-I	7.30	0.64
16.	उत्तर-पूर्व-II	5.86	0.58
17.	उड़ीसा	6.70	0.53
18.	पंजाब	15.90	2.84
19.	राजस्थान	7.71	0.90
20.	तमिलनाडु	15.35	0.43
21.	उत्तरांचल	10.62	0.83
22.	उत्तर प्रदेश	6.02	0.32
23.	पश्चिम बंगाल	8.28	0.52
24.	दिल्ली	18.72	–

टिप्पणी:-

1. उत्तर पूर्व-I में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
2. उत्तर पूर्व-II में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं।
3. पश्चिम बंगाल में कोलकाता दूरसंचार जिला और सिक्किम शामिल हैं।
4. तमिलनाडु में चेन्नई दूरसंचार जिला और पांडिचेरी शामिल हैं।
5. महाराष्ट्र में गोवा तथा मुंबई दूरसंचार जिला शामिल हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-58 को चार लेनों वाला बनाना

2176. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** 8.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6351 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जाएगा;

(घ) राजमार्ग प्राधिकारियों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व क्या हैं और ये किस हद तक पूरे किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या राज्यों में विशेषकर बिहार में कृषि उपज की द्रुत ढुलाई के लिए और राजमार्ग और पुल बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी हां। रा.रा. 58 के 18.50 कि.मी. लंबाई में 130.78 लाख रु. की लागत से माध्यिका के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजमार्ग प्राधिकरणों की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि विकास और अनुरक्षण कार्य निर्धारित विनिर्देशों और समुचित गुणता नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं तथा उन्हें लक्ष्यानुसार पूरे किए जाते हैं। यद्यपि कार्यों को नियत समय पर पूरा करने के सभी प्रयास किए जाते हैं, तथापि कुछ मामलों में अधिक समय लग जाता है और लागत बढ़ जाती है।

(ङ) और (च) यह मंत्रालय, मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वार्षिक योजना 2001-2002 में 83.50 करोड़ रु. रखे गए हैं जिनमें 20.00 करोड़ रु. पुलों के लिए शामिल हैं।

मध्य प्रदेश को धनराशि प्रदान करना

2177. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक मध्य प्रदेश को सिंचाई के प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) प्रयुक्त और अप्रयुक्त धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) मध्य प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक सिंचाई के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गयी केन्द्रीय ऋण सहायता और इसके उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी की गई राशि में अप्रयुक्त केन्द्रीय ऋण सहायता
81.250	95.325	151.328	35.00	39.671

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम मानकों के अनुसार, किसी विशेष वर्ष में धनराशि तब जारी की जाती है, जबकि पिछले वर्ष जारी की गई राशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है। 1.4.2001 को अप्रयुक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा कार्य मौसम में जुलाई, 2001 तक प्रयुक्त की जा रही है।

डब्ल्यू.एल.एल. उपकरण

2178. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयातित वायरलैस इन लोकल लूप उपकरण पर बराबर का शुल्क समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) फिलहाल आयातित वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर पर प्रति शुल्क हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों द्वारा घरेलू विमान सेवाएं शुरू करना

2179. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन सेक्टरों का ब्यौरा क्या है जहां ये ऑपरेटर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं; और

(ग) उनके द्वारा कितना किराया और शुल्क लिया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी हां। वैध प्रचालन परमिट धारी गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। गैर-अनुसूचित (चार्टर) ऑपरेटर अपने बेहतर वाणिज्यिक विवेक के आधार पर देश में किसी भी मार्गों/स्थानों के लिए अपनी सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) गैर-अनुसूचित ऑपरेटर अपने किरायों में सामंजस्य रखते हैं चूंकि व समय-समय पर मार्केट के साथ तालमेल करते हैं।

विवरण

गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों की सूची

1. एसीई एयरवेज प्रा.लि.
2. एरियल सर्विसेज प्रा.लि.
3. अग्नि एयरोस्पोर्ट्स ऐडवेंचर एकेडमी प्रा.लि.
4. अहमदाबाद एविएशन एकेडमी लि.
5. एयरवर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्रा.लि.
6. एशिया एविएशन
7. अजल इंडिया प्रा.लि.
8. ब्ल्यू डार्ट एविएशन लि. (कार्गो)
9. सेन्चूरी टेक्सटाइल्स तथा इंडस्ट्रीज लि.
10. दक्कन एविएशन प्रा.लि.
11. द्वारका एयर टैक्सी
12. एस्कोर्ट्स लि.
13. ईस्ट इंडिया होटल्स, दि ओबराय
14. राजस्थान सरकार
15. ग्रेट ईस्टर्न शीपिंग कंपनी

16. हिन्दुस्तान इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी
17. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज
18. इंडो-पैसिफिक एविएशन
19. जैग्सन एयरलाइंस
20. जे के कार्पोरेशन लि.
21. कुद्रेमुख आइरन ओर को. लि.
22. मल्होत्रा हेलीकॉप्टर्स
23. मेगापोड़ एयरलाइंस
24. मेस्को एयरलाइंस लि.
25. ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल
26. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.
27. राजपुताना एविएशन एकेडमी प्रा.लि.
28. रेमण्ड्स लि.
29. रिलायंस ट्रांस्पोर्ट एण्ड ट्रेवल्स लि.
30. सहारा इंडिया एयरलाइंस
31. सारया एविएशन प्रा.लि.
32. स्पान एयर प्रा.लि.
33. तनेजा एयरोस्पेस एण्ड एविएशन लि.
34. टाटा टी लि.
35. ट्रांस भारत एविएशन
36. यू.बी. एयर
37. उत्तर प्रदेश एयरवेज
38. वायुदूत ट्रैवल सर्विसेज

वर्दी घोटाला

2180. **डा. बलिराम:**
कुंवर अखिलेश सिंह:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में करोड़ों रुपए का वर्दी घोटाला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उस सरकारी विभाग का नाम क्या है जिसने वही कपड़ा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा खरीदे गए कपड़े से सत्तर रुपए कम कीमत पर खरीदा है;

(घ) वर्दी की खरीद/इसे जारी करने के लिए क्या मानदंड/मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को वर्दी न देने के क्या कारण हैं; और

(च) कर्मचारियों को वर्दी कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सी बी आई ने सर्किल स्टोर डिपो, नेताजी नगर, नई दिल्ली में दिनांक 10.07.2001 को एक आकस्मिक जांच की है तथा वर्दी हेतु कपड़े के कुछ नमूने और निविदा फाइलों की फोटो प्रतियां ली है।

(ग) मालूम नहीं है।

(घ) *ग्रीष्म कालीन वर्दी*

प्रथम वर्ष अर्थात् 1999 में 3 सेट

आने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 2 सेट

शीतकालीन वर्दी

प्रथम वर्ष अर्थात् 1999 में 2 सेट

आने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 1 सेट

चमड़े के जूते

प्रथम वर्ष अर्थात् 1999 में 2 जोड़े जूते

आने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 1 जोड़े जूते

खरीदी खुली निविदा के माध्यम से तथा यथा अनुमोदित विनिर्देशन के अनुसार की जाती है।

(ङ) और (च) समूह ''ग'' और ''घ'' स्टाफ को एम टी एन एल में आमेलित करने के पश्चात् ये वर्दियां पहली बार

वितरित की जा रही हैं। वर्ष 1999 और 2000 के लिए वर्दियां खरीदने का कार्य प्रक्रियाधीन है और स्टाफ को वर्दियां शीघ्र ही उपलब्ध करायी जाएगी।

[अनुवाद]

इंदौर विमानपत्तन का विस्तार

2181. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदौर में विमानपत्तन के विकास और विस्तार हेतु भूमि अधिगृहीत कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए अब तक कितनी धनराशि निर्धारित और खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार करने के लिए इसे सभी अवरोधों से मुक्त करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नि:शुल्क दिए जाने के लिए 150 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

विदेशों में अप्रवासी

2182. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में अप्रवासी विदेशों में गैर औपचारिक क्षेत्रों में और चालू घरेलू कार्यों में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अप्रवासियों की अवैध आवाजाही की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए; और

(ङ) सरकार द्वारा अवैध आवाजाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित संख्या में कर्मकारों को विदेशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास अनुमति प्रदान की गई थी:-

1998	:	3.55 लाख
1999	:	1.99 लाख
2000	:	2.43 लाख

(ग) से (ङ) बेईमान एजेन्टों/व्यक्तियों के माध्यम से प्रवास हेतु आवागमन से संबंधित छुटपुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-पंजीकृत एजेन्टों/व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, गैर-पंजीकृत भर्ती एजेन्ट/व्यक्ति को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और दिया गया उत्तर विश्वसनीय न पाये जाने पर संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन कार्रवाई चलाने के लिए कहा जाता है। ऐसी एजेन्सियों के क्रियाकलापों पर प्रतिबंधन लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे ऐसी एजेन्सियों के क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी रखने लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक कार्रवाई कराये।

विवरण

1998-2000 के दौरान, वर्ष-वार, राज्य-वार गैर-पंजीकृत एजेन्टों/व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों की संख्या

राज्यों के नाम		1998 शिकायतों की संख्या	1999 शिकायतों की संख्या	2000 शिकायतों की संख्या
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	03	02	02
2.	असम	–	01	–
3.	बिहार	–	–	01
4.	दिल्ली	15	21	17
5.	गोवा	01	–	01
6.	हरियाणा	–	01	02
7.	गुजरात	–	–	02

1		2	3	4
8.	कर्नाटक	01	01	–
9.	केरल	09	18	11
10.	महाराष्ट्र	18	32	29
11.	पंजाब	04	04	07
12.	राजस्थान	03	07	03
13.	तमिलनाडु	03	11	07
14.	उत्तर प्रदेश	01	–	02
15.	पश्चिम बंगाल	–	03	–
	योग	58	101	84

[अनुवाद]

क्योंझर के आसपास उपमार्ग का निर्माण

2183. श्री अनन्त नायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले से होकर गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के निर्बाध संचालन हेतु पर्याप्त संपर्क सड़कें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्योंझर टाउन के पास उपमार्ग सड़कें बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संपर्क सड़क राज्य का विषय है। यह मंत्रालय संपर्क सड़कों को विकसित करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(ग) क्योंझर टाउन के आस-पास बाइपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेफाइट आरक्षित क्षेत्र

2184. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार ग्रेफाइट के कुल कितने आरक्षित क्षेत्र हैं;

(ख) क्या ग्रेफाइट की मौजूदा खानों में से कुछ खानें गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को पट्टे पर दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ग्रेफाइट की खानों के उचित दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 1.4.1995 को ग्रेफाइट के कुल प्राप्य निक्षेप 4579476 टन हैं। 1.4.1995 को ग्रेफाइट के राज्य-वार निक्षेप निम्नवत हैं:

राज्य	निक्षेप (टन में)
आंध्र प्रदेश	219128
बिहार	389678
गुजरात	16644
कर्नाटक	262500
केरल	533262
मध्य प्रदेश	10128
महाराष्ट्र	870000
उड़ीसा	1353444
राजस्थान	501776
तमिलनाडु	422916

(ख) और (ग) 1999-2000 के दौरान, 40 ग्रेफाइट खानों ने उत्पादन किया जाना सूचित किया तथा उत्पादन का 82 प्रतिशत निजी क्षेत्र की खानों द्वारा किया गया जिनमें मैसर्स टीपी मिनरल्स लिमिटेड, डायमंड ग्रेफाइट इन्डस्ट्रीज, प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रभास चन्द्र अग्रवाल, के.के. पोद्दार, नटवर लाल अग्रवाल, मुहम्मद जफरूल्ला आदि द्वारा धारित खनन पट्टों का उत्पादन शामिल था।

(घ) ग्रेफाइट सहित खनिजों के संरक्षण एवं क्रमबद्ध विकास तथा पर्यावरणात्मक सुरक्षा के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 के तहत खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 1988 तैयार की गई है। आई बी एम की मार्फत केन्द्र सरकार द्वारा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली की निगरानी की जाती है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन प्रचालन चलाए जाते हैं। भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर, निरीक्षण की मार्फत, खनन योजना निर्धारण के अनुपालन की जांच की जाती है। अनियमितताओं की स्थिति में, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा एमसीडीआर के समुचित प्रावधानों के तहत, अनुपालन सुधार के लिए, उनका उल्लेख किया जाता है।

पेजिंग उद्योग

2185. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेजिंग उद्योग को वही राहत देने का है जो राहत सेल्युलर उद्योग को लाइसेंस शुल्क घटाकर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किस सीमा तक राहत दी गई है;

(ग) इस राहत के कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) मौजूदा ऑपरेटरों की समस्याओं के समाधान के लिए नई दूरसंचार नीति-1999 में की गई परिकल्पना तथा निश्चित लाइसेंस शुल्क प्रणाली से राजस्व भागीदारी की व्यवस्था में माइग्रेशन जैसे मुद्दों के संबंध में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता संबंधी दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने रेडियो पेजिंग उद्योग का एक स्वतंत्र अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। इस समय प्रशुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) इस उद्योग की सुव्यवस्था के लिए अध्ययन कर रहा है।

पेजरों के लिए सीमा शुल्क को 31 अगस्त, 2000 से 15% से 5% करके सेल्यूलर मोबाइल फोनों के बराबर ला दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ता 100/- रुपए का डब्ल्यू पीसी प्रभार 1 अगस्त, 1999 से माफ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

शारदा नदी परियोजना

2186. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में शारदा नदी परियोजना में निष्पन्दन के कारण फसलों की तबाही की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) "सिमेज एवं बांध निर्माण किसान समिति" लखीमपुर-खीरी, से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को संबोधित तथा केन्द्रीय जल आयोग सहित अन्य को संबोधित एक अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। इस समिति ने गिरिजा बैराज और शारदा बैराज से निकलने वाली पोषक चैनल को जोड़ने वाली संपर्क चैनल के दोनों किनारों पर होने वाले रिसाव के परिणामस्वरूप फसल को पहुंची क्षति तथा अन्य नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजें की मांग की है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बांध/बैराजों तथा नहर प्रणालियों सहित सिंचाई परियोजनाओं की योजना, वित्त पोषण, निष्पादन तथा रख-रखाव करना राज्य सरकार का प्राथमिक कार्य है जिसे राज्य सरकार अपने संसाधनों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, शारदा नदी परियोजना के रिसाव के कारण 17,929 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फीडर चैनलों में 7.1 कि.मी. से 99.00 कि.मी. संपर्कों (चैनेज) और उच्च पुलों (रिचेज) को पक्का कर दिया है तथा इन समस्याओं से निपटने के वास्ते नहर कमानों में जल निकास प्रणाली में भी सुधार किया है।

[अनुवाद]

लीलाबाड़ी में यातायात नियंत्रण भवन का निर्माण

2187. श्रीमती रानी नरह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लखीमपुर जिले में लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर यातायात नियंत्रण भवन के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर विमान यातायात नियंत्रण भवन के निर्माण कार्य के इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। राज्य सरकार द्वारा पत्थर की खुदाई पर प्रतिबंध लगाने तथा क्षेत्र में अशांत परिस्थितियों के कारण कार्य के आरंभिक चरण में प्रगति पर बाधा आई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ठेकेदार के कार्य निष्पादन में कड़ी निगरानी करके और निर्माण कार्य को तेजी से निपटाने में लगातार कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

उड़ीसा की क्रोम अयस्क खानें

2188. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में क्रोम अयस्क की कितनी खानें हैं और इन खानों में अयस्क का अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) ये खानें निजी क्षेत्र की किन कम्पनियों को पट्टे पर दी गई हैं और इन कंपनियों से सरकार को कितनी वार्षिक रायल्टी प्राप्त होती है; और

(ग) निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इस क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उड़ीसा में, वर्ष 2000-2001 के दौरान, 16 क्रोम अयस्क खानों ने उत्पादन किया जाना सूचित किया था जिनमें से 10 निजी क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र की वे कम्पनियां, जिन्हें खानें पट्टे पर दी गई हैं, वे हैं बीसी मोहन्ती एंड सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, फैरो एलायज कारपोरेशन लिमिटेड (तीन खनन पट्टे), इंडियन चार्ज क्रोम लि., इंडियन मैट्ल्स एंड फैरो एलायज लि. (तीन खनन पट्टे), मिसरीलाल माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.। उड़ीसा में क्रोम के कुल प्राप्य निक्षेप 83.6 मिलियन टन हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, खनन पट्टों सहित खनिज रियायतें, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किसी कम्पनी या किसी भारतीय नागरिक को दी जाती हैं। क्रोमाइट सहित खनिजों के लिए दिये गए खनन पट्टों के संबंध में रायल्टी राज्य सरकारें वसूल करती हैं। इन खानों से राज्य सरकारों को मिलने वाली रायल्टी या निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सृजित रोजगार अवसरों का ब्यौरा केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता है।

ग्राम-पंचायतों में तार-सुविधा

2189. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामदास आठवले:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी ग्राम-पंचायतों में तार की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक ग्राम-पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) देश में 32,009 ग्राम-पंचायतों में तार-सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक ग्राम-पंचायत में तार-सुविधा प्रदान करने हेतु विभाग की कोई नीति नहीं है। मांग और औचित्य के अनुसार तार-सुविधा प्रदान की जाती है।

हैदराबाद के लिए सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ानें

2190. श्री एन.आर.के. रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हैदराबाद के लिए अपनी वायु सेवाएं शुरू करने हेतु अनुमति के लिए सिंगापुर एयरलाइंस से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) हैदराबाद हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने के बाद सिंगापुर एयरलाइन्स ने हैदराबाद के लिए/वहां से

विमान सेवा प्रचालित करने की इच्छा जताई है। सरकारी स्तर पर ऐसे अनुरोधों पर तब विचार किया जाता है जब द्विपक्षीय विमान सेवा सहमति-पत्रों पर बातचीत की जाती है।

मैडल विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार

2191. **श्री के.एच. मुनियप्पा:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कभी किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग का दोषी पाए जाने के बावजूद ''अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में मैडल विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार'' की योजना के अन्तर्गत कोई लाभ/अनुदान/पदोन्नति उपलब्ध कराई है या अपनी विभिन्न अन्य योजनाओं के अधीन कोई भूखंड, भूमि यो कोई दूसरा लाभ उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो ये खिलाड़ी कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) ''अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कारों'' की योजना के अंतर्गत, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे कि ओलम्पिक एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों तथा सरकारी विश्व, एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिपों में उनके प्रदर्शन को मान्यता देने तथा भोजन और प्रशिक्षण पर हुए खर्चे तथा साथ ही साथ खेलों के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के कारण उनको हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

पहले से ही पुरस्कृत, खिलाड़ियों को, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान या उनके पश्चात् किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा किए गए डोपिंग परीक्षण में प्रभावयुक्त नहीं पाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्मारक डाक-टिकट जारी किया जाना

2192. **श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा डॉ. सी.आर. रेड्डी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) डॉ. सी.आर. रेड्डी पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ और इस प्रयोजन से निर्धारित मार्गनिर्देशों के मद्देनजर इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया। यह प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ।

स्पैक्ट्रम का आबंटन

2193. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आबंटन की प्रक्रिया से पूर्व फिक्स्ड सर्विस प्रदाताओं (एफ.पी.एस.) के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर स्पैक्ट्रम के आबंटन के मामले में कानूनी सलाह मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी मंत्री-समूह ने इस विषय पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की मौजूदा स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी नहीं। यहां तक कि पूर्व में भी फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम का आबंटन आवेदन-पत्रों के प्राप्त होते ही उनकी कार्रवाइयों पर आधारित रहा है। स्थिर सेवा प्रदाताओं के मामले में, स्पैक्ट्रम का वास्तविक आबंटन चरणवार किया जाएगा जो विशिष्ट रूप से कार्य-निष्पादन से जुड़ा होगा और निर्धारित फीस का भुगतान करने पर किया जाएगा। इसलिए, कानूनी परामर्श लेने का प्रश्न नहीं उठा।

(ग) जी, हां।

(घ) इन मामलों पर दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी कन्वरजेन्स (जीओटी-आईटी) संबंधी दल की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई है।

गंगा नदी द्वारा अपरदन

2194. **श्री थामस हंसदा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के साहिबगंज जिले के चांदीपुर सरकंडा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में गंगा नदी के कारण गंभीर अपरदन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अपरदन से कितने गांव प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र के प्रभावित इलाकों की अपरदन से सुरक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रेरणात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक स्वरूप में सहायता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गंभीर कटाव समस्या का आकलन करने के लिए अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय दल की रिपोर्टें (जनवरी, 2000) में गंगा नदी के दायां तट के सरकंडा-शोभापुर भाग पर कटाव समस्या की पहचान की गई। केन्द्र सरकार को साहिबगंज जिला के चांदीपुर सरकंडा में गंगा नदी द्वारा हो रहे गंभीर कटाव से रिपोर्ट में उल्लिखित इस क्षेत्र का बचाव करने संबंधी कोई प्रस्ताव झारखंड सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदूषणकारी फैक्टरियां और तेल शोधक कारखानें

2195. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र की सीमेंट फैक्टरियां और तेल शोधक कारखाने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी फैक्टरियों में प्रदूषण नियंत्रक संयंत्रों की स्थापना की गई और इनकी स्थापना पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) कौन-कौन सी फैक्टरियों और तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जानी है; और

(घ) इन फैक्टरियों में प्रदूषण नियंत्रक संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) देश में 113 बड़े सीमेंट प्लांट और 15 तेल शोधक कारखाने हैं। 113 सीमेंट प्लांटों में से 109 प्लांटों में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण मौजूद है। एक प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जा रहा है और तीन प्लांट बंद पड़े हैं। सभी तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जा चुके हैं।

एक अनुमान के अनुसार एक मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक सीमेंट प्लांट के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की लागत लगभग 15 करोड़ रुपए आती है। इस तरह 110 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के सीमेंट सैक्टर द्वारा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं पर खर्च होने वाली राशि लगभग 1650 करोड़ रुपये होगी।

तेल शोधक कारखानों के नाम व प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए उन पर खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	तेल शोधक कारखाने का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लि., विशाखापत्तनम	601.25 करोड़ रुपये
2.	भारत पेट्रोकेमिकल्स लि., मुंबई	629.81 करोड़ रुपये
3.	चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स लि., चेन्नई	569.50 करोड़ रुपये
4.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., बरौनी	53.00 लाख रुपये

(ग) और (घ) एक सीमेंट प्लांत अर्थात् जम्मू कश्मीर सीमेंट लि., में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जा रहा है। सभी नए सीमेंट प्लांटों और तेल शोधक कारखानों द्वारा अपना उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना आवश्यक है।

एशियाई श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

2196. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2001 में कुआलालम्पुर में आयोजित किए गए एशियाई श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अपनी पर्यवेक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सम्मेलन में चर्चा के लिए उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) कुआलालम्पुर में 10-11 मई, 2001 को आयोजित 15वीं एसियान (एशियाई नहीं) श्रम मंत्रियों की बैठक में अं.श्र.सं. के पर्यवेक्षीय तंत्र की समीक्षा, विशेषकर पर्यवेक्षीय निकायों के सदस्यों के चयन, मानक लागू करने संबंधी विशेषज्ञों की समिति में अलग-अलग मामलों के चयन के मानदंडों की पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के संबंध में तथा अनुसमर्थित अभिसमयों के अनुपालन की व्याख्या के संबंध में एशिया और पैसिफिक समूह (जिसका भारत सदस्य है) द्वारा किए गए आह्वान का समर्थन किया गया था। बैठक में जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें एसियान देशों में वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव पूर्वी एशिया सहयोग, एसियान में व्यवसायों को एक जैसी मान्यता देने पर फिलिपीन्स की प्रस्तावित पहल इत्यादि शामिल थे।

बांग्लादेश में टी.एस.आई.एल. की सेवाएं

2197. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) द्वारा बांग्लादेश में बुनियादी सेवाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना का कुल कारोबार कितना है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान टी.सी.आई.एल. द्वारा किन-किन देशों में टेलीकॉम सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वर्ल्डटेल ने बांग्लादेश में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने संबंधी निविदा में भाग लिया और टीसीआईएल तथा एमटीएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद टीसीआईएल तथा एमटीएनएल की सहायता से बोली लगाई। तथापि वर्ल्डटेल इस कार्य को कर रहा है और इस परियोजना के लिए टीसीआईएल से पुन: संपर्क नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) राजस्थान, भारत में जीएसएम सेवाएं जेवी के माध्यम से पहले से ही प्रदान की जा रही हैं जिसमें टीसीआईएल 30% का बराबर हिस्सेदार है। केन्या और नेपाल में लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ सुविधा

2198. श्री जय प्रकाश: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर हरदोई जिले में आईएसडी/एसटीडी/पीसीओ सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आईएसडी/एसटीडी/पीसीओ सुविधा उसी क्षेत्र अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित एक्सचेंज से प्रदान की जाती है। यदि कोई पात्र फ्रेंचाइजी पीसीओ स्थापित करना चाहता है और यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है तो पीसीओ स्थापित कर दिया जाता है। गांवों को कवर करने के लिए अधिकतर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाते हैं और जब कभी भी इन वीपीटी पर आईएसडी/एसटीडी/पीसीओ सुविधा के लिए अनुरोध प्राप्त होता है और यदि वे तकनीकी रूप से व्यवहार्य होते हैं तो यह सुविधा प्रदान कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के 79292 गांवों को वीपीटी प्रदान कर दिए गए हैं। शेष 20010 गांवों को वीपीटी अभी प्रदान किए जाने हैं। हरदोई जिले में 1883 गांवों में से 1578 गांवों को वीपीटी प्रदान कर दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2002 तक सभी गांवों को वीपीटी प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।

बाल खेलों का विकास

2199. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल खेलों के विकास हेतु सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बाल स्टेडियम का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिया जाएगा?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन **राधाकृष्णन**): (क) से (ग) ''खेल'' राज्य का विषय है। मुख्य रूप से, यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का सृजन करे। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी योजनाओं के अंतर्गत, स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स के निर्माण के लिए सहायता

2200. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के बंगलौर स्थित बी एम एस शैक्षिक ट्रस्ट में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव पर कब तक विचार कर लिये जाने की संभावना है और इसके लिए राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां। ट्रस्ट का प्रस्ताव, उनके बी.एम.एस. इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर में इन्डोर हाल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए है।

(ख) से (घ) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था उसमें कमियां पायी गयी थीं। दिनांक 31.7.2001 को कालेज को कमियां सुधारने और इस मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

[हिन्दी]

टेलीकॉम विकास परिषद्

2201. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र के विकास के लिए टीलकाम विकास परिषद् का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) इस परिषद् की रचना और इसके ब्यौरों के उल्लेख संबंधी राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2001/माघ 24, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2001

का.आ. 126 (अ).- केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए दूरसंचार सेक्टर के लिए विकास परिषद् स्थापित करती है और उक्त परिषद् के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करती है। विकास परिषद् दूरसंचार विनिर्माण सेक्टर और सेवा सेक्टर की वृद्धि के लिए मानकों की सिफारिशें करेगी।

1. सचिव, भारत सरकार और अध्यक्ष,
दूरसंचार विभाग, अध्यक्ष
20- अशोक मार्ग संचार भवन
नई दिल्ली-110001

2. सचिव, भारत सरकार
सूचना तकनीकी मंत्रालय
इलेक्ट्रानिक्स निकेतन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड
नई दिल्ली। — सदस्य

3. सचिव, भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली। — सदस्य

4. सचिव, भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग,
बंगलौर। — सदस्य

5. सदस्त, (वित्त)
दूरसंचार आयोग
दूरसंचार विभाग
20-अशोक मार्ग, संचार भवन
नई दिल्ली-110001 — सदस्य

6. सदस्य (उत्पादन)
दूरसंचार आयोग
दूरसंचार विभाग
20-अशोक मार्ग, संचार भवन
नई दिल्ली-110001 — सदस्य

7. सदस्य (तकनीकी)
दूरसंचार आयोग
दूरसंचार विभाग
20-अशोक मार्ग, संचार भवन
नई दिल्ली-110001 — सदस्य

8. अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक,
भारत संचार निगम लिमिटेड
चतुर्थ तल, संचार भवन
20-अशोक मार्ग, संचार भवन
नई दिल्ली-110001 — सदस्य

9. निदेशक (अनुसंधान और विकास)
प्रधानमंत्री कार्यालय,
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली। — सदस्य

10. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
विदेश संचार निगम लिमिटेड
विदेश संचार भवन,
महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट
मुंबई-400001 — सदस्य

11. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
जीवन भारती बिल्डिंग, 12वां तल
124, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001 — सदस्य

12. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
आईटीआई लिमिटेड,
45/1 मैगर्थ रोड,
बंगलौर-560025 — सदस्य

13. कार्यपालक निदेशक,
टेलिमेटिक्स विकास केन्द्र
9वां तल, अकबर भवन,
चाणक्य पुरी,
नई दिल्ली-110021 — सदस्य

14. अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ
कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110001 — सदस्य

15. अध्यक्ष
कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज
(सीआईआई),
23-26 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 — सदस्य

16. अध्यक्ष
एसोचेम,
11, सामुदायिक केन्द्र,
जमरूदपुर, नई दिल्ली-110048 — सदस्य

17. अध्यक्ष
टेलिकॉम इक्विपमेंट मेनुफेक्चर्स,
एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
पीएचडी हाउस, चतुर्थ तल,
रामकृष्ण डालमिया खंड,
एशियन गेम्स गांव के सामने,
नई दिल्ली-110016 — सदस्य

18. अध्यक्ष,
एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलिकॉम,
आपरेटर्स (एबीटीओ),
बी-601, गौरी सदन, 5, हेली रोड,
नई दिल्ली-110001 — सदस्य

19. अध्यक्ष, सदस्य
सेलुलर आपरेटर्स एसोसिएशन
ऑफ इंडिया (सीओएआई),
एफ-301, गौरी सदन
5, हेली रोड,
नई दिल्ली-110001

20. अध्यक्ष सदस्य
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन
आफ इंडिया (आई एस पी ए आई),
बी-12, द्वितीय तल, कालिंदी कालोनी,
नई दिल्ली-110065

21. अध्यक्ष, सदस्य
नेशनल एसोसिएशन आफ साफ्टवेयर
एण्ड सर्विस कंपनीज,
(एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम.),
नेहरू युवा केन्द्र चाणक्य पुरी,
नई दिल्ली।

22. आचार्य पी.वी. इन्दिरेसन, सदस्य
पूर्व-निदेशक (भारतीय तकनीकी संस्थान,
नई दिल्ली)
बी-57 हिलव्यू अपार्टमेंट्स
बसंत विहार,
नई दिल्ली-110057

23. आचार्य अशोक झुनझुनवाला, सदस्य
आचार्य और प्रमुख,
टेलिमेटिक्स एण्ड आप्टीकल
काम्यूनिकेशन प्रयोगशाला,
विद्युत इंजीनियरिंग विभाग,
भारतीय तकनीकी संस्थान मद्रास,
चेन्नई-600086

24. श्री एन.आर. नारायणमुर्ति, सदस्य
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
इनफोसिस टेक्नालाजिस लिमिटेड,
इलेक्ट्रानिक सिटी होसुर रोड
बंगलौर-561229

25. अपर सचिव (टी), सदस्य सचिव
दूरसंचार आयोग,
दूरसंचार विभाग
20-अशोक रोड, संचार भवन,
नई दिल्ली-110001

[फा.सं. 1 (1) 2000-आईपी]
एम.एस. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

[अनुवाद]

गोदावरी जल के दोहन के लिए योजना

2202. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने गोदावरी जल के दोहन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार समस्या पर ध्यान केंद्रित करे तो केन्द्र सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है;

(ग) यदि हां, तो क्या गोदावरी जल के उपयोग के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से धनराशि प्राप्त हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जून, 1999 में गोदावरी नदी के जल संसाधनों के उपयोग के लिए एक योजना तैयार की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जहां तक गोदावरी जल के उपयोग के लिए विभिन्न विश्वव्यापी संगठनों से वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के पूरा होने का प्रश्न है, यह अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्रवाइयां जैसे-प्रत्येक परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने तथा विदेशी वित्त पोषण अभिकरणों द्वारा ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति योग्य पाये जाने के अलावा योजना आयोग आदि से निवेश स्वीकृति प्राप्त करने पर लगने वाले समय पर निर्भर करता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हैंगरों और भूमि को पट्टे पर देना

2203. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न कम्पनियों को भूमि/हैंगरों को पट्टे पर आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भूमि और हैंगर आवंटन के लिए कुछ कंपनियों के अनुरोध लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन अनुरोधों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने कोलकाता की 9 कंपनियां, मुम्बई की 5 कंपनियां, दिल्ली की 15 कंपनियां, चेन्नई की 2 कंपनियां और तिरूवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एक कंपनी को भूमि/विमानशाला स्थान आवंटित किया है। जहां तक घरेलू हवाई अड्डे की बात है, उत्तरी क्षेत्र में हवाई अड्डों पर 14 कंपनियां, पूर्वी क्षेत्र में हवाई अड्डों पर 3 कंपनियां, पश्चिमी क्षेत्र में 32 कंपनियां, दक्षिणी क्षेत्र में 11 कंपनियां और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 कंपनियों को भूमि/विमानशाला के लिए स्थान आवंटित किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। भूमि/विमानशाला स्थान के आवंटन के लिए एयरलाइन/आपरेटर की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, अनुरोध पर विचार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् आवंटन किया जाता है। लंबित पड़े अनुरोध पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है और उपयुक्त भूमि तथा विमानशाला के लिए स्थान की उपलब्धता होने पर भूमि आवंटित की जाएगी। विमानशाला स्थान तथा भूमि आवंटन के बारे में क्रमशः तीन महीने और छः महीने में निर्णय लिए जाने की संभावना है।

श्रम मानक

2204. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में श्रम स्तरों के लिए निर्धारित किये गये विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों पर खरा उतरने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दबाव है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) श्रम मानकों के लिए विश्व व्यापार संगठन के कोई मानदण्ड नहीं हैं। तथापि, 1996 में सिंगापुर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के प्रथम मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन तथा 1999 में सिएटल में आयोजित तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कुछ विकसित देशों द्वारा व्यापार को श्रम मानकों के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया था। भारत सहित विकासशील राष्ट्र दोनों ही सम्मेलनों में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार को श्रम-मानकों के साथ जोड़ जाने के समावेश का विरोध करने में सफल रहे। तथापि, कुछ विकसित राष्ट्रों में कुछ बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित कुछ विदेशी निर्यातकों ने उपभोक्ताओं की ओर से दबाव के कारण स्पष्ट रूप से अपने निर्यातकों से यह प्रमाण देने की मांग शुरू कर दी है कि उन्हें निर्यात किए जाने वाले माल को श्रम-मानकों का पालन करके उत्पादित किया गया है। श्रम मानकों को व्यापार के साथ जोड़े जाने का विरोध करते हुए भारत, कर्मकारों के कल्याण हेतु श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने के प्रति पूर्णरूपेण कृतसंकल्प है।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अधिनियम, 1948 में संशोधन

2205. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस प्रकार के संशोधन से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है और इससे कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में आमूल-चूल परिवर्तन करने का इरादा नहीं है। तथापि, प्रचालन संबंधी कठिनाइयों और कमियों को दूर करने तथा कुछ लाभों के प्रशासन में कतिपय शर्तों को उदार बनाने के लिए कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क और मैंगनीज के भंडार

2206. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां लौह अयस्क और मैंगनीज के भंडार पाए गए हैं; और

(ख) इन खनिजों का उत्खनन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के 21.136 मिलियन टन के सत्यापित निक्षेप मुख्यत: जबलपुर, बेतुल तथा ग्वालियर जिलों में हैं। खारगांव, मंदसौर, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, सागर, शिवपुरी, सिधि एवं टीकमगढ़ क्षेत्रों में भी उनकी गौण उपस्थिति का पता चला है। मैंगनीज अयस्क के 11.56 मिलियन टन के सत्यापित निक्षेप बालाघाट जिले में मिले हैं तथा छिंदवाड़ा, देवास, जबलपुर, झाबुआ, कारगांव, सिवनी तथा सिधि जिलों में उनकी गौण उपस्थिति सूचित की गई है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो भारतीय खनिज वर्ष बुक 2001 के अनुसार, लौह अयस्क जबलपुर जिले में पांच स्थानों तथा ग्वालियर जिले में दो स्थानों पर खनित किया जाता है। मैंगनीज की बालाघाट में ग्यारह खानें तथा छिंदवाड़ा जिले में एक खान है।

[अनुवाद]

विमान यातायात के अध्ययन के लिए समिति

2207. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू विमान यातायात की बाजार मांग और इसमें वृद्धि के अध्ययन हेतु एक समिति गठन की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नई निजी एअर लाइनों को शुरू करने की अनुमति हेतु सरकार के पास लंबित पड़े आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की "मुक्त आकाश नीति" के अन्तर्गत यह अनुमति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। सैक्टर में यातायात संवृद्धि का आंकलन करने और साथ ही साथ आगामी पांच वर्ष के लिए क्षमता आवश्यकता का आंकलन करने के लिए 30.4.2001 को नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) और (घ) एयरलाइन प्रचालन आरंभ करने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय, अनुसूचित प्रचालनों के लिए मैसर्स अहमदाबाद एविएशन एण्ड एयरोनाटिक्स और मैसर्स साउदर्न एयर के आवेदनों और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं के लिए मैसर्स थामस कुक लि., फ्यूचुरा ट्रेवल्स लिमिटेड और एसआरसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के आवेदनों की छंटाई की जानी है।

लघु बचत योजना

2208. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग वित्त मंत्रालय की ओर से न लाभ न हानि (नो प्रौफिट नो लॉस) आधार पर कुछ लघु बचत योजनाएं चलाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय इन सेवाओं को चलाने के लिए विभाग को कोई भुगतान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) डाक विभाग वित्त मंत्रालय की ओर से एजेंसी कार्य के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, मासिक आय खाता योजना, आवर्ती जमा योजना, सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय बचत योजना, बचत खाता और लोक भविष्य निधि योजना जैसी अल्प बचत योजनाएं चलाता है।

(ग) जी हां।

(घ) वित्त मंत्रालय प्रति खाता/लेनदेन आधार पर डाक विभाग को पारिश्रमिक प्रदान करता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, डाक विभाग को इस लेखा में 1302.35 करोड़ रु. का प्रारिश्रमिक प्राप्त हुआ।

[हिन्दी]

टेलीफोन केबलों की चोरी

2209. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान और अभी तक देश में टेलीफोन केबलों की चोरी के राज्य-वार कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप अब तक कितना घाटा हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तरह की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोची-सेलम कॉरिडोर में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जाना

2210. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोची-सेलम कॉरिडोर में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किए जाने के प्रस्ताव सहित केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी बड़े प्रस्तावों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। रा.रा. 47 का कोचीन से केरल-तमिलनाडु सीमा खंड, जो उत्तर-दक्षिण महामार्ग के कोचीन-सलेम खंड का हिस्सा है, को चार लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क सड़क कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 78.00 करोड़ रु. की लागत से 332.60 कि.मी. (अलुबा) से 316.00 (अंगमाली) तक चार लेन बनाने का कार्य सौंप दिया गया है। अंगमाली से केरल-तमिलनाडु सीमा तक शेष खंड को चरणों में चार लेन का बनाया जाएगा और इसे वर्ष 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में विमान सेवाओं का सुधार

2211. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागर विमानन के क्षेत्र में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्यटन में बढ़ोत्तरी और इसे प्रोत्साहन मिलने में अड़चने आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में नागर विमानन की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और आगरा के हवाई अड्डों का विकास किया गया है और इसे आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। लखनऊ हवाई अड्डे का विकास आदर्श हवाई अड्डे के रूप में किया गया है और इनका और आगे स्तरोन्नयन किया जाने की योजना है जिससे इन्हें बड़े आकार वाले (विशालकाय) जेट विमान के प्रचालनों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। इसी प्रकार, वाराणसी हवाई अड्डे का स्तरोन्नयन एक नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण करके किया जा रहा है जिससे इससे अंतर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को हैंडल किया जा सके। वाराणसी में धावनपथ का विस्तार एबी-300 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों को उपयुक्त बनाने के लिए विस्तार किये जाने की योजना है। आगरा में आधुनिक सुविधाओं सहित यात्री टर्मिनल भवन पर पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है। बिहार राज्य में, पटना हवाई अड्डे का विकास एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में किया गया है। गया हवाई अड्डे का उन्नयन एबी-320 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए किया जा रहा है जिससे बौद्ध पर्यटन को विकसित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में, इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर इस समय आगरा, लखनऊ और वाराणसी के लिए उड़ानें प्रचालित कर रही हैं। जेट एयरवेज वाराणसी के लिए उड़ानों का प्रचालन करती है और सहारा एयरलाइन्स लखनऊ और वाराणसी के लिए उड़ानों का प्रचालन करती है। बिहार में, इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर और सहारा एयरलाइन्स पटना के लिए उड़ानों का प्रचालन करती हैं।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वार्षिक योजना

2212. **श्री राजो सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में वर्ष 2001-2002 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी वार्षिक योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने प्रस्ताव मिले हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) वर्ष 2001-2002 के लिए बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वार्षिक योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है।

(ख) और (ग) प्राप्त 20 प्रस्तावों में से, राष्ट्रीय राजमार्ग-19, 28, 30, 31, 57, 77, 80 और 107 के विकास कार्य के लिए 34.59 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाले 18 प्रस्तावों को संस्वीकृति दे दी गई है।

[अनुवाद]

श्रमिकों का शोषण

2213. **श्री रामजी मांझी:** क्या **श्रम मंत्री** श्रमिकों का शोषण के बारे में 26 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक उक्त सूचना एकत्रित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार समुचित सरकार है तथा यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकार को श्रमिक संघ के नेताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

समुचित सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि 13.1.2001 को बड़ा नगर जूट मिल में अशांति की अभूतपूर्व घटना घटित हुई थी जिसमें मिल का एक कर्मकार तथा दो अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद, राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ घटना के कारणों जिनकी वजह से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का पहले ही गठन कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मादक औषधियों का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों की सूची

2214. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने ऐसे खिलाड़ियों की सूची तैयार की है जिन्हें प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करने का दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण ने नौ वर्षों की इस अवधि में कितने खिलाड़ियों का परीक्षण किया गया है; और

(घ) दवाओं का प्रयोग करते हुए पाए गए खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश पर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उन खिलाड़ियों की सूची जिनके सकारात्मक होने के संकेत मिले थे, मुहरबंद लिफाफे में माननीय न्यायालय को इस अनुरोध के साथ भेजी गयी है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की डोप नियंत्रण प्रयोगशाला न तो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा अधिकृत है और न ही पूरी तरह से उपकरणों से सुसज्जित है, अत: परिणामों को केवल सांकेतिक रूप में लिया जा सकता है।

(ग) 9 वर्षों की अवधि में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 3500 परीक्षण किए गए थे जिनमें से 257 सकारात्मक मामले

बताये गए हैं। फिर भी चूंकि भारतीय खेल प्राधिकरण की डोप नियंत्रण प्रयोगशाला अधिकृत नहीं है, अतः इन परीक्षणों के परिणामों को केवल सांकेतिक रूप में ही लिया जा सकता है।

(घ) इस प्रकार की गई जांच के परिणाम, संबंधित राष्ट्रीय परिसंघों को, उनके अपने-अपने अन्तर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप, आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिए जाते हैं।

बाढ़ को रोकना

2215. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानसून के दौरान बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ संबंधी समस्याओं के निपटान के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया है। इस आयोग ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़-नियंत्रण संबंधी व्यापक योजनाएं तैयार की है। इसी प्रकार, भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के तहत ब्रह्मपुत्र और बोर्ड का गठन किया गया है, इस बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ-साथ मुख्य ब्रह्मपुत्र और बराक-घाटी के लिए बाढ़ नियंत्रण संबंधी मास्टर योजना तैयार की है। इन योजनाओं को क्षेत्रीय सर्वेक्षणों पर आधारित विस्तृत स्कीमें तैयार करने के लिए तथा उनके कार्यान्वयन के वास्ते सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है। केन्द्र सरकार ने प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदियों पर 159 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की स्थापना भी की है, जो विभिन्न राज्यों में सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को समय-समय पर चेतावनी प्रसारित करते हैं।

भारत सरकार ने देश में बाढ़ संबंधी समस्या का अध्ययन करने के लिए अनेक विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आर.बी.ए.) का गठन वर्ष 1976 में किया गया था। इस आयोग ने बाढ़ संबंधी समस्याओं की विस्तृत जांच की थी और वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देश में बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य नीति का आधार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था।

इसके अतिरिक्त, बाढ़ से संबंधित क्षेत्र/मण्डल विशेष की समस्याओं की समय-समय पर जांच करने के लिए अन्य बहुत-सी विशेषज्ञ समितियों/कार्य बलों का गठन किया गया था। इनकी सिफारिशें भी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई थीं।

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंभीर कटावरोधी समस्याओं का आकलन करने के लिए अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1999 में एक केन्द्रीय दल का गठन किया था। इस दल ने जोखिमपूर्ण स्थानों/खण्डों की पहचान की और राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र प्रारंभ करने के लिए कटावरोधी उपायों की सिफारिश की थी। इन उपायों को करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 159.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्यों और कोसी तथा गंडक नदियों के तटबंधों को ऊंचा उठाने और उनके सुदृढ़ीकरण" नामक शीर्षक की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की गई है जो इस समय प्रचालन में है।

पुरस्कार दिया जाना

2216. श्री जे.एस. बराड़: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं जिन्हें पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान से तो सम्मानित किया गया है, किन्तु उन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया है;

(ख) क्या सरकार उन्हें देर से अर्जुन अवार्ड देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) उन खिलाड़ियों के नाम जिन्हें पद्म भूषण/पदमश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है किन्तु जिन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं दिये गये थे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अर्जुन पुरस्कारों के लिए सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों, राज्य सरकारों, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण से नामांकन मंगवाये जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त नामांकनों की भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जांच की जाती है तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी की अध्यक्षता वाली चयन समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के वास्ते व्यक्ति का न केवल पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ, उस वर्ष में, जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की गई है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया हो, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना तथा अनुशासन की भावना भी प्रदर्शित की हो। भारत सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देने के प्रश्न पर विचार करती है जिन्होंने खेलों तथा खेलों के संवर्धन में अपना जीवनपर्यन्त योगदान दिया है।

विवरण

आज की तारीख तक, उन खिलाड़ियों के नाम जिन्हें पद्मभूषण/पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है किन्तु अर्जुन पुरस्कार प्रदान नहीं किये गये हैं

क्रम सं.	प्राप्तकर्त्ता का नाम	खेल विद्या	पुरस्कार	वर्ष
1	2	3	4	5
1.	लाला अमरनाथ	क्रिकेट	पद्मभूषण	1991
2.	महाराज कुमार विजय आनंद	क्रिकेट	पद्मभूषण	1958
3.	ध्यान चन्द	हाकी	पद्मभूषण	1956
4.	प्रोफे. दिनकर बलवन्त देवधर	क्रिकेट	पद्मभूषण	1991
5.	विनोद हिम्मतलाल, मंकड	क्रिकेट	पद्मभूषण	1973
6.	तेनजिंग नोरगे	पर्वतारोहण	पद्मभूषण	1959
7.	कोट्टारी कनकैयाह नायडु	क्रिकेट	पद्मभूषण	1956
8.	मिहिर कुमार सेन	तैराकी	पद्मभूषण	1967
9.	भालेन्द्र सिंह (राजा)	विशेष आयोजन समिति (नवें एशियाई खेल)	पद्मभूषण	1983
10.	आस्पी दाराब शा अदजानिया	मुक्केबाजी	पद्मश्री	1992
11.	मुश्ताक अली (सैयद)	क्रिकेट (सरकारी)	पद्मश्री	1963
12.	रोशन लाल आनन्द, आनन्द	निदेशक (रा.क्रि.सं.)	पद्मश्री	1976
13.	लेस्ली वाल्टर क्लोडियस	हाकी	पद्मश्री	1971
14.	नारीजे कान्ट्रेक्टर डी'सिल्वा	क्रिकेट	पद्मश्री	1962
15.	सेल्मा जूनियट क्रिस्टीना (कुमारी)	हाकी	पद्मश्री	1991
16.	हरिकान्त डांग	पर्वतारोहण	पद्मश्री	1976

1	2	3	4	5
17.	प्रोफे. दिनकर बलवन्त देवधर	क्रिकेट	पद्मश्री	1965
18.	पी.एच.यू. डोरजी	मार्शल आर्टस	पद्मश्री	1965
19.	मोरपकम जोसियाम गोपालन	क्रिकेट और हाकी	पद्मस्त्री	1964
20.	सैयद मोहम्मद मोनुल हक	संयोजक (भा.ओ. संघ)	पद्मश्री	1970
21.	विजय एस. हजारे	क्रिकेट	पद्मश्री	1960
22.	घौस मोहम्मद खान	टेनिस	पद्मश्री	1971
23.	किशन लाल	हाकी	पद्मश्री	1966
24.	सोनम, पालजोर	पर्वतारोहण	पद्मश्री	1991
25.	जेसुभाई मोतीभाई पटेल	क्रिकेट	पद्मश्री	1960
26.	श्रीमती अज्वला पाटिल	पाल नौकायन और निशानेबाजी	पद्मश्री	1991
27.	गोस्था बेहरी पाल	फुटबाल	पद्मश्री	1962
28.	लीला राम (अवैतनिक कप्तान)	कुश्ती	पद्मश्री	1998
29.	स्वरूप कृष्णन् रियू	क्रिकेट	पद्मश्री	1986
30.	पंकज लल्ल राव	क्रिकेट	पद्मश्री	1975
31.	(कुमारी) आरती शाह	तैराकी	पद्मश्री	1960
32.	(कुमारी) कमल जीत संधु	एथलेटिक्स	पद्मश्री	1971
33.	मिहिर कुमार सेन	तैराकी	पद्मश्री	1959
34.	जमन लाल शर्मा	हाकी	पद्मश्री	1990
35.	(कुंवर) दिग्विजय सिंह	हाकी	पद्मश्री	1958
36.	(बिग्रेडियर) ज्ञान सिंह	पर्वतारोहण	पद्मश्री	1961
37.	हुकुम सिंह	पर्वतारोहण	पद्मश्री	1992
38.	कौर सिंह	मुक्केबाजी	पद्मश्री	1983
30.	(गुरु) लायरन्मयुम दामु सिंह	मार्शल आर्टस (मणिपुर)	पद्मश्री	1983
40.	मिल्खा सिंह	एथलेटिक्स	पद्मश्री	1959
41.	पी.आर. अमरीगर	क्रिकेट	पद्मश्री	1962
42.	श्रीमती संतोष यादव	पर्वतारोहण	पद्मश्री	2000

[हिन्दी]

पी. एफ. भवन का निर्माण

2217. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में कितने केन्द्रीय भविष्य निधि कार्यालय हैं;

(ख) इनमें से स्थान-वार कितने किराए के भवनों में चल रहे हैं और उनका मासिक किराया कितना है;

(ग) क्या वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय भविष्य निधि भवन का निर्माण कार्य अब तक पूरा न होने के कारण बहुत बड़ी राशि किराए के रूप में भुगतान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने किराए के भवनों के मालिकों और भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ का पता लगाने के लिए किसी जांच के आदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) वर्तमान में दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के सात कार्यालय हैं जिनमें से पांच कार्यालय किराए की इमारतों में है। इन कार्यालयों का मासिक किराया और अवस्थिति निम्नवत् है:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, मयूर भवन, नई दिल्ली	4,26,976/- रु.
2. उप-लेखा कार्यालय, इन्द्रलोक, दिल्ली	1,50,000/- रु.
3. उप-लेखा कार्यालय, जनकपुरी, दिल्ली	1,05,000/- रु.
4. उप-लेखा कार्यालय, लक्ष्मी नगर, दिल्ली	85,650/- रु.
5. उप-लेखा कार्या, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	3,04,317/- रु.

(ग) नए क्षेत्रीय कार्यालय की इमारत के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ 24.4.2000 को पट्टे के करार पर हस्ताक्षर किए गए और 2.8.2000 को उसकी रजिस्ट्री की गयी। उक्त स्थल को 18.8.2000 को एच.पी.एल. नामक निर्माण एजेन्सी को सौंप दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की इमारत का स्वामित्व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने ले लिया है और अनुमोदित मानकों के अनुसार किराया अदा किया जाता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वृक्षारोपण कार्य में गैर-सरकारी संगठनों/ छात्रों को लगाया जाना

2218. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और छात्रों की सेवाएं लेने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए एक सहायता अनुदान स्कीम का संचालन करता है जिसके तहत गैर सरकारी संगठनों को केवल वनीकरण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत पौध उगाने, पोधरोपण कार्य आदि के लिए स्कीम के अनुमोदित लागत मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत आबंटन राज्यवार न होकर मामला दर मामला आधार पर किया जाता है। नौवीं योजना में गैर सरकारी संगठनों को अब तक राज्य वार प्रदान की गई धनराशि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की "स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान स्कीम" के तहत नौवीं योजना में अब तक गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण

राज्य	उन गैर सरकारी संगठनों की संख्या जिनको स्कीम के तहत नौवीं योजना के दौरान अब तक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं	प्रदान की गई कुल धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	64	208.06
अरुणाचल प्रदेश	7	41.47
असम	–	–

1	2	3
बिहार	22	62.97
छत्तीसगढ़	–	–
गोवा	–	–
गुजरात	2	8.20
हरियाणा	–	–
हिमाचल प्रदेश	4	12.56
जम्मू और कश्मीर	4	19.51
झारखंड	1	2.50
कर्नाटक	37	128.65
केरल	3	12.60
मध्य प्रदेश	4	12.76
महाराष्ट्र	–	–
मणिपुर	24	94.65
मेघालय	1	1.09
मिजोरम	–	–
नागालैंड	34	130.75
उड़ीसा	4	14.45
पंजाब	–	–
राजस्थान	1	2.50
सिक्किम	1	1.00
तमिलनाडु	20	46.06
त्रिपुरा	–	–
उत्तर प्रदेश	23	89.76
उत्तरांचल	2	6.25
पश्चिम बंगाल	20	42.37
कुल	278	938.16

वर्षा जल के संग्रह के लिए विधेयक लाया जाना

2219. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षा के लिए वर्षा जल के संग्रह को अनिवार्य उपाय बनाने हेतु एक विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन केन्द्र

2220. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़े गए कई टेलीफोन केन्द्रों का कार्यकरण खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्य में बड़ी संख्या में स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शन योजना की कमी और घटिया प्रशासनिक प्रबंधन तथा सामग्री की कमी के कारण लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) उक्त कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लंबित मंजूरशुदा टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अधिक नहीं है। उन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी अव्यवहार्यता के कारण थोड़े से स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शन लंबित पड़े हैं, जहां कनैक्शनों के लिए मांग मौजूदा एक्सचेंजों से दूर-दराज के अलग-अलग क्षेत्रों से है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को मार्च, 2002 तक कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा हिमालय क्षेत्र में खुदाई कार्य

2221. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमालय क्षेत्र के बटुरा पहाड़ी क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है और इससे किन-किन नदियों पर असर पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान का ध्यान आकृष्ट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) अब तक हिमाचल क्षेत्र के बतुरा पहाड़ियों में पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे खुदाई कार्यों के कोई परिणाम (इनपुट) देखने में नहीं आए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

2222. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निवेशकों में विश्वास जगाने और निजी क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कतिपय संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमिहीन कृषि श्रमिकों (एल आई सी के सहयोग से) की सामाजिक सुरक्षा योजना से श्रमिक वर्ग को किस सीमा तक मदद मिलने जा रही है; और

(घ) उन लोगों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई विनिवेशक प्रक्रिया में रोजगार विहीन हो गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सामाजिक सहभागियों और आर्थिक सुधारों की जरूरतों के अनुरूप, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विभिन्न संशोधन प्रस्तावित हैं।

(ग) सरकार ने श्रम मंत्रालय के पर्यवेक्षण में कृषि श्रमिकों के लिए "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001" 01 जुलाई, 2001 से शुरू की है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करेगा। योजना में सामाजिक सुरक्षा संबंधी निम्नांकित प्रावधान हैं:-

(क) जीवन-सह-दुर्घटना बीमा

(ख) धन वापसी; तथा

(ग) पेंशन-सह-अधिवर्षिता लाभ

इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के कृषि श्रमिक पात्र हैं। योजना के तहत, श्रमिक 1/- रु. प्रतिदिन या 365/- रु. प्रतिवर्ष का अंशदान देंगे और सरकार सामाजिक सुरक्षा, कोष से प्रतिलाभभोगी 2/- रु. प्रतिदिन या 730/- रु. प्रतिवर्ष देगी।

(घ) विनिवेश से संबंधित सभी सरकारी निर्णयों का सम्बद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के रोजगार पर सीधाअसर स्वत: नहीं पड़ता। लेकिन, यदि निर्णय में कम्पनी के प्रबन्धकीय नियंत्रण के हस्तांतरण का मामला शामिल हो, तो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे मामलों में, इन मुद्दों को बिक्री के नियमों व शर्तों के आधार पर समुचित ढंग से निपटाया जाता है और लेन-देन संबंधी दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं जिन पर कार्यनीतिक सह-भागियों के हस्ताक्षर होते हैं। विनिवेश की नीति में कर्मचारियों के हितों का संरक्षण शामिल होता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा

2223. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय तमिलनाडु में क्या कार्य सौंपे और शुरू किए गए हैं;

(घ) राज्य को आवंटित और जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शुरू की गई कुल परियोजनाओं की संख्या तथा उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें एक संभावित समय-सीमा के अंदर पूरा किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) सड़क सुरक्षा बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें समुचित सड़क इंजीनियरी पहलू सुनिश्चित करने, सड़क को चौड़ा करना, सड़क ज्यामिति में सुधार, सड़क चिह्नांकन और संकेत, प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार अभियान, सड़क सुरक्षा उपस्कर, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण जैसे इंजीनियरी और प्रबंधकीय उपाय शामिल हैं।

(ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 144.60 करोड़ रु. की लागत से 75 सड़क सुधार कार्य चल रहे थे और 1 अप्रैल, 2001 में अब तक 46.66 करोड़ रु. लागत के 25 अन्य कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 7 राज्य परिवहन उपक्रमों को 8 एम्बुलेंस, गैर सरकारी संगठनों को 2 एम्बुलेंस और तमिलनाडु को 5 पोर्टेबल तुला सेतु प्रदान किए गए।

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए तमिलनाडु को 135.28 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। आबंटित धनराशि बिल प्राप्त होने पर जारी की जाती है।

(ङ) इन सभी कार्यों को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

पकड़ कर रखे गए जंगली जानवर

2224. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंगली जानवरों को पकड़ कर रखे जाने पर रोक लगाने के संबंध में सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) राज्यवार उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो उक्त अवधि के दौरान जंगली जानवरों को पकड़ कर रखे जाने के दोषी पाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 39 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी जंगली जानवर को अपने कब्जे, हिरासत या नियंत्रण में नहीं रख सकता। इस प्रकार की अनुमति आम तौर पर नहीं दी जाती।

(ख) और (ग) चूंकि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यता राज्य सरकार की है, अधिनियम, नियमावली तथा इसके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन में जानवरों को बन्दी बनाकर रखने संबंधी मामलों की सूचना केन्द्र सरकार के स्तर पर संकलित नहीं की जाती। केवल एक चीतल को अधिनियम के उल्लघंन में बन्दी बनाकर रखे जाने संबंधी मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया था। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के अधिकारियों ने 2000/- रु. में इस मामले में राजीनामा कर लिया तथा जानवर को वन-विहार राष्ट्रीय उद्यान को दे दिया गया

[अनुवाद]

घरेलू विमान यातायात की वृद्धि दर

2225. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 2002 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डोमेस्टिक एयर-लाइन्स हैडिड फॉर हार्ड डेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पूरे वर्ष में घरेलू विमान यातायात की अनुमानित वृद्धि दर क्या है;

(घ) चालू वित्त वर्ष के प्रथम पांच महीनों के दौरान घरेलू विमान यातायात की वृद्धि दर क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनुमानित वृद्धि दर को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी हां। समाचार पत्र में मुख्य जोर प्रोजेक्शनों की तुलना में कम घरेलू यातायात वृद्धि पर दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001 से 2005 की समयावधि के लिए अत्यधिक संभावित वृद्धि की दर 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच बताई गई है।

(घ) वर्ष 2001 के प्रथम पांच महीनों (जनवरी से मई) तक यातायात संबंधी आंकड़ों से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना से पता चला है कि वृद्धि की दर 1 प्रतिशत है।

(ङ) पर्यटक सीजन में समग्र वृद्धि दर में और सुधार होना संभावित है।

टेलीफोन उपभोक्ता समिति

2226. **श्री भान सिंह भौरा:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन उपभोक्ता समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अगले ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

2227. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने हेतु एक सुनियोजित नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले ओलम्पिक खेलों की बेहतर तैयारी के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या किसी विशेष तैयारी अथवा तैयारियों पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) प्रतिभा का पता लगाने तथा ओलम्पिक, 2004 के लिए भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से दीर्घावधिक विकास कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला स्थित शिविरों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। सरकार उन खेल विधाओं पर ध्यान देगी जिसमें हमारे खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने की संभावनाएं हैं जैसे कि एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी और हाकी।

(घ) और (ङ) भारत एशियाई खेल, 2002 तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2002 में भाग लेगा। इन दो मुख्य बहुविधा वाली प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर विशेषज्ञता प्राप्त और केन्द्रित प्रशिक्षण के लिए खेल विधाओं का पता लगाया जाएगा।

सड़क विकास परियोजना में निवेश

2228. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की मॉनीटरिंग करने हेतु कराये गये सर्वेक्षण से यह उजागर हुआ है कि दूरसंचार संबंधित बुनियादी सुविधाओं में किए गए निवेश की अपेक्षा सड़क राजमार्ग परियोजनाएं अधिक धन आकर्षित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सड़कों के विकास पर पर्याप्त मात्रा में धन का निवेश नहीं कर पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन राज्यों में अधिक धन आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय निजी निवेश से है। यह उल्लेखनीय है कि जून, 2001 तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में 1831 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में किए गए निवेश के मुकाबले में यह काफी कम है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि की स्थापना के बाद केन्द्रीय सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़ रु. और राज्यीय सड़कों के लिए लगभग 1000 करोड़ रु. की सहायता राज्य सरकारों को प्रदान कर रही है।

केबलों का अभाव

2229. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबलों के अत्यधिक अभाव के कारण राजस्थान के विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार का कार्य ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000-2001 के दौरान केबलों की कितनी आवश्यकता है और कितनी मात्रा में केबल प्रदान की गयी;

(ग) क्या सरकार ने नये दूरभाष केन्द्रों के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में केबलों की आवश्यकता का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य के विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में केबलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, राजस्थान में केबल आवश्यकता तथा 2000-2001 के दौरान बिछाए गए केबल का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	राजस्थान	बाड़मेर एसएसए (एसएसए-गौण स्विचन क्षेत्र)	जैसलमेर एसएसए
केबल आवश्यकता (औचित्य के अनुसार)	24.3749 एलसीकेएम	0.5075 एलसीकेएम	0.2688 एलसीकेएम
1.4.2000 की स्थिति के अनुसार स्टॉक में उपलब्ध केबल तथा 2000-2001 के दौरान आबंटित केबल	29.8390 एलसीकेएम	0.5501 एलसीकेएम	0.4397 एलसीकेएम
बिछाया गया केबल	23.9071 एलसीकेएम	0.4497 एलसीकेएम	0.3753 एलसीकेएम

(ग) जी, हां।

(घ) राजस्थान दूरसंचार सर्किल में 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार पीआईजेएफ (पॉलीथीन इन्सूलेटेड जैली फिल्ड) केबल का 5.375 लाख कंडक्टर-किलोमीटर (एलसीकेएम) उपलब्ध था और 1.862 एलसीकेएम पाइप लाइन में था। अतिरिक्त पीआईजेएफ केबल के प्रापण के लिए निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और राजस्थान सर्किल के वर्ष 2001-2002 के लक्ष्यों के आधार पर उनको अतिरिक्त केबल का आबंटन किया जाएगा। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को परवर्ती आबंटन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सर्किलों द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय खेलकूद विकास कोष

2230. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री रामशेठ ठाकुर:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेलकूद विकास कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोष के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए कौन-कौन से खेलों की पहचान की गई है/चयन किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खेलकूद गतिविधियों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ङ) क्या इस कोष के अन्तर्गत कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। इस बात पर विचार करते हुए कि खेलकूद का संवर्धन मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संसाधनों की कमी इस दिशा में मुख्य समस्या है, सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) स्थापित की है। यह निधि विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की इकाईयों तथा अलग-अलग व्यक्तियों जिनमें अनिवासी भारतीय शामिल हैं, से संसाधनों को जुटाने की दृष्टि से स्थापित की गई थी। इसमें एकत्रित निधि का उपयोग सामान्य रूप से खेलकूद के संवर्धन तथा विशेष रूप से, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट खेल विधाओं तथा अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए किया जाना है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय खेल विकास निधि की योजना, इस निधि से वित्तीय सहायता के लिए किसी खास/खेलकूद को निर्दिष्ट नहीं करती है। तथापि, योजना के प्रावधानों के अनुसार, वे राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राज्य खेल संघ, राज्य खेल परिषद्, गैर-सरकारी संगठन जिनका खेलों के संवर्धन संबंधी अच्छा रिकार्ड है तथा जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत अथवा पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो, कम से कम पिछले तीन वर्षों से कार्यरत हो अथवा उत्कृष्ट प्रतिभा वाले अलग-अलग खिलाड़ी, अवस्थापना के सृजन/अनुरक्षण, उपस्कर, कोचिंग/प्रशिक्षण, अध्ययन/अनुसंधान, प्रकाशन, पत्रिका तथा प्रलेखन, सम्मेलन/बैठक अथवा सेमिनार, परामर्श सेवा, ऋण, यात्रा में आर्थिक सहायता आदि के लिए इस निधि से वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस निधि से वित्तीय सहायता के लिए किसी भी राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

बांस का उत्पादन और खेती

2231. श्री ए. ब्रह्मनैया:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में बांस के उत्पादन तथा खेती को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले तीन वर्षों के लिए बांस की खेती में वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) बांस रोपण को पहले ही 1999-2000 से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित किया जा चुका है तथा मात्र बांसरोपण संबंधी परियोजनाओं को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद स्कीम के तहत स्वीकृत किया जाता है। अब तक, 9वीं योजना के दौरान 30163 हैक्टेयर क्षेत्र के सुधार के उद्देश्य से 20.85 करोड़ रुपये के परिव्यय से इस प्रकार की 21 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) से (च) दसवीं पचंवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप से दिया जाना है।

मयूरों की मृत्यु

2232. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मई, 2001 के 'द स्टेट्समैन' में 'पीकोक्स डाइंग ऑफ मिस्टीरियस एलमेंट इन राजस्थान' शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मयूरों की बीमारी के सही कारण का पता लगाने के लिए कोई टीम राजस्थान भेजी है और किसी प्रकार की सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। 3 मई, 2001 को 'द स्टेट्समैन' में 'पीकोक्स डाइंग ऑफ मिस्टीरियस एलमेंट इन राजस्थान' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में पिछले चार महीनों के दौरान राजस्थान के विशेषकर सीकर और जयपुर जिलों में 129 मयूरों की मृत्यु का उल्लेख किया गया है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सीकर में, फरवरी के महीने में 91, अजमेर में जनवरी के दौरान 20 तथा जयपुर में मई, 2001 के दौरान 19 मयूरों की मृत्यु हुई। शव-परीक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि ये मौंते न्यूमोनाइटिस और जहरान्त्रशोध के जीवाणुओं और तीव्र ऊष्माघात के कारण हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खान मालिकों को रायल्टी के मानदंड

2233. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खान मालिकों को रायल्टी प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के खान मालिकों को रायल्टी प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान खान मालिकों को राज्य-वार कितनी धनराशि की रायल्टी प्रदान की गयी?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) खनन पट्टा धारकों द्वारा खनिजों पर रायल्टी का भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त "क" के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिरनों की मौत

2234. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष वन क्षेत्रों के भीतर संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वन-वार कितने हिरन जैसे पशु पक्षी मृत पाए गए;

(ख) इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार पशुओं और पक्षियों की हत्याओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) चूंकि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए पक्षियों और हरिण जैसे अन्य जानवरों की मृत्यु से संबंधित आंकड़ा का संघ सरकार के स्तर पर मिलान और संकलन नहीं किया जाता। तथापि, इस मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान देश के भिन्न-भिन्न भागों से मोरों की 141 और सारसों की 12 मौतों की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) जानवरों और पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम

(1) वन्य प्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

(1) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(3) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(4) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(5) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(6) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(7) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

(1) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(2) सीमा पारीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं और नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था

2235. श्री विजय गोयल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था आमूल-चूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया;

(घ) यदि हां, क्या ऐसा कर्मचारियों की कमी और उनके द्वारा अधिक कार्य करने का कारण हुआ है; और

(ङ) उन्हें दबाव और अधिक कार्य से राहत दिलाने और प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं सृजित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने दिल्ली हवाई अड्डे का सर्वेक्षण किया और पूर्व में 2 शिफ्ट में की जा रही ड्यूटी के बदले 3 शिफ्ट में सुरक्षा ड्यूटी के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाने की सिफारिश की। तदनुसार अभी हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर नफरी बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस के 638 अतिरिक्त पद बढ़ा दिए गए हैं। क्षमता में नई वृद्धि होने से, कर्मचारी की कार्यकुशलता में सुधार होगा और कोई ओवर वर्किंग नहीं होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त वाहन तथा अपेक्षित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिल

2236. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टेलीफोन बिल जमा करने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) टेलीफोन उपभोक्ताओं को सुविधा देने हेतु देश भर में विभिन्न राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक की 3457 से अधिक शाखाओं को भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. की ओर से बिलों की वसूली करने के लिए प्राधिकृत किया जा चुका है। वसूली करने वाली शाखाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

बाल्को की मूल्यांकन रिपोर्ट

2237. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल्को के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी परिसंपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार मूल्यांकन रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अग्रेषित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त रिपोर्ट को कब तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किये जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सलाहकारों ने विस्तृत मूल्यांकन कार्य किया। 100 प्रतिशत इक्विटी के लिए उन्होंने डिस्काउंट कैश फलो प्रणाली की मार्फत 651.2-994.7 करोड़ रु. (51 प्रतिशत के लिए 332-507 करोड़ रु.); तुल्य मूल्यांकन प्रणाली की मार्फत 587-909 करोड़ रु. (51 प्रतिशत के लिए 299-464 करोड़ रु.); और तुलन पत्र प्रणाली (बैलेंश शीट मैथड) की मार्फत 597.2-681.9 करोड़ रु. (51 प्रतिशत के लिए 305-348 करोड़ रु.) का मूल्य निर्धारित किया। परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग 1072 करोड़ रु. है जिसका 51 प्रतिशत लगभग 547 करोड़ रु. आता है।

(ग) और (घ) सलाहकारों की रिपोर्टों और परिसंपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति 28 मार्च, 2001 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को सौंपी गई थी।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तटीय विनियामक जोन संबंधी नियम

2238. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तटीय विनियामक जोन संबंधी नियमों में किये गये संशोधनों से कौन-कौन से राज्य और क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे संशोधनों से कोई लक्ष्य प्राप्त होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) अधिसूचना 1991 पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियम 3 (1) और 3 (2) (v) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 (3) (घ) के तहत जारी की गई थी। सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन किया है। इन संशोधनों से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और संघ शासित क्षेत्र दमन और द्वीव, लक्षद्वीप, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और पाण्डिचेरी के तटीय राज्यों को लाभ पहुंचा है।

डाकघरों में ए.टी.एम. सुविधा

2239. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का विचार देश के डाकघरों में ए.टी.एम. मशीनें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.टी.एम. मशीनों की संख्या के संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है और इन्हें किन स्थानों पर स्थापित किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) कुछ बैंकों ने डाकघरों में एटीएम के संस्थापन के लिए डाक विभाग से संपर्क किया है। संबंधित बैंकों के प्रस्ताव पर निर्णय प्रचालनात्मक, तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने पर लिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त ''ग'' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट विमानपत्तन पर प्रयोक्ता शुल्क

2240. **श्री के. मुरलीधरन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तन के रनवे का विस्तार हो जाने के बाद भी सरकार ने कालीकट विमानपत्तन पर प्रयोक्ता शुल्क वसूलना बन्द नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों की एयरलाइनों को कालीकट विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की इसलिए अनुमति प्रदान की है क्योंकि कालीकट विमानपत्तन का रनवे 9000 फुट तक बढ़ा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कालीकट विमानपत्तन से हज के लिए उड़ानें आरंभ होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) कालीकट हवाई अड्डे पर 375 रुपए की दर से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में चढ़ने वाले यात्रियों से प्रयोक्ता विकास अतिरिक्त शुल्क (यू.डी.ए.एफ.) एकत्र की जा रही है। हुडको से लिए गए ऋण पर अपेक्षित ब्याज की वसूली किए जाने तक यू.डी.ए.एफ. लागू रहेगा।

(ग) कालीकट हवाई अड्डे को किसी भी विदेशी एयरलाइन का अवतरण स्थल नहीं बनाया गया है।

(घ) और (ङ) हज यात्रा 2000 के दौरान कालीकट हवाई अड्डे से हज उड़ानें प्रचालित किए जाने की संभावना है।

बीड़ी मजदूर

2241. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी मजदूरों विशेष रूप से बाल और महिला मजदूरों की अलग-अलग राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या तंबाकू के मजदूरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा बाल और महिला मजदूरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का अन्दाजा लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर बाल और महिला मजदूरों तथा बीड़ी मजदूरों में छाती, दमा और अन्य रोगों की कितनी बीमारियां हुई हैं; और

(घ) मजदूरों के रोगों के उपचार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और रोगों से बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) अद्यतन आकलन के अनुसार देश में लगभग 44.11 लाख बीड़ी कर्मकार हैं। बीड़ी कर्मकारों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। श्रम ब्यूरो (श्रम मंत्रालय) ने 1995 में बीड़ी उद्योग के कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों के संबंध में एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण करवाया है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, 65.9 प्रतिशत महिला कर्मकार तथा एक प्रतिशत बच्चे बीड़ी बनाने में लगे हुए हैं।

(ख) से (घ) विभिन्न संगठनों यथा-कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम मंत्रालय महानिदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का मत यह है कि टी.बी. कोई

व्यावसायिक रोग नहीं है। तथापि, श्रम ब्यूरो द्वारा करवाए गए एक अध्ययन जिसमें बीड़ी कर्मकारों में वक्ष संबंधी रोगों सहित पुरानी बीमारियों को दर्शाया गया है, के निष्कर्ष विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

श्रम कल्याण संगठन, बीड़ी कर्मकारों और उनके आश्रितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत 4 अस्पताल और 210 औषधालय चला रहा है।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्तमान में अनुमानित बीड़ी कर्मकारों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	625050
2.	असम	7725
3.	बिहार	391500
4.	गुजरात	50000
5.	कर्नाटक	360876
6.	केरल	136416
7.	मध्य प्रदेश	750000
8.	महाराष्ट्र	256000
9.	उड़ीसा	160000
10.	राजस्थान	100000
11.	त्रिपुरा	5000
12.	तमिलनाडु	620950
13.	उत्तर प्रदेश	450000
14.	पश्चिम बंगाल	497758
	कुल	4411275

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य	शामिल किए गए परिवारों की संख्या	सूचनीय कर्मकारों की संख्या	निम्न से पीड़ित कर्मकारों की संख्या								
				गैस की समस्या	उच्च रक्तचाप	हृदय रोग	मधुमेह	दमा	स्नायु रोग	कंधा और गले के रोग	अन्य	पुरानी बीमारी नहीं है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	79	8.9	–	–	–	–	–	–	8.9	–	91.1
2.	गुजरात	76	6.6	–	–	–	–	1.3	–	–	4.0	93.4
3.	बिहार	117	32.5	4.3	4.3	0.9	3.4	6.8	6.8	4.3	0.9	67.5
4.	केरल	59	15.3	1.7	5.1	1.7	5.1	–	–	–	1.7	84.7
5.	कर्नाटक	78	5.1	1.3	1.3	–	–	1.2	–	–	–	94.9
6.	मध्य प्रदेश	120	0.8	–	–	–	–	–	–	–	0.8	99.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	महाराष्ट्र	87	2.3	2.3	–	–	–	–	–	–	–	97.7
8.	उड़ीसा	72	1.4	–	1.4	–	–	–	–	–	–	98.6
9.	राजस्थान	66	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	98.5
10.	तमिलनाडु	61	9.8	–	3.3	–	1.6	1.6	–	–	3.3	90.2
11.	उत्तर प्रदेश	74	12.2	1.4	–	–	–	5.4	1.4	4.0	–	87.8
12.	पश्चिम बंगाल	134	7.5	1.5	2.2	–	–	1.5	–	1.5	–	92.5
	कुल	1023	9.1	1.2	1.5	0.2	0.8	1.7	0.9	1.7	0.9	90.9

नोट : बहुत कम कर्मकार गठिया, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी तथा जुकाम से पीड़ित थे।

वित्तीय समस्याओं का मूल्यांकन

2242. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने निजी सेल्यूलर ऑपरेटरों द्वारा झेली जा रही वित्तीय समस्याओं के मूल्यांकन का कार्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ब्यूरो ने दूरसंचार क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन पूरा किए बिना अपनी सिफारिशें देने में अपनी अक्षमता प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो क्या अब दूरसंचार विभाग ने उक्त समस्याओं के मूल्यांकन को आई.सी.आई.सी.आई. को सौंपने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा अध्ययन रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को सेल्यूलर सेवा उद्योग के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था और 9.11.1998 को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। आई.सी.आई.सी.आई. ने भी सेल्यूलर उद्योग का शीघ्रतापूर्वक मूल्यांकन किया और जून, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 की राजस्व भागीदारी प्रणाली में शिफ्ट करने के लिए मौजूदा सेल्यूलर ऑपरेटरों को माइग्रेशन पैकेज की पेशकश के पक्ष में जुलाई, 1999 में नीति निर्णय लेते समय, सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इन रिपोर्टों पर भी विचार किया गया था।

[हिन्दी]

बाघ परियोजना हेतु विदेशी सहायता

2243. श्री मंजय लाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान बाघ परियोजना के लिए राज्यवार कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) संबंधित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और किन शीर्षों के अंतर्गत उक्त धनराशि को खर्च किया गया है और अब तक राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) बाघ परियोजना स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हैं जिसमें कोई विदेशी सहायता घटक शामिल नहीं है। तथापि 5 बाघ रिजर्व को 1996 से विदेशी सहायता प्राप्त स्कीम ''भारत पारि-विकास परियोजना'' के अंतर्गत वित्तीय सहायता मिल रही है। इस स्कीम

के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता नीचे दिए अनुसार है:-

सं.	बाघ रिजर्व का नाम	लाख रुपए
1.	पेंच बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	322.04
2.	रणथम्भोर बाघ रिजर्व, राजस्थान	531.28
3.	बुक्स बाघ रिजर्व, पश्चिम बंगाल	459.39
4.	पलामु बाघ रिजर्व, झारखण्ड	125.00
5.	पेरियार बाघ रिजर्व, केरल	561.81
	कुल	2000.42

[अनुवाद]

खरीद में बंदी विनिमय

2244. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अगस्त, 2000 के ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में ''इट्स कार्टेल-गेम्स टाइम अगेन एट टेलीकॉम मिनिस्ट्री'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्णय के अनुसार निविदाओं में सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ ही बातचीत की जा सकती है लेकिन मंत्रालय में दूरसंचार आयोग निर्णय लेता है जिन्हें बाद में बदल दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस बंदी विनिमय की जांच करने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में अड़चन डालने वालों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दिनांक 3 अगस्त, 2000 को इस विषय पर समाचार प्रकाशित हुआ था। मामले के तथ्य विवरण के रूप में संलग्न किए गए हैं।

(ग) जी, हां। सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार केवल एल-I बोलीदाताओं के साथ बातचीत की जाती है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मामले के तथ्य

(1)दूरसंचार स्विचिंग उपस्कर

नए प्रौद्योगिकीय एक्सचेंजों के लिए 20.45 लाख लाइनों की निविदा 18.8.2000 को खोली गई थी। निविदा की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार बन्दी विनिमय से बचने के लिए दो-तिहाई बोलीदाताओं को ठेका देने की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निविदाशुदा मात्रा के लिए छ: में से पहले चार पात्र बोलीदाताओं को आर्डर दिया जाना था।

निविदा खोलने से पहले 31 मई, 2000 को दूरसंचार आयोग में मामले की समीक्षा की गई थी, जिसमें मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार में कठिनाई होने तथा उसी जगह बहुप्रौद्योगिकीय कार्य किए जाने के कारण, चार की बजाय पांच बोलीदाताओं को ठेका देने का निर्णय लिया गया था।

इस मामले की दिनांक 16.8.2000 को पुन: समीक्षा की गई थी जिसमें बन्दी विनिमय की परोक्ष सम्भावनाओं से बचने के लिए भी पात्र बोलीदाताओं को छ: में से चार तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया गया था।

(2)जेली भरे केबल

दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2000-2001 की मांग के प्रति पी.आई.जे.एफ. यू.जी. केबल के 403 एल.सी.के.एम. के प्रापण हेतु एक निविदा आमंत्रित की जो 30.3.2000 को खोली गयी थी। इसमें केबलों के कुल 36 साइज थे।

मै. स्टर्लाइट इन्डस्ट्रीज (आई.) लि. ने 200/0.5 एम.एम. (ए) साइज केबल के लिए 1,64,127.33/-रुपये प्रति के.एम. का मूल्य अंकित किया था जो अगली न्यूनतर कोटेशन 281514.04/- रुपये प्रति के.एम. की तुलना में बहुत कम था और तब इस अनुरोध के साथ अपनी बोली में संशोधन करना चाहा कि इसमें टंकण भूल हुई है।

तथापि, विभाग ने फर्म के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह निविदा शर्तों व निबन्धनों के विरुद्ध था।

विभाग ने मै. स्टर्लाइट के उसी अंकित मूल्य को मंजूरी दी है और सभी पात्र विक्रेताओं को यह प्रस्ताव दिया। मै. स्टर्लाइट सहित सभी विक्रेताओं ने 200/0.5 एम.एम. (ए) केबल साइज के लिए प्रस्तावित मूल्य को स्वीकार नहीं किया। चूंकि मै. स्टर्लाइट ने स्वयं के अंकित मूल्य को नहीं माना इसलिए विभाग ने 1 करोड़ रुपये की बयाना राशि बैंक गारंटी (ई.एम.बी.जी.) भुना दी थी।

पक्षियों की तस्करी

2245. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने का समर्थन करने वाला जीवजन्तु और पेड़-पौधों की विलुप्त प्रजातियों संबंधी कन्वेंशन आफ इंटरनेशनल ट्रेड के प्रथम सदस्यों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिनांक 13 मई, 2001 को 1200 से अधिक अवैध रूप से निर्यात की जा रही लाल मुनिया चिड़ियाओं और 38 एलेक्जेन्ड्राइन पैरा कीटों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर पकड़ा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पक्षियों की अवैध तस्करी में लिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार का विचार ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए कौन-कौन से कठोर उपाय करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत 20.7.1976 को वन्यप्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन (सी आई टी ई एस) का सदस्य बनने वाला 25वां देश था। इस कन्वेंशन का सदस्य बनने से लेकर इस कन्वेंशन से संबंधित प्रावधानों को सतर्कता से कार्यान्वित किया जा रहा है। एलेक्जेन्ड्राइन पैराकीटों को इस कन्वेंशन के प्ररिशिष्ट-2 में शामिल किया गया है। तथापि, मुनिया चिड़िया साईटस के परिशिष्ट में सूचीबद्ध की गई प्रजातियों में शामिल नहीं है।

(ग) से (ङ) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा 13.5.2001 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से 12 लाल मुनिया चिड़िया और 33 एलेक्जेन्ड्राइन पैराकीट जब्त किए गए थे जिनकी लखनऊ के मार्ग से शारजाह में तस्करी की गई थी। एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया है।

(च) अवैध कार्यकलापों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम

(1) वन्य प्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(3) राज्य वन्यजीव प्राधिकारी पक्षियों के व्यापारियों के स्टाक की नियमित जांच करते हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

(1) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(3) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(4) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(5) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(6) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(7) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

(1) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(2) सीमा पारीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं और नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

बागडोगरा विमानपत्तन

2246. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागडोगरा विमानपत्तन के रनवे का विस्तार किया गया है और विमानपत्तन के आधुनिकीकरण को भी पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोलकाता से बागडोगरा और बागडोगरा से कोलकाता तक इंडियन एयरलाइन्स की दैनिक उड़ानों को शीघ्र ही बहाल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बागडोगरा हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण का कार्य करता है। 8 सितम्बर, 2000 को 11.43 करोड़ रुपए की लागत से एक ही समय में 500 यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त एक नये टर्मिनल भवन ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। सीमित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को हैंडल करने के लिए एक सीमा-शुल्क और आव्रजन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भारतीय वायु सेना द्वारा बागडोगरा हवाई अड्डे के धावनपथ को सुदृढ़ और इसमें पुन: कारपेट बिछाने का कार्य किया गया है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स इस समय कोलकाता और बागडोगरा के बीच सप्ताह में तीन उड़ानों का प्रचालन कर रही है। इस समय इंडियन एयरलाइन्स के पास विमानों की कमी के कारण, इस सेवा की आवृत्ति को दैनिक आवृत्ति करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पल्स-रेट में कमी

2247. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन-शुल्क में बढ़ोत्तरी और स्थानीय मुफ्त कालों की संख्या में कमी की वजह से शहरी और ग्रामीण इलाकों के टेलीफोन-अंशदाताओं ने अपने टेलीफोन-कनेक्शन कटवा लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा टेलीफोन कालों की पल्स-रेट को पुन: कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इन कारणों से टेलीफोन सरण्डर करने संबंधी मामले की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दूरभाष-जिलों का कार्यकरण

2248. **श्री अनन्त नायक:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में 2000-2001 के दौरान स्थापित किए गए समस्त दूरभाष-जिलों ने काम करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चम्बल घाटी में भूमि का क्षरण

2249. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में चम्बल घाटी में भूमि-क्षरण से यह बीहड़ में तब्दील हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भूमि-क्षरण को रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1999 के अनुसार 1996-98 की अवधि के दौरान चम्बल घाटी के बीहड़ों वाले भिंड, मुरैना, आगरा तथा इटावा जिलों में वन आवरण में 175 वर्ग कि.मी. की बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) और (ग) देश में वनों की कटाई को रोकने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से वित्तीय सहायता के द्वारा वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(2) वनों के विकास तथा परिरक्षण हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) अवक्रमित वनों की सुरक्षा तथा पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल किए जाने के संबंध में सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करने के उद्देश्य से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(5) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(6) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संसाधनों के संरक्षण और विकास के निवेश में वृद्धि करके पारिस्थितकीय स्थायित्व तथा लोक केन्द्रित विकास हेतु वानिकी एवं वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

नेहरू युवा केन्द्रों का खोला जाना

2250. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, देश में कितने नेहरू युवा केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या 2001-2002 के दौरान, सरकार का अतिरिक्त संख्या में ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) 500

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विमानपत्तनों पर लंबित कार्यों को पूरा करना

2251. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में जो नए/अपूर्ण विमानपत्तन तथा हेलीपैड हैं, उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिन विमानपत्तनों का कार्य अभी अपूर्ण है, उसे एक समय-सीमा के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से कितने विमानपत्तनों का कार्य वर्ष 2002 के दौरान पूरा हो पाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उत्तर प्रदेश में किसी नये हवाई अड्डे/हेलीपैड के निर्माण की कोई योजना नहीं है, और न ही कोई नया हवाई अड्डा/हेलीपैड इस समय निर्माणाधीन है।

[अनुवाद]

बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना

2252. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितनी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं चालू हैं;

(ख) उक्त परियोजनाओं का कार्य किन-किन वर्षों में शुरू किया गया और इसमें क्या प्रगति हासिल की गयी; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) देश में इस समय 64 बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन परियोजनाओं को शुरू करने की योजना, अद्यतन अनुमानित लागत, वित्तीय प्रगति (राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) सहित इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

(क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिस योजना में शुरू हुई	नवीनतम अनुमानित लागत	नौवीं योजना परिव्यय	3/2000 तक संचयी व्यय	चरम क्षमता	आठवीं योजना के अंत तक सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
	आन्ध्र प्रदेश						
1.	नागार्जुन सागर	II	1025.00	115.00	977.65	895.28	808.91
2.	श्रीरामसागर चरण-I	III	2425.00	1061.00	1422.26	414.00	255.04
3.	सिंगुर	V	180.00	25.47	161.35	जल आपूर्ति स्कीम	
4.	श्री सैलम दांयी शाखा नहर	VI	1600.00	539.61	793.14	76.89	
	श्री सैलम बांयी शाखा नहर	VI	1260.00	400.00	304.27	121.41	
5.	येलुरू जलाशय	VI	335.34	50.00	308.51		
6.	तेलुगू गंगा	VI	2347.00	560.00	1304.07	233.00	12.54

1	2	3	4	5	6	7	8
	बिहार						
7.	गंडक फेज-2	VII	578.27	32.00	97.02	236.00	7.50
8.	उत्तर कोयल	V	814.74	62.00	484.41	104.72	35.00
	झारखण्ड						
9.	सुबर्णरेखा	V	2376.15	90.00	917.73	236.85	0.00
10.	तिलैया	V	301.79	20.00	42.72	48.60	0.00
	गोवा						
11.	सलौली	IV	153.00	50.00	136.40	21.24	8.27
	गुजरात						
12.	सरदार सरोवर (आईएस)	VI	22176.95	14000.00	5531.07	1792.00	14.99
	कर्नाटक						
13.	भद्रा	I	155.23	17.00	165.27	105.57	105.57
14.	तुंगभद्रा बांध और बांया तट नहर	I	319.09	27.00	244.52	244.38	244.20
15.	तुंगभद्रा एचएलसी (आईएस)	II	79.48	10.00	51.83	80.91	70.44
16.	वराही	VII	122.50	50.00	20.00	15.70	
	केरल						
17.	कल्लडा	III	698.00	160.00	600.48	92.80	44.00
18.	इदमलयार	VI	107.00	90.00	103.62	43.19	5.00
	मध्य प्रदेश						
19.	कोलार	IV	195.00	19.90	178.89	60.90	33.00
20.	सिंध फेज-I	IV	56.43	4.65	48.67	53.00	36.20
21.	बाणसागर (आई.एस.)	V	936.00	105.00	496.40	0.00	0.00
	यूनिट-I						
	बाणसागर (आई.एस.)	V	344.66	20.00	158.18	249.00	0.00
	यूनिट-II						
22.	बार्गी बांध (एनवीडीए)	V	759.00	120.50	494.01	219.80	24.00
23.	इंदिरा सागर (एनवीडीए)	VI	1574.00	501.00	400.78	169.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	माही	VI	192.85	–	50.15	26.40	0.00
25.	सिंध फेज-II	VI	607.67	–	134.83	162.00	887.70
26.	पेंच डाइवर्जन	VIII	184.04	0.00	8.17	96.52	0.00
27.	ओमकारेश्वर	VIII	755.00	10.29	11.87	283.32	0.00
	छत्तीसगढ़						
28.	हसदेव बांगो	वा.यो. 78-80	858.32	125.00	637.86	327.84	166.40
29.	महानदी जलाशय	IV	1223.45	430.20	440.76	304.20	110.40
	महाराष्ट्र						
30.	खड़कवासला	II	343.86	63.86	241.20	62.15	56.36
31.	भीमा	III	918.56	27.07	699.70	259.54	184.44
32.	वार्ना	वा.यो. 66-69	992.82	385.70	309.00	113.92	53.60
33.	कुकादी	वा.यो. 66-69	1044.93	394.77	827.00	156.28	74.34
34.	अपर तापी	IV	172.12	17.21	129.73	55.14	50.50
35.	भातसा	V	322.49	151.50	190.17	42.55	8.88
36.	दुधगंगा (आईएस)	V	798.65	391.94	243.70	46.95	0.60
37.	अपर वर्धा	V	661.86	91.14	484.61	80.25	37.82
38.	अपर गोदावरी	V	133.23	40.84	94.41	67.29	61.26
39.	अपर पेनगंगा	V	1050.00	250.00	429.72	111.53	61.79
40.	वाघुर	V	189.32	74.59	61.35	26.32	0.00
41.	सूर्या	वा.यो. 78-80	175.14	8.49	182.69	27.19	22.55
42.	तिल्लारी (आईएस)	वा.यो. 78-80	167.70	200.07	179.77	9.68	0.29
43.	लोवर वुन्ना	VI	261.33	64.86	296.68	20.78	6.87
	उड़ीसा						
44.	पोट्टेरू	IV	148.07	–	141.03	109.88	54.17
45.	रेंगाली बांध	IV	40.77	–	41.51		
46.	रेंगाली सिंचाई	IV	2316.77	980.12	622.98	423.63	
47.	अपर कोलाब बांध	V	48.81	–	53.71		
	अपर कोलाब सिंचाई	V	304.00	78.00	249.90	88.70	74.06

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	अपर इंदिरावती बांध	V	176.16	–	127.04		
49.	अपर इन्द्रावती सिंचाई	वा.यो. 78-80	718.70	272.00	422.90	218.60	41.31
	पंजाब						
50.	रंजीतसागर बांध	VI	2625.99	–	2187.84	348.00	
51.	सतलज-यमुना संपर्क नहर	VI	753.54	18.00	525.84	130.00	
	राजस्थान						
52.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II	V	2267.44	1075.00	1564.24	964	
53.	बीसलपुर सिंचाई	VII	228.30	100.37	206.31	49.90	
54.	नर्मदा (एस.एस.पी.)		548.00	103.800	208.93	73.16	
55.	सिधमिख नहर	VII	308.77	175.240	217.98	67.36	
56.	जाखम	III	104.00	7.23	105.20	23.50	23.50
57.	माही बजाज सागर (आई.एस.)	IV	1016.98	210.00	626.81	123.50	
	त्रिपुरा						
58.	गुमवती	V	50.00	23.63	37.80	9.80	2.00
	उत्तर प्रदेश						
59.	राजघाट बांध (उत्तर प्रदेश हिस्सा (आई.एस.)	V	150.30	0.00	133.08	138.67	–
	राजघाट नहर (उ.प्र.)	V	230.95	77.85	191.46	–	32.57
60.	पथराई बांध	VII	48.33	12.60	38.33	3.77	0.00
	उत्तरांचल						
61.	लखवर व्यासी	V	578.40	200.00	191.50	40.00	0.00
62.	टेहरी बांध (उ.प्र. हिस्सा)	79-80	711.14	300.00	374.29	270.00	0.00
	पश्चिम बंगाल						
63.	बराज सिंचाई डीवीसी	I	60.00	4.03	75.08	510.11	485.00
64.	तीस्ता बाजार चरण-I फेज-I	V	1177.00	500.00	831.78	527.00	91.31

पुराने ऑटो-डायलिंग टेलीफोन उपकरणों को बदलना

2253. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) का वर्ष 2001-2002 के दौरान पांच वर्ष पुराने ऑटो-डायलिंग टेलीफोन उपकरणों को, बिना कोई शुल्क लिए, बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) एम.टी.एन.एल., दिल्ली की योजना पांच वर्ष से अधिक पुराने सभी टेलीफोन उपकरणों को बदलने की है। पहले चरण में, वर्ष 2001-2002 के दौरान, 8 वर्ष से अधिक पुराने उपकरणों को बदला जा रहा है।

एम.टी.एन.एल., मुंबई में सभी आटो डायलिंग उपकरणों को पुश बटन उपकरणों से बदला जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 1995-96 में कार्यरत सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) के इलेक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोनों (ईपीबीटीएस) को बदलने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है।

55% ईपीबीटी को 2001-2002 के दौरान बदला जाएगा।

45% ईपीबीटी को 2002-2003 के दौरान बदला जाएगा।

हैदराबाद स्थित "जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का कार्गो काम्पलेक्स"

2254. श्री एन.आर.के. रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हैदराबाद विमानपत्तन स्थित "जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का कार्गो काम्पलेक्स" (पेरिशेबल कार्गो काम्पलेक्स) को आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम (ए.पी.एस.टी.सी.) को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) निविदाओं के आधार पर हैदराबाद स्थित जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के कार्गो केन्द्र को दिनांक 7.6.2001 को आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया गया है।

मादक औषधियों के सेवन परीक्षण के आशय का परिपत्र

2255. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस आशय के परिपत्र/आदेश पारित किए हैं कि खिलाड़ियों का मादक औषधि सेवन-परीक्षण (डोप-टेस्ट) किए बगैर उनके द्वारा बनाए गए किसी भी राष्ट्रीय रिकार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी और न ही किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय दल के सदस्य के बतौर जाने की अनुमति दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन खिलाड़ियों के नाम क्या है, जिनका सरकार द्वारा उक्ताशय के आदेश पारित कर देने के बाद भी डोप-टेस्ट के लिए परीक्षण नहीं किया गया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों में छूट

2256. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों के निकट के ग्रामों में, टेलीफोन बिलों में छूट देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों को यह रियायत दी जानी है; और

(घ) इसे अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा और कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) शहरी क्षेत्रों से जुड़े गांवों के टेलीफोन बिलों में रियायत देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी.डी.एम.ए. प्रणाली

2257. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''वायरलैस इन लोकल लूप'' (डब्ल्यू.एल.एल.) टेलीफोन हैण्डसेटों के कनेक्शन को व्यापक प्रभाव क्षेत्र वाली नयी सी.डी.एम.ए. प्रणाली के विस्तार के उद्देश्य से लाया गया, किन्तु 3 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी, नयी सी.डी.एम.ए. प्रणाली हेतु परिवर्तन अभी तक नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या डब्ल्यू.एल.एल. हैण्डसेटों की सी.डी.एम.ए. प्रणाली लेने वाले अंशदाताओं को, 10 अंकों वाले टेलीफोन नम्बरों को 7 अंकों वाले नम्बरों में परिवर्तित कर लेने के बाद भी विस्तृत कार्यक्षेत्र नहीं मिल पाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डब्ल्यू.एल.एल. हैण्डसेट-कनेक्शन का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एम.टी.एन.एल. ने संस्थापनाधीन नई सी.डी.एम.ए. प्रणाली के अनुसार मौजूदा डब्ल्यू.एल.एल. उपभोक्ताओं के हैंडसेटों के प्रोग्रामिंग के लिए मंगाया है। तथापि, ये हैंडसेट अभी भी मौजूदा सी.डी.एम.ए. प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं और नई सी.डी.एम.ए. प्रणाली के चालू होने पर ही वे नई प्रोग्रोमिंग के अनुसार काम करेंगे। इस उपभोक्ताओं के हैंडसेटों के परिवर्तन की तारीख उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से सूचित की जाएगी।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सी.डी.एम.ए. डब्ल्यू.एल.एल. के उपभोक्ताओं का नंबर 10 अंकों से बदल कर 7 अंकों में कर दिया गया है। तथापि, चूंकि सी.डी.एम.ए. प्रणाली वही है, अत: उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं भी पहले की भांति वही हैं। महानगर टेलीफोन निगम लि. नया सी.डी.एम.ए. नेटवर्क चालू करने के लिए कार्रवाई कर रहा है जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस वित्तीय वर्ष के भीतर।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा निधियों का दुरूपयोग

2258. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ''एअर इंडिया'' में निधियों का दुरूपयोग किए जाने के संबंध में इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि वह इस पर विधिक राय लें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के आदी पाए गए व्यक्ति

2259. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को 140 उन खिलाड़ियों के बारे में सूचना दी है, जिन्हें परीक्षण करने पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का आदी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''साई'' की डोप-परीक्षण प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मान्यता प्राप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के आयोजन के पूर्व और पश्चात्, डोप-परीक्षण करने संबंधी कोई नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो अनुपालित की जा रही नीति का ब्यौरा क्या है और पिछली पांच राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के पूर्व और पश्चात् कितने खिलाड़ियों को परीक्षण करने पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का आदी पाया गया अथवा इसके परिणाम क्या रहे एवं तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी, हां।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश पर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उन खिलाड़ियों की सूची जिनके सकारात्मक होने के संकेत मिले थे, मुहरबंद लिफाफे में माननीय न्यायालय को इस अनुरोध के साथ भेजी गयी है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की डोप नियंत्रण प्रयोगशाला न तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अधिकृत है और न ही पूरी तरह से उपकरणों से सुसज्जित है, अतः परिणामों को केवल सांकेतिक रूप में लिया जा सकता है और न कि प्रमाणिक रूप में।

(घ) और (ङ) हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता हेतु अपनी योजना को इस प्रभाव से संशोधित किया है कि सहायता के लिए पात्र होने के वास्ते परिसंघ यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके सभी खिलाड़ियों का डोप परीक्षण संबंधित खेल विद्या के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा निर्धारित मानदण्डों/स्तरों के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते समय, सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को एक वचन देना चाहिए कि डोप परीक्षण संबंधित खेल विधाओं के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

विभागेतर अभिकर्त्ताओं की मांगें

2260. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभागेतर अभिकर्त्ताओं की विभिन्न मांगों पर सरकार अभी भी विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त अभिकर्त्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए विशिष्ट नियम बनाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों से संबंधित मांगों के संबंध में उचित रूप से विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित लाभ की अनुमति देते हुए दिनांक 17.12.1998 को आदेश जारी कर दिए गए:

(1) ग्रामीण डाक सेवकों को 1.1.96 से 28.2.1998 की अवधि के लिए 3.25 के गुणक से बढ़ा हुआ मासिक भत्ता।

(2) दिनांक 1.3.98 से, कार्यभार से संबंधित मासिक भत्ते के बदले में समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टी आर सी ए)।

(3) ग्राह्य अनुग्रह उपदान की राशि को 6,000/- रु. से बढ़ाकर 18,000/- रु. करना।

(4) प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 10 दिन की दर पर सवेतन अवकाश जिसमें अग्रेनीत अवकाश या अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं है।

(5) शाखा पोस्टमास्टर के ग्राह्य कार्यालय रख-रखाव भत्ते को 25/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 50/- रु. प्रतिमाह करना।

(6) 65 वर्ष की आयु में सेवामुक्त होने या सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने या विभागीय पद पर खपाए जाने से, सेवायोजन की अवधि के आधार पर, 20,000/- रु. अथवा 30,000/- रु. की एकमुश्त सेवा-विच्छेद राशि।

नाम पद्धति में परिवर्तन की मांग भी पूरी कर दी गई है और संशोधित ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं सेवायोजन) नियमावली, 2001 के अनुसार, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अब ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है।

(घ) ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं सेवायोजन) नियमावली, 2001 में ग्रामीण डाक सेवकों की नियमित नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। भर्ती नियमों में समूह 'घ' पोस्टमैन/मेल गार्ड और डाक सहायक/छंटाई सहायक के संवर्गों के लिए, पात्रता के मानदंड पूरे करने वाली ग्रामीण डाक सेवकों (जी डी एस) को विशेष प्राथमिकता देने का प्रावधान भी है।

(ङ) सभी समूह 'घ' पद वरिष्ठता के आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों से भरे जाते हैं बशर्ते कि सेवायोजन संतोषजनक हो। पोस्टमैन/मेल गार्डों के संवर्ग में 50% रिक्त पद परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले समूह 'घ' कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। शेष 50% रिक्त पद अंशतः सेवायोजन में वरिष्ठता द्वारा और अंशतः विभागीय परीक्षा के माध्यम से योग्यता द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों में से भरे जाते हैं। डाक सहायक/छंटाई सहायक संवर्ग में विभागीय कोटे के रिक्त पद पहले ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान किए जाते हैं। बाहरी कोटे के संबंध में भी ग्रामीण डाक सेवकों को ओपन मार्केट के उम्मीदवारों से अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त होने पर भी उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का लाभ मिलता है।

उड़ीसा में हस्ति-अभयारण्य का अनुरक्षण

2261. **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नन्दनकानन के निकट चंदखा स्थित हस्ति-अभयारण्य को संरक्षित रखने तथा इसका समुचित अनुरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या हाथियों ने काफी नुकसान किया है और निकटवर्ती ग्रामों में रहने वाले कई व्यक्तियों को मार डाला है; और

(ग) यदि हां, तो निर्दोष ग्रामवासियों के प्राणों की सुरक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) इस चंदखा हस्ति अभयारण्य की सुरक्षा और समुचित रख-रखाव के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) 5 अवैध शिकाररोधी कैंप लगाए गए हैं और अभयारण्य में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जा रही है।

(2) वायरलैस नेटवर्क की सहायता से नव अपराधों और हाथियों के आवागमन के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए प्रबंध किए गए हैं।

(3) अवक्रमित वासस्थलों को हरा-भरा बनाने के लिए वहां पेड़-पौधे उगाने का काम शुरू किया जा रहा है। ऐसे पौधे उगाए जा रहे हैं जो हाथियों के भोजन के काम आ सकते हों।

(4) अभयारण्य पर लोगों की निर्भरता कम करने के लिए अभयारण्य की परिधि में आने वाले गांवों में पारि-विकास गतिविधियां चलाने का विचार है।

(5) मौजूदा हाथी प्रूफ ट्रैंचों की मरम्मत और नए हाथी प्रूफ ट्रैंचों को बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ख) आवास संबंधी स्कीमें आरक्षित वनों के अत्यन्त निकट बनाई गई है जिससे हाथी वहां आ जाते हैं और वहां उनकी मानवजाति से भिड़न्त की घटनाएं हो जाती हैं। इस तरह की दुर्घटना भरी भिड़न्तों के कारण वर्ष 2000 के दौरान दो और वर्ष 2001 के दौरान चार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति थे जो हाथियों के आने-जाने के रास्ते में आ गए थे।

(ग) ग्रामीणों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) हाथियों को उनके लिए निर्धारित वासस्थलों में बनाए रखने के लिए बाड़ लगाई जा रही हैं और ट्रैंचों का पुनरोद्धार किया जा रहा है।

(2) अभयारण्य के कोर एरिया में आने वाले गांवों को अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे हाथी-मानव भिड़न्तों में कमी आएगी। 84 परिवारों को पहली ही अन्य स्थानों पर बसाया चुका है।

(3) हाथियों को पर्याप्त भोजन मुहैया कराने के लिए बगानों का संवर्द्धन किया जाता है।

(4) हाथियों द्वारा किए जाने वाले विध्वंस से निपटने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

बांधों का निर्माण

2262. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास, नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलबंध करके उनके तीव्र प्रवाह से होने वाली नुकसान रोकने तथा इस जल का बेहतर तथा उपयोगी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): जी, हां। नेपाल से निकलने वाली नदियों से संबंधित निम्नलिखित नदी-घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर इस समय नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है:

(1) महाकाली (भारत में शारदा) नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना।

(2) कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध और सन कोसी परियोजनाएं।

(3) कमला नदी पर कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना।

(4) बागमती नदी पर बागमती बहुउद्देश्यी परियोजना।

जहां तक पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना का संबंध है, इसके लिए एक संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सप्तकोसी और सनकोसी परियोजनाओं के लिए, संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तथा संयुक्त परियोजना कार्यालय खोले जाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत और नेपाल के संयुक्त विशेषज्ञ दल की तीसरी बैठक मार्च, 2001 में नई दिल्ली में आयोजित की गई

थी। बागमती और कमला बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में दोनों सरकारों के बीच व्याप्त कुछ तकनीकी मुद्दों का समाधान करने के वास्ते भारत और नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

एअर इंडिया का धनार्जन

2263. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2000-2001 के दौरान, ''एअर इंडिया'' ने अप्रयुक्त द्विपक्षीय स्रोतों के माध्यम से काफी धनराशि कमाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक देश से उसने कुल कितनी धनराशि जुटाई है;

(ग) इससे उसकी वित्तीय दशा के सुधरने तथा घाटे को पूरा करने में कहां तक सहायता मिली है; और

(घ) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान ऐसे स्रोतों से एअर इंडिया को कितनी धनराशि देय है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) 2000-2001 के दौरान, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक प्रबंधों से एअर इंडिया का कुल राजस्व 240.41 करोड़ रुपए था। इसमें से 29.81 करोड़ रुपए की राशि उन छ: एयरलाइनों से अर्जित की गई थी जो एअर इंडिया की अप्रयुक्त हकदारियों का उपयोग कर रही थी।

(ग) उपरोक्त वर्णित राशि से एअर इंडिया को होने वाली हानियों में कमी आई है।

(घ) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक प्रबंधों से एअर इंडिया को कुल राजस्व क्रमश: 162.47 करोड़ रुपए और 219.12 करोड़ रुपए था।

कर्नाटक में क्रीड़ांगण के लिए सहायता

2264. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक के गडग स्थित अंजुमन-ए-इस्लाम पॉलीटेक्निक के क्रीड़ांगन के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ धनराशि को कब तक जारी कर दिया जाएगा?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रस्ताव दिनांक 16.11.2000 को प्राप्त हुआ था। चूंकि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पॉलीटेक्नीक को वित्तीय सहायता स्वीकार्य नहीं है, अत: राज्य सरकार/पॉलीटेक्नीक को दिनांक 5.12.2000 को सलाह दी गई थी कि वे विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन की योजना के अंतर्गत प्रस्ताव पुन: तैयार करें। संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

एम.टी.एन.एल. द्वारा कैश-कार्ड शुरू करना

2265. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) का दिल्ली में ''कैश-कार्ड'' सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त सुविधा का देश के अन्य भागों में विस्तार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) एम.टी.एन.एल., ''एमटीएनएल, वीसीसी कार्ड'' के नाम से ''कैश कार्ड'' सेवा पहले ही प्रदान कर रहा है। वर्चुअल कालिंग कार्ड (वीसीसी) क्रमश: 100, 200, 500, 1000 और 2000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है। इससे प्रयोक्ता वर्चुअल क्रेडिट कार्ड नम्बर का प्रयोग करके इन्टेलीजैन्ट नेटवर्क के माध्यम से किसी भी टेलीफोन से (कार्ड की किस्म के अनुसार, स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय) किसी भी स्थान के लिए कॉल कर सकता है कालों को प्रभारित किया जाता है और प्रयोक्ता के खाते में डेबिट किया जाता है और कालिंग टेलीफोन नम्बर पर कोई

प्रभार नहीं लगाए जाते हैं। इस सुविधा के अन्तर्गत उपभोक्ता को टेलीफोन का उपभोक्ता होना और कालों के भुगतान के लिए नकदी रखना आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ) वीएसएनएल ने भी इंडिया टेलीकॉम कार्ड (आईटीसी), के नाम से इन कैश कार्डों की शुरूआत की है।

30.06.2001 की स्थिति के अनुसार यह सुविधा 145 शहरों में उपलब्ध है।

''जोनिंग एटलस परियोजना'' का कार्य-निष्पादन

2266. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में अपनी ''जोनिंग एटलस परियोजना'' की सफलता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) ''जोनिंग एटलस परियोजना'' को सशक्त बनाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) सरकार जोनिंग एटलस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा कर रही है। पुनरीक्षा समिति की बैठक में जोर इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति पर दिया जाता है, इन उद्देश्यों में जोनिंग एटलस क्रियाकलापों से होने वाले क्षमता निर्माण और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि तथा उनकी उपयोगिता शामिल है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जोनिंग एटलस प्रोजेक्ट को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपाए निम्नलिखित हैं:

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2000 में आकाशीय पर्यावरणीय योजना केन्द्र की स्थापना उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में की थी। केन्द्र में आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी, उपकरण और जीआईएस सोफ्टवेयर उपलब्ध है।

(2) ऐसे ही उत्कृष्टता केन्द्र पर्यावरण सुरक्षा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद केरल, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिरूअनंतपुरम, त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अगरत्तला और पश्चिम बंगाल विज्ञान एवं तकनीकी राज्य परिषद कोलकाता के लिए भी अनुमोदित किये गये हैं। इसके साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आवश्यक जनशक्ति भी उपलब्ध कराई गई है ताकि जोनिंग एटलस प्रोजेक्ट को सुदृढ़ किया जा सके।

(3) विभिन्न राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/आकाशीय पर्यावरणीय प्लानिंग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसियों को, जी आई एस सोफ्टवियर, एन सी डी प्रोजेक्टर, पर्सनल कम्प्यूटर इन्टरनेट कनेक्शन इत्यादि जैसे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

(4) उद्योगों के लिए जोनिंग एटलस, औद्योगिक योजना इत्यादि जैसे आकाशीय पर्यावरणीय योजना कार्य से जुड़ी कार्यकारी एजेंसियों/विभिन्न राज्यों से भाग लेने आए दलों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/आकाशीय पर्यावरणीय योजना की क्षमता में वृद्धि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए क्षमता वृद्धि से संबंधित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

(5) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर पालिका एवं शिक्षा संस्थाएं जैसे विभिन्न संगठनों में आकाशीय पर्यावरणीय प्लानिंग क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की तकनीकी एवं प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए एक विस्तृत मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाया गया है।

प्रवर्तन तंत्र में सुधार

2267. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप औद्योगिक गतिविधियों और व्यापार और व्यवसाय के विस्तार में देश में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन तंत्र व्यापार और व्यवसाय के विस्तार के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने प्रवर्तन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) आर्थिक वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय और अन्य सेवा क्षेत्रों में अनेक नए व्यापार और कारोबार के अवसरों का सृजन हुआ है। श्रम कानूनों के प्रवर्तन और प्रशासन के प्रतिमानकों की अनुरूपता के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के लगभग 2 लाख प्रतिष्ठानों में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, श्रम विधान का प्रशासन और प्रवर्तन विभिन्न ग्रेडों के लिए 260 अधिकारियों के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) वित्तीय दबावों पर विचार करने के बाद, प्रवर्तन तंत्र के आवर्धन और सुदृढ़ीकरण की प्लान स्कीम के अन्तर्गत प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भिन्न-भिन्न ग्रेडों में अधिकारियों के 48 अतिरिक्त पदों और सहायक स्टाफ के 234 पदों के सृजन के लिए योजना आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में नेहरू युवा केन्द्र की गतिविधियां

2268. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में नेहरू युवा कन्द्रों के क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जोधपुर जिले का नेहरू युवा केन्द्र कोई क्रियाकलाप आयोजित नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) राजस्थान राज्य में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित किए गए मंत्रालय के नियमित कार्यक्रमों तथा योजनाओं से संबंधित ब्यौरा और पिछले तीन सालों में उनकी उपलब्धियां क्रमश: विवरण-I और II में दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं। नेहरू युवा केन्द्र जोधपुर, राज्य में स्थित अन्य केन्द्रों की भांति कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र जोधपुर द्वारा आयोजित किए गए अलग-अलग नियमित कार्यक्रमों से संबंधित ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-2001 के दौरान राजस्थान राज्य में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा आयोजित नियमित कार्यक्रमों की उपलिब्धयां

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	उपलब्धियां		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम	92	102	151
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	123	96	160
3.	जागरूकता अभियान/सामाजिक अभियान	168	89	128
4.	कार्य शिविर	92	51	106
5.	खेल संवर्धन	194	133	139
6.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	–	72	90
7.	दिवस तथा सप्ताह मनाना	809	399	862
8.	कार्यशाला एवं सेमिनार	52	46	53
9.	साहस संवर्धन कार्यक्रम	–	10	90

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-2001 के दौरान युवा केन्द्र संगठन द्वारा राजस्थान में कार्यान्वित की गई युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	योजना का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक (स्वयंसेवकों की संख्या)	342	172	205
2.	युवा क्लबों को वित्तीय सहायता (क्लबों की संख्या)	39	26	2
3.	उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार (क्लबों की संख्या)	6	9	13
4.	युवा विकास केन्द्र (केन्द्रों की संख्या)	1	3	2

विवरण-III

पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र जोधपुर द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम

क्रम सं.	नियमित कार्यक्रमों के नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम	6
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2
3.	जागरूकता अभियान	4
4.	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह मनाना	32
5.	खेल संवर्धन	4
6.	कार्य शिविर	4
7.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	3
8.	कार्यशाला एवं सेमिनार	2
9.	साहस संवर्धन कार्यक्रम	3
	कुल	60

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

2269. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय मौजूदा इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितने एक्सचेंजों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार, मौजूदा इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों और 2001-2002 के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मौजूदा इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	2001-2002 के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित इलेक्टानिक टेलीफोन एक्सचेजो की सं.
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	94	11
2.	आन्ध्र प्रदेश	2768	200

1	2	3	4
3.	असम	483	42
4.	बिहार	912	110
5.	छत्तीसगढ़	550	41
6.	गुजरात	2869	127
7.	गोवा	108	5
8.	हरियाणा	916	30
9.	हिमाचल प्रदेश	781	60
10.	झारखण्ड	352	90
11.	जम्मू-कश्मीर	300	20
12.	कर्नाटक	2511	125
13.	केरल	978	50
14.	मध्य प्रदेश	2532	23
15.	महाराष्ट्र	4536	222
16.	मेघालय	74	2
17.	मिजोरम	62	2
18.	त्रिपुरा	63	3
19.	मणिपुर	35	8
20.	नागालैंड	49	8
21.	उड़ीसा	992	50
22.	पंजाब	1267	68
23.	राजस्थान	2061	100
24.	तमिलनाडु	1920	79
25.	उत्तर प्रदेश	2892	103
26.	उत्तरांचल	386	25
27.	पश्चिम बंगाल	1301	186
28.	सिक्किम	42	4
29.	दिल्ली	201	25

डाकघर खोलना

2270. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2001-2002 के दौरान देश में डाकघर खोलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान लक्ष्य कहां तक प्राप्त किया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2001-2002 में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित सर्किलवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) गत तीन महीनों के दौरान डाकघर नहीं खोले गए हैं।

विवरण

योजना वर्ष 2001-2002 में डाकघर खोलने के वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	1
2.	असम	35	2
3.	बिहार	60	5
4.	छत्तीसगढ़	25	1
5.	दिल्ली	2	2
6.	गुजरात	20	3
7.	हरियाणा	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	13	1
10.	झारखंड	30	2
11.	कर्नाटक	20	2

1	2	3	4
12.	केरल	2	1
13.	मध्य प्रदेश	21	3
14.	महाराष्ट्र	70	7
15.	उत्तर-पूर्व	35	2
16.	उड़ीसा	14	2
17.	पंजाब	6	2
18.	राजस्थान	20	2
19.	तमिलनाडु	5	2
20.	उत्तर प्रदेश	45	2
21.	उत्तरांचल	25	1
22.	पश्चिम बंगाल	30	5
	कुल	500	50

इंडियन एयरलाइन्स के मार्केट शेयर में वृद्धि

2271. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया एयरलाइन्स ने अपने अगस्त, 2000 में 44.3% मार्केट शेयर में मार्च 2001 की तुलना में 50 प्रतिशत वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स को अपने मार्केट शेयर में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2000-2001 में 177 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स ने कई वर्षों से अपने किराया भाड़ों में परिवर्तन नहीं किया जबकि इसके प्रतिद्वंदी कंपनी जेट एयरवेज ने 2000-2001 में अपने-अपने किराया भाड़ों में 10% की वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स में प्रति विमान 400 व्यक्तियों का भार है जबकि जेट एयरवेज में इसकी तुलना में प्रति विमान कर्मचारियों का औसत 140 है; और

(ङ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण उत्साह को पुन:संचार करने और विनिवेश प्रक्रिया के दौरान बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अगस्त, 2000 से मार्च, 2001 तक की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स का विपणन शेयर निम्नानुसार है:-

मास और वर्ष	विपणन शेयर (%)
अगस्त, 2000	42.3
सितम्बर, 2000	43.3
अक्टूबर, 2000	45.5
नवम्बर, 2000	49.6
दिसम्बर, 2000	50.1
जनवरी, 2001	50.5
फरवरी, 2001	49.9
मार्च, 2001	48.3

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए कंपनी का राजस्व और व्यय बजट दिसम्बर, 1999 में तैयार और अनुमोदित किया गया था जिसमें तत्कालीन लागत मूल्य के हिसाब से 28.75 करोड़ रुपए का निवल मुनाफा प्रक्षेपित था। दिसम्बर, 1999 में बजट स्वीकृत होने के बाद विमानन टर्बाईन ईंधन के मूल्य में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और दूसरे लागत मूल्य यथा अवतरण एवं दिक्चालनात्मक प्रभार, विदेशी मुद्रा दर, बीमा प्रीमियम, सुरक्षा व्यय इत्यादि में वृद्धि होने से कंपनी पर 300 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय बोझ आ पड़ा। इसके फलस्वरूप वर्ष 2000-2001 के संशोधित प्राक्कलन में 177.25 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया। इस वर्ष के वार्षिक लेखे का इस समय लेखा परीक्षण किया जा रहा है। यदि ऊपर वर्णित मदों की मूल्य वृद्धि नहीं होती, कंपनी को वित्त वर्ष 2000-2001 के अंत में 28.75 करोड़ रुपए के बजटीय लाभ से अधिक मुनाफा हुआ होता।

(ग) सन् 2000-2001 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स ने घरेलू नेटवर्क के किराए में कोई संशोधन नहीं किया है। यद्यपि, इसने कुछ चुने हुए मार्गों पर किराए में 25 मई, 2001 से सीमित वृद्धि की है।

(घ) एलायंस एयर सहित इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों की संख्या 21,168 है जिससे कर्मचारी व विमान का अनुपात 1:385 का है।

(ङ) कंपनी निरंतर सुधरी हुई उत्पादकता व वित्तीय कार्य निष्पादन प्राप्त करने के लिए लक्ष्य सुनिश्चित कर इस बाबत निदेश

जारी करती है। इस दिशा में कंपनी द्वारा विविध उपाय निम्नानुसार है:-

- फ्लेक्सिबल किराए की शुरूआत।
- सख्त बजटीय नियंत्रण।
- बेहतर विमान बेड़ा उपयोगिता।
- विमान में उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- विपणन की दिशा में पहल।
- लागत नियंत्रण उपाय
- यूनियनों/एसोसिएशनों व कर्मचारियों के साथ निरंतर बातचीत।

बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए मानव संसाधन की दिशा में पहल और अभिवृत्ति में परिवर्तन।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 का चार लेनों में किया जाना

2272. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 को चार लेन में परिवर्तित किये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाई है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में सौंपे गए कार्यों और शुरू किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटित की गई धनराशि और अब तक समवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितनी लंबाई की सड़क बनाई जा चुकी है और उक्त परियोजना को अनुमानत: कितने समय में पूरा किया जाना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) मध्य प्रदेश में लखनडन से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर चार लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल किया गया है और इसे दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) तमिलनाडु में 295.85 करोड़ रु. की लागत से 88.18 कि.मी. लंबाई का कार्य शुरू किया गया है।

(ग) वर्ष 2001-2002 में तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर चार लेन बनाने के लिए 115 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। जून, 2001 तक इन कार्यों पर 64.23 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) तमिलनाडु में पहले ही शुरू किए गए कार्य विकास के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें दिसम्बर, 2001 से जून, 2004 की अवधि के दौरान पूरा कर लेने की संभावना है। तमिलनाडु में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर चार लेन बनाने का कार्य दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संरक्षण योजना

2273. **श्री पदमसेन चौधरी:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण योजनाओं के बावजूद पर्यावरणीय स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू की जा रही योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रदूषण उपशमन; वनीकरण और पारि-पुनरुद्धार, वनस्पतिजगत और प्राणीजगत प्रजातियों का सर्वेक्षण और अभिनिर्धारण; सुरक्षा क्षेत्र नेटवर्क जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जीवमंडल रिजर्व शामिल हैं, के माध्यम से स्व:स्थाने संरक्षण; नमभूमियों, कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और प्रबंधन शामिल है। इन कार्यक्रमों से पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।

(ग) और (घ) कार्य निष्पदान बजट, वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय पर्यावरण संरक्षण की सभी स्कीमों की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके तथा बीच में उपयुक्त सुधार किए जा सके।

[अनुवाद]

विमान यातायात का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन

2274. डा. वी. सरोजा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आने वाले दशक में महत्वपूर्ण विमानपत्तनों की क्षमता और विमान यातायात में वृद्धि करने हेतु कोई मूल्यांकन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सन् 2011-2012 तक देश में बड़े हवाई अड्डों पर यात्री यातायात के पूर्वानुमान का परिकलन करने का प्रयास किया है। यात्री यातायात पूर्वानुमान के लिए वर्ष 2000-2001 को आधार वर्ष मानते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 5.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर, घरेलू हवाई अड्डों पर 5.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष और सभी प्रमुख हवाई अड्डों में समग्र वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत का अनुमान लगाया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर वार्षिक यात्री प्रचालन क्षमता घरेलू हवाई अड्डों में 274.2 लाख यात्रियों की यातायात मांग के स्थान पर 392.8 लाख और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 139.08 यात्रियों की जगह 146.82 लाख है।

लंबी दूरी संबंधी प्रभार

2275. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूर-संचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारत संचार निगम लिमिटेड को प्राइवेट बेसिक और सेल्यूलर आपरेटरों को लंबी दूरी के लिए घटे हुए प्रभारों का लाभ देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत संचार निगम लिमिटेड की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) टीआरएआई के उक्त निर्णय के कार्यान्वयन से बीएसएनएल को राजस्व का भारी घाटा होगा। प्राइवेट बुनियादी और सेल्यूलर आपरेटरों के उपभोक्ताओं को रियायती एस.टी.डी. प्रभारों के लाभ बीएसएनएल के अपने उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित दूरी से भी अधिक होंगे और इस प्रकार यह पक्षपातपूर्ण होगा। अत: बी.एन.एन.एल. ने टीआरएआई के उक्त निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष अपील दायर की, जिसमें अगले आदेशों तक टीआरएआई के निर्णय के कार्यान्वयन पर स्थगनादेश दे दिया।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं हैं।

नये टेलीफोन एक्सचेंज

2276. श्री भान सिंह भौरा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में विशेषकर भटिंडा में नये टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने और मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या बुनियादी अवसंरचनात्मक उपस्करों की अनुपलब्धता के कारण कुछ विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पंजाब दूरसंचार सर्किल में 368 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लक्ष्य है। इसमें, भटिंडा एसएसए में 45 नए टेलीफोन एक्सचेंज शामिल हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार सहित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का लक्ष्य 1689000 लाइनों का है, जिसमें भटिंडा एसएसए में 98000 लाइनें शामिल हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब के लिए निधियों का संचयी आबंटन 2923.36 करोड़ रु. है तथा भटिंडा एसएसए के लिए यह आबंटन 198.12 करोड़ रु. है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय समीक्षा समिति

2277. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन सभी खनन संबंधी परिचालनों की पर्यावरणीय समीक्षा समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के उद्देश्य और निदेश पद क्या है;

(ग) क्या देश में निरंतर खनन संबंधी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के पीछे सरकार का कोई उद्देश्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) सरकार ने खनन के पर्यावरणात्मक पहलुओं की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। खनन गतिविधियां के पर्यावरणात्मक पहलुओं की निगरानी एवं समीक्षा के लिए सचिव (खान) की अध्यक्षता तथा सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहअध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी। इसके अलावा देश में निरंतर खनन गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए खनिज सलाहकार परिषद् की बैठकों एवं खनन मंत्रियों के सम्मेलन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को, नियमित तौर पर, बुलाया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय एवं नीतिगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खनिज संसाधनों को विकसित करना था मौजूदा आवश्यकताओं एवं भावी अपेक्षाओं को देखते हुए, उनकी पर्याप्त आपूर्ति एवं सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है। खनिज विकास की रणनीति में अन्य बातों के अलावा, प्रत्येक खनिज के संबंध में वैकल्पिक क्षीणता दर तैयार करना, घरेलू एवं वैश्विक संसाधन स्थिति अंतर्राष्ट्रीय विपणन स्थिति और स्थायी एवं निरंतर आर्थिक विकास के लिये आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है।

भारत और फ्रांस के बीच समझौता

2278. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस मिलकर दूर-संचार के क्षेत्र में तीसरे देशों को अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) समझौते को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दिनांक 14-15 जून, 2001 को पेरिस में आयोजित दूरसंचार सम्बन्धी इण्डो-फ्रैंच संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में भारत की ओर से आई.टी.आई. लिमिटेड ने और फ्रांस की ओर से अल्काटेन ने औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में पारस्परिक सामर्थ्य का विकास करते हुए अन्य देशों में ''टर्नकी'' परियोजनाएं शुरू करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। इसके लिए अलग से किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए शून्य।

पॉलीथीन थैलियों का उत्पादन

2279. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद सब्जियों फलों, अनाजों आदि को लाने ले जाने के लिए दिल्ली में पॉलीथीन थैलियों के प्रयोग पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली में पॉलीथीन थैलियों के उत्पादन पर आत्म नियमन लगाने हेतु प्लास्टिक उद्योग को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर प्लास्टिक उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने न्यूनतम निर्धारित मानदंड के अनुसार पॉलीथीन थैलियों की उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी करने हेतु किसी शीर्ष एजेंसी को नामित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) दिल्ली सरकार ने ''दिल्ली प्लास्टिक बैग (विनिर्माण, बिक्री तथा उपयोग),

तथा गैर-जीव अवक्रमणीय कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी खाद्य पदार्थ के भंडारण, लाने ले जाने या उसकी पैंकिंग के लिए पुन: प्रयुक्त गैर-जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक थैलियों, कन्टेनरों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध है। यह अधिनियम दिल्ली सरकार द्वारा इसे राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होगा।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने संबंधित विनिर्माताओं और व्यापारियों का ध्यान अन्य बातों के साथ-साथ पुन: प्रयुक्त प्लास्टिक प्रबंधन एवं उपयोग नियम, 1999 में निहित स्व-विनियामक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है।

(घ) से (च) अधिनियम के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण की मानीटरी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी है।

ह्यूग्स टेलीकाम

2280. श्री किरीट सोमैया: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ह्यूग्स टेलीकाम में इस समय कितने टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) क्या दूर-संचार विभाग को मुंबई में ह्यूग्स टेलीकाम परिचालन के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों से कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई छानबीन कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मैसर्स ह्यूग्स टेलीकाम इंडिया लिमिटेड ने यह बताया है कि 30.6.2001 को उनका उपभोक्ता आधार 77896 है।

(ख) से (च) जी हां। यह बताया गया था कि कथित कम्पनी न तो व्यापक रूप से कोई जन-प्रचार कर रही थी और न ही छोटे रेजिडैंट ग्राहकों की कोई मांग दर्ज कर रही थी। बताया गया कि कम्पनी लाभप्रद ग्राहकों/प्रमुख व्यापार-ग्राहकों पर ध्यान केन्द्रित कर रही थी और उनके आउटगोइंग कालों के लिए केवल अपने फोनों का ही इस्तेमाल करने तथा इनकमिंग कालों के लिए एम.टी.एन.एल. के फोनों का ही इस्तेमाल करने के लिए भी कह रही थी। कम्पनी के लाइसेंस करार में निर्धारित शर्तों के मद्देनजर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से ऐसे मामलों के समाधान के लिए टीआरएआई अधिनियम के अनुबन्ध के अंतर्गत यथापेक्षित व उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। टीआरएआई ने (पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता) के संबंध में 8 जनवरी 2001 को एक निदेश-पत्र जारी किया था। इस संबंध में टीआरएआई द्वारा की गई तदनन्तर जांच से यह पता चला कि कम्पनी ने पंजीकरण के लिए नवीं मुम्बई, पुणे और पणजी में *ग्राहक सेवा केन्द्र खोले हैं। इसके अलावा, 31 मई, 2001 को टीआरएआई दल द्वारा नवी मुम्बई स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र का* निरीक्षण किया गया था।

क्षरित वन भूमि का उपयोग

2281. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास क्षरित वन भूमि पर जलाने वाली लकड़ी उगाने हेतु ग्रामीण समुदायों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण समुदायों के लिए राज्य-वार सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस योजना की उपयोगिता का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां। देश में एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम नामश: क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम अवक्रमित वन क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी और चारा उगाने हेतु लोगों की सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) स्कीम का संचालन राज्य सरकारों के साथ 50 : 50 के अनपात की भागीदारी के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों को इसके क्रियान्वयन हेतु धनराशियां प्रदान की जाती हैं। स्कीम में संयुक्त वन प्रबन्धन, प्रवेश बिन्दु गतिविधियों, सूक्ष्म योजना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) स्कीम का राज्यवार मूल्यांकन संबंधी कार्य जारी है।

[हिन्दी]

स्टेरॉयड और कार्टिसोन औषधियों का प्रयोग

2282. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रिकेट खिलाड़ी स्टेरॉयड और कार्टिसोन औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आई.सी.सी.) क्रिकेट में औषधि जांच प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

2283. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण में कितना सुधार होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2001-2002 के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत शिविर, पदयात्रा, रैलियां, सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शनियां, निबंध/वाद-विवाद/पेंटिंग/पोस्टर प्रतियोगिताएं, लोक नृत्य तथा गीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो आदि जैसी जागरूकता गतिविधियों को आयोजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों सहित इच्छुक संगठनों से प्रस्ताव मंगाए हैं। इन गतिविधियों में पर्यावरण गुणता के सुधार के लिए कार्योन्मुख घटक भी शामिल होंगे। इन प्रस्तावों को क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियों के पास 20 अगस्त, 2001 तक जमा कराना होगा।

(ग) प्रस्तावों पर क्षेत्रीय समितियां विचार करेंगी और इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(घ) इस अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों से न केवल आम जनता के बीच पर्यावरणीय जागरूकता पैदा होगी बल्कि उन्हें इसके साथ-साथ पर्यावरणीय गुणता में सुधार के कार्यक्रमों को अपनाने में प्रेरणा भी मिलेगी।

[अनुवाद]

बाल श्रम परियोजनाएं

2284. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कौन-कौन सी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं है जो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य स्थलों से बचाए गए बच्चों के पुनर्वास का कार्य कर रही है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कुछ अन्य कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के साथ-साथ उनके लिए स्वीकृत वर्ष-वार बजट आबंटन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में बाल श्रम की समस्या को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 1987 में सरकार ने बाल श्रम संबंधी एक राष्ट्रीय नीति घोषित की थी जिसमें बाल श्रम से संबंधित कानूनों का दृढ़ता से क्रियान्वयन, बाल श्रमिकों के लाभ हेतु चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों का अभिमुखीकरण तथा बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने पर विचार किया गया है। देश के 100 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं

स्थापित की गई हैं। बाल श्रम (प्रतिषेद्ध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित 13 व्यवसायों तथा 57 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अन्य व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की दशाओं को अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत नई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं तथा बजट आबंटन

क्रमांक	स्वीकृति का वर्ष	राज्य	(राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना) वाले जिले का नाम	बजट आबंटन (लाख रुपयों में)
1.	1998–99	कर्नाटक	धारवाड़	67,01,000
2.		आन्ध्र प्रदेश	महबूबनगर	67,01,000
			आदिलाबाद	67,31,000
		मध्य प्रदेश	ग्वालियर	67,01,000
		उड़ीसा	बालेश्वर	67,19,000
			कटक	67,19,000
		राजस्थान	टॉक	31,85,400
	1999–2000		जोधपुर	35,35,000
			अजमेर	35,35,000
		उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	66,59,000
			इलाहाबाद	67,31,000
			सहारनपुर	67,01,000
			आजमगढ़	67,01,000
			कानपुर नगर	67,01,000
		तमिलनाडु	तिरूनेल्वली	83,29,000
		पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	67,01,000
		मध्य प्रदेश	उज्जैन	67,19,000
3.	2000–2001	पंजाब	जलंधर	46,53,600
			अमृतसर	67,31,000
			लुधियाना	67,31,000
		कर्नाटक	बंगलौर अर्बन	67,01,000
			बंगलौर रूरल	67,19,000
		राजस्थान	अलवर	67,31,000
		पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	67,21,000

कालीकट उपमार्ग का निर्माण

2285. श्री के. मुरलीधरन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर कालीकट उपमार्ग के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष में अजीनहिलम पर पुल को पूरा करने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर कुल 28.124 कि.मी. लंबे कालीकट बाइपास का निर्माण क्रमश: 20/870 से 28/124, 0/00 कि.मी. से 11/760 कि.मी., 14/500 से 28/870 कि.मी. और 11/760 से 14/500 तक चार चरणों में पूरा करने की योजना है। सभी चार चरणों के लिए भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा कर लिया गया है। चरण-1 के लिए निर्माण कार्य स्वीकृत कर लिया गया है और 23/800 कि.मी. में अरापूजा पुल जिसे दिसम्बर, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है, को छोड़कर यह चरण पूरा कर लिया गया है। शेष तीन चरणों का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू करने के लिए साध्यता अध्ययन प्रगति पर है।

(ग) और (घ) जी हां। अजीनहिलम में पुल जिसे अरापूजा पुल भी कहते हैं, का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसे दिसम्बर, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

भू-जल का दोहन

2286. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन की राज्यवार संभावना कितनी है;

(ख) अब तक सिंचाई हेतु राज्यवार भू-जल के दोहन का प्रतिशत कितना है;

(ग) विभिन्न राज्यों में भू-जल के संसाधनों के कम दोहन करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष भू-जल के दोहन से राज्यवार कितने अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भूमि जल की अधिकतम सिंचाई क्षमता 64.05 मिलियन हेक्टेयर है। भूमि जल की सिंचाई क्षमता तथा उपयोज्य क्षमता की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा राज्य में कम स्तर पर दोहन किया गया है।

(घ) ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

भूमि जल द्वारा सिंचाई क्षमता
(1996-97 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	उपयोग्य सिंचाई क्षमता मि. हेक्टेयर	उपयोग्य क्षमता मि. हेक्टेयर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3.96008	1.73910
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.01800	0.00240
3.	असम	0.90000	0.15180
4.	बिहार	4.94763	3.81590
5.	गोवा	0.02928	0.00170
6.	गुजरात	2.75590	1.69370
7.	हरियाणा	1.46170	1.49930
8.	हिमाचल प्रदेश	0.06850	0.01150
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.70795	0.01100
10.	कर्नाटक	2.57281	0.76410
11.	केरल	0.87925	0.12420
12.	मध्य प्रदेश	9.73249	1.50630
13.	महाराष्ट्र	3.65197	1.58840

1	2	3	4
14.	मणिपुर	0.36900	0.00050
15.	मेघालय	0.06351	0.01000
16.	मिजोरम	अमूल्यांकित	
17.	नागालैंड	नगण्य	
18.	उड़ीसा	4.20258	0.60070
19.	पंजाब	2.91715	3.35300
20.	राजस्थान	1.77783	2.01250
21.	सिक्किम	अमूल्यांकित	
22.	तमिलनाडु	2.83205	1.31190
23.	त्रिपुरा	0.08056	0.02120
24.	उत्तर प्रदेश	16.79896	20.35800
25.	पश्चिम बंगाल	3.31794	1.41310
	कुल राज्य	64.04514	41.99030
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00504*	0.06180
	कुल जोड़	64.05018	42.05210

टिप्पणी: *केवल दादरा एवं नागर हवेली से संबंधित

विवरण-II

1997-2000 के दौरान भूमि जल से सिंचित अतिरिक्त क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	38.8	49.2	48.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.8	0.8	0.8
3.	असम	9.6	11.3	109.4
4.	बिहार	11.7	11.7	0.9
5.	गोवा	0	0	0.1
6.	गुजरात	3.4	3.7	9.2
7.	हरियाणा	12.1	11.3	11.2
8.	हिमाचल प्रदेश	0.2	0.5	0.3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.1	0.5	0.4
10.	कर्नाटक	6.1	3.4	3.6
11.	केरल	7.9	17.4	15.5
12.	मध्य प्रदेश	118.8	73.5	22.7

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	46.2	58.5	52.1
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0.1	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	66.1	0.4	23.9
19.	पंजाब	14.0	13.4	13.2
20.	राजस्थान	62.2	106.0	80.7
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	10.7	0.1	18.1
23.	त्रिपुरा	0	0.1	2.6
24.	उत्तर प्रदेश	300.2	339.4	323.9
25.	पश्चिम बंगाल	38.7	14.0	26.6
	कुल राज्य	746.9	714.6	762.8
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.1	*	*
2.	चण्डीगढ़	0.1	–	–
3.	दादर व नगर हवेली	0.1	0.1	0.1
4.	दमन एवं दीव	–	–	–
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	–	1.00
6.	लक्षद्वीप	–	–	–
7.	पांडिचेरी	–	–	–
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.3	0.1	1.1
	कुल अखिल भारत	747.2	714.7	763.9

नोट: 2000-2001 के आंकड़े राज्यों से प्राप्त होने हैं।

* नगण्य

कंपनियों के विरुद्ध ई.पी.एफ.ई.एस.आई. का बकाया

2287. **श्री रामजी मांझी:**
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि और ई.एस.आई. अंशदानों के भुगतान में कई कंपनियां लगातार चूककर्ता बनी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ता कंपनियों का ब्यौरा क्या है और कितनी राशि की चूक की गई है और नुकसान उठाने वाले ग्राहकों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) बकाया राशि की उगाही हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उन मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है, जिनमें मुकदमा शुरू किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां। कुछ प्रतिष्ठानों ने कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा देयों के भुगतान में चूक की है।

(ख) सी.पी.एफ.सी. (संगठन) के संबंध में चूक की राशि और 50,000/- रु. से अधिक की चूक करने वाले चूककर्ताओं की संख्या विवरण-I में दी गई है।

अनेक कम्पनियों ने क.रा.बी. अंशदानों के भुगतान में चूक की है। क्षेत्र-वार आंकड़े विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) देय राशियों को वसूल करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत शुरू किए गए अभियोजन मामलों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत शुरू किए अभियोजन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चूक की स्थिति (राज्यवार)

(लाख रुपये में)

क्रमांक	क्षेत्र	50,000/- रु. से अधिक की चूक करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या	चूक की कुल राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	366	6,238.61
2.	बिहार	28	6,960.71
3.	दिल्ली	133	1,361.66
4.	गुजरात	176	4,317.67
5.	हरियाणा	408	7,012.48
6.	हिमाचल प्रदेश	3	304.60
7.	कर्नाटक	371	6,632.21
8.	केरल	300	3,778.18
9.	मध्य प्रदेश	617	11,210.04
10.	महाराष्ट्र	821	10,669.71
11.	उत्तरी पूर्व क्षेत्र	88	3,632.58
12.	उड़ीसा	71	5,275.11
13.	पंजाब	162	2,290.89
14.	राजस्थान	142	3,801.18
15.	तमिलनाडु	3,272	7,066.82
16.	उत्तर प्रदेश	262	6,934.73
17.	पश्चिम बंगाल	192	30,922.80
	योग	7,412	1,18,409.98

विवरण-II

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(करोड़ रु. में)

क्रमांक	राज्य का नाम	योग
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	67.84
2.	असम	5.03
3.	बिहार	13.27
4.	दिल्ली	18.70
5.	गुजरात	30.97
6.	हरियाणा	11.54
7.	कर्नाटक	
	(क) बंगलौर	28.68
	(ख) हुवली	6.64
8.	केरल	19.51
9.	मध्य प्रदेश	24.78
10.	महाराष्ट्र	
	(क) मुम्बई	53.67
	(ख) मारोल	11.74
	(ग) थाणे	8.65
	(घ) नागपुर	6.98
	(ङ) पुणे	29.35
11.	गोवा	3.66
12.	उड़ीसा	13.77
13.	पंजाब	18.72
14.	राजस्थान	7.71
15.	तमिलनाडु	
	(क) चेन्नई	44.26
	(ख) कोयम्बतूर	7.15
	(ग) मदुराई	14.97
	(घ) पांडिचेरी	0.94
16.	उत्तर प्रदेश	58.51
17.	पश्चिम बंगाल	142.76
	योग	649.80

विवरण-III

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चलाए गए अभियोजन मामलों के ब्यौरे

क्रमांक	क्षेत्र	धारा 14 के अन्तर्गत चलाए गए अभियोजन मामले जो 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,056
2.	बिहार	9,041
3.	दिल्ली	1,153
4.	गुजरात	3,586
5.	हरियाणा	1,785
6.	हिमाचल प्रदेश	27
7.	कर्नाटक	3,586
8.	केरल	1,887
9.	मध्य प्रदेश	5,645
10.	महाराष्ट्र	7,004
11.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	421
12.	उड़ीसा	2,000

1	2	3
13.	पंजाब	1,621
14.	राजस्थान	454
15.	तमिलनाडु	2,694
16.	उत्तर प्रदेश	2,724
17.	पश्चिम बंगाल	25,531
	योग	75,215

विवरण-IV

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत अभियोजन मामलों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	क्षेत्र	क.रा.बी.अ. की धारा 85 के अन्तर्गत	भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	122	–
2.	असम	99	02
3.	बिहार	363	31
4.	दिल्ली	106	01
5.	गुजरात	3152	652
6.	कोयम्बतूर	145	13
7.	गोवा	321	19
8.	हरियाणा	1139	325
9.	हुवली	–	–
10.	कर्नाटक	418	51
11.	केरल	235	68
12.	मध्य प्रदेश	1018	54
13.	मदुराई	266	38
14.	महाराष्ट्र	996	215
15.	नागपुर	395	28
16.	उड़ीसा	270	31
17.	पुणे	779	61
18.	पंजाब	1736	82
19.	राजस्थान	159	62
20.	चेन्नई	406	137
21.	उत्तर प्रदेश	910	14
22.	पश्चिम बंगाल	1029	220
	योग	14064	2104

रासायनिक दुर्घटना की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम परियोजना

2288. श्री रामदास आठवले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् ने भविष्य में किसी रासायनिक दुर्घटना की रोकथाम हेतु ऐहतियाती उपाय के रूप में रासायनिक उद्योगों में कार्यरत लोगों और मुम्बई के ट्राम्बे-चेम्बूर क्षेत्र के निवासियों को भी प्रशिक्षित करने की कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, ट्राम्बे-चेम्बूर क्षेत्र में सुरक्षा, आपातकालीन प्रत्युत्तर और जन जागरूकता सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा मुम्बई में 28 से 30 जून, 2000 तक आयोजित एक कार्यशाला में एक प्रायोगिक परियोजना की सिफारिश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस परियोजना के लिए अभी कोई राशि नहीं दी है।

कोलकाता से पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए उड़ानें

2289. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और इसकी सहायक एयर लाइनों का विचार कोलकाता से पूर्वी क्षेत्र के बीच आवागमन के लिए अपनी उड़ानों को फिर से शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) लीन सीजन के दौरान, कम यातायात मांग की वजह से, इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर ने कोलकाता से पूर्वी क्षेत्र के लिए उड़ानों के प्रचालनों की आवृत्ति में कमी कर दी है। तथापि, विमानों की उपलब्धता तथा यातायात की मांग के अधीन, इंडियन एयरलाइंस इन मार्गों पर सामान्य प्रचालन सेवों शुरू कर देगी।

बड़े विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवाएं

2290. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवाओं के लिए किसी नई कंपनी को अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के राजस्व को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) नया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबन्धन, ग्राउंड हैंडलिंग सेवा की प्रविष्टि) विनियमन, 2000 की अधिसूचना के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, बेगलूर, हैदराबाद और गोवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रतिस्पर्धी व कार्यकुशल ढंग से ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया में है। हवाई अड्डों पर ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवाओं की संविदा को सभी अपेक्षाएं/शर्तों का ध्यान रखते हुए क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद चयनित पार्टियों को सौंपी जाएगी। नए विनियमन के अनुसार, एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को ग्राउन्ड हैंडलिंग सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। यद्यपि, इन्हें दूसरे एजेंसियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर एयरलाइनों को प्रतिस्पर्धा सेवाएं उपलब्ध कराकर राजस्व में वृद्धि करनी होगी।

राज्य सरकारों को हैंगर का आबंटन

2291. श्री एन.आर.के. रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले हेलिकॉप्टरों को रखने के लिए नि:शुल्क अथवा नगण्य दरों पर भुगतान करने पर प्रत्येक राज्य सरकार को एक हैंगर आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हैंगरों का आवंटन इस प्रकार के उपयोग के लिए समय-समय पर निर्धारित लाइसेंस शुल्क के आधार पर किया जाता है।

खेलकूद संबंधी नियम/विनियम/कानून/नीतियां

2292. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद संबंधी नियम/विनियम/कानून/नीतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय/प्रतियोगिताओं/खेलकूद के स्तर के समान अथवा उनसे बेहतर हैं जहां भारत अपने ''आधिकारिक भारतीय दलों'' को आधिकारिक रूप से भाग लेने के लिए भेजता रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) भारत सरकार ने खेलों पर कोई कानून नहीं बनाया है क्योंकि ''खेल'' राज्य का विषय है। तथापि, विद्यमान राष्ट्रीय खेल नीति, जिसमें देश में खेलों के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, वर्ष 1984 में तैयार की गयी थी। कुल मिलाकर और विशेषतौर पर प्रारंभिक वर्षों के दौरान, इसके परिणाम अच्छे रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्रिकेट टूर्नामेंटों में भारतीय भागीदारी

2293. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उन देशों में आयोजित किए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंटों में भाग लेने की संभावना है जो क्रिकेट नहीं खेलते;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के सिंगापुर, टोरंटो और शरजाह इत्यादि में आयोजित किए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंटों में भाग लेने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को सिंगापुर, टोरंटो और शारजाह इत्यादि जैसे अनियमित स्थलों पर कम से कम अगले तीन वर्षों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंटों में भाग नहीं लेना चाहिए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को चार लेनों वाला बनाया जाना

2294. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के विभिन्न हिस्सों को चार लेनों वाला बनाए जाने से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस हेतु कितना धन जारी किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर इस समय आठ ठेके प्रगति पर हैं।

(ग) जून, 2001 तक इन परियोजनाओं पर 112.91 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

कावेरी जल विवाद

2295. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कावेरी जल बंटवारे से संबंधित बैठक का आयोजन जल बंटवारे वाले राज्यों के बीच किया गया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जल आयोग और कावेरी न्यायाधिकरण द्वारा जल के बंटवारे और उसके भंडारण के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 25.7.91 के अंतरिम आदेश और कावेरी जल विवाद अधिकरण के सभी संबंधित अनुवर्ती आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा-6 क के अधीन एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में कावेरी नदी प्राधिकरण शामिल है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य है। इस प्राधिकरण की सहायता मानीटरिंग समिति करती है, जिसके अध्यक्ष, सचिव (जल संसाधन) हैं और मुख्य सचिव इसके सदस्य होते हैं। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में कावेरी मानीटरिंग समिति की आठवीं बैठक 7.6.2001 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में कर्नाटक सरकार और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार के सचिव, केरल सरकार के मुख्य इंजीनियर और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने भाग लिया।

भुवनेश्वर से बरहामपुर तक चार लेन वाली सड़क

2296. **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर से बरहामपुर तक चार लेनों वाली सड़क के कार्य में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाए जाने के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता:

(ग) परियोजनाओं को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सीमित मोबाइल और डब्ल्यू.एल.एल. सेवा हेतु प्रशुल्क

2297. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सीमित मोबाइल सेवाओं के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु प्रशुल्क निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) सेवा के किराए को भी अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी तुलना में सीमित मोबाइल सेवा का प्रशुल्क कितना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) जी, हां। टीआरएआई ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि डब्ल्यू.एल.एल. आधारित सीमित मोबिलिटी कॉल प्रभार बुनियादी सेवा के लिए लागू 1.20 रुपये प्रति मीटर्ड काल यूनिट होगा। डब्ल्यू.एल.एल. सीमित मोबिलिटी के अन्तर्गत कोई नि:शुल्क कॉल नहीं दी जाएगी। जहां तक डब्ल्यू.एल.एल. सीमित मोबिलिटी सुविधा के लिए मासिक किराए का सम्बन्ध है "ट्राई" ने प्रतिमाह 450 रुपये न्यूनतम किराया और 550 रुपये प्रतिमाह अधिकतम किराया विनिर्दिष्ट किया है। "ट्राई" अगले तीन वर्षों में लागत आधारित किरायों की वार्षिक पुनरीक्षा करेगा।

उत्तरांचल में टेलीफोन सुविधा

2298. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उत्तरांचल में विशेषकर रुद्रप्रयाग जिले में टेलीफोन की सुविधा वाले और बगैर सुविधा वाले ग्रामों/ग्राम पंचायतों की जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ख) शेष ग्रामों/ग्राम पंचायतों में उक्त सुविधा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय, उत्तरांचल राज्य में 7690 गांवों और 4847 ग्राम पंचायतों और रूद्रप्रयाग जिले में 179 गांवों और 88 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। उक्त राज्य के शेष 8205 गांवों तथा 2015 ग्राम पंचायतों और रूद्रप्रयाग जिले के 190 गांवों और 268 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन उपलब्ध नहीं है।

जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उत्तरांचल के शेष गांवों/ग्राम पंचायतों में उपस्कर उपलब्ध होने पर 31 मार्च 2002 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा युक्त गांव	टेलीफोन सुविधा सहित गांव	टेलीफोन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतें	टेलीफोन सुविधा सहित ग्राम पंचायतें
1	2	3	4	5	6
1.	देहरादून	427	316	218	116
2.	हरिद्वार	486	0	299	0
3.	पौड़ी	795	2681	643	410
4.	रूद्रप्रयाग	174	190	88	268

1	2	3	4	5	6
5.	चमोली	439	858	264	229
6.	उत्तरकाशी	381	866	132	455
7.	टेहरी	657	685	205	440
8.	नैनीताल	825	242	374	69
9.	यू.एस. नगर	663	17	318	2
10.	अल्मोड़ा	976	1211	813	7
11.	पिथोरागढ़	1099	453	889	11
12.	चंपावत	436	179	438	5
13.	बागेश्वर	332	507	116	3
	जोड़	7690	8205	4847	2015

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

2299. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अब तक उनमें से कितनों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान शेष केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक सभी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों-सह-श्रम न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) फिलहाल देश में 17 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।

(ख) अब तक 13 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) शेष केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु आवश्यक प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

जोधपुर विमानपत्तन के निलंबित कर्मचारी

2300. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जोधपुर विमानपत्तन पर कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) जोधपुर विमानपत्तन के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो निलंबित हैं और उनके निलंबन की अवधि क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जोधपुर हवाई अड्डे पर कार्यरत दो अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत मिली थी। जांच करने पर, एक अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया जबकि दूसरे अधिकारी जोधपुर हवाई अड्डे से अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है।

[अनुवाद]

नागपुर में मल्टी-मॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो हब

2301. **श्री सुबोध मोहिते:**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नागपुर में मल्टी-मॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो हब परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भूकंप पीड़ितों को क्षतिपूर्ति

2302. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **श्रम मंत्री** 26 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस संबंध में मांगी गई सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना को कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि 26.01.2001 को गुजरात में आए भूकम्प में कच्छ जिले में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के 14 कर्मचारी और उनके परिवार के चार सदस्य मारे गए थे। सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्रों के अन्य जिलों से हताहतों की कोई सूचना नहीं थी। कच्छ जिले में उक्त उद्योगों के कर्मचारियों के अधिकांश मकान बुरी तरह से प्रभावित हुए और अन्य जिलों में उनके मकानों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा था। हताहतों की संख्या प्रदान किए गए मुआवजे और सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में 26 जनवरी 2001 को आए भूकम्प से भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के केवल एक कर्मचारी की मृत्यु हुई। हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के लगभग 320 मकानों और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा एम एम टी सी ने सूचित किया है कि मकानों को हुए नुकसान का जायजा लिया गया है। भारत अर्थ मूवर्स ने सूचित किया है कि भूकम्प में एक अपार्टमेंट को क्षति पहुंची है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने प्रभावित कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। प्रदान की गई/प्रस्तावित क्षतिपूर्ति और सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) ने मकानों एवं भवनों को हुई क्षति का त्वरित आकलन, वित्तीय सहायता, समुचित प्रौद्योगिकी के विस्तार, भूकम्परोधी मकान के प्रदर्शन के लिए भवन एवं सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना, व्यापक विकास के लिए गांवों एवं बस्तियों को अपनाए जाने हेतु एक व्यापक योजना शुरू की है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन एस आई सी) ने भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा तथा नए उद्यमियों के लिए छोटे और अति लघु उद्योगों के निर्माण हेतु योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं की विशेषताएं संलग्न विवरण-IV में दी गई हैं।

विवरण-I

हताहत हुए लोगों और प्रदान की गई क्षतिपूर्ति/सहायता के ब्यौरे

क्रमांक	कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	मारे गए कर्मचारी का नाम	मारे गए परिवार के सदस्यों के ब्यौरे	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति	
				राज्य सरकार द्वारा	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा
1	2	3	4	5	
1.	श्री सतीश एम. शर्मा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, कांडला के कर्मचारी	श्री सतीश शर्मा	श्री सतीश शर्मा की पत्नी एवं पुत्री	–	विभागीय नीति के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित नहीं की जाती है? यह राशि विभाग को दी जाएगी।
2.	श्री जी. विनोद, भारतीय तेल निगम लि., कांडला के कर्मचारी	श्री जी. विनोद	श्री विनोद की पत्नी एवं पुत्र	मुआवजे के रूप में इनके आश्रित को 62,000/- रुपये का भुगतान किया गया।	–
3.	स्वर्गीय अन्नम्मा जार्ज, कांडला पोर्ट के कर्मचारी	अन्नम्मा जार्ज	–	1,00,000/- रुपये	1,00,000/- रुपये
4.	स्व. नौलामेल एम. दौरी		–	–वही–	–वही–
5.	सनीता भमभानी	सुनीता भमभानी	–	–वही–	–वही–
6.	कंचन बेन टी.	कंचन बेन टी.	–	–वही–	–वही–
7.	जे.आर. चौहान	जे.आर. चौहान	–	–वही–	–वही–
8.	स्व. सरिता बाई याकूब	स्व. सरिता बाई याकूब	–	–वही–	–वही–
9.	स्व. के.डी. पाडियर	स्वय के.डी. पाडियर	–	–वही–	–वही–
10.	स्व. याकूब इस्बू	स्व. याकूब इस्बू	–	–वही–	–वही–

1	2	3	4	5	
11.	एच.एम. भट्ट	एच.एम. भट्ट	–	औपचारिकताएं पूरी न किये जाने के कारण सहायता नहीं दी गई	–
12.	राजेश पांड्या	राजेश पांड्या	–	औपचारिकताएं पूरी न करने की वजह से सहायता नहीं दी गई	–
13.	नारायण दफ्तरी, कांडला डॉक लेबर बार्ड के कर्मचारी	नारायण दफ्तरी	–	1,00,000/- रुपये	1,00,000/- रुपये
14.	डी.के. राव	डी.के. राव	–	1,00,000/- रुपये	1,00,000/- रुपये

विवरण-II

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के ब्यौरे

1. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

कंपनी ने मृत कर्मचारी के वेतन (मू. + म.भ.) का 100 गुना दुर्घटना मुआवजा के रूप में घोषित किया है। उत्तरजीवी बच्चों की सहायता के लिए एक योजना भी तैयार की जा रही है।

2. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

प्रभावित कर्मचारी के आवश्यक सहायता प्रदान की गई है/ प्रदान की जा रही है।

3. ड्रेजिंग कारपोरेशन इंडिया लि.

विभिन्न योजनाओं यथा वैयक्तिक दुर्घटना नीति, सामूहिक बचत सम्बद्ध बीमा योजना, कर्मचारी उपदान निधि और कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना जैसी विभिन्न योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति/ सहायता प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।

4. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

इस निगम ने कांडला परिसर में तैनात अपने सभी कर्मचारियों को 10,000/- रुपये ब्याजमुक्त ऋण और गुजरात के अन्य भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों को 5000/- रुपये ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी की है।

5. इंडियन ऑयल कारपोरेशन

प्रभावित परिवारों को 10,000/- रुपये की अनुग्रह राशि और स्व-सृजित अधिवर्षिता लाभ निधि योजना/पुनर्वासन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए गए हैं। प्रभावित कर्मचारियों को 15,000/- रुपये फर्नीचर की क्षति होने, वाहन अग्रिम, मकान निर्माण अग्रिम और गुजरात राज्य में तैनात कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को अतिरिक्त एल टी सी राहत की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए गए हैं।

6. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनयूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

एच पी एफ एम लिम. के प्रबंधन ने प्रभावित कर्मचारियों को अपनी तात्कालित परेशानी से निपटने के लिए 20,000/- रुपये की वसूली जाने वाली अग्रिम राशि प्रदान की है।

विवरण-III

गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए हुडको द्वारा सहायता

1. भुज और अंजार में मकानों एवं भवनों को हुई क्षति की मात्रा का त्वरित आकलन वित्तीय सहायता, समुचित प्रौद्योगिकी के प्रसार भूकंप रोधी प्रौद्योगिकियों सहित भूकंपरोधी मकानों के उपयोग के प्रदर्शन के लिए भवन एवं सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना, विस्तृत विकास के लिए गावों में बस्तियों को अपनाये जाने हेतु एक व्यापक योजना और भुज तथा अंजार में हुडको कार्यालयों की

स्थापना के लिए गुजरात के भूकंप से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए तकनीकी वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापक कार्रवाई योजना तैयार की गई है।

2. कार्रवाई योजना के एक भाग के रूप में, राज्य सरकारों के सहयोग से हुडको एवं बी एम टी पी सी यथासंभव अल्पावधि में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में क्षति की मात्रा का त्वरित आकलन करने, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और निर्माण करने और विद्यमान जोखिमकारी स्टॉक का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करेगा।

3. समग्र आकलन के आधार पर, ग्रामीण अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आय वर्ग की श्रेणियों के लिए मकान पुनः निर्माण कार्यक्रम के साथ-साथ क्षतिग्रस्त सड़कों और जलापूर्ति, शौचालयों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों के पुनर्विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इसके लिए वित्तीय सहायता हुडको द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार और इसकी विभिन्न एजेंसियों को राज्य सरकार की आवश्यकता और मात्रा के अनुसार 1500 करोड़ों रुपये की कुल वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है। गुजरात सरकार द्वारा अल्प लागत की निधियों एवं ऋणों के बारे में उनके अनुरोध को देखते हुए इसे हुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार ने गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए हुडको को 1500 करोड़ रुपये के कर मुक्त बांड जारी करने का भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

4. हुडको से मिलने वाली वित्तीय सहायता में भूकंपरोधी मकानों के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी समुचित तकनालाजी पैकेज जिसमें गीली मिट्टी पत्थर ईंट बजरी आदि जैसी स्थानीय रूप में प्रयुक्त होने वाली भवन निर्माण सामग्री शामिल होगी और इसे बी एम टी पी सी के साथ हुडको द्वारा सरल रूप क्या करना है और क्या नहीं करना है, अनुदेशात्मक दिशानिर्देशों के साथ व्यापक रूप में प्रचार किया जायेगा।

5. इसके अलावा, शहरों, नगरों और गांवों में भूकम्परोधी प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने के उद्देश्य से हुडको एवं बी एम टी पी सी 30 भवन केन्द्रों की स्थापना करने, स्थानीय कारीगरों के प्रौद्योगिकी अन्तरण प्रशिक्षण के लिए आपदा प्रभावित सभी जिलों में नमूना मकानों एवं समुदाय भवनों का निर्माण करने, भवन सामग्री और संघटकों का उत्पादन करने, निर्माण सहायता देने और लोगों का मार्गदर्शन करने तथा सूचना प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

6. हुडको, पूरी तरह से क्षति ग्रस्त गांवो एवं बस्तियों के व्यापक विकास के लिए हुडको माडेल गांवों एवं बस्तियों को भी अपनाएगा। इसके अलावा हुडको बुरी तरह से प्रभावित भुज और राहपार में अपने क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधन कार्यालयों की तत्काल स्थापना करेगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि अस्थाई शरण ग्रहों निर्माण के लिए हुडको द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

7. अत्यधिक क्षतिग्रस्त गांवों और शहरों के संबंध में, यह भी प्रस्ताव है कि पूरे गांव अथवा नगर को व केवल आवास एवं समुदाय सुविधाओं के दृष्टिगत नए स्थान में पुनर्निमित हो अपितु मौजूदा संकरी गलियों के स्थान पर चौड़ी सड़के मुहैया कराने के उद्देश्य से भी और अन्य आपदा विरोधी सुरक्षा विशेषताओं अपनायी जाएं। हुडको द्वारा समुचित योजना और डिजायन सहायता की पेशकश की गई है।

8. हुडको स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्रों राशन की दुकानों, मिट्टी तेल के डिपुओं आदि के दायरे में लेते हुए मकानों एवं सामुदायिक भवन दोनों के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों के साथ अस्थायी शरणगृहों स्थलों के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। इनकों बाद में बड़े पैमाने पर पुनः तैयार किया जायेगा। जिसके लिए हुडको अस्थायी/स्थायी मकानों/सामुदायिक परिसम्पत्ति भवनों के निर्माण के लिए नियमित अंशदान के रूप में 2 करोड़ रुपये अंशदान करेगा। हुडको के कर्मचारी प्रधानमंत्री कोष में अपने वेतन का अंशदान कर रहे हैं।

विवरण-IV

गुजरात के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विशेष योजना

भीषण भूकंप के कारण गुजरात के अनेक भागों में हुई तबाही को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि अर्थव्यवस्था के पुनरूजीवन और रोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में लघु और अति लघु उद्योग लगाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) विद्यमान और नए उद्यमियों की सहायता कर सकता है।

हाल ही में, एन एस आई सी ने भूमि और भवन के अधिग्रहण मशीनरी व उपकरण और कार्यशील पूंजी के लिए उद्यमियों को धन प्रदान करने हेतु लघु उद्योग इकाइयों के लिए एक संयुक्त अवधि ऋण योजना आरंभ की है। उक्त योजना के अंतर्गत कुल 25 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध है।

इसी प्रकार के.वी.आई.सी. ने भी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उपांत धन (अर्जित मनी) योजना आरंभ की है।

इस योजना के अंतर्गत 10.00 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत परवर्ती सहायता के माध्यम से मार्जिन मनी के रूप में के.वी.आई.सी. द्वारा प्रदान किया जाएगा। 10.00 लाख रुपये से अधिक और 25.00 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी की दर 10.00 लाख रुपये जमा परियोजना की शेष लागत का 25 प्रतिशत होगी।

मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत, ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में निवेश करना अपेक्षित हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के कर्मकारों के लिए अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत होगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति इत्यादि जैसे विशेष वर्ग के मामले में मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत होगा।

इसके अलावा के.वी.आई.सी. योजना के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है तथा 4.5 प्रतिशत और बैंक प्राइम लैंडिंग दर का अंतर सरकार द्वारा ब्याज सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है। यदि एन.एस.आई.सी. संयुक्त अवधि ऋण योजना और के.वी.आई.सी. मार्जिन मनी योजना को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो उद्यमी आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करेंगे जैसा कि नीचे दिया गया है:-

ब्याज की दर

ऋण पर ब्याज की दर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी (के वी आई) ब्याज सहायता के कारण प्रभावी दर कम होगी।

मार्जिन मनी

मार्जिन मनी संस्वीकृत सहायता के 15 प्रतिशत की दर से उद्यमी से एकत्र की जाएगी।

ऋण वापसी की अवधि

भूमि और भवन, मशीनरी और उपकरण तथा कार्यशील पूंजी से संबंधित ऋण ब्याज और जैस्टेशन अवधि की समाप्ति के बाद सेवा प्रभार सहित उद्यमी द्वारा समान तिमाही किस्तों में 5 वर्ष के अवधि में वापस करना होगा।

जैस्टेशन अवधि

सेवा क्षेत्र उद्योगों के अलावा जिनके लिए जैस्टेशन अवधि केवल छः माह होगी, सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों सहित अति लघु इकाइयों के लिए 12 माह की जैस्टेशन अवधि उपलब्ध होगी।

बीमा

संस्वीकृत ऋण सुविधा (भूमि के अलावा) का 2 प्रतिशत की कर्जदार से अग्रिम वसूली की जाएगी तथा निगम द्वारा दिए गए वास्तविक बीमा प्रभारों का समायोजन किया जाएगा। बीमे के लिए निगम द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि की किसी भी कमी का कर्जदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

भूमि और भवन

भूमि और भवन औद्योगिक अनुरूपता वाले क्षेत्रों में स्थित होने चाहिए अथवा राज्य औद्योगिक निगम इत्यादि द्वारा विकसित होने चाहिए। यदि भवन पट्टे पर या किराए पर लिया जाना हो तो पट्टा किराया अनुबंध कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

प्रदूषण

परियोजना के विस्तार और आरंभ होने से पहले ही इकाई समुचित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी।

प्रक्रमण शुल्क

200/- रुपये का प्रक्रमण शुल्क लगाया जाएगा।

एस.एस.आई. प्रमाणपत्र

इकाई द्वारा प्रस्ताव के साथ एस.एस.आई. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

बिजली और पावर

मशीनरी और उपकरण के प्रथम संवितरण से पहले इकाई अपेक्षित पावर लोड मंजूर करवायेगी। तथापि, इकाई यदि जनरेटर सेट की वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है तो इसे परियोजना रिपोर्ट में दर्शाना होगा।

रत्न खनन संबंधी नीति

2303. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रत्नों के खनन के संबंध में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में रत्नों के अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) समय-समय पर विभिन्न खनिजों के अवैध खनन संबंधी मामलों को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम आर डी एक्ट) के तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। हाल ही में एम एम आर डी अधिनियम में संशोधन किया गया है और एम एम आर डी अधिनियम की धारा 23-सी के तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

खेलकूद संबंधी व्यापक नीति

2304. डा. वी. सरोजा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेलकूद संबंधी एक व्यापक नीति विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल करने पर बल देने के उद्देश्य से, नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार कर रही है। नई खेल नीति के मसौदे की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

(1) खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;

(2) अवस्थापना का उन्नयन एवं विकास;

(3) राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन;

(4) खेलों के लिए वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संबंधी समर्थन को मजबूत बनाना;

(5) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;

(6) महिलाओं, जनजातियों लोगों व ग्रामीण युवाओं की अधिक सहभागिता;

(7) खेल संवर्धन में निगमित क्षेत्र का शामिल होना;

(8) खेलों के संवर्धन में अधिक जागरूकता का सृजन;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमृतसर विमानपत्तन का उन्नयन

2305. श्री भान सिंह भौरा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अमृतसर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने हेतु उसके उन्नयन हेतु राशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 79.27 करोड़ रु. की लागत से अमृतसर हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन संबंधी परियोजना को हाथ में ले लिया है। मौजूदा रनवे, टैक्सी ट्रैक के पुनर्सतहलेपन तथा विस्तार और मुख्य रनवे का निर्माण आदि कार्य के लिए 19.99 करोड़ रु. की राशि की निविदा अप्रैल, 2001 में अवार्ड कर दी गई है। रनवे निर्माण कार्य परियोजना को मई, 2003 तक पूरा होने की संभावित तारीख है।

बाल निर्धनता का उपशमन

2306. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशियाई देश बाल निर्धनता के उपशमन हेतु विश्वसनीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कार्यक्रमों पर जोर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पांच वर्ष से कम आयु वाले लगभग 3.7 मिलियन बच्चों की लगातार मृत्यु हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसका मुख्य उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र को शामिल किया जाना है जिससे कि सरकारी प्रयासों की प्रतिपूर्ति हो सके जो कि आवश्यकताओं से काफी कम साबित हुआ है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर किस सीमा तक विचार किया गया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बेरोजगार व्यक्ति

2307. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 मार्च, 1998 की तिथि के अनुसार राज्यवार कितने युवा बेरोजगार थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्र में वर्षवार कितना रोजगार सृजित किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बेरोजागर युवाओं की संख्या में वर्षवार हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया और देश में 31 मार्च, 2001 की तिथि के अनुसार बेरोजगार लोगों का राज्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार अवसरों के सृजन करने के लिए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु कोई ठोस योजना/कार्यक्रम तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, विवरण में दी गई है।

(ख) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था (संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र) हेतु रोजगार के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा पंचवर्षीय आधार पर किए गए श्रम बाल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अनुमान रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। दोनों पर विचार करते हुए, 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अनुमान निम्न प्रकार थे:-

वर्ष	रोजगार (मिलियन में)		
	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	योग
1993-94	27.37	347.08	374.45
1999-2000	28.11	368.89	397.00

(ग) और (घ) 31 दिसम्बर, 1999, 2000 तथा 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर रोजगार चाहने वालों की राज्यवार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, विवरण में दी गई है।

युवाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए गए रोजगार के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए नियोजन की संख्या उपलब्ध है। कुल रिक्तियों का एक अंश ही रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरा जाता है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 1998, 1999 एवं 2000 के दौरान क्रमशः कुल 2.33, 2.21 तथा 1.77 लाख रोजगार चाहने वालों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

(ङ) और (च) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजार में)			
		31.12.1998 की स्थिति के अनुसार	31.12.1999 की स्थिति के अनुसार	31.12.2000 की स्थिति के अनुसार	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3206.5	3225.7	3225.0	3185.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	13.7	15.9	21.0	21.7
3.	असम	1489.3	1490.3	1442.3	1442.0
4.	बिहार	3310.0	3179.9	3297.3	1845.8
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	793.7
6.	दिल्ली	1128.2	955.3	991.0	996.3
7.	गोवा	111.8	106.5	103.0	102.7
8.	गुजरात	943.3	936.4	1068.3	1072.3
9.	हरियाणा	820.1	810.5	789.4	759.5
10.	हिमाचल प्रदेश	795.4	860.2	885.1	899.2
11.	जम्मू और कश्मीर	164.8	162.5	167.3	166.3
12.	झारखंड	–	–	–	1488.7
13.	कर्नाटक	1812.7	1891.4	1965.0	1964.1
14.	केरल	3672.1	3883.8	4193.7	4215.2
15.	मध्य प्रदेश	2547.1	2617.6	2549.7	1736.8
16.	महाराष्ट्र	4103.1	4181.5	4347.4	4321.9
17.	मणिपुर	334.7	385.6	391.9	395.7
18.	मेघालय	33.4	36.1	35.4	35.8
19.	मिजोरम	74.2	93.6	88.7	87.8
20.	नागालैंड	27.7	35.5	37.2	37.1
21.	उड़ीसा	970.9	990.3	968.4	934.5
22.	पंजाब	578.8	550.1	527.7	522.9
23.	राजस्थान	891.2	840.0	791.0	786.3
24.	सिक्किम*	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
25.	तमिलनाडु	4175.5	4367.8	4659.7	4649.2
26.	त्रिपुरा	246.3	285.8	303.9	306.5
27.	उत्तरांचल	–	–	–	290.2
28.	उत्तर प्रदेश	2638.5	2585.1	2316.9	1955.5
29.	पश्चिम बंगाल	5724.7	5601.2	5899.4	5940.4
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.0	27.8	30.8	31.0
31.	चंडीगढ़	110.4	105.4	92.9	8.91
32.	दादर व नागर हवेली	6.0	4.1	4.7	4.9
33.	दमन व दीव	6.0	6.7	7.3	7.5
34.	लक्षद्वीप	9.3	9.7	10.2	10.6
35.	पांडिचेरी	116.6	129.0	132.3	132.2
	योग	40089.6	40371.4	41343.6	41231.5

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

एअर इंडिया का विनिवेश और लाभार्जनता

2308. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के कर्मचारियों ने विनिवेश प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया में विनिवेश आरंभ हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) विनिवेश पर एअर इंडिया की प्रतिक्रिया सामान्यतया अनुकूल प्रतीत होती है। विनिवेश प्रक्रिया में एयरलाइन्स स्टाफ के हितों की रक्षा की जायेगी।

(ग) और (घ) सरकार ने सिद्धांत रूप से विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से एअर इंडिया में भारत सरकार की इक्विटी को घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने का अनुमोदन किया है जिसके अनुसार रणनीतिक भागीदार को इक्विटी का 40 प्रतिशत, कर्मचारियों को 10 प्रतिशत और शेष इक्विटी वित्तीय संस्थानों और/अथवा शेयर बाजार में बेची जानी है। रणनीतिक भागीदार के विदेशी धारिता वाले किसी संयुक्त उपक्रम वाला होने की स्थिति में, तब इस प्रकार के प्रबंध किए जाने चाहिए कि एअर इंडिया में विदेशी धारिता की सीमा कुल इक्विटी की अधिकतम 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, विनिवेश ने इस पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

वर्षा जल संग्रहण

2309. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्षा जल संग्रहण करने, सिंचाई तालाबों और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के तहत

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने उड़ीसा के भद्रक जिले में क्रीक के लिए भूजल पुनर्भरण के माध्यम से लवणता प्रवेश रोकने संबंधी स्कीम के वास्ते 427.00 लाख रुपये तथा उड़ीसा, भुवनेश्वर के राजभवन क्षेत्र में वर्षा जल संचयन/छत के वर्षा जल का संचयन संबंधी स्कीम के लिए 10.40 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1996-97 से 2000-2001 के दौरान वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत 395.52 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है।

वरिष्ठ नागरिकों को वायु यात्रा में छूट

2310. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वरिष्ठ नागरिकों को उनकी वायु यात्राओं के दौरान विमानपत्तन पर और वायुयान में क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

(ख) किस आयु के महिला और पुरुष को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिक का दर्जा दिए जाने हेतु साठ वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुष को आयु में छूट देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जहां तक हवाई अड्डा संबंधी सुविधाओं का संबंध है, वरिष्ठ नागरिकों की कोई श्रेणी नहीं है। तथापि, कतिपय सुविधाएं तथा विशेष लिफ्ट/ ह्विल चेयर/विशेष शौचालय संबंधी सुविधाएं कुछेक हवाई अड्डों पर अशक्त/विकलांग यात्रियों के लिए मुहैया की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को अन्य यात्रियों से पूर्व विमान में चढ़ने के लिए वरीयता दी जाती है उनको अनुरोध करने पर ह्वील चेयर/एम्बुलिफ्ट और विशेष भोजन आदि संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं।

(ख) आयटा के अनुसार यह मानदंड है कि कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु का है उसे वरिष्ठ नागरिक माना जाए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस उस व्यक्ति जिसकी आयु यात्रा की तारीख को 65 वर्ष की हो गई है, किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है (जबकि महिला की स्थिति में यह आयु 63 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए) जहां तक एअर इंडिया का संबंध है, एअर इंडिया में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। तथापि, एअर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा के लिए प्रतियोगी मार्किट किराए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लागू हैं।

अतिरिक्त श्रमिकों को पुन: रोजगार देना

2311. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षित करने और पुन: रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में क्या मानदंड अपनाया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय नवीकरण निधि से धनराशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का चयन करने वालों के परामर्श, पुन: प्रशिक्षण एवं पुन: नियोजन के लिए, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक स्व-रोजगारोन्मुख योजना तैयार की है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का चयन करने वाले व इस योजना से लाभ प्राप्ति के इच्छुक लोगों को स्व-रोजगार के उद्देश्य से प्रतिष्ठित प्रमुख एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

वर्ष 2001-2002 के लिए ऐसे परामर्श, पुन: प्रशिक्षण एवं पुन: नियोजन गतिविधियों के लिए, सरकार ने 8 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। चालू वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी शुरू किया जाना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दिनांक 12 जुलाई 2000 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण निधि को समाप्त कर दिया गया है।

बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना

2312. प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के खजुराला ग्राम में सत्तर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी हां। खजुराला ग्राम, जिला कपूरथला पंजाब में स्थित एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कार्य में लगे चालीस बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करा दिया गया है।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता, 1860, बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दोषी दो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गई है। दोनों दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

मोबिलिटी लाइसेंस

2313. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमित दूरी डब्ल्यू.एल.एल. लाइसेंस देते समय राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (एन.टी.पी.), 1999 में छूट दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व के किसी भी भाग में टेलीकॉम संचालन का कार्य निविदा-बोली आमंत्रित किए बिना केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमित दूरी के लाइसेंस जारी करने में सरकार द्वारा और अधिक पैसे लिये जाने के अवसर बहुत ही कम हो गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सीमित दूरी की सेवा के कारण प्रतियोगिता में विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर विपरीत असर पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। जैसा कि एनटीपी-99 में परिकल्पित है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के प्रावधान हेतु अन्य बातों के साथ-साथ अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर उपभोक्ता द्वारा हैंड-हेल्ड टेलीफोनों के प्रयोगसहित अभिगम्यता प्रौद्योगिकी के रूप में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) के प्रयोग के लिए शर्तें पूरी करने पर अप्रतिबंधित प्रवेश की घोषणा की थी। अत: बोली प्रक्रिया अपनाने का प्रश्न नहीं उठा। इसके अतिरिक्त, विगत में भी फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम का आबंटन आवेदन-पत्रों की प्राप्ति पर उनकी प्रोसेसिंग के आधार पर किया जाता रहा है। इस मामले में स्पैक्ट्रम का वास्तविक आबंटन चरणों में किया जाएगा जो विशेषरूप से निष्पादन से जुड़ा हुआ होगा तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के अध्यधीन होगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) डब्ल्यू.एल.एल. सहित सीमित मोबिलिटी का प्रावधान बुनियादी सेवा के प्रावधान के दायरे से बाहर नहीं है और इसे बुनियादी सेवाओं के हिस्से के रूप में ही प्रदान किया जाना है। वीएसएनएल अनिवार्यत: अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की वाइस और डाटा सेवाएं प्रदान कर रहा है और एम टी एन एल अपने सेवा क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. तथा सीमित मोबिलिटी सहित बुनियादी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अत: किसी प्रकार की हानि का प्रश्न नहीं उठता।

एअरलाइंस और फ्लाइंग क्लबों के खिलाफ शिकायतें

2314. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध एअरलाइनें कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों के खिलाफ अदालत में मामले लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कंपनियों के ऋण इक्विटी अनुपात, चालू अनुपात और तरलता अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को किसी कंपनी/फ्लाइंग क्लब में आर्थिक अनियमितता संबंधी कोई शिकायतें मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अनुसूचित/गैर-अनुसूचित एयरलाइनें तथा फ्लाइंग क्लबों की सूची क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) इन कंपनियों पर लंबित न्यायालयी मुकदमों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(ङ) और (च) नागर विमानन महानिदेशालय से प्राप्त शिकायत और वित्तीय अनियमितताएं विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

अनुसूचित/गैर-अनुसूचित प्रचालकों की सूची

अनुसूचित प्रचालक

1. एअर इंडिया
2. एलायंस एयर
3. इंडियन एयरलाइन्स
4. जेट एयरवेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5. सहारा इंडिया एयरलाइन्स

गैर-अनुसूचित प्रचालक

1. एसीई एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड
2. एरियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3. अग्नि-एयरोस्पोर्ट्स एड्वेन्चर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
4. अहमदाबाद एविएशन एकेडमी लिमिटेड
5. एयरवर्क्स इंडिया इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
6. एशिया एविएशन लिमिटेड
7. अजल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8. ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड (कार्गो)
9. सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10. दक्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
11. द्वारका एयर टैक्सी
12. एस्कार्ट्स लिमिटेड
13. ईस्ट इंडिया होटल, द ओबेरॉय
14. गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान
15. ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी
16. हिन्दुस्तान इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नॉलोजी
17. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज
18. इंडो पेशिफिक एविएशन
19. जैगसन एयरलाइन्स
20. जे के कौरपोरेशन लिमिटेड
21. कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड
22. मल्होत्रा हेलीकॉप्टर्स
23. मेगापोड़ एयरलाइन्स लिमिटेड
24. मेस्को एयरलाइन्स लिमिटेड
25. ओरियन्ट फ्लाइंग स्कूल
26. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड
27. राजपूताना एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
28. रेमॉन्ड्स लिमिटेड
29. रिलायन्स ट्रांसपोर्ट एण्ड ट्रेभल्स लिमिटेड
30. सहारा इंडिया एयरलाइन्स
31. सरैया एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
32. स्पान एयर प्राइवेट लिमिटेड
33. तनेजा एयरोस्पेश एण्ड एविएशन लिमिटेड
34. टाटा टी लिमिटेड
35. ट्रांस भारत एविएशन
36. यू.बी.एयर
37. उत्तर प्रदेश एयरवेज
38. विद्युत ट्रेवेल सर्विसेज

विवरण-II

देश के फ्लाइंग क्लबों के नाम

1. अमृतसर एविएशन क्लब
2. आंध्र प्रदेश एविएसन एकेडमी
3. बम्बई फ्लाइंग क्लब
4. बिहार फ्लाइंग इंस्टीच्यूट

5. बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एण्ड फ्लाइंग क्लब
6. कोयम्बतूर एविएशन एकेडमी
7. दिल्ली फ्लाइंग क्लब
8. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट कलकता
9. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट भुवनेश्वर
10. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट बंगलौर
11. गुजरात फ्लाइंग क्लब
12. हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल
13. जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब
14. केरला एविएशन ट्रेनिंग सेंटर
15. लुधियाना एविएशन क्लब
16. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब
17. मद्रास फ्लाइंग क्लब
18. नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर
19. पटियाला एविएसन क्लब
20. राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल
21. स्टेट सिविल एविएशन, यू.पी. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर
22. हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल एविएशन, पिंजौर
23. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, रायबरेली
24. अंडमान एण्ड निकोबार फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट पोर्ट ब्लेयर
25. असम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी
26. नागपुर फ्लाइंग क्लब
27. ओरिएंट फ्लाइट स्कूल, पांडिचेरी
28. गर्ग एविएशन, यू.पी. कानपुर
29. फ्लाइटेक एविएशन एकादमी, सिकंदराबाद
30. विंग्स एविएशन, हैदराबाद
31. टेट्रा एविएशन एकेडमी, तमिलनाडु
32. हल रोटरी विंग एकेडमी, बंगलौर
33. एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन, मुम्बई
34. अहमदाबाद एविएशन, अहमदाबाद
35. टाटा नगर एविएशन, जमशेदपुर
36. राजपुताना एविएशन एकेडमी, जयपुर
37. फ्रैंक एयरवेज, इन्दौर
38. तनेजा एयरोस्पेस एण्ड एविएशन लिमिटेड
39. बैट्स बंगलौर

विवरण-III

1. मद्रास फ्लाइंग क्लब के निवर्तमान मुख्य फ्लाइंग निदेशक, कैप्टेन एन. जयप्रकाश ने मद्रास फ्लाइंग क्लब के खिलाफ मुम्बई उच्च न्यायालय, अलंदुर में मद्रास फ्लाइंग क्लब द्वारा उनकी सेवा समाप्त किए जाने संबंधी आदेश को प्रतिसंहृत किए जाने के लिए ओएस/27/2000 और ओएस/84/2001 दो मामला दायर किया है।

2. जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर के कार्यकारी समिति के सदस्य, श्री विवेक सिंह ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर की अदालत में श्री एन.के. सिंह, सी.एफ.आई., संतोश कुमार और श्रीमती इंदिरा सिंह के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, फ्लाइंग क्लब से संबंधित कागजातों की जालसाजी, चोरी, प्रमाणों को समाप्त करने, भारतीय वायुयान नियम के उल्लंघन, इत्यादि से संबंधित मामलों में एक मामला संख्या जी/1-249 दिनांक 18.3.2000 दर्ज कराई है।

3. केरला विमानन प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित विमान, जो 22 फरवरी, 1997 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तथा पायलट का बीमा दावा की प्राप्ति के लिए दिवंगत कैप्टन डी. राजकुमार के परिवार के द्वारा अदालत में मामला दर्ज किया गया।

4. कैप्टन डी. सुधाकर रेड्डी, आंध्र प्रदेश एविएशन अकादमी के निवर्तमान-अवैतनिक सचिव के खिलाफ एक मामला लंबित है। प्रबंधन समिति संकल्प संख्या 1522 के अनुसार एक कानूनी नोटिस कैप्टन डी. सुधाकर रेड्डी को भेजा गया कि वे उस राशि को वापस करें जिसे उन्होंने अग्रिम के रूप ली थी तथा अभी उनके खिलाफ बकाया है। यह मामला सिटी सिविल न्यायालय, 6 मेट्रोपोलिटन सिकंदराबाद में लंबित है।

कानूनी मामले

क्रम संख्या	एयरलाइनों के नाम	बकाया राशि	टिप्पणियां
1.	स्काईलाइन एनइपीसी एयरलाइन्स	169.97	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बकाया राशि की वसूली के निमित्त उठाया गया मामला चेन्नई उच्च न्यायालय में लंबित।
2.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	1828.81	मामला मुम्बई उच्च न्यायालय में लंबित। ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स ने माननीय न्यायालय द्वारा उनकी संपत्ति को जब्त किए जाने के लिए दिए गए आदेश के विरुद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में अपील किया है।
3.	कॉन्टिनेन्टल एयरलाइन्स	23.02	दोनों विमानें जमीन पर खड़ी कर दी गई हैं। वसूली संबंधी निवेदन माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय में लंबित।
4.	जैगसन एयरलाइन्स	66.76	दोनों एयरलाइनों ने विवाचन निर्णय के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील किया है।

विवरण-IV

नागर विमानन महानिदेशालय को प्राप्त शिकायत और तत्संबंधी कार्रवाई

नागर विमानन महानिदेशक को निम्नांकित फ्लाइंग क्लबों और गैर-अनुसूचित प्रचालकों द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है।

क. फ्लाइंग क्लब

(1) मैसर्स मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर

श्री शरद कुमार सांधी ने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर द्वारा तीन विमान और दो इंजिनों की खरीद में बरती गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शिकायत दर्ज की है।

नागर विमानन महानिदेशालय फ्लाइंग क्लब के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करता है। यद्यपि, क्लबों की प्रबंधन समिति में नागर विमानन महानिदेशालय का एक नामिति है। क्लब प्रबंधन समिति को ऐसे वित्तीय लेन-देन के लिए पूर्वानुमति लेनी अपेक्षित नहीं है।

(2) मैसर्स जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर

श्री विवेक सिंह ने जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर में घोर अनियमितताओं (वित्तीय और अन्यथा) की शिकायत दर्ज कराई है।

बिहार सरकार के सहकारी विभाग द्वारा मामले की जांच कराने के फलस्वरूप पता चला कि लगाए गए आरोप सत्य थे और इसी आधार पर, बिहार सरकार के जिला सहकारी पदाधिकारी ने दिनांक 19.4.2000 से क्लब की प्रबंध समिति को निलंबित कर दिया।

दिनांक 7.4.2000 को कलकत्ता के उड़नयोग्यता निदेशक, श्री ए.के. रे द्वारा इस मामले की जांच की गई। जांच-रिपोर्ट जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब के विशेष पदाधिकारी को आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

(3) मैसर्स यश एअर लि., इन्दौर

भोपाल में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अवधि-विस्तारण के लिए मैसर्स यश एअर लि., इन्दौर के निदेशक का सिक्योरिटी क्लियरेंस उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट मुंबई के साथ उनके समागम के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं तथा दस्तावेजों के असत्य प्रस्तुतीकरण के कारण गृह मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

ख. गैर-अनुसूचित प्रचालक

मैसर्स मेस्को एयरलाइन्स: मैसर्स सुन्दरम फाइनेंस लि. ने शिकायत की है कि मैसर्स मेस्को एयरलाइंस लि. पट्टाकरार के

तहत किराए और अन्य राशि की संदायगी में चूककर्ता रहा है। इसलिए मैसर्स, सुन्दरम फाइनेंस लि. ने मैसर्स मेस्को एयरलाइन्स के विरुद्ध चेन्नई उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर किया है। चूंकि मामला न्यायाधीन है, सरकार की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ग. अनुसूचित एयरलाइनें

मैसर्स स्टालियन एयरवेज प्राइवेट लि. के निदेशकों का विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमित करने के लिए हमने इनसे सुरक्षा क्लियरेंस की मांग की थी। इसके प्रत्योत्तर में गृह मंत्रालय ने इस मंत्रालय को जानकारी दी है कि कैप्टन पुनीत साभरवार पेशर ले. कर्नल ए.एस. साभरवार ने 1 जुलाई, 1998 को मैसर्स स्टालियन एयरवेज प्राइवेट लि. के साथ नियोजन संविदा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् 6,50,000/- रु. मात्र का भुगतान सेन अन्टोनियों, टेक्साज, यू.एस.ए. स्थित फेयरचाइल्ड एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग फैसिलीट में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस शुल्क के रूप में किया। चूंकि उन्हें कंपनी से ऑफर नहीं मिला, श्री पुनीत साभरवार के पिता श्री ए.एस. साभरवार ने मैसर्स स्टालियन एयरवेज प्राइवेट लि. के निदेशकों के विरुद्ध वसंतकुंज स्थित स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अभी मामले का अन्वेषण किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के दृष्टिगत, अनुसूचित विमान परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अवधि-विस्तारण के लिए मैसर्स स्टालियन एयरवेज के अनुरोध पत्र को खारिज कर दिया है।

मैसर्स यू.पी. एयर

केनरा बैंक ने इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया है कि मैसर्स यू.पी. एयर को लाजपत नगर स्थित नई दिल्ली की शाखा से विभिन्न प्रकार की साख-सुविधाएं मिली हुई थी। लेखे की बहुत लंबी अवधि तक चुकौती नहीं की गई और संबंधित बैंक ने दिनांक 1.9.97 को 23.07 करोड़ रु. की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जिसका निर्णय 11.9.98 को हुआ था। समयानुक्रम में बैंक ने डी.आर.ए.टी. मुम्बई में डी.आर.टी. के आदेश के विरुद्ध अपील किया है जिसका निपटान अभी भी लंबित है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, सदंर्भगत कंपनी के निदेशकों के सिक्योरिटी क्लियरेंस की मांग की गई है। इसलिए, 3 एफ-27-500 आर.एफ. विमानों को आयात करने के बारे में उनके निर्णय को आस्थगित कर दिया गया है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को हुआ घाटा

2315. श्री टी. गोविन्दन:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस को गत तीन वर्षों से लगातार वित्तीय घाटा हो रहा है जबकि निजी एयरलाइनों को वायु यातायात क्षेत्र में भारी लाभ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइनवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, एअर इंडिया को क्रमश: 174.48 करोड़ रुपए और 37.63 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान एअर इंडिया को अनुमानत: 52 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है। यह हानि मुख्य रूप से ईंधन लागत में वृद्धि के कारण होगी। यदि ईंधन लागत में वृद्धि नहीं हुई होती, तो एअर इंडिया को आशा थी कि वह 2000-2001 के दौरान लगभग 200 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करती।

जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

	लाभ/(हानि) (करोड़ रुपयों में)
1998-99	13.12
1999-2000	45.27
2000-2001	(177.25) (अनंतिम)

इंडियन एयरलाइन्स ने (1) कड़ा बजटीय नियंत्रण जिसमें व्यय के सभी प्रमुख मद शामिल हैं बशर्ते यह लाभ विश्लेषण प्रचालनात्मक व वाणिज्यिक तीव्रता, (2) बेहतर विमान बेड़ा उपयोगिता, बढ़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन, (3) विमान और मार्ग आयोजना की बेहतर अनुसूची आवश्यकताओं के अनुसार क्षमता का लगाया जाना (4) विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयरिंग व्यवस्था, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था में उच्चस्तरीय भागीदारी, (5) जब तक प्रचालनात्मक कारणों से बहुत ही आवश्यकता न हो तब तक भर्ती पर रोक. ईंधन निगरानी और टैंकरिंग. प्रचार और विक्रय

प्रोत्साहन व्यय में कमी, अलाभकारी उड़ानों की संवीक्षा, जहां तक संभव हो सके, बाहरी स्रोतों से सेवाओं को प्राप्त करने जैसे कदम उठाए हैं।

मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन वाले क्षेत्र

2316. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में खनिज संसाधनों का पता लगाने हेतु मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किये गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में खनिजों के उचित दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ विभाग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.वाई.) ने वर्ष 2000-2001 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में खनिज संसाधनों के लिए सर्वेक्षण किए हैं। इसने स्वर्ण और आधार धातुओं के लिए सिद्धी, जबलपुर और बेतूल जिलों में तथा कोयले के लिए सिद्धी, शाहडोल और बेतूल जिलों में अन्वेषण किए।

सिद्धी जिले में छकरिया ब्लाक और जबलपुर जिले में इमालिया ब्लाक के खनिजीकृत अंचलों में 0.2 से 10 ग्राम प्रति टन तक के स्वर्ण मान पाए गए हैं। जी.एस.वाई. द्वारा अभी तक राज्य में 14750 मिलियन टन कोयला भण्डारों की पुष्टि की गई है।

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 तथा सरकार द्वारा इसमें किए गए, अनुवर्ती, संशोधनों का लक्ष्य राज्य द्वारा खनिज संसाधनों का त्वरित एवं व्यवस्थित विदोहन करना है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुन्दर लाल पटवा की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3886/2001]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): महोदय, मैं वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (आई) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3887/2001]

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3888/2001]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त भुवन चन्द्र खंडूड़ी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1186(अ) जो 26 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर कोलकाता के समीप हुगली नदी पर प्रस्तावित द्वितीय विवेकानंद सेतु के लिए भूमि के अर्जन हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति करना है।

(दो) का.आ. 461(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को चौड़ा करने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 488(अ) जो 23 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपमहाप्रबंधक को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के कृत्यों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।

(चार) का.आ. 965 (अ) जो 1 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के उपमहाप्रबंधक को अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन हेतु अधिकृत किया है।

(पांच) का.आ. 493(अ) जो 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के कृत्यों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।

(छः) का.आ. 531(अ) जो 18 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कोलाघाट से खड़गपुर खण्ड) को चौड़ा करने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 438(अ) जो 18 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में ग्रेड पृथक् चौराहों और टोल प्लाजा का निर्माण करके जयपुर से किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 591(अ) जो 27 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में गोविन्दपुर ब्राह्मन शासन से रूपनारायणपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 को लोक प्रयोजनों के लिए चौड़ा करने हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 592(अ) जो 27 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में दनकुनी-कोलाघाट खण्ड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 593(अ) जो 27 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60-लक्ष्मणनाथ से खड़गपुर खंड को चौड़ा करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 620(अ) जो 29 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से कलकत्ता एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन या संचालन के लिए लोक प्रयोजनों हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 629(अ) जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में जयपुर बाईपास फेज-2 के विकास के बारे में है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3889/2001]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2001 जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2001 जो 24 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध-बीमा (संशोधन) स्कीम, 2001 जो 30 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3890/2001]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ उनके सम्पर्क हेतु दिशानिर्देशों संबंधी विनियम, 2001 जो 16 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 108-4/99-टीआरएआई (टेक) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ उनके सम्पर्क हेतु दिशानिर्देशों संबंधी विनियम, (पहला संशोधन), 2001 जो 17 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 108-4/98-टीआरएआई (टेक) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3891/2001]

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

बाढ़ प्रबंधन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सेठी को वक्तव्य देना है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): महोदय, यह वक्तव्य बहुत लम्बा है। आपकी अनुमति से क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं?

---

*सभा पटल पर रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय: महोदय, यह वक्तव्य अत्यन्त लम्बा है। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, मैं बाढ़ प्रबंधन से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से बाढ़ आने संबंधी सूचना प्राप्त हुई। इनमें से उड़ीसा राज्य में भयंकर बाढ़ आई है। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, केरल और त्रिपुरा के कुछ भागों में भी बाढ़ आई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में हाल में आई बाढ़ का सबसे पहले उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है।

इस वर्ष उड़ीसा में तीन चरणों में बाढ़ आई। बाढ़ का पहला चरण जुलाई, 2001 में आया। यह बाढ़ महानदी के आवाह क्षेत्र में आई भीषण वर्षा और छत्तीसगढ़ में स्थित कुछ जलाशयों से महानदी प्रणाली में छोड़े गए जल के कारण आई। इसके परिणामस्वरूप पुरी, जगतसिंहपुर, भदरक, खुर्द, केन्द्रपाड़ा और कालाहांडी आदि सहित अनेकों जिलों में बाढ़ का पानी भर गया। वर्षा में कमी होने के कारण लगभग 11 जुलाई, 2001 को जल भराव में कमी आई।

बार-बार भीषण वर्षा होने के कारण पानी से लबालब भरे हीराकुड जलाशय के जल कपाट खोलने पड़े। हीराकुड बांध को खतरे से बाहर रखने के लिए 18 जुलाई को 8.53 लाख क्यूसेक अन्तर्वाह (इनफ्लो) की तुलना में 7.85 लाख क्यूसेक जल छोड़ा गया था ताकि जलाशय के 630 फीट भण्डारण क्षमता की तुलना में इसके जल स्तर को घटा कर 628.35 फीट रखा जा सके। दोबारा भारी वर्षा आने के परिणामस्वरूप अन्य प्रवाहों के साथ-साथ जलाशय के जल का बहिर्वाह (आउटफ्लो) काफी हो गया जिससे 24 जिलों में भीषण बाढ़ आ गई। यह स्थिति बंगाल की खाड़ी में ज्वार आने के कारण और अधिक बिगड़ गई। इससे खाड़ी में जल निकास की गति धीमी हो गई थी। इस स्थिति में 22 जुलाई को कुछ सुधार हुआ लेकिन 25 जुलाई, 2001 के तीसरे दौर की भीषण वर्षा हुई जिससे जगतसिंहपुर, भदरक, केन्द्रपाड़ा और पुरी के कुछ हिस्सों सहित अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित हो गये। इस बाढ़ में 96 लोगों की जानें गई और इससे 16,000 से अधिक गांव और 87 लाख लोग प्रभावित हुए। इसके साथ ही इससे 8.91 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र और 2.34 लाख घर भी प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए राहत और बचाव कार्य करने के वास्ते सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जिससे इस भयंकर बाढ़ में अपेक्षाकृत कम लोगों की जानें गई। बचाव कार्य के दौरान 6 लाख लोगों को सुरक्षित

स्थानों पर पहुंचाया गया और दवाईयों के साथ-साथ अन्य राहत सामग्री भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई। इस बाढ़ से हुई क्षति इसकी मात्रा के ब्यौरे का भी आकलन किया जाना है क्योंकि इस समय राज्य सरकार की पूरी मशीनरी तात्कालिक राहत कार्य में लगी हुई है।

बिहार में सोन, कोसी, बागमती, घाघरा, गंगा, पुनपुन, कमला-बलान, बूढ़ी गंडक तथा महानदी नदियों में भीषण बाढ़ आई और यह नदियाँ खतरे के स्तर से ऊपर बहीं। घाघरा नदी 31 जुलाई को गंगापुर-सीवान के अपने उच्च प्रवाह स्तर से 0.5 मीटर ऊपर बही। 2 अगस्त, 2001 को गंडक, बागमती और कमला बलान जैसी तीन बड़ी नदियों द्वारा तटबंधों के तोड़ने और पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी घुस जाने से बाढ़ की स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। गंडक नदी पर गोपालगंज में बने सारण मुख्य तटबंध, हीरा पैटर पर लगभग 200 फीट और देवपुर में 100 फीट तक दरार आ गई जिससे गोपालगंज की 32 पंचायतों में बाढ़ आने के कारण गंडक नदी के माध्यम से नेपाल से उत्तरी बिहार में 4.70 लाख क्यूसेक पानी आया। इससे नागादाह गांव के समीप चम्पारण तटबंध में दरार आ गई। बागमती नदी के तेज पानी से उसके बायें तटबंध में दरार आ गई जिसके परिणामस्वरूप दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई।

राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम आकलन रिपोर्ट के अनुसार 15 जिलों में से गोपालगंज, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इससे 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है और 10 करोड़ (लगभग) रु. की कीमत की फसल का नुकसान हुआ है। इसमें दो लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है तथा प्रभावित क्षेत्रों से 5000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा पुनर्वास के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य प्रारंभ कर दिया है। सेना राज्य सरकार के बचाव कार्य में सहायता कर रही है।

उत्तर प्रदेश में जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण गण्डक, घाघरा और गंगा नदियां, खतरे के स्तर से ऊपर बही। 30 और 31 जुलाई, 2001 को खडडा में गंडक नदी का प्रवाह उच्च प्रवाह स्तर (एच एफ एल) से 0.5 मीटर ऊंचा था। इस वर्ष नेपाल क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण भारतीय क्षेत्र में अनियमित बाढ़ जल प्रवेश कर गया इसका कारण महाराजगंज जिले में महाव नाले पर बनाया जा रहा तटबंध है, पर चार स्थानों पर दरारें आई थीं। प्राप्त सूचना के अनुसार चार में से दो स्थानों को भर दिया गया है तथा शेष दोनों में कार्य चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार क्षतिग्रस्त तटबंध से जल प्रवाहित होने के कारण फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

इस साल असम में जून, 2001 के प्रथम सप्ताह के दौरान मानसून आया। आवाह क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण ब्रह्मपुत्र, बराक, कटखल, डीखोब, धनसिरी, देसंग, बेकी, जियाभराली, मानस और संकोश नदियाँ खतरे के स्तर से ऊपर बहीं। 30 जुलाई को रोडब्रिज पर बेकी नदी अपने उच्च प्रवाह स्तर से 0.5 मीटर बही और अभी तक राज्य सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति की कोई सूचना नहीं दी है।

त्रिपुरा में चार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यह राज्य शेष देश से पूर्ण रूप से अलग-थलग हो गया क्योंकि असम के करीमगंज जिले के पास पाथरकंडी में भारी भू-स्खलन होने के कारण असम-अगरतल्ला राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 बंद हो गया था। मानू, धलाई और लंगाई नदियों के तटबंधों में दरार पड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके कारण कैलासहर, कमालपुर और धरमनगर उप-मण्डल में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई थी। राज्य राजस्व प्राधिकरणों से बाढ़ से हुई क्षतियों के संबंध में अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

केरल में आई बाढ़ के बाद, लगभग 7 जुलाई को भू-स्खलन होने के कारण 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। आपदा राहत निधि (सी आर एफ) का 50% केन्द्रीय अंशदान अर्थात 26.48 करोड़ रु. की प्रथम किस्त पहले ही जारी कर दी गई है क्योंकि यह राशि प्रदान करने की कृषि मंत्रालय द्वारा सिफारिश भी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने भी दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी कर दी है। अभी हाल में एक केन्द्रीय दल स्थिति का आकलन करने के बाद राज्य से वापस आया है और राज्य के लिए एन सी सी एफ द्वारा किए जाने वाले आबंटन पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में भी, जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण, फरक्का में गंगा नदी 20 जुलाई से लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य से बाढ़ की क्षति के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अभी हाल में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बिनवा खुड में भारी बाढ़ आई थी जिसके कारण 12 व्यक्तियों की जानें गईं। यह अनुमान है कि बाढ़ के दौरान 23 करोड़ रु. की कुल क्षति हुई है। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनरुद्धार संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर रही है।

छत्तीसगढ़ जिले में भी 9 जुलाई, 2001 को बाढ़ आयी थी जिसके कारण धामतरी जिला और महानदी प्रणाली के अन्य जल ग्रहण क्षेत्रों की 23 तहसीलें प्रभावित हुई थीं जिसके फलस्वरूप 12 लोगों की मृत्यु हुई।

[श्री अर्जुन सेठी]

यद्यपि बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है, फिर भी केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया कराती है। केन्द्र सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर जल संसाधन विकास/बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित क्षेत्र में सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में महाकाली नदी (भारत में सारदा) की पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दोनों देशों द्वारा पहले से ही संयुक्त रूप से तैयार की जा रही है। इसी प्रकार से, सप्तकोसी और सनकोसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भी नेपाल के साथ सक्रिय रूप से विचार-विमर्श चल रहा है। विशेषज्ञों की संयुक्त दल की तीसरी बैठक के दौरान मार्च, 2001 को नई दिल्ली में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था जिसमें प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तथा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के वास्ते संयुक्त परियोजना कार्यालय खोले जाने पर विचार-विमर्श किया गया था। इन नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान कार्यों में सहायता करने के लिए नेपाल से निकलने वाली और भारत की ओर बहने वाली नदियों के जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों का आदान-प्रदान पहले से ही किया जा रहा है। इस संबंध में, भारत और नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी एक समिति का गठन भी किया गया है, इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में अप्रैल 2000 में हुई थी। इस बैठक के अनुरण में, एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया गया था इसकी बैठक जून, 2001 को काठमांडू में हुई जिसमें मौजूदा भारत-नेपाल बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की समीक्षा तथा व्यापक बाढ़ पूर्वानुमान मास्टर योजना को तैयार करने की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों के सामने आ रही विभिन्न बाढ़ आप्लावन समस्याओं की जांच करने के लिए वर्ष 1980 से बाढ़ आप्लावन समस्याओं संबंधी भारत-नेपाल स्थायी समिति भी कार्य कर रही है। इस समिति की अब तक 11 बैठकें हुई हैं, यह दोनों देशों के सामने आ रही समस्याओं पर विचार करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है और उपयुक्त उपाय तैयार करने की कोशिश कर रही है। यह समिति कई मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान कर चुकी है।

इसी प्रकार से देश में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भूटान से निकलने वाली नदियों के जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों को भी भारत को भेजा गया है। इस संबंध में हुई प्रगति की, भारत और भूटान के संयुक्त विशेषज्ञ दल द्वारा नियमित आधार पर मानीटरी की जाती है। हाल ही में, ब्रह्मपुत्र और सतजुल नदियों पर जल वैज्ञानिक आंकड़ों की आवश्यकता पर चीन के साथ बातचीत शुरू की गई है।

वर्ष 1958 से, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग, वृहद अंतर्राज्यीय नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का प्रचालन कर रहा है ताकि वृहद अन्तर्राज्यीय नदियों पर विभिन्न राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को समय से चेतावनी दी जा सके। इस नेटवर्क में कई वर्षों में केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 159 तक पहुंच गयी है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान 96% से अधिक सही पाये गये हैं और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों को बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएं अत्यधिक लाभ प्रदान करती है।

संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के समन्वय से किफायती लागतों पर बाढ़ से हुई क्षति से उचित स्तर तक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बाढ़ प्रबंधन अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा आकलित 40 मि. हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 32 मिलि. हेक्टेयर क्षेत्र को उचित सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यों से मार्च, 2000 तक 16.435 मिलियन हेक्टेयर (प्रत्याशित) क्षेत्र को लाभ हुआ है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, मेरे साथी श्री दासमुंशी ने डोडा का मुद्दा उठाया है। हमें इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में जो बाढ़ है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: झा जी, आपको चांस मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको चांस दूंगा। बाढ़ के बारे में मंत्री जी ने स्टेटमेंट ले कर दिया है। उस पर बाद में चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सारा बिहार बाढ़ की चपेट में है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बाढ़ पर समय फिक्स करके चर्चा होगी, अब आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूं कि आप पहले अपनी सीट पर जाएं, फिर मैं आपको सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): किश्तवार में निर्दोष लोगों की हत्या की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, राज्य सरकारों के पास इन विनाशकारी बाढ़ों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य की सरकारों के पास धन नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा धन के बंटवारे में भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिहार के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। उन्हें बिहार के लिए प्रावधान करना चाहिए। यह भीषण प्राकृतिक आपदा है, इसलिए केन्द्र द्वारा धन प्रदान किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रघुनाथ जी, मैं आपको बुलाऊंगा। आप अपनी जगह पर बैठें। मैंने कहा है कि मैं आपको सुनूंगा और सपोर्ट दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: इस पर सरकार की तरफ से उतर आना चाहिए। दो तरह का बर्ताव नहीं हो सकता कि उड़ीसा के लिए कुछ और बिहार के लिए कुछ *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आप मामले की गम्भीरता समझें।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझ रहा हूं, लेकिन चार लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे रिकार्ड में जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप इस प्रकार बोलेंगे तो कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद उस पर सदन में चर्चा हो। बिहार में अभी तक नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय टीम को नहीं भेजा गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और क्या आप सभी लोग, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठेंगे? 'शून्य काल' में भी कुछ व्यवस्था रहने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, आज सुबह हमने बिहार में आई बाढ़ पर गहरी चिन्ता जतायी है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हम जानना चाहते हैं, कितने लोग प्रभावित हुये हैं, केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, कितनी धनराशि जारी की गई है, प्रभावित लोगों को क्या सुविधायें एवं सामग्री दी गई है ...*(व्यवधान)* हमें यह सारी जानकारी चाहिए। इससे लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने वक्तव्य पहले ही सभा पटल पर रख दिया है। आप कार्य-मंत्रणा समिति में बहस के लिए कोई समय निर्धारित कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से कौन रोक रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, आज सुबह उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बाढ़ और सूखा की स्थिति पर अलग से पूरी बहस होगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इस बारे में बी.ए.सी. में टाइम फिक्स किया जाएगा तभी इस पर डिसकशन होगा। ऐसे हल्ला करने से कुछ नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री अहमद, पहले हमें बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर लेने दीजिए, इसके बाद आप अपना मामला उठा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य देना चाहते थे। सभा ने इच्छा व्यक्त की कि अत्यधिक लम्बा वक्तव्य होने के कारण इसे सभा पटल पर रखा जाये और अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर उत्तर दे रहे हैं। हमने 10-15 मिनट व्यर्थ में खो दिया। श्री पप्पू यादव, कृपया मेरी बात सुनिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, अब आप क्या कर रहे हैं। अब आप भी कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, सदन को याद होगा, शुक्रवार को जब जल विवाद विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब बहुत सारे सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ के संबंध में चिन्ता व्यक्त की थी। संख्या कम थी, लेकिन चिन्ता ज्यादा थी। विधेयक का उत्तर देते हुए, जल संसाधन मंत्री ने कहा था कि वे सोमवार को सदन में वक्तव्य करेंगे। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय को पत्र भेजने में देरी हो गई, इसलिए वह आज की कार्यसूची में नहीं आया, लेकिन जल संसाधन मंत्री अपना वक्तव्य लेकर आए हैं। वह वक्तव्य एक प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश—इन सारे प्रदेशों का उसमें जिक्र है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सुखाड़ भी है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: रघुवंश प्रसाद जी, हमारी सरकार में सूखा एक मंत्री देखता है और बाढ़ दूसरा मंत्री देखता है। जब सूखे के बारे में बात आएगी, तो दूसरे मंत्री उसके बारे में जरूर उत्तर देंगे। यह वक्तव्य पांच पृष्ठों का है। मेरी सदन से प्रार्थना होगी, केवल वक्तव्य करके या एक-दो प्रश्न पूछकर और उनका उत्तर देकर, सदन इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर सकता है। कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है। उसमें फैसला करके इसी सप्ताह एक पूरे दिन की चर्चा बाढ़ के संबंध में करें। पूरे दिन की चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देने का कार्य होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कल बिहार में बाढ़ के बारे में लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है और उस पर यह वक्तव्य आया है। चार पृष्ठों का यह वक्तव्य है, जिसमें बिहार के बारे में भी लिखा गया है। वक्तव्य में केवल बिहार के बारे में लिखा गया है—पूर्व में बाढ़ को रोकने के लिए क्या काम किए गए और 1980 में नेपाल-बिहार के बीच क्या बातचीत हुई। यह वक्तव्य जब कल छपेगा, तो बिहार की जनता को बिहार के संसद सदस्य क्या मुंह दिखायेंगे, मैं नहीं जानता हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, क्या हम वक्तव्य देख सकते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, यह सभा पटल पर रख दिया गया है। आप इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। उसके ऊपर चर्चा होगी, चर्चा के दरमियान आप सुझाव देंगे और उस पर सरकार की तरफ से जवाब आएगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

(इस समय श्री राम प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बिहार के बारे में ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने बाढ़ के बारे में वक्तव्य दिया। बिजनेस एडवायजरी कमेटी में आने के बाद ही इस पर डिसकशन के लिए टाइम रखेंगे। तभी बताएंगे कि सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। इस तरह तो नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे 36 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: दूरदर्शन से किया जा रहा प्रसारण बन्द किया जाये। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है और कैमरे में भी कुछ नहीं आ रहा है। आप शोर करते जाइए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था बनाइये *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री दासमुंशी को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार, कृपया कुछ नहीं दिखाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सबको बोलने का चांस दूंगा। आप सब पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसे बोल कर तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर बोलना है तो अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बोलिये। ऐसे बोलने से क्या फायदा है।

अपराह्न 12.24 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री राम प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इसे मत दिखाइये।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): उपाध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर में जो नरसंहार हुआ है उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: वे आतंकवाद को आजादी की लड़ाई कह रहे हैं। *...(व्यवधान)* हमारे लोग वहां मारे जा रहे हैं, हम कब तक ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको नियम के अनुसार बोलना है। मैंने माननीय दासमुंशी को बोलने के लिए कहा है, आप बैठ जाइये। कटारिया जी, आप भी बैठ जाइये, यह नियम के खिलाफ है, मैं इसे एलाऊ नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैसे बोलूं? सत्ताधारी पार्टी किसी भी सदस्य को अपनी बात नहीं बोलने दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27 बजे

(इस समय श्री रघुनाथ झा, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री राजो सिंह, श्री रामदास आठवले तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाइये तभी तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री रघुनाथ झा, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री राजो सिंह, श्री रामदास आठवले तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.29 बजे

(इस समय श्री ई. अहमद आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको बोलने का अवसर दूँगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.29$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री ई. अहमद अपने स्थान पर वापस चले गये)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर के बारे में इन्होंने आपको नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक को अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवसर दूँगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपने स्थानों पर जाइए। मैं आपको अवसर दूँगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मंडे को हाउस में इतनी गर्मागर्मी कैसे हो गई है?

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी, वह एक बेहद अफसोसनाक हादसा है। *...(व्यवधान)*

شری جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): مظفر نگر میں جو حادثہ ہوا، وہ ایک بے حد افسوسناک حادثہ ہے۔

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, यदि व्यवस्था बनी रही तो मैं आपको बुला सकता हूँ। यदि अव्यवस्था होगी तो मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के सदस्यों ने आग्रह किया है कि वहां आई बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए केन्द्र की ओर से कोई टीम भेजी जाए। *...(व्यवधान)* वह अभी कैसे जा सकती है? जाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह भी तो देखनी पड़ेगी। *...(व्यवधान)* उनके आग्रह के अनुसार मैं संबंधित मंत्रालय से कह दूंगा कि वह इस सप्ताह वहां एक टीम भेजे जो वहां की स्थिति का निरीक्षण करे। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में एक केन्द्रीय टीम जरूर जाए लेकिन वह इस बात की जांच करे कि वहां आज तक बने बांध कैसे टूट गए? *...(व्यवधान)* उनमें जो पैसा लगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* केन्द्र सरकार राहत कार्यों के लिए तुरन्त पैसा दे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री बसुदेव आचार्य: यह क्या है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, डोडा में हुई घटना के बारे में गृह मंत्री जी सदन में एक बयान दें। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बारे में सदन में होम मिनिस्टर सफाई दें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठेंगे? स्वामी जी, आपको खड़े नहीं होना है, बल्कि सीट रीज्यूम करना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सदस्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने स्थानों पर जायेंगे? मैं उन्हें बोलने का अवसर दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर जाइए.

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मुझे लगता है कि मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? यह क्या तरीका है? *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, आपने दासमुंशी जी को बोलने के लिए एलाऊ किया है। सत्ता पक्ष वाले इन्हें बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, मैंने श्री दासमुंशी को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं बोल रहा हूँ। कृपया मेरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: डोडा में हुई घटना के बार में मुझे अपनी बात कहने का मौक दिया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी एलाऊ करूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी ने प्रश्न काल के निलंबन का नोटिस दिया है। माननीय अध्यक्ष ने मुझसे प्रश्न काल के तुरंत बाद उन्हें बोलने का अवसर देने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बोलने का अवसर प्रदान कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मुख्य सचेतक का सहयोग चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने का चांस नहीं देते हैं। इन्हें हमेशा बोलने का चांस मिलता है। इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप हमें बोलने का चांस नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वह अधिकार पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं। हमेशा इनको बुलाया जाता है।

श्री मदन लाल खुराना: वहां एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और हमें बोलने का चांस नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह क्या है? *...(व्यवधान)* महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि जम्मू के डोडा जिले, किश्तवार तथा कश्मीर घाटी में अन्य स्थानों पर बार-बार घटनायें हो रही हैं।

ये घटनायें होती हैं और बारंबार आश्वासन दिये जाते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: खुराना जी, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने प्रश्न काल के निलंबन का नोटिस दिया है और माननीय अध्यक्ष ने मुझसे प्रश्न काल के पश्चात् उन्हें बोलने का मौका देने के लिए कहा है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इससे आपका क्या तात्पर्य है? मैंने कहा है कि मैं आपको भी बोलने का अवसर दूँगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि वे ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सत्ता पक्ष इस सभा में इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो मुझे आशंका है कि मैं सभा की कार्यवाही नहीं चला सकता।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गत वर्ष सामूहिक हत्याकांड के दिन से ही इस सभा में और जन सभाओं में इस देश और संसद को आश्वासन दिया था कि निर्दोष लोगों का जीवन बचाने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: उपाध्यक्ष जी, क्या जम्मू कश्मीर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आगरा शिखर सम्मेलन के बाद डोडा में यह तीसरी घटना घटी है। माननीय गृह मंत्री ने यह स्पष्ट करने के बजाए कि वहाँ निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं, कल भाषण दिया कि आगरा शिखर सम्मेलन के अगले दिन ही हमें यह पता चला कि, 'परवेज मुशर्रफ इस समझौते को नहीं मानेंगे और हत्याओं का दौर चलता रहेगा।' उन्होंने यह बात न तो संसद में बताई और न ही आगरा शिखर सम्मेलन के समय बताई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी, चाहे वे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं लेकिन यह सरकार हल्की-फुल्की टिप्पणियां कर रही है। माननीय गृह मंत्री इन बार-बार होने वाली घटनाओं में जम्मू और कश्मीर के लोगों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आगरा शिखर वार्ता के तुरंत बाद अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की हत्या की गई। यह तीसरा सामूहिक हत्याकांड है। आज भी उधमपुर में कुछ घटना हुई है। परंतु गृह मंत्री उसकी जिम्मेदारी किसी और पर डालने का प्रयास कर रहे हैं।

हम जानते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम यह बात जानते हैं और हम आतंकवादियों और पाकिस्तान दोनों की निंदा करते हैं। परन्तु मात्र उनकी निंदा करके गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसमें उनकी क्या भूमिका रही है? जम्मू और कश्मीर घाटी में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्होंने अभी कोई भूमिका अदा नहीं की है। जब एक के बाद एक सामूहिक हत्याकांड हो रहा है तो क्या गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? वह लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देने के स्थान पर इस मुद्दे पर अपना राजनीतिक भाषण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री जी को इस घटना को सर्वोपरि महत्व देते हुए सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए और सभा को सभी मामलों पर उनसे प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए। वह प्रतिदिन असफल हो रहे हैं। कंधार के मामले से लेकर कल तक के अपहरण और हत्याकांड तक की घटनायें यह दर्शाती है कि वह कितने अक्षम और अकुशल हैं, और इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने में कितने लापरवाह हैं। मात्र सीमा पार से आतंकवाद के बारे में बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम जम्मू और कश्मीर के सभी मामलों पर सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं। परन्तु जम्मू और कश्मीर मामले में, विशेष रूप से डोडा गाँव की घटनाओं पर हम भारत के गृह मंत्री के कठोर रवैये पर चुप नहीं रह सकते। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि गृह मंत्री महोदय जब एक जिले की सुरक्षा नहीं कर सकते तो वह देश की सुरक्षा कस प्रकार करेंगे। एक ही प्रकार की घटना डोडा में तीन बार घटी है।

अत:, महोदय मैं मांग करता हूँ कि गृह मंत्री महोदय आकर सभा में इस मुद्दे पर वक्तव्य दें और सभा को विश्वास में लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं श्री दासमुंशी की बात का समर्थन करता हूँ ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। आप उन लोगों को रोज-रोज बोलने का मौका देते हैं और आज भी दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, आपको पता है कि मैंने श्री दासमुंशी को बोलने का अवसर क्यों दिया है? उन्होंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचना दी थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझसे उन्हें बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए कहा था।

[हिन्दी]

आप बार-बार सब लोग मुझे अक्यूज कर रहे थे। यह बात गलत थी। मैं बाद में आपको भी बुलाता।

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, किश्तवाड़ और डोडा जिले में पिछले कुछ महीनों से जो कुछ हो रहा है, उसके तहत वहां 12 ऐसी वारदातें हुई हैं और 104 हत्यायें हुई हैं।

अब वहां दो दिन पहले 17 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जो बहुत दुखद है। मुझे निवेदन करना है कि अभी पाकिस्तान से जिस समय उस पार के आतंकवाद के बारे में बातचीत हुई, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति यह कहते हैं कि यह आजादी की लड़ाई है। अगर यह आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई वे सुरक्षा बलों के साथ लड़ें। इस तरह बेगुनाहों की हत्याएं करके क्या कोई आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। ...*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि होम मिनिस्टर साहब ने पहले और कल भी स्टेट होम मिनिस्टर को मौके पर भेजा है। मेरा निवेदन है कि होम मिनिस्टर साहब यहां आयें और जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस तरह से चल रहा है, इसका मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में यहां आकर वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, निस्संदेह जम्मू और कश्मीर में स्थिति और गंभीर होती जा रही है। विशेष रूप से शिखर वार्ता विफल होने के उपरांत गंभीर किस्म की घटनायें हुई हैं। निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। वहां जो कुछ हो रहा है, हम निश्चित रूप से उसकी कटु निंदा करते हैं। यह देश इस आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है। इससे गृह मंत्री और सरकार का गृह मंत्रालय वहाँ के लोगों की सम्पत्ति की, जान-माल की

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

रक्षा करने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। इससे वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की कमी स्पष्ट होती है।

अब, इस देश में यह हो रहा है कि एक संसद सदस्य की दिन दहाड़े 1 बजकर 20 मिनट पर दिल्ली में हत्या कर दी गई है। मैं यह सोचकर काँप जाता हूँ कि यह क्या हो रहा है। स्पष्टत: उन पर आसानी से हमला हो सकता है। आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में आते हैं और मनमाने ढंग से निर्दोष लोगों को मार डालते हैं इस स्थिति पर सरकार केवल प्रतिक्रिया करती रहती है। यही बात हमने पहले कही है। यह सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने में असमर्थ है। वे सिर्फ घटनाओं या स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं। सुरक्षा प्रतिक्रिया करने का मामला नहीं है। पहले सुरक्षा प्रदान की जाए।

आज गृह मंत्री जी को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था और सभा को विश्वास में लेना चाहिए था। मात्र मीडिया पर बोलने से काम नहीं चलेगा। सरकार किसी भी मुख्य मुद्दे पर इस सभा को गंभीरता से नहीं ले रही है। बिहार के सभी माननीय सदस्यों को बिहार के लोगों की सुरक्षा की मांग करनी पड़ेगी, हमें बताया गया है कि पांच पृष्ठ के वक्तव्य में बिहार का उल्लेख केवल एक पैराग्राफ में किया गया है। क्या इस ढंग से यह देश चलेगा? यदि वे इसका समाधान करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अपने पद से हटकर इस देश को बचाना होगा।

महोदय, यह गृह मंत्री का कर्तव्य है कि वह इस सभा में आकर हमें वास्तविक स्थिति तथा इस सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत करायें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, डोडा जिले की किस्तवार तहसील में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजीव प्रताप रूडी, कृपया बैठ जाइए। उन्होंने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): सर, हम भी इसी इश्यु पर बोलना चाहते हैं और दूसरे सब लोग बोलते चले जा रहे हैं, आप हमें अलाऊ नहीं कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: पिछले एक पखवाड़े के अंदर किस्तवार तहसील में हिन्दुओं के सामूहिक नरसंहार की जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें मात्र उग्रवाद से जोड़कर नहीं देखा जा सकता *...(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा: यह सरकार की जिम्मेदारी है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसी मामले में इन्होंने नोटिस दिया है।

योगी आदित्यनाथ: एक षडयंत्र के तहत हिन्दुओं को कश्मीर और खासतौर से डोडा जिले से खत्म करने की साजिश हो रही है। हिन्दू वहां से पलायन कर रहे हैं। उन्हें वहां से भगाने और हटाने के तहत यह कार्रवाई हो रही है।

मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में वहां से सुरक्षा बलों को हटाया गया यह देखते हुए कि पिछले आठ वर्षों में लगातार जो सामूहिक नरसंहार की घटनाएं कश्मीर क्षेत्र में हुई हैं, उसमें से आधी से अधिक घटनाएं डोडा जिले में और उसमें से भी आधी से अधिक किश्तवार में हुई हैं तो किन परिस्थितियों में वहां पर उनकी मांग के बावजूद उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और आज भी इसको केवल दुर्भाग्य से न जोड़कर जिन लोगों ने कश्मीर में आज स्वशासन की मांग की है क्या वे यह नहीं जानते हैं कि कश्मीर भारत का अंग है और वहां पर उनकी अपनी सरकार है? कौन वे लोग हैं, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत में रहकर भारत विरोधी रुख अपनाकर इस देश में उग्रवादी संगठनों को प्रश्रय देते हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से वक्तव्य की मांग करते हुए कहना चाहता हूं कि कश्मीर को सेना के हवाले किया जाए, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाकर उन उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए जो कश्मीर में निर्दोष हिन्दुओं की हत्या करवा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): महोदय, मुझे डोडा हत्याकांड पर बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको नोटिस देना चाहिए था। आपने नोटिस नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू के डोडा जिले में किश्तवार तहसील में एक गांव से 21 लोगों को आतंकवादी उठाकर ले गए और उनमें से 17 लोगों को गोली मार दी और चार घायल हो गए। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह घटना चार तारीख की ही नहीं है। इसके पूर्व भी 12 अमरनाथ यात्रियों को गोलियों से भून दिया गया और उसके दूसरे ही दिन

21 जुलाई, शनिवार को जम्मू के डोडा जिले में हत्याकांड हुआ जिसमें 20 ग्रामीणों की हत्या की गई। इस तरीके से वहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं को आतंकवादी सीमा के उस पार बैठे आकाओं के इशारे पर जिस तरीके से कत्लेआम कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, यह चिन्ता का विषय है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं और गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन में एक वक्तव्य दें और उसका मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है, यह सदन को अवगत कराएं।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने राज्य के बारे में बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल ने सूचना दी है। मैं आपको कैसे बोलने की अनुमति दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह महत्वपूर्ण मामला है। आपने सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

श्री अली मोहम्मद नायक: कम्युनिस्ट नेता ने चर्चा के लिए कोई सूचना नहीं दी थी। उन्हें बोलने का मौका दिया गया। मैं अपने राज्य के संबंध में बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री विजय गोयल को बोलने का अवसर दिया है। अब व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू डिविजन के डोडा जिले में किश्तवार तहसील में 17 हिन्दुओं की हत्या कर दी गई। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कोई नया नहीं है, वर्षों से है। पिछले सात साल में जम्मू-कश्मीर में जो 61 हत्याकांड हुए, उसमें 26 डोडा में और 20 ऊधमपुर और रजौरी के अंदर हुए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रियरंजन जी ने जब मामला उठाया, यह राजनीतिक सवाल नहीं है जिसके अंदर पाकिस्तान के आतंकवाद से ज्यादा क्रिटिसिज्म गृह मंत्री का करें। मामला पूरे देश का है और पूरे देश के लिए हमारी सरकार को इतना मजबूत करना चाहिए कि वह सिक्योरिटी फोर्सेज को इस बात की आजादी दे कि खुलेआम कुछ भी जम्मू कश्मीर में कर सकें। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम आपके साथ हैं। आप क्यों नहीं कुछ पा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, जब भी प्रधान मंत्री किसी भी वार्ता के लिए इनीशिएटिव लेते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हों, लेकिन अपोजीशन सिर्फ क्रिटिसिज्म करती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह पूर्णत: गलत है। सरकार को कहने दीजिए कि हमने कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री का विरोध किया है। हमने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर सरकार के मत का समर्थन किया है। आपमें काबलियत नहीं है, काम नहीं करते हैं और हमें गाली देते हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): जिन्होंने भी चर्चा के लिए सूचनाएं दी हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका भी नाम सूची में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में जम्मू-कश्मीर से 20 हजार फौजियों को क्यों वापस बुला लिया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि कोई संसद सदस्य प्रभावित होता है तो उसे बोलने का मौका भी दिया जाना चाहिए। वे उस क्षेत्र से संसद सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं, श्री दासमुंशी। नाम को सूची में उस समय के आधार पर शामिल किया जाता है जिस समय सूचनाएं दी जाती हैं। उनके बाद, उन्हें ही बोलने का मौका मिलेगा। उनका सूची में नाम पांचवें क्रमांक पर है और श्री रामजी लाल सुमन का नाम दूसरे क्रमांक पर है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर में इस सरकार के आने के बाद जितने कठोर कदम उठाए गए, उतने पहले नहीं उठाए गए। यह प्राब्लम अब की नहीं है।

[श्री विजय गोयल]

यह प्राब्लम आपके समय की है। जब केन्द्र सरकार में आप बैठे थे, तब आपने सख्त कदम नहीं उठाए। तब से ही आतंकवाद ज्यादा बढ़ा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म किया जाना चाहिए और पूरे हाउस को राजनीति के दलदल से ऊपर उठकर आतंकवाद के खिलाफ एक दिन का उपवास रखने का कार्यक्रम रखना चाहिए। यदि पूरा हाउस आतंकवाद के विरुद्ध एक दिन का उपवास रखने के लिए तैयार है, तो मैं मानूंगा कि आप लोग राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या को ले रहे हैं और इस समस्या की समाप्ति के लिए सारे लोग साथ दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि गृह मंत्री इस समस्या के बारे में सदन में अपना स्टेटमेंट दें। जो लगातार हत्याएं हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आगे हत्याएं न हों, उसके लिए सरकार क्या कठोर कार्रवाई करने जा रही है, इस बारे में सदन में बताएं। जैसे अलीगढ़ से गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया है कि हत्याओं को रोकने के लिए हम और ज्यादा ठोस उपाय करेंगे जिससे आतंकवाद को रोका जा सके, उस बारे में सदन को बताया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि यह सोची-समझी चाल है। जिस प्रकार से कश्मीर के अन्दर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया है, उसी प्रकार जम्मू में हिन्दुओं पर हमला किया जा रहा है, केवल हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए हम सब लोगों को इस गंभीर समस्या के ऊपर भली प्रकार सोचना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): उन्हें पहले बोलने दीजिए। क्योंकि वे उस निर्वाचन क्षेत्र के हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप समझ नहीं रहे हैं। भले ही आप वहां से एम.पी. हैं, लेकिन श्री रामजी लाल सुमन का नोटिस आपसे पहले आया है। इसलिए आपसे पहले वह बोलेंगे। आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर की स्थिति बेहद खराब है। वहां मस्जिद में आगजनी हुई और पांच-छः महीने में *...(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग ही उत्तर प्रदेश में दंगे करा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मिश्रा, "यह 'शून्यकाल' है।' कृपया व्यवधान मत डालिए, उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग ही हैं, जो वहां हत्याएं करवा रहे हैं। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, 2 तारीख को शाहबुद्दीनपुर गांव में एक बाजार में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: यदि सत्तारूढ़ दल के लोगों का यही व्यवहार रहा तो यह सदन नहीं चल सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मिश्र, मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। कृपया व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: समाजवादी पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कटियार, मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। कृपया व्यवधान मत डालिए। उन्होंने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, आप बोलने का मौका देंगे और ये लोग बोलने नहीं देंगे। *...(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री कहां गए, जरा उनको बुलाइये।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: ये क्या बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मिश्र, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हर बात की सीमा होती है। इस तरह व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मिश्रा, अगर आप शून्यकाल में उनको इसी तरह डिस्टर्ब करेंगे तो आपके समय में वे भी डिस्टर्ब करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। मैं उनको बुला रहा हूं। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उत्तर प्रदेश में चाहे कानपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, लॉ एंड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। *...(व्यवधान)* सरकार पूरे प्रदेश में दंगा कराना चाहती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मुजफ्फरनगर में दंगे कराने की साजिश इन्हीं की है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उनको बुलाया है, आप क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सत्तापक्ष अपने सदस्यों पर नियंत्रण नहीं कर रहा है *...(व्यवधान)* ऐसा शुरुआत से ही हो रहा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: इन्होंने दंगा किया है, इन्होंने गोली चलाई। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर)**:** दंगों पर तो सरकार ने प्रभावी ढंग से काबू पा लिया है, ये लोग वहां फिर से दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा: मुजफ्फरनगर में पुलिस की मौजूदगी में लोगों को लूटा गया है और उन्हें बदनाम भी किया गया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य इस प्रकार का व्यवहार जारी रखेंगे तो हम सभा को चलने नहीं देंगे *...(व्यवधान)* सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक यहां बैठे हैं, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, परन्तु वे अपने सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं *...(व्यवधान)* वे जानबूझ कर सभा की कार्यवाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक मुस्लिम को मारा गया और एक मुस्लिम को पीटा गया। *...(व्यवधान)* वहां पर्चे फेंके, लेकिन उस दिन से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। *...(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: यह कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर से चलाया और इसे कानपुर तक ले गये। *...(व्यवधान)* समाजवादी

पार्टी के लोग प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस ने कश्मीर से शुरू करके इसे आगे बढ़ाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे यह सब देख कर दु:ख हो रहा है। जब सत्तारूढ़ दल के सदस्य अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो अध्यक्षपीठ विपक्षी सदस्यों पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकता है? सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं। *...(व्यवधान)* वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल जीरो ऑवर में बोलिए। आज नहीं। यह जीरो ऑवर नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं। *...(व्यवधान)* बीजेपी के लोग सारे देश में व्यवस्थित रूप से दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी, यह जीरो ऑवर नहीं है। आप कल बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। हम कुछ नहीं सुनेंगे। आज नहीं। कल बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हमारी प्रार्थना सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल जीरो ऑवर में बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह जीरो ऑवर नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाउस को ऐसे ही चलना है क्या?

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, ये बीजेपी के लोग जानबूझकर देश के लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हमें आपका संरक्षण चाहिए। *...(व्यवधान)* यह गंभीर मामला है *...(व्यवधान)* वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घरों में कैद हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज नहीं, कल। आप कल बोलिए। हम आज नहीं सुनेंगे। कल सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, ये लोग इंसानों को हिन्दू-मुसलमानों के तराजू पर तौलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* इन लोगों के लिए इंसान, इंसान नहीं है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश में चुनाव की राजनीति है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए और हम शीघ्र ही सभा की कार्यवाही का आरंभ करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ को निर्देश देने का काम आपका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह समझिए कि यह 'शून्य काल' नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, आप भी बैठ जाइए। राशिद अल्वी जी, आप भी बैठ जाइए। यह आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी.एम. बनातवाला: ये लोग शहर को फोर्स के हवाले कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

شری جی۔ ایم۔ بنات واله (جونا گڑھ): یہ لوگ شہر کو فورس کے حوالے کر رہے ہیں۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, ये लोग पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* आर.एस.एस. के लोग जानबूझकर पूरे देश में दंगा करा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा का समय नष्ट मत कीजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला: अध्यक्ष जी, मुझे बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

شری جی۔ ایم۔ بنات واله (جونا گڑھ): اسپیکر صاحب، مجھے بولنے دیجئے۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप वरिष्ठ सदस्य हैं; कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.09 बजे

प्रतिस्पर्धा विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे व्यवहारों का निवारण करने के लिए जिनका प्रतिस्पर्धा पर विपरीत

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 6.8.2001 में प्रकाशित।

[श्री अरुण जेटली]

प्रभाव पड़ता हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा के संवर्धन और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयोग की स्थापना का, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि ऐसे व्यवहारों का निवारण करने के लिए जिनका प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा के संवर्धन और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयोग की स्थापना का, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का विरोध करता हूं।

इस विधेयक से हमारी अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन होंगे, जैसाकि आप जानते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए भारतीय बाजारों को दुरुस्त करना है। यह प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं हुई है। दूसरे, विद्यमान एमआरटीपी अधिनियम हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कुछ संरक्षण देता है। यह इस विधेयक के पारित होने के साथ ही यह संरक्षण भी समाप्त हो जाएगा।

इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास की संपूर्ण आधारभूत संरचना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की दया पर निर्भर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने घरेलू उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण दिए बिना, यह विधेयक पारित करना विनाशकारी और आत्मघाती होगा। हमें विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर करने का कटु अनुभव है। हम अब उसका परिणाम भुगत रहे हैं। इस स्थिति में आधारभूत संरचना विकास को आवश्यक संरक्षण दिए बिना इस विधेयक को पारित करना अहितकर होगा। इसके अतिरिक्त, एमआरटीपी से जो कुछ भी छूट गया है, वह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का इसके पुर:स्थापन चरण में ही पुरजोर विरोध करता हूं।

मैं वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता हूं। यह कार्य अपने तरीके से होगा परंतु हम ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का पुरजोर विरोध करता हूं। क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन होंगे।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे?

श्री अरुण जेटली: यह विधेयक के पुर:स्थापन की अवस्था है। पुर:स्थापन की अवस्था में विधायी सक्षमता या संवैधानिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति की जाती है परन्तु यह आपत्ति गुण दोषों के आधार पर ही की जाती है। यदि मेरे काबिल मित्र विधेयक को पढ़ें तो यह पाएंगे कि इस विधेयक का आशय उन व्यवहारों पर रोक लगाना है जो बाजार अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार, इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इस विधेयक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इससे ऐसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा जिससे किसी भी भारतीय कंपनी को घाटा हो। इस विधेयक का आशय प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना है। इस विधेयक का आशय एकाधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। इस विधेयक का आशय ऐसे विलय को रोकना है जिसका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक का आशय उन सभी बातों को संरक्षण प्रदान करना है जिनके बारे में मेरे मित्र चिंतित हैं। इसलिए मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता जिससे इस विधेयक का पुर:स्थापन चरण में विरोध न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि ऐसे व्यवहारों का निवारण करने के लिए जिनका प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा के संवर्धन और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयोग की स्थापना का, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 2.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में सारंगपुर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 के समुचित रखरखाव की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शाजापुर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 जो आगरा से मुम्बई जाता है की सारंगपुर से देवास तक बहुत खराब हालत है। शाजापुर से मक्सी के बीच इस सड़क का सुदृढ़ीकरण करने तथा लखुन्दर नदी पर बड़ा पुल बनाने व नैनावाद नाले पर पुल बनाने व मक्सी रेलवे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज बनाने व शाजापुर व देवास शहर के लिए बायपास रोड बनाने की जनता व जनप्रतिनिधियों की मांग अनुसार प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृत हेतु लम्बे समय से लम्बित है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर-लेन में परिवर्तित करने तथा उपरोक्त दर्शाई गई समस्याओं को हल करने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानान्तरण नीति की प्रक्रिया बिल्कुल अस्पष्ट है और न्याय संगत नहीं है। एक ओर यहां संगठन ने अपने ट्रांसफर गाईड लाईन को पारदशी किया है, वही दूसरी ओर इसके दूरगामी परिणामों की अनदेखी की है, जिसके कारण पूरे शिक्षण कार्य में बाधा आ रही है और शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

मान्यवर, दिल्ली महानगर के केन्द्रीय विद्यालय को ट्रांसफर गाईड लाईन के हिसाब से चार हिस्सों में विभाजित किया गया है, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें इस नियम से बचाया जाये। यह दोहरी नीति सिर्फ दिल्ली के लिए क्यों? उसी प्रकार बिहार को पटना क्षेत्रीय कार्यालय में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालय के तहत जो नगर क्रमशः पटना जंक्शन, खगौल, दानापुर, रांची और हटिया, वाराणसी और काशी, जमशेदपुर और आदित्यपुर अलग-अलग स्टेशन होने के कारण ट्रांसफर गाईडलाईन में संशोधन किया जाये।

मेरा आपसे आग्रह है कि बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित होगा कि सारी स्थानान्तरण प्रक्रिया को अविलम्ब रोका जाए तथा ट्रांसफर गाईडलाईन नीति में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें। इस नीति के कारण बिहार में 280 महिला-पुरुषों, शिक्षकों का स्थानान्तरण किया है, जिसमें कि 130 महिलाओं का स्थानान्तरण उत्तर-पूर्व से लेकर अन्य हिस्सों में कर दिया गया है। इस कारण इनके परिवार छिन्न-विछिन्न होने की स्थिति में हैं, इसे तत्काल रोका जाए।

(तीन) उड़ीसा के बालासोर जिले में भोगराई विकास खंड में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान उड़ीसा के बालासोर जिले के भोगराई खंड की तेरह ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों जल प्लावित हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से जल प्रवाह के कारण जल भराव होने से प्रति वर्ष लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। नदी तथा अन्य जल स्रोतों में गाद भी जाना, छोटे किसानों द्वारा समुद्र तट के समानान्तर तटबंधों का निर्माण किया जाना तथा स्थानीय लोगों द्वारा जल निकासी क्षेत्रों पर अनधिकृत कब्जा किया जाना, ऐसे जल भराव के मुख्य कारण हैं। उड़ीसा राज्य सरकार जल निकासी के लिए ऐसी परियोजना का वित्तपोषण करने में अक्षम है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से इसे एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू करने तथा इसके लिए निधि प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

(चार) जम्मू-कश्मीर में किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): महोदय, मैं जम्मू व कश्मीर प्रदेश के किसानों की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी के वायदे के मुताबिक जम्मू व कश्मीर के किसानों ने बैंकों से लिए हुए ऋण की किश्तें नहीं भरीं, उसका परिणाम उन्हें आज देखने को मिला। उस समय केन्द्र सरकार ने इन मासूम किसानों से वादा तो कर दिया पर निभाया नहीं। मगर उसी समय सरकार ने बाकी लोगों से भी वादा किया था, जिनमें व्यापारियों, उद्योगपतियों व अन्य लोगों के 50-50 हजार के ऋण माफ कर दिए परन्तु किसानों के दस-दस हजार के नहीं किए, जो आज तीन गुणा से भी अधिक हो गए हैं। गरीब किसान यह भारी रकम चुकाने में असमर्थ हैं।

मैं इस संदर्भ में सदन व सरकार से विनम्र अपील करता हूं कि किसानों द्वारा लिया गया ऋण माफ कर दें ताकि ये मासूम किसान चैन की सांस ले सकें।

(पांच) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मकरोनिया स्टेशन के रेलवे फाटक पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर के मकरोनिया स्टेशन के पास रेलवे फाटक है जोकि कानपुर-भोपाल नेशनल हाइवे-86 पर स्थित है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग से कानपुर एवं यू.पी. के अन्य शहरों से तथा मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, शक्तिनगर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ से वाहनों का बड़ी संख्या में नागपुर, मद्रास तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर इसी रेलवे फाटक से होकर आना-जाना होता है। सागर का इंजीनियरिंग कालेज भी रेलवे फाटक के उस तरफ पड़ता है। यह रेलवे लाईन की गुड्स ट्रेक होने के कारण प्रत्येक 15-20 मिनट में कोई न कोई न कोई मालगाड़ी निकलती रहती है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वाहन वाले यात्रियों की कठिनाईयों को अनुभव करते हुए उनकी सुविधा के लिए आवागमन को सुगम बनाने के लिए मकरोनिया रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनवाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाने की आवश्यकता है।

(छह) नागपुर शहर को हज यात्रियों के लिए विमान सेवा स्थल (एम्बार्केशन प्वाइंट) घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): विदर्भ क्षेत्र में 25 लाख से अधिक मुस्लिम आबादी है और लगभग 3000 मुस्लिम लोग प्रति वर्ष इस क्षेत्र से हज यात्रा के लिए जा रहे हैं। उन्हें मक्का और जेद्दाह, सऊदी अरब के लिए मुंबई से हवाई जहाज लेना पड़ता है। महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों से भारी भीड़ आने के कारण विदर्भ क्षेत्र के हज यात्रियों को जहाज पकड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अक्सर कई-कई दिनों तक इसके लिए इंतजार करना पड़ता है।

केन्द्रीय हज समिति ने 23 जून, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में एक संकल्प भी पारित किया है जिसमें सरकार से यह अनुरोध किया गया कि सरकार नागपुर हवाई अड्डे को भी एक आरोहण स्थल के रूप में घोषित करे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी हज यात्रियों के लिए बी-747 जैसे बड़े विमानों के संचालन के लिए हवाई अड्डे को दुरुस्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अगली हज यात्रा 14 जनवरी, 2002 को शुरू होगी और इसलिए यह आवश्यक है कि नागपुर को तुरन्त एक आरोहण स्थल घोषित करने संबंधी निर्णय लिया जाए ताकि हज यात्रियों को केन्द्रीय हज समिति द्वारा मक्का और जेद्दाह के लिए विमान पकड़ने संबंधी उनके विकल्प की सूचना दी जाए।

इसलिए मैं सरकार से इस संबंध में तत्काल घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ।

(सात) चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों के आवंटियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, चंडीगढ़ आवास बोर्ड के फ्लैटों के आवंटी आज काफी परेशान हैं। बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी मार्गनिदेश के अभाव में उनमें से अधिकांश लोगों ने मुख्य ढांचों की संरचनात्मक मजबूती अथवा वास्तु सौंदर्य के बारे में बिना सोचे-विचारे अपनी जरूरत के मुताबिक ढांचागत परिवर्तन कर लिए हैं। कई मामलों में तो मूल रूप से घटिया गुणवत्ता कार्य में भी काफी अच्छा सुधार दिया गया है। अब, दस वर्षों की उदासीनता के बाद, आवास बोर्ड इन परिवर्तनों को ढहाने की चेतावनी दे रहा है और यह मानने से इंकार कर कहा है कि वास्तुशिल्प को समय के साथ चलना चाहिए। इससे आवंटियों के बीच काफी चिंता बढ़ी है। मालिकाना हक के हस्तान्तरण संबंधी नियमों में असंगत और अवास्तविक प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करने से उनकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। निवासियों के संघ के प्रतिनिधियों के साथ लोकतांत्रिक रूप से कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है।

मैं सरकार से मामले को निपटाने और साथ ही किसी प्रकार की कार्रवाई को वापस लेने के लिए निर्देश जारी करने और संघ के प्रतिनिधियों, लोक प्रतिनिधियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की एक बैठक बुलाने का आग्रह करता हूँ।

(आठ) कृषि उत्पादों और तेल पर आयात शुल्क में दस प्रतिशत की कटौती वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान हाल ही में घोषित आयात शुल्क में कमी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका केरल की नकदी फसलों के मूल्यों पर काफी असर होगा। केन्द्रीय सरकार ने 2001-2002 के बजट

में आयात शुल्क को बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया परन्तु बाद में उस 75 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इससे केरल का कृषक समाज उद्वेलित है। मुझे 1 अगस्त, 2001 को केरल के सांसदों द्वारा सदन में किए गए विरोध की याद है। उन्होंने प्रधान मंत्री जी को अपना विरोध दर्ज कराया और पुराना प्रतिशत बहाल करने का आग्रह किया। रेलवे द्वारा मलेशिया सरकार के साथ पाम आयल के बदले 180 करोड़ रुपये के मलेशियाई सरकार के साथ समझौता को लागू करने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कृषि उत्पादों और तेलों पर हाल ही में घोषित आयात शुल्क में कमी को वापस लेने का अनुरोध करता हूँ।

(नौ) देश में वित्तीय संस्थाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, 25 व्यापारिक बैंकों ने गत 6 वर्षों में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर ऋण दिए हैं। आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.एफ.सी. ने लगभग 2300 करोड़ रुपये के ऋण उन कंपनियों को दे दिए हैं जो वास्तविक सही नहीं हैं। 2000-2001 वित्तीय वर्ष में 200 कंपनियों ने डिवेन्चर व बॉन्ड के माध्यम से 1,100 करोड़ रुपये आई.डी.बी.आई., एन.सी.डी., आई.सी.आई.सी.आई., आई.आई.बी.आई. से ऋण लिया जो बाद में नॉन परफोर्मिंग असेट हो गया है। कैपिटल बाजार से 229 कंपनियों ने रुपया एकत्रित किया और आज गायब हो चुकी हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया में हुई आर्थिक हानि की पूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इसी प्रकार बैड लोन के कारण बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने से उन्हें 2,550 करोड़ रुपया दिया जा रहा है जिससे ये बैंक अपनी साख तो बनाए रखें।

गत वर्षों में बार-बार सरकार द्वारा आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई थी पर उसका परिणाम अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि निगरानी व्यवस्था में और सतर्कता और सजगता की जरूरत तो है ही, इन वित्तीय संस्थानों के कार्य करने के तरीके में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की भी जरूरत है। सरकार इस दिशा में अविलम्ब कार्यवाही करे।

(दस) दल-बदल रोधी कानून में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री होलखोमांग हौकिप (बाहरी मणिपुर): मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया है। परन्तु, इस समय, मणिपुर में राजनैतिक माहौल में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर विधान सभा का निकट भविष्य में भंग करने संबंधी सरकार का प्रस्ताव है। जब तक कि हम दल-बदल विरोधी कानून को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक सांसदों की खरीद-फरोख्त और दल-बदल की पुरानी बीमारी चलती रहेगी। मणिपुर, गोवा, मेघालय और अन्य छोटे राज्यों में ऐसा बार-बार होगा। इसलिए, सर्वप्रथम हमें दसवीं अनुसूची में परिवर्तन करना होगा ताकि दल-बदल विरोधी कानून और भी अधिक प्रभावी और व्यापक बन सके। मणिपुर की ऐसी नाजुक राजनैतिक स्थिति में, लोगों का राजनीतिक नेतृत्व और नाटकीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास बहाल करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हर दूसरे वर्ष निर्वाचन कराना इसका इलाज नहीं हो सकता। इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से वर्तमान विधान सभा को भंग नहीं करने का आग्रह करता हूं। विद्यमान दल-बदल विरोधी कानून की जगह पर एक नया प्रभावी कानून बनाया जाए ताकि लोकतंत्र, निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधि के शासन में लोगों का विश्वास बहाल हो सके।

अपराह्न 2.25 बजे

हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 10; श्री बाला साहिब विखे पाटील।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1953 फरवरी, 1945 से सितम्बर, 1954 तक की अवधि के दौरान तत्कालीन हैदराबाद राज्य से अन्य राज्यों को माल निर्यात पर लेवी तथा कतिपय शुल्कों के संग्रहण को विधिमान्य बनाने के लिए लागू किया गया था।

यह अधिनियम बहुत पुराना हो चुका है और आंध्र प्रदेश सरकार को इसका निरसन करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासनिक विधि समीक्षा आयोग ने भी अधिनियम की उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण इसका निरसन करने की सिफारिश की है।

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

चूंकि विशिष्ट अवधि के दौरान कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने संबंधी अधिनियम का प्रयोजन पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए अब अधिनियम प्रासंगिक नहीं है इसलिए इसे हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2001 के द्वारा इसका निरसन करने का प्रस्ताव है।

महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा से विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं:

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह एक छोटा सा विधेयक है। इसके लिए तीस मिनट का समय आबंटित किया गया है। यदि कोई आपत्ति न हो तो हम इसे बिना किसी चर्चा के भी पारित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

रघुवंश जी, क्या आप हैदराबाद के बारे में बात करेंगे? बिहार से हैदराबाद जा रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक यहां लाया गया है। 1945 से 1954 तक हैदराबाद निजाम के अधीन था। वहां से जो सामान दूसरे देशों में जाता था उस पर निर्यात शुल्क लगता था। इन्होंने दावा किया है कि सन् 1998 में एक जैन आयोग बैठा था, उसे इस बात की जांच करनी थी कि जितने रद्दी और बेकार कानून हैं, उन सबको कैसे खत्म किया जाए? देश में अभी सैंट्रल कानून कुल 2500 हैं, जिनमें से 1324 कानूनों के बारे में जैन आयोग ने कहा है कि उन्हें एक कलम से खत्म किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय बताएं कि जब आयोग ने यह कहा है कि एक कलम से इन कानूनों को खत्म किया जाए और पुराने कानून खारिज हो चुके हैं तो उन्हें अलग-अलग लाकर सदन का समय क्यों खराब किया जा रहा है? 1324 कानूनों में से कितने कानून अभी वित्त विभाग के पास पड़े हैं और कितनों को समाप्त किया, निरसन किया?

जब निजाम का राज था, उस समय यह शुल्क लगाने का कानून था जो 1955 में खत्म हो गया। उसके पहले 1948 से 1954 तक जितने शुल्क लगाने के कानून थे, वे भी खत्म हो गये। जब आयोग ने कह दिया कि जितने पुराने और बेकार कानून हैं, उनको खत्म किया जाये, उसके बावजूद सरकार द्वारा इसे खत्म न करना इसकी विफलता कहा जायेगा। आयोग ने 1998 में अनुशंसा की लेकिन तीन साल तक इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। न मालूम इस तरह के कितने पुराने कानून सरकार रखे हुए हैं, उनको क्यों नहीं जल्दी खत्म कर रही है? केन्द्र सरकार के पास ऐसे कानून 2500 की संख्या में होंगे और हर राज्य में 7-8 सौ कानून होंगे। सरकार जनता के साथ धोखा-धड़ी कर रही है क्योंकि मैं जानता हूं कि कई कानूनविद तो कानून का नाम तक नहीं जानते होंगे। इसलिए यह सरकार अपनी शिथिलता को छोड़े क्योंकि इसमें सरकार का कोई दाम नहीं लग रहा है। वित्त विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी कई पुराने और बेकार बिल होंगे। सरकार उनको भी क्यों नहीं खत्म करती? उसमें भी हर विभाग की शिथिलता है। वित्त विभाग में कई गड़बड़ियां हो रही हैं। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। इसलिए यह जांच का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को देखते हुए हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 का निरसन किया जाये। इसलिए ऐफिशिएंसी लाकर, संवेदनशीलता लाकर, ऐसे कानूनों को जिसके लिए आयोग ने 1998 में समाप्त किये जाने की अनुशंसा की थी, शीघ्र समाप्त किया जाये। जब सरकार आयोग की अनुशंसाओं को नहीं मान रही है तो यह देश को किस दिशा में ले जायेगी, समझ में नहीं आता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। श्री राजीव प्रताप रूडी अपनी सीट पर खड़े होकर नहीं बोलते हैं। वे जानबूझकर महिलाओं के बीच में बैठते हैं। यह जांच का विषय है क्योंकि लोक सभा के नियमों में लिखा हुआ है कि अगर कोई सदस्य बोलेगा तो अपनी सीट से बोलेगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि श्री जैन की अध्यक्षता में 1988 में एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट 1998 में आई। उस रिपोर्ट में 166 ऐसे कानून हैं जिनको रिपील करने की सिफारिश की गई थी। माननीय सदस्य का कहना सही है कि अन्य कई विभागों में ऐसे कानून पड़े हुए हैं जिनको रिपील करने की आवश्यकता है। इसलिए अन्य विभाग भी ऐसे कानूनों को रिपील करने की प्रोपोजल बना रहे हैं।

मेरा सदन से आग्रह है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.35 बजे

अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अधिवक्ताओं के फायदे के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संविधान की समवर्ती सूची में प्रविष्टि-23 में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा की व्यवस्था है। प्रविष्टि-26 में विधि व्यवसाय का उल्लेख है। अतः, यह सम्माननीय सभा यह विधेयक लाने के लिए विधायी रूप से सक्षम है। देश में कुछ राज्यों में इसी प्रकार के कानूनों को स्वीकृति दी गई है। हमें उन सभी की जांच करने का अवसर प्राप्त हुआ था और बार के स्तर पर विभिन्न निकायों जैसे बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बार काउंसिल आफ इंडिया ने बार-बार भारत सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं कि इस सम्माननीय सभा में एक व्यापक विधान लाया जाये, जिसमें संपूर्ण देश को शामिल किया जाये। चूँकि कुछेक राज्यों में पहले ही कुछ अधिनियम मौजूद हैं, अतः इस विधेयक में यह विशेष उपबन्ध किया गया है कि वे अधिनियम तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि स्वतंत्र विवेक से राज्य विधायिकायें उनके स्थान पर राष्ट्रीय कानून को स्वीकृति देने का निर्णय ले लेती।

मैं इस अधिनियम की योजना स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने अनेक महत्वपूर्ण राज्य विधानों से मार्गनिर्देशन प्राप्त किया है। इस अधिनियम की योजना यह है कि इसमें अधिवक्ता कल्याण निधि के नाम से एक कोष की स्थापना की व्यवस्था है। इस निधि में मुख्य रूप से चंदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त होगा। इसमें यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक अधिवक्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्टाम्प लगाने का भार मुवक्किल पर डालने के बजाय अपने जेब खर्च से एक कल्याण स्टॉम्प लगाये। अधिवक्ता निश्चित समयावधि तक अपने प्रत्येक मुकदमे या प्रत्येक वकालतनामे पर यह कल्याण-स्टाम्प लगायेगा और यह संपूर्ण धनराशि राज्य की बार काउंसिल द्वारा एकत्रित की जाएगी।

प्रत्येक राज्य में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की स्थापना का प्रावधान है। उस राज्य का महाअधिवक्ता उस न्यासी समिति का अध्यक्ष होगा। इसमें राज्य बार-काउंसिल का प्रतिनिधित्व भी होगा। राज्य बार-काउंसिल का सचिव इसका सचिव होगा। इस समिति में राज्य बार काउंसिल के नामित सदस्य होंगे। किसी राज्य के विधि विभाग का सचिव इस निधि का सदस्य होगा। इस कल्याण निधि में जमा धनराशि में मुख्य तौर पर अधिवक्ताओं से एकत्रित धनराशि होगी हालाँकि इस निधि को अन्य स्रोतों से भी राजस्व और संसाधन एकत्रित करने का अधिकार है। परन्तु मूलधन बार से ही एकत्रित किया जाएगा।

वास्तव में यह अधिनियम एक सुविधा है। इस अधिनियम में कल्याण स्टाम्प लगाने की व्यवस्था अनिवार्य बनाई गई है और इस धनराशि को एकत्र करने का अधिकार बार काउंसिलों को दिया गया है। इस धनराशि को अनेक कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाएगा। किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के अभाव में मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों के लिए तथा उनकी प्रैक्टिस खत्म होने पर और कुछेक आम सुविधायें प्रदान करने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाता है। उसमें एक उपबंध यह है कि इस निधि के लिए एकत्रित धनराशि का दस प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट बार के स्टाक पर जहाँ इन निधियों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए आम सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, प्रयुक्त किया

[श्री अरुण जेटली]

जायेगा। बहुत कुछ प्रत्येक राज्य में गठित होने वाली इन समितियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इनमें राज्य के महा अधिवक्ता, राज्य के विधि सचिव, उस राज्य की बार-काउंसिल के सदस्य होंगे, जो निधि प्रशासन चला रहे हैं। धारा 24 में उन विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख है, जिनके लिए वास्तव में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। सामूहिक बीमा की भी व्यवस्था हो सकती है। यह धनराशि आम सुविधाओं यथा ग्रंथालयों, बार-रूम इत्यादि के लिए भी दी जा सकती है। इसका एक अपवाद है। इसमें कई बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई हैं, जो इस प्रकार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से प्रतिवर्ष इस निधि में एक निश्चित धनराशि देने की उम्मीद की जाती है। परन्तु चूँकि वे बार में अधिक समृद्ध वर्ग के होते हैं अत: जहाँ तक निधि का संबंध है, वे ये फायदे लेने के हकदार नहीं हैं। अत:, अधिवक्ता समुदाय के लिए इस निधि का सुझाव दिया गया है।

खंड 27(2) में निधि में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि लगाए जाने वाली स्टाम्प का मूल्य मुवक्किल द्वारा नहीं बल्कि स्वयं अधिवक्ता द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

इस विधान में दो अनुबंध हैं। प्रथम अनुसूची में प्रैक्टिस समाप्त होने की स्थिति में अधिवक्ता को दी जाने वाली धनराशि के बारे में व्यवस्था है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसका उदाहरण सहित उल्लेख किया गया है प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि इस अधिनियम में अधीनस्थ विधान जोड़ दिए जाने के कारण वह अनुसूची में उस राज्य विशेष में निधि में उपलब्ध धनराशि के आधार पर उसमें सुधार करके इसमें संशोधन कर सकती है।

इस अधिनियम की अनुसूची-दो में यह व्यवस्था है कि उन विभिन्न राज्यों में, जहाँ यह अधिनियम पहले से ही मौजूद है, सरकार अपने राज्य विधानों का ही प्रयोग सकती है। अथवा यदि वे इस बारे में सदस्यों के अनुकूल समझती हैं, तो केन्द्रीय विधान का उपयोग कर सकती है। इस अधिनियम के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों को पहली बार पाँच रुपये का स्टाम्प लगाना होगा और न्यायाधिकरणों में तथा उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायिक संस्थाओं में यह स्टाम्प दस रुपये की होगी।

यह पहली बार हुआ है जबकि कोई व्यवसायिक समूह, जहाँ अन्यथा किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और उनमें से एक बड़ा भाग समृद्ध भी नहीं है, अपने लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र निर्माण करना चाहता है। कुछ राज्यों ने यह कार्य किया है, कुछ ने इसे कार्यान्वित किया है और कुछ स्थानों पर इसे किसी न किसी रूप में कार्यान्वित किया जाता है। अत: , महली बार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रयास किया गया है जबकि इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की गई हो।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सम्माननीय सभा इस विधेयक का समर्थन करे और इसे पारित करे।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि अधिवक्ताओं के फायदे के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अभी जो बिल आया है, यहां जितने बिल आते हैं, उसमें उद्देश्यों और कारणों का कथन होता है और मंत्री जी के हस्ताक्षर होते हैं लेकिन यह कानून मंत्री हैं और इन्होंने जो उद्देश्य की प्रस्तावना की है, उसमें इनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं और किस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है उसका भी स्पष्टीकरण इसमें नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल): इसमें उद्देश्य दिया है, आप ठीक से देखें। आपके पास कागज पूरे नहीं हैं तो हम क्या करें। *...(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अध्यक्ष महोदय, कानून मंत्री ने पहली बार देश में इस बात पर भी विचार किया कि समाज में जो लोग आज कानून और व्यवस्था के पक्ष में न्यायालयों में खड़े होते हैं, कानून और व्यवस्था को सहयोग देते हैं, उनके भी वैलफेयर के लिए किसी फंड का निर्माण किया जाए। आज तक वकीलों के लिए जो देश में सालों से इस प्रोफैशन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सुरक्षा का कोई ऐक्ट नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। यदि किसी वकील की डैथ हो जाए तो उसका परिवार भूखा मर जाता था। आज हम देखते हैं कि किसी व्यवसायी की डैथ हो जाती है तो उसका लड़का वह व्यवसाय संभाल लेता है, कृषक की मृत्यु होने पर उसका बेटा कृषि संभाल लेता है, लेकिन किसी वकील की डैथ हो जाती है तो दूसरे दिन यदि उसके घर में कोई प्रोफैशन को संभालने वाला नहीं है तो सारी फाइलें वापस चली जाती हैं और घर भूख के कगार पर आ जाता है और इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए जो देश में कानून-व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का जो एक्ट लाए हैं, इसके लिए मैं कानून मंत्री और सरकार को बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के माध्यम से जो भी नियम बनाने और प्रावधान करने की कोशिश की गई है उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने बताया है कि और निधि दी जाएंगी और जो शेडयूल्ड फंड्स हैं उनमें और बढ़ोत्तरी होगी। उनमें स्टेट्स अमेंडमेंट कर सकेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के अलावा आर्थिक मदद की और जरूरत है और जितने प्रावधान बताए गए हैं कि स्टेट बार कौंसिल कंट्रीब्यूट करेंगी, जो उनकी फीस आएगी, उसका 20 प्रतिशत कंट्रीब्यूट किया जाएगा, सेंट्रल एडवोकेट बार कौंसिल भी धन देगी, स्टेट्स फंडिंग करेंगी, कुछ धन डोनेशन्स से आएगा। यह सब ठीक है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि जैसा सैक्शन 27 में बताया गया है वह यह है कि वकालतनामे पर स्टाम्प लगाकर जो वैलफेयर फंड में राशि जमा की जाएगी। उसका दायरा और बढ़ाया जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि वकालतनामा सिर्फ सिविल, क्रिमिनल और ट्रिब्यूनल में ही पेश नहीं करते, बल्कि ए.डी.एम., एस.डी.एम., कलैक्टर और नायब तहसीलदार के कार्यालयों में भी वकालतनामे पेश किये जाते हैं। इसलिए इसका स्कोप बढ़ाकर यह होना चाहिए कि जहां भी वकालतनामा पेश होता है, चाहे वह कोर्ट हो या कोई और जगह हो, वकील पावर आफ एटार्नी देकर क्लाइंट की तरफ से जहां भी पेश हो, जहां भी वकालतनामे पर स्टाफ फी लगे, उन सबको इसमें शामिल करना चाहिए जिसमें इसमें ज्यादा पैसा आ सके और वैलफेयर फंड में जमा हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस चीज का हमेशा झगड़ा होता है वह क्लाज 27 है। उसके अंदर कहा गया है कि–

[अनुवाद]

स्टाम्प का मूल्य न तो किसी मामले में खर्च होगा और न ही किसी भी दशा में मुवक्किल से लिया जायेगा।

[हिन्दी]

और अगर इसका कोई वायलेशन होगा–

[अनुवाद]

किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के किसी उल्लंघन से वह निधि के फायदों से संपूर्णतः या भागतः वंचित हो जायेगा और न्यासी समिति ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट राज्य विधिज्ञ परिषद् को समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए करेगी।

[हिन्दी]

पांच रुपये की कोर्ट फीस, कोई ज्यादा नहीं होती है। यदि ऐसा होगा तो कोई भी शिकायत कर देगा और ट्रस्टी कमेटी इन्हीं झगड़ों को निपटाने में लगी रहेगी। क्योंकि पांच रुपए के लिए कोई भी कह देगा कि हमसे पैसे ले लिये और वापस नहीं लिए। किसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको निकाला जाए। यह जरूरी नहीं होना चाहिए। जो फीस लगी है, वह रिकवर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तो लिटिगेशन बढ़ेंगे। फिर पांच रुपए कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं है जिससे किसी को तकलीफ हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों की ओर ध्यान दिलाता हूं। एक तो इसका स्कोप बढ़ाकर सारी कोर्ट शामिल कर दी जाएं, केवल सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ही न रखा जाए। जहां भी वकालतनामा पेश होगा वहां यह वैलफेयर स्टाम्प लगेगा। दूसरा जो रिकवरी का क्लाज है, वह डिलीट होना चाहिए। इन दो बातों के साथ कानून मंत्री महोदय जो बिल लाए हैं जिससे वकीलों को आर्थिक सहायता मिलेगी, उसके लिए बधाई देता हूं और इसे सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, हालांकि लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले किसी भी विधायी या प्रशासनिक उपाय का समर्थन दिया जाना चाहिए तथापि मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2001 में बहुत ही कम, बहुत ही विलंब से दिया गया है।

महोदय, एक विधि स्नातक जो इस व्यवसाय को अपनाता है, वह अनिश्चितताओं की दुनिया में कदम रखता है। अच्छा कैरियर और अपने विचार सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने की योग्यता होने के बावजूद भी, आगे का जीवन निश्चित और बेहतर नहीं हो सकता। यह स्थिति उस युवक के लिए और भी दुष्कर है जो एक ऐसे परिवार से आता है जिसकी आमदनी कम है। समाज के कमजोर वर्ग के लोग विधि का कोर्स नहीं कर पाते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता का कैरियर पाने की इच्छा नहीं रख सकता है।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर समुचित रूप से बल दिया गया है परन्तु विधेयक के उपबंधों में इस महत्वपूर्ण पहल का कोई उल्लेख नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधेयक में जो कुछ भी व्यवस्था की गई है वह स्वागत योग्य है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

इस विधेयक में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह शामिल भी की जानी चाहिए कि इस व्यवसाय में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को उसके कैरियर के शुरू के कुछ वर्षों में कुछ नियमित आय का आश्वासन दिया जाये। विधेयक में पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ सहायता देने का प्रावधान है परन्तु कुछ किताबें देने के बजाय एक अच्छे ग्रंथालय का होना ज्यादा अच्छा है। व्यवसाय शुरू करने के लिए उसके पास अच्छा घर और विशाल लायब्रेरी होनी चाहिए। इस विधेयक में इन महत्वपूर्ण पहलुओं का अभाव है। विधि सहायता योजना के माध्यम से इस व्यवसाय से नये लोगों को सम्बद्ध करने के लिए एक योजना बनाये जाने की आवश्यकता है। उन्हें विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। शुरू में, उन्हें वरिष्ठ वकीलों की सहायता के लिए रखा जा सकता है।

युवा वकीलों को दान व दया की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन्हें काम करने और न्याय के लिए योगदान देने का अवसर चाहिए। 9वें दशक के अंत में बेहरूल इस्लाम समिति ने इस संबंध कुछ सिफारिशें की थीं लेकिन नई सरकार बनने के बाद प्राथमिकताएं बदल गई और हमें इसके बारे में आगे कुछ जानकारी नहीं मिली। 10 वर्षों के अंतराल के बाद माननीय मंत्री ये सुझाव लेकर आए हैं और मैं निश्चित रूप से उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैंने केवल कुछ बातें कही हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय ध्यान दें। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू जिसका मैंने उल्लेख किया है वह नए वकीलों को एक प्रकार की निश्चित आय प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में है ताकि वे आशा और अपेक्षा के साथ इस पेशे से जुड़े रहें और इस कड़ी प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जल्दी हतोत्साहित न हों।

मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने विधेयक में एक प्रावधान का उल्लेख किया है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है अर्थात् वकीलों द्वारा इस निधि के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु वकालतनामा आदि पर स्टाम्प लगाकर आय अर्जित करना है। मैं यह बात भी मानता हूं कि यदि ये केवल 5 रुपये का है तो आप उसका हिसाब नहीं रख सकते हैं। जब कोई मुवक्किल आपके पास आता है और फीस देता है तो वह आपसे मामला दायर करने के संबंध में व्यय का ब्यौरा नहीं पूछेगा। अतः, इस संबंध में ऐसा उपबन्ध अंतर्विष्ट करना कि यदि वकील मुवक्किल से उक्त रुपये लेता है तो उसके विरुद्ध कतिपय दाण्डिक कार्यवाही होगी, मेरे विचार से वास्तव में आवश्यक नहीं है और इससे कठिनाई ही होगी। इसमें एक अच्छा उपबंध भी है कि बार काउंसिल नए सदस्यों के पंजीकरण से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत इस निधि में जमा करेगा।

इस एक उपबन्ध को मैं वास्तव में समझ नहीं पाया हूं। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यासी समिति को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया गया है तथा इस समिति का पदेन अध्यक्ष बार काउंसिल का अध्यक्ष नहीं बल्कि महाअधिवक्ता होगा। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। समिति को निकाय निगम घोषित किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह किस तरह उपबंधित किया गया है कि स्टाम्प का मुद्रण बार काउंसिल के आदेश पर किया जायेगा और इसका हिसाब-किताब बार काउंसिल रखेगा। यदि इस धनराशि का अधिकार न्यासी समिति में निहित है और यदि समिति को ही कुल धनराशि का उपयोग करना है तथा सहायता मांगने वाले विभिन्न लोगों के आवेदनों पर भी उसे ही विचार करना है तो इसमें बार काउंसिल को लाने का औचित्य मैं समझ नहीं पाया हूं। वकालतनामा आदि पर लगाए जाने वाले स्टाम्प का मुद्रण न्यासी समिति के कहने पर सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए और यह सामग्री इस समिति को ही सौंपी जानी चाहिए ताकि समिति इन स्टाम्पों को वकालतनामा और उपसंजाति ज्ञापन, आदि पर लगाने के लिए विभिन्न बार एसोसिएशनों के माध्यम से आगे वितरित कर सके। माननीय मंत्री कृपया इस मामले की जांच करे।

मैं संक्षेप में एक या दो पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। निधि के लिए आय स्रोतों में, खण्ड 3(2)(छ) में यह उल्लेख किया गया है:

> ''निधि के किसी सदस्य की मृत्यु पर किसी समूह बीमा पालिसी के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी बीमाकर्त्ता से प्राप्त सभी राशियां ....।''

प्रत्यक्षतः यह सही है लेकिन मेरे विचार में इस ''बीमा पालिसी'' के साथ 'न्यासी समिति द्वारा प्राप्त' शब्द जोड़े जाने चाहिए। मैं अपने उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आए मामलों के बारे में जानता हूं। वहां बार एसोसिएशन 'एडवोकेट बिनेवोलन्ट फंड' चला रही है। एक ओर उनके अपने नियम हैं और दूसरी ओर बार एसोसिएशन के कहने पर अधिवक्ता अन्य समूह बीमा पालिसी प्राप्त करने हेतु एकजुट हुए हैं। अतः यदि आपको इस तरह यह कानून लागू करना हो तो इन योजनाओं के अंतर्गत, बार एसोसिएशन द्वारा ली गई अथवा प्राप्त की गई पालिसी के अंतर्गत प्राप्त आय इस निधि में जमा करनी होगी। इसलिए, आपने खण्ड 3(2)(छ) और (ज) के अंतर्गत यह उपबंध किया जो केवल बीमा पालिसियों से हुई आय, जो न्यासी समिति द्वारा प्राप्त होती है, पर ही लागू होगा अन्य पर नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट योजनाओं को निकालने से सभी अन्य योजनाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। मेरे विचार से एक छोटा सा संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

यह अच्छी बात है कि हमने अधिवक्ता का बड़ी शल्यचिकित्सा सर्जिकल (सर्जिकल आपरेशन) होने अथवा तपेदिक, कुष्ठ रोग, कैंसर अथवा पागलपन जैसी बीमारियों में उन्हें अस्पताल में भर्ती होने जैसी कतिपय आकस्मिकताओं तथा ऐसे समय में सहायता प्रदान करने का उपबंध किया है। लेकिन इसके लिए धनराशि निर्दिष्ट नहीं की गई है। मुझे नहीं पता कि दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी मार्गनिर्देश क्या होंगे। यह नियम के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। लेकिन अनुसूची 2, जो वकील की मृत्यु अथवा स्वेच्छा से वकालत छोड़ने की स्थिति में निधि के सदस्य को लाभ देने से संबंधित है, के अंतर्गत यह राशि बहुत कम है। यदि अधिवक्ता को दस वर्ष की वकालत करने अथवा सदस्यता के बाद केवल 10,000 रुपये ही मिलने हैं तो हम ये योजनाएं क्यों बना रहे हैं? यह उपबंध लोगों को वास्तविक लाभ देने के लिए किया गया है। यह अच्छा है कि हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं लेकिन इन योजनाओं का लाभ भी होना चाहिए। वास्तव में यदि आप सरकार के क्रियाकलापों के किसी पहलू पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने छोटे से छोटे अवसरों पर फालतू खर्चा किया है। यदि आप कोई समारोह आयोजित करते हैं तो आप करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। इस विधेयक में एक उपबंध है कि सरकार चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो अथवा राज्य सरकारें वे इस निधि में योगदान करेंगे। लेकिन कृपया अनिवार्य योगदान का उपबंध करें क्योंकि तभी आप लोगों का विश्वास जीत सकेंगे कि आपने उनके लिए वास्तव में कुछ सार्थक कार्य किया है। कोष शुरू करने के लिए आपको उपबन्ध करना होगा कि प्रत्येक राज्य अपनी संबद्ध निधि में से कम से कम एक करोड़ रुपये का योगदान करेगा और भारत सरकार कम से कम 5 करोड़ रुपये देगी।

अपराह्न 3.00 बजे

माननीय मंत्री कहते हैं कि वे यह मामला सरकार पर छोड़ते हैं। महोदय, मेरे विचार से यह खण्ड एक ढर्रे पर चल रहे नौकरशाही तरीके से बनाया गया है और इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी वकील की वकालत के पेशे में 30 वर्ष कार्य करने के बाद मृत्यु होती है—मैं 'निर्धन' शब्द प्रयोग नहीं करूंगा जिसका प्रयोग किया गया है। उसे इतनी कम राशि मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों में उसके साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता होती है और ऐसे में उसे मात्र 30,000 रुपये का लाभ देना पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें।

मैं इस अवसर पर एक और विचार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय मंत्री ने सामान्य सुविधाओं के उपबंध की व्यवस्था की है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन माननीय मंत्री जानते हैं कि न्यायालयों के परिसरों, मुफसिलों, तहसीलों तथा जिला न्यायालयों में जहां वकील काम करते हैं वहां की क्या दयनीय स्थिति है। हम उस संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे? हम उन्हें क्या सुविधा देंगे? पहले बनाए गए एक विधान में उन्होंने इलेक्ट्रानिकों उपकरणों तथा संचार के आधुनिक साधनों का उपबंध किया था लेकिन वे उपलब्ध संसाधनों से यह सुविधाएं किस प्रकार दे सकते हैं जिसकी वे स्वयं मांग कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि यदि वे मांग करते हैं और वित्त मंत्रालय उससे सहमत नहीं होता लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वे शुरुआत करें और कुछ तो मांगे जिससे हम अच्छी शुरुआत कर सकते हैं।

अंत में, मैं विधेयक के स्वरूप के बारे में मामला उठाना चाहता हूं। विधेयक में अनुसूची 2 है जिसमें 16 राज्य विधान का वर्णन है जो वस्तुतः राज्य सरकारों को अपने कानून बनाने के अधिकार देता है और यह विधेयक संघ सरकार के अतिरिक्त उन्हें अनुसूची-1 में समय-समय पर संशोधन करने की शक्ति देता है जिसका अर्थ है कि यदि राज्य अपना विधान बनाना चाहते हैं तो ठीक है और यदि वे ऐसा करना नहीं चाहते तो केन्द्र इस विधान के माध्यम से अधिवक्ताओं के व्यवसाय के संकट के दौर में जब उन्हें सहायता की आवश्यकता होती होगी, उनकी सहायता करेगा। मैंने यह पाया है कि अनुसूची-दो में संशोधन का उल्लेख पहले किया गया है और इस अनुसूची का उल्लेख इस विधेयक के अंतिम खण्ड में दिया गया है। खण्ड 28 में कहा गया है:

> "प्रस्थापित विधान के उपबंध उन राज्यों में लागू नहीं होंगे जहां विधेयक की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितताएं लागू होती हैं।"

इस उपबंध में पहले कहीं इस बात का उल्लेख होना चाहिए था कि यह विधेयक अमुक राज्यों में अमुक मामलों में लागू होगा। इसके पश्चात् संशोधन करने की शक्ति का उल्लेख आना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सराहना करता हूं कि कम से कम एक प्रयास तो किया गया है। हम इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजकर इस मामले में विलंब नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस विधेयक को तत्काल पारित कर दिया जाए ताकि वकीलों के फायदे के लिए कुछ व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। विधेयक पारित होने के बाद वे शायद इसे समिति को भेजें तथा अधिवक्ताओं तथा वकीलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ऐसा उपबंध है जिसके अंतर्गत न्यासी समिति के लिए अधिवक्ता नामित करने हेतु बार काउंसिल को कतिपय शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन उच्च न्यायालय विधिज्ञ संगम के प्रेजीडेंट अथवा जिला विधिज्ञ संगम के प्रेजीडेंट को ऐसा कोई प्राधिकार अथवा अवसर

[श्री पवन कुमार बंसल]

नहीं दिया गया है कि वे इसमें प्रतिनिधित्व करें। इन मामलों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इन मामलों पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, सिद्धान्ततः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन यह स्कीम स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि हमें ज्ञात है विधि व्यवसाय संकट का सामना कर रहा है और हमें व्यावसायिक निष्ठा भी बनाये रखनी होगी। हाल ही में इसमें गिरावट आयी है और यह स्थिति आज भी बनी हुई है। यहां यही स्थिति है लेकिन, जो भी हो, मैं अपने अनुभव से बोलूंगा।

भारत में अपनी तरह के प्रथम अधिनियम अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम को केरल विधानमंडल ने 1980 के शुरू में पारित किया था। उस समय मैं केरल एसेम्बली का सदस्य था। मैंने विधेयक को पारित करवाने के लिए प्रयास किये।

अन्ततः विधेयक पारित हुआ और प्रभावी किया गया। केरल के अधिनियम और केन्द्र सरकार के इस विधेयक की स्कीम में पर्याप्त अन्तर है। सबसे पहली बात यह कि इनके दृष्टिकोण में अन्तर है। जब कोई सामाजिक कानून पारित किया जाता है तो उसमें सरकार की भी कुछ भूमिका होती है। केरल अधिनियम में, राज्य सरकार भी कल्याण निधि में अंशदान करती है। उसने अंशदान करने का निश्चय किया और वह प्रावधान कानून में भी है। हमें ज्ञात है कि सरकार स्टाम्प एक्ट से राजस्व एकत्रित करती है और अन्य कार्य भी करती है। विधिक बन्धुता अथवा विधि व्यवसाय हमारी विधि प्रणाली का अभिन्न अंग है। आप व्यावसायिकों या वकीलों की उपेक्षा करने के बारे में नहीं सोच सकते। अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह निधि में अंशदान करे। यह प्रमुख विशेषता जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है, इस स्कीम में नहीं है।

हम निश्चय ही राज्य के कानून और यदि मैं कहूं तो यह समवर्ती कानून (कनकरेन्ट लेजिस्लेशन) पर बहस कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यों को अपनी स्कीमें चलाने की छूट दी गई है। मैं इससे सहमत हूं लेकिन केन्द्र सरकार और माननीय विधि मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय हास्यास्पद हैं। उस वकील के बारे में सोचें जिसे 30 साल तक वकालत करने के बाद 30,000 रुपये दिये जायेंगे। एक बीड़ी श्रमिक को 50,000 रुपये दिये जाते हैं और टेलर अधिनियम में एक लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। वकील के मामले को देखें। 30 वर्ष तक वकालत करने के बाद उसे मात्र 30,000 रुपये मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल ने इस बात का उल्लेख पहले ही कर दिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: 30,000 रुपये तो उसके अंतिम क्रियाकर्म के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। 30 वर्ष बाद इस संसार से विदा ले लेगा। उस समय यह 30,000 रुपये उसके अंतिम क्रिया कर्म के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। मुझे आश्चर्य है कि श्री अरुण जेटली जी यह कैसे भूल गये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो लोग वकील रहे हैं, इस विषय पर बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस समय, किसी वकील को 30,000 रुपये मिलेंगे। 30 वर्ष बाद 30,000 रुपये की क्या कीमत होगी? यह तीन हजार से भी कम होगी। बाजार की कीमत या उस समय रुपये का जो मूल्य होगा, वह 2000 या 3000 से भी कम होगा। इस प्रावधान के अनुसार इस व्यवसाय में 30 वर्ष सेवा करने के बाद उसे 30,000 रुपये मिलेंगे अर्थात प्रति वर्ष 1000 रुपये। यह हास्यास्पद और अवास्तविक है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता। केरल के अधिनियम में जो कि 21 वर्ष पहले पारित किया गया था *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं?

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): जी नहीं, वह वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केरल के अधिनियम में प्रावधान है कि जो अधिवक्ता 30 वर्ष तक वकालत करेगा उसे एक लाख रुपये मिलेंगे। अब यह धनराशि बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। 21 वर्ष पहले जब यह पारित किया गया, उस समय यह धनराशि एक लाख रुपये निर्धारित की गई थी। जब मैंने पहल की, जब मैंने विधिक प्रक्रिया में भाग लिया, विधेयक पर चल रही बहस में भाग लिया तो हम इस सर्वसहमति पर पहुंचे कि 30 वर्ष की वकालत के बाद किसी वकील को एक लाख रुपये दिये जायेंगे। यह 21 वर्ष पहले हुआ था। पिछली बार हमने इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया। इसलिए, यह अत्यन्त हास्यास्पद है कि केन्द्र सरकार अधिवक्ता निधि में एक भी पैसे का अंशदान किये बगैर 30 वर्ष तक वकालत करने वाले वकील के लिए 30,000 रुपये की धनराशि निर्धारित कर दी गयी। मुझे इसका बहुत अफसोस है।

दूसरी बात यह कि हमने केरल अधिनियम में किसी वकील को उससे बाहर नहीं रखा है। वरिष्ठ या कनिष्ठ कोई भी जो इस

निधि में योगदान करता है इससे धन प्राप्त कर सकेगा। यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। विकल्प वकील के ऊपर है। वकील अपना विकल्प चुन सकता है। किसी वकील के लिए इस निधि का सदस्य बनने की बाध्यता नहीं है।

वरिष्ठ वकील को इस निधि का सदस्य बनने की अनिवार्यता नहीं है। विकल्प उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि वे सदस्य बनना चाहें तो निर्धारित अंशदान जमा करके सदस्य बन सकेंगे। किसी को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। विकल्प वकीलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वे निधि के दायरे के बाहर रहना चाहते हैं या नहीं। इस निधि में योगदान करने वाले सभी वकील आवश्यकता होने पर प्रैक्टिस के लिए उस निधि से धनराशि निकाल सकेंगे।

महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से इस अधिनियम से चिन्तित नहीं हूं क्योंकि मेरे मामले में तो केरल का अधिनियम लागू होगा। लेकिन यह अत्यन्त हास्यास्पद है कि अखिल भारतीय स्तर के कानून में माननीय मंत्री जी ने वकीलों के लिए 30,000 रुपये का प्रावधान किया है जबकि केरल के अधिनियम में तीन लाख का प्रावधान किया गया है। कोई भी वकील चाहे वरिष्ठ हो या कनिष्ठ, इस निधि का सदस्य बन सकता है। इस कानून में भी इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए। हमें वरिष्ठ वकीलों को इससे बाहर क्यों रखना चाहिये जबकि वे इस निधि का सदस्य बनने में रुचि रखते हैं? उन्हें इसके लिए एक हजार रुपये का अंशदान करने को कहा गया है। उन्हें यह धनराशि जमा करने को कैसे कहा जा सकता है? क्या मात्र इसीलिए कि वे वरिष्ठ वकील हैं। वरिष्ठ वकीलों से कहा जा रहा है कि वे अनिवार्यत: एक हजार रुपये जमा करें। इसका क्या उद्देश्य है। आप उस व्यक्ति को एक हजार रुपये का अंशदान करने को बाध्य नहीं कर सकते जो कि उस निधि का सदस्य नहीं हो। इसी कारण से यह प्रस्ताव इस मामले में स्वीकार्य नहीं है। सरकार को इस स्कीम को इस प्रकार बदलना होगा कि इसका सदस्य बनने के इच्छुक वकील, सदस्य बन सकें। निधि से बाहर रहने का विकल्प वकीलों पर छोड़ देना चाहिए। अत: मेरा सुझाव है कि पहले सरकार को चाहिये कि वह 30,000 रुपये की धनराशि बढ़ाये और दूसरे निधि से बाहर रहने का विकल्प स्वयं वकीलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सरकार किसी वरिष्ठ वकील को बेवजह एक हजार रुपये का अंशदान करने को बाध्य नहीं कर सकती।

महोदय, इसमें केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है? सरकार ने न्यासी बोर्ड में सचिव, विधि मंत्रालय, सचिव, गृह मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल किया है लेकिन वह इसमें कुछ भी अंशदान नहीं कर रही है। न्यासी बोर्ड के सदस्य कौन हैं? इस कानून में प्रावधान है कि न्यासी बोर्ड के सदस्य सचिव, विधि मंत्रालय और सचिव, गृह मंत्रालय होंगे। इसमें ये दो सचिव रखे गये हैं।

श्री अरुण जेटली: वे राज्य सरकारों के सचिव हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि केन्द्र की बात है तो केन्द्र सरकार के विधि सचिव उसमें होंगे। केन्द्र सरकार के सचिवों को न्यासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा लेकिन केन्द्र सरकार एक भी पैसे का अंशदान नहीं करेगी। केन्द्र सरकार का क्या योगदान है केन्द्र सरकार अनेक तरीके से स्टाम्प ड्यूटी आदि एकत्रित करती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केन्द्र सरकार इस निधि में एक भी पैसे का योगदान नहीं कर रही है। इस देश में उच्चतम न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। विधि व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों को धन मिल रहा है लेकिन सरकार जब चाहती है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निधि बनाई जाये तो केन्द्र सरकार एक भी पैसे का अंशदान नहीं करती। मुझे आशा नहीं थी कि गृह मंत्री वकीलों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। केन्द्र सरकार को इस निधि में अंशदान करना चाहिये। सरकार इस निधि में अंशदान करने से क्यों बचती है? कुछ राज्य सरकारें इस कल्याण निधि में अंशदान करने को तैयार हो गई हैं। राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा के उपायों और कल्याणकारी स्कीमों में अंशदान करेंगी।

और कोई कल्याणकारी निधि नहीं है जिसमें कि राज्य सरकार किसी प्रकार का योगदान करे। एकमात्र यही इस प्रकार की निधि है जिसमें कि केन्द्र सरकार एक पैसे भी योगदान नहीं कर रही है। क्या यह उचित है? क्या यह न्यायसंगत है? क्या अधिवक्ता दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या सरकार उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है? वे भी अंशदान कर रहे हैं। वे इसे अपने मुवक्किलों से नहीं वसूल रहे हैं। वे अपने पास से अंशदान कर रहे हैं। सरकार को वकीली व्यवसाय को उच्च व्यवसाय के रूप में मान्यता देनी है। मंत्री जी भी निधि में अंशदान करने को बाध्य हैं।

सरकार ने निधि के संचालन के लिए विधि सचिव और गृह सचिव को नामित किया है। जहां तक इस निधि का संबंध है, सरकार की अधिस्थिति क्या है? जब वह निधि में अंशदान नहीं कर रही है तो संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को इसमें क्यों नियुक्त करेगी? इसमें वकील समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। समिति में बार एसोसियेशन को सम्यक् प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। राज्यों तथा केन्द्र सरकार के संबद्ध बार एसोसिएशनों के दो सदस्य, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों से सदस्यों के

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने चाहिए। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिये बगैर यह नहीं माना जा सकता कि यह स्कीम पूर्णतः वकीलों के लाभ के लिये है। इस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में स्कीम में बदलाव किये जाने की आवश्यकता है।

मैंने कल्याण निधि की धनराशि बढ़ाये जाने और 'बार एसोसिएशनों' को प्रतिनिधित्व देने संबंधी संशोधन दे रखे हैं। आखिरकार यह केवल (ट्रस्टीशिप) है। वे यह कार्य कर सकते हैं। अतः मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये संशोधनों को स्वीकार करें और विधेयक की स्कीम में उचित परिवर्तन करें जिससे कि यह सच्चे अर्थों में अधिवक्ताओं की कल्याण निधि हो सके। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे और इस योजना में इस तरह से संशोधन करेंगे जिससे कि इस स्कीम में विधिक व्यवसाय से संबंधित लोगों को उनके न्यायोचित अधिकार प्राप्त हो सकेगा।

मैं सिद्धांततः इस कानून का समर्थन करता हूँ, किन्तु मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस स्कीम में संशोधन करें।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कानून मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2001 का स्वागत करता हूं। मैं इसके साथ कुछ बातें भी कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप भी लॉयर हैं?

श्री धर्म राज सिंह पटेल: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ अधिवक्ता इस विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, वहां से लॉ भी किया है और समाज में, गांव में, जिले में अधिवक्ताओं के साथ रहने का मौका भी मिला है, इसलिए इस बारे में अच्छा अनुभव है। उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समय जो नए लड़के कानून की पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उन्हें सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। ऐसे लड़के जो तहसील और जिले में आते हैं या तो जिले से हट कर उच्च न्यायालय तक पहुंच रहे हैं, मैं उनकी तरफ कानून मंत्री जी का ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसे अधिवक्ताओं को अपने पेशे में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है, उन्हें ऐसा कहीं अच्छा चैम्बर नहीं मिल रहा है जहां बैठ कर वे अपनी वकालत कर सकें और उन्हें कहीं ऐसा पुस्तकालय नहीं मिल रहा है जहां बैठ कर वे पुस्तकें पढ़ सकें। आपने उनके आकस्मिक निधन और दूसरी चीजों के लिए प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि गांव से निकलने वाले अधिवक्ता चाहे वे तहसील में बैठते हों, उन्हें बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करने के प्रयास होने चाहिए। जब वे बीमार हो जाते हैं तो उनके सामने पैसे की दिक्कत आती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इस बात की ओर ध्यान देंगे कि जो नौजवान आपके पेशे में आ रहा है, उनके सामने कितनी दिक्कतें आ रही हैं या उनकी क्या दशा हो रही है। उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, चैम्बर में बैठने के लिए जगह नहीं। हम तहसील जाते हैं, तो देखते हैं कि चाहे बरसात हो, गर्मी हो या धूप हो, उसके लिए बैठने के लिए जगह नहीं होती। इसके अलावा उन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। माननीय मंत्री जी तो बड़े वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं और मेरे ख्याल से तहसील की कचहरी में भी गये होंगे और उनकी दयनीय हालत को देखा होगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार आने वाले दिनों में जो भी कानून बनाये, वह इस बात का जरूर ध्यान रखे कि नये अधिवक्ताओं को काम करने का मौका मिले। ऐसे बहुत से कानून मंत्री हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत करते रहे हैं। श्री शान्ति भूषण जी उनमें से एक रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते रहे हैं। बहुत सारे जज भी वकील रहे हैं। माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि जितनी इनकम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से वकील को होती है, उसकी अपेक्षा जिला स्तर के न्यायालयों में बहुत कम होती है। सरकार जो विधेयक ला रही है, उसमें कम से कम इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि फीस निश्चित होनी चाहिए। गांव के आदमी की हिम्मत नहीं कि आप जैसे लोगों के बीच में आकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इतनी भारी फीस अदा कर सके। यह फीस निश्चित की जानी चाहिए। साथ ही नये अधिवक्ताओं के कल्याण निधि में पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बिल में प्रावधान किया है कि वकील के कल्याण के लिए 30 हजार रुपये का प्रावधान किया जायेगा। यदि कोई वकील एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसके बच्चों के लिए निश्चित धनराशि का प्रावधान होना चाहिये क्योंकि यह देखा गया है कि मृत्यु की स्थिति में उसके बच्चे भूखों मर रहे होते हैं। इसलिए कम से कम नये अधिवक्ताओं के लिए जो जिला, कस्बे में वकालत करने वाले हों, उनकी मृत्यु के पश्चात् एक निश्चित राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक लाये हैं, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार में 1974 में और केरल में 1980 में तथा अन्य राज्यों में लाया गया है। पहले जमाने में जो बड़े आदमी होते थे, वही वकालत किया करते थे। गरीब इस पेशे में नहीं जा पाते थे। हम लोगों ने यह भी देखा है कि आजादी की लड़ाई के शुरुआत में जिन लोगों ने आन्दोलन में भाग लिया, वे सभी लोग पेशे से वकील थे। बड़े लोग विदेश से वकालत पढ़कर आते थे जिसे बैरिस्टर, बार-एट-लॉ आदि के नाम से जाना जाता था। आजादी मिलने के बाद यह देखा गया कि अदना परिवार के आदमी, देहात के आदमी भी वकालत के पेशे में आने लग गये।

अध्यक्ष जी, अभी पटेल जी बता रहे थे कि तहसील और जिला अदालत में जाने पर देखने को मिलता है कि वकीलों के बैठने के लिए स्थान ही नहीं होता लेकिन मेरा यह कहना है कि वकील को बैठने के लिए भी शायद फीस देनी पड़ती है क्योंकि उनकी कुर्सी जंजीर के साथ एक खम्भे से बंधी रहती है ताकि उसे कोई दूसरी जगह उठाकर न ले जाये।

वहां कुर्सी पर छीना-झपटी होती है। मैंने कई न्यायालयों में देखा है कि कुर्सी के पैर में जंजीर लगाकर उसे खम्बे या टेबल में बांधकर ताला लगा देते हैं। उन पर वकील साहब बैठते हैं। जिन क्लाइन्ट्स के केस होते हैं, उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती, वे इधर-उधर खड़े रहते हैं। जो जूनियर वकील होते हैं, उन्हें भी बैठने की जगह नहीं मिलती है। कुछ नामी वकील जो ज्यादा होशियार होते हैं, उनके क्लाइन्ट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। उनकी फीस भी बहुत ज्यादा एक लाख, दो लाख और तीन लाख रुपये या इससे भी ज्यादा होती है। वे बड़े आदमियों के वकील होते हैं। हमारे कानून मंत्री जी भी बहुत होशियार हैं। कितने दांव जानते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इनका बोलबाला है। पुराने कानून मंत्री श्री राम जेठमलानी भी बहुत होशियार वकील थे, लेकिन यह उनसे भी ज्यादा होशियार निकले। उन्हें हटाकर खुद यहां आ गये।

अध्यक्ष महोदय, उस क्लास में, उस सरजमीन पर जनता की समस्याओं से और गरीब आदमियों के बीच से लड़ते-लड़ते आदमी उस क्लास तक आता है, लेकिन इन्होंने इतनी चालाकी से पैरवी की कि यह पहले राज्य सभा में मैम्बर बन गये और फिर मंत्री बन गये। हम इनकी होशियारी के कायल हैं। इसलिए यह राजनीतिक दांव-पेंच में भी चतुर हैं। न्यायालय में भी दो ही तरह के वकील होते हैं—एक वे जिनकी फीस बहुत ज्यादा है और एक वे जो नये वकील हैं काला कोट पहनकर आते हैं, पता नहीं उन्हें दस रुपये भी मिलते हैं या नहीं, बेचारों को चाय-नाश्ते का पैसा भी मिलता है या नहीं। उनकी फीस बहुत कम है। उनके लिए बहुत कठिनाई है। वहां भी दो वर्ग हो गये हैं-एक बड़े सम्पन्न, ज्यादा आमदनी वाले और क्लाइन्ट को धक्का देने वाले वकील हैं। उनकी फीस पर कोई नियंत्रण होना चाहिए। इनकी फीस का कोई अन्त नहीं है। जैसे गांव में कोई शादी में दहेज और तिलक में पैसा देते हैं, गांव में चारों भुजा से सम्पन्न लड़का है, नौकरी पाया हुआ और पढ़ा-लिखा है तो उसके तिलक का कोई अन्त नहीं है। वह कितना दहेज मांगेगा, कितना तिलक मांगेगा, इसका पता नहीं है। इसी प्रकार से बड़े और नामी वकील की फीस का कोई अन्त नहीं है। यह मुंहमांगी होती है। वकील अपना मुंह नहीं खोलते हैं, मुन्शी बताते हैं। मुन्शी वकीलों से ज्यादा क्लाइन्ट को परेशान करते हैं। यदि गरीब जनता से कोई गरीब क्लाइन्ट आये और कहे कि मेरे पास फीस नहीं है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइये, वैसे वकील साहब नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक से बात भी नहीं करेंगे और हैरान करते हैं। इसीलिए इस कल्याण निधि के बारे में सभी लोगों ने महसूस किया, जो नये वकील आते हैं, जिन्हें क्लाइन्ट भी नहीं मिलता, जिनकी आमदनी नहीं होती है। पुराने जमाने में बड़े आदमी साल दो साल अपने घर से अच्छी स्टैन्डर्ड की किताबें पढ़कर रह सकते थे। लेकिन जो गरीब आदमी हैं, खास तौर से हमारे देश में बेरोजगारी है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ते जब कोई रोजगार कारोबार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी छिपाने के लिए उनके पास दो जगहें होती हैं—उसमें जगह नम्बर एक में लोग बी.ए., एम.ए. करते हैं, यदि फिर भी काम नहीं मिलता हो तो पी.एच.डी. करते हैं। उससे भी बात नहीं बने तो फिर वकालत कर लेते हैं। वकीलों की परीक्षा में कानून बना हुआ है। कहते हैं कि जब वकील कोर्ट में बहस करते हैं तो मुंहजबानी कोई बहस नहीं करते, बिना किताब के वे बहस नहीं करते हैं। उसी तरह परीक्षा में चलन सा हो गया है कि परीक्षा भी देखकर देते हैं। इस तरह से कम पढ़ाई करने वाला भी वकालत पास कर लेता है और वकील बन जाता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, कभी-कभी हाउस में भी ऐसा होता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सांसद होशियार माने जाते हैं, लेकिन वे भी हर समय ऐसा करते हैं। सब लोग पुर्जे पर लिखकर लाते हैं। यहां पुर्जा पढ़कर बहस करते हैं, मुंहजबानी बहस नहीं कर सकते।

उसी तरह से ज्यादातर लोग वकालत पढ़ने के लिए फीस देकर आ जाते हैं और उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। उन नए वकीलों की जो खासकर गरीब घरों के हैं, बड़ी दयनीय हालत है। उनके रहन-सहन का कोई स्तर नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): वे अपने क्लाइंट के लिए कागज भी नहीं लिख सकते।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए उनके सीनियर्स को चाहिए कि नये वकीलों को कुछ सिखाएं। मगर वे सोचते हैं कि नया वकील काबिल हो गया तो कहीं उसका हिस्सेदार न हो जाए। *...(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आपसे कुछ नहीं हुआ तो दाढ़ी रखकर कर्पूरी ठाकुर और लालू जी के साथ आ गए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे। वे गरीबों के नायक थे, आम आदमी की बात सुनते थे और बोलते थे। उनकी पाठशाला के हम भी विद्यार्थी हैं। कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जी ने हमें सिखाया कि हमेशा हिन्दुस्तान के करोड़ो दुखी लोगों की बात कहना चाहे जैसी भी सभा हो, जैसे भी श्रोता हों मगर स्वर अपना वही हो। बड़े आदमियों की बात तो हर कोई करता है, उनकी तो खुशामद करने वाले मिल जाते हैं, हमारे यहां जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह जैसे चाहे वैसे हुकूमत चलवाते हैं, कानून बनवा लेते हैं लेकिन जो दबे हुए, गरीब आदमी गांवों में रहते हैं उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे यहां बिहार में एक कहावत है कि "सुखले फुटानी ऐसे," मतलब धन घटता जाए मगर हुकूमत बढ़ती जाए। पैसा एक नहीं लगा रहे हैं और कानून बना रहे हैं। अभी वरकला राधाकृष्णन जी ने ठीक कहा कि इनके कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। पांच रुपया स्टाम्प ड्यूटी तो क्लाइंट को ही पड़ेगी। डेढ़ दो रुपये का स्टैम्प पेपर जो ऐडवोकेट बनाकर दते हैं उस पर जो पैसा लगता है वह क्लाइंट ही देता है, सरकार का क्या गया। इसी प्रकार इस बिल में सरकार की तरफ से एक रुपया भी नहीं दे रहे हैं। जो ज्यादा आमदनी वाले वकील हैं, उनके द्वारा अंशदान का प्रावधान भी इस बिल में नहीं रखा गया है। उसका प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। सरकार की तरफ से फंड का भी प्रावधान होना चाहिए और जो नए वकील हैं और जिनको बैठने की जगह भी नहीं है और काम नहीं मिल रहा है, उन लोगों के ग्रुप इंश्योरेन्स और स्वास्थ्य की सुविधा का प्रावधान भी करना चाहिए, इस मायने में भी यह बिल अपर्याप्त है। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान सरकार इस बिल में करे। इसमें अधिवक्ता लोगों का भी ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए नहीं तो इसमें जिसको कुछ मिलना होगा तो अधिकारी लोग ऐसे पेंच लगा देंगे कि उनको कुछ मिल नहीं पाएगा। इसलिए यह बिल और सरल हो और हम इसका समर्थन करते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए कल्याण निधि बने। उसमें ज्यादा निधि जमा हो सके और सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे और ठीक कहा कि हरेक राज्य में एकरूपता इसमें नहीं है, हर राज्य अपने-अपने ढंग से इसको बना रहे हैं। तो उनमें भी एकरूपता इससे आएगी और जो दबे हुए, गरीब घरों के नए अधिवक्ता लोग हैं, उनका कल्याण इस बिल के द्वारा हो, यही कहते हुए हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान आर्थिक तंगी के कारण वकीलों के समक्ष आ रही कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार ने ऐसी अवधारणा बनायी है मानो सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की वकालत खूब चलती है और उन्हें सेवानिवृत्ति संबंधी किसी लाभ की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जानता हूँ जो पांच से दस साल तक वकालत करने के पश्चात् ही वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो सके हैं। इनकी जीवन शैली अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते बिल्कुल बदल जाती है।

अतएव, इन लोगों को इस कोष से लाभ पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मैं चूंकि क्रमशः मुफस्सिल न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुका हूँ, अतः अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ कि केवल 20 प्रतिशत वकीलों की वकालत ही नियमित रूप से चलती है। अन्य वकीलों की वकालत सही नहीं चलती। वे महीने में मात्र एक या दो केस अथवा कभी-कभी छः महीने में मात्र एक केस ही प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उनके परिवार तथा उनके कल्याण पर विचार किया जाये। मैं कुछ खास लोगों को जानता हूँ जो यह कहा करते हैं कि यदि आपने चार साल वकालत कर ली तो फिर आप किसी अन्य काम के काबिल नहीं रह जायेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशागत परिस्थितियों एवं परिस्थितिवश आलसपन से आदमी घिर जाता है। ये परिस्थितियां एक वकील को वकालत के सिवा अन्य कोई पेशा अपनाने के मामले में अन्मयस्क बना देती है। इसलिए, इस परिस्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा जो लोग परेशानी से रुबरू हो रहे हैं उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए।

महोदय, सिर्फ तीन खण्डों में प्राप्त होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला गया है। ये खण्ड 19, 21 और 24 हैं। खण्ड 19 के तहत विशेष बीमारी की स्थिति में अनुग्रह राशि का प्रावधान है। इसमें कुष्ठरोग को भी शामिल किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब कुष्ठरोग का उन्मूलन किया जा रहा है।

महोदय, अनेक वकीलों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो रही है। ऐसे मामलों पर भी ध्यान दिया जाये। कम हैसियत के

लोग जो मुफस्सिल न्यायालयों में वकालत कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अतः अनुग्रह राशि का भुगतान नियत किया जाना चाहिए ताकि प्रतिपूर्ति के रूप में यह राशि दी जा सके। यदि चिकित्सा व्यय 1 लाख या 1.25 लाख रुपए होता है तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाये। उन्हें अधर में नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके परिवारों के पास वकालत से होने वाली आमदनी के सिवाय आय के कोई अन्य स्रोत नहीं हैं।

मैं सरकार का ध्यान वकालत समाप्त होने संबंधी खण्ड 21 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 65 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति की कोई आयु तय होनी चाहिए। वकालत छोड़ने के इच्छुक अधिवक्ताओं को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए। यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर युवा अधिवक्ताओं को अवसर मिल पायेंगे। अन्यथा, जो लोग न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे पुनः वकालत शुरू कर दे देते हैं। इस पेशे में वे अपना एक स्थान बना लेते हैं। परिणाम यह होता है कि युवा अधिवक्ता उनकी बराबरी नहीं कर पाते। इस प्रकार इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी काफी है। इसलिए, यदि विशेष खण्ड को लागू करने के लिए 65 वर्ष अथवा 70 वर्ष की सीमा तय कर दी जाये तो यह युवाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं इस बात पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वरिष्ठ अधिवक्ता वकालतनामा दाखिल नहीं करते। इस प्रकार ने कोई अंशदान भी नहीं करते। अतएव वे इसके बारे में चिन्तित नहीं होंगे। किन्तु साथ ही वे भी इसका लाभ उठायेंगे और उनके परिवार के कल्याण का ध्यान रखा जाएगा।

महोदय, सामान्यतः अधिवक्ताओं को किसी बैंक से ऋण नहीं मिल पाता। अधिवक्ताओं, पुलिस तथा प्रेस वालों का पेशा बैंक से कोई भी ऋण लेने की अयोग्यता माना नहीं जाता है। ठीक इसी तरह यह अनर्हता आवास या कार्यालय किराये पर लेने में भी आड़े आती है। इसलिए खण्ड 24 के तहत आवास अथवा कार्यालय के निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। नियम बनाते वक्त इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से अभिस्वीकृति का उपबंध भी किया गया है। यह खण्ड 11(2)(छ) में उल्लिखित है जो प्रावधान करता है कि:

> ''आवेदकों को पंजीकृत डाक द्वारा सम्यक अभिस्वीकृति के साथ या इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से.....संसूचित करेगी।''

खण्ड 24 में यह उपबंध किया गया है कि न्यासी समिति निधि के सदस्यों को पुस्तकें क्रय करने के लिए, तथा इसमें सी.डी. जैसे इलेक्ट्रानिक सामान भी जोड़ा जाए, धन की व्यवस्था करेगी।

आजकल सभी विधि पुस्तकें सी.डी. के रूप में उपलब्ध हैं। अतः इसमें यह भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अंततः, मैं इसके सामाजिक पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। नियम बनाते समय अधिवक्ताओं के जीवन पर विचार किया जाये। राज्य स्तर पर समिति में मुफस्सिल बार के लिए प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

धारा 26(6) में उपबंध किया गया है कि:

> ''..... राज्य विधिज्ञ परिषद, से उसके मूल्य का संदाय करने के पश्चात् जिसमें से आनुषंगिक व्ययों के लिए दस प्रतिशत की कटौती की जाएगी.....।''

इसे भी अधीनस्थ न्यायालय संगठनों (कोर्ट एसोसिएशनों) को दे दिया जाये। इन एसोसिएशनों के लिए इसकी कुछ सीमा निर्धारित की जाये। एक क्षेत्र में एक से अधिक एसोसिएशन न हों। अन्यथा एसोसिएशनों को पंजीकृत कराने के लिए होड़ लग जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह अच्छी बात है कि इस पर कुछ सोच-विचार हो रहा है। मेरे विचार में न तो यह कोई प्रमुख विधान है और न ही राज्य विधान में कोई सुधार करता है। हम नहीं जानते कि केन्द्र सरकार अथवा माननीय मंत्री को इस कानून की व्यवहारिकता के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के अनुभवों को जानना आवश्यक लगा अथवा नहीं। मैंने कम से कम अपने राज्य से इस संबंध में जानना चाहा तो पता चला कि किसी ने भी इस विषय पर उनसे सम्पर्क नहीं किया है। उन्होंने राज्य सरकारों की राय जानने की कोशिश नहीं की है। उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। अतएव, इस विषय पर हम अनेक प्रकार के विचार सुन रहे हैं। सभी सदस्य इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी संदेह है। मैं समझता हूं कि तत्संबंधी प्रत्येक सलाह इस कानून में सुधार के लिए है। इसलिए बेहतर होता कि विभिन्न राज्य सरकारों के अनुभव पर भी गौर किया जाता।

यहाँ सभी इस बात को समझ रहे हैं और जैसा कि श्री बंसल ने कहा लगभग सभी स्टेट बार एसोसिएशनों, अथवा 'बार लाइब्रेरियों' जैसे मेरे राज्य में कोलकाता में है, के पास न किसी प्रकार की गैर सरकारी और स्वैच्छिक निधियां है जिसमें से वकालत पेशा से जुड़े लोगों को विपत्ति के समय सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात धनराशि की उपलब्धता है। पैसा कहाँ से आए? इस संदर्भ में मुझे पता नहीं कि केन्द्र सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा 50 रु., 100 रु. तथा 1000 रु. के अंशदान के आधार पर कोई आकलन किया गया है अथवा नहीं। मैं समझता हूँ कि यह कानून दिल्ली में ही लागू हो सकता है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आप दिल्ली से किनते पैसे की उम्मीद रखते हैं; कितनी धनराशि की जरूरत होगी तथा क्या पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ तक बीमा जैसे उद्देश्य का संबंध है तो यह जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। यदि भारत सरकार राज्य सरकार को इस संबंध में धनराशि प्रदान करने का निर्णय ले लेती तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता था क्योंकि ये मुद्दे दलगत मामलों से परे हैं। इन्हें राजनीतिक अथवा दलगत मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। लोगों की आम राय है कि वकालत पेशा से जुड़े हमारे मित्र सुरक्षित जीवन जी सकें। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ कारण बताये हैं। वकालत पेशा वैसा पेशा बन गया है जहाँ सबसे आसान पहुँच संभव है। यद्यपि कि यह एक सिद्धांतवाला तथा स्व. रोजगार वाला पेशा है—मैं इस पेशा में रहा हूँ—आजकल इसमें लोगों की बढ़ती संख्या ने एक वकील को सफल वकील बनना असंभव सा बना दिया है। हमारी जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है और रोजगार के अन्य अवसर घट रहे हैं। मध्य वर्ग के समक्ष व्यवसाय में जाने में अनेक समस्याएं आती हैं। अतएव, वे वकालत पेशा अपना रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वरिष्ठ अधिवक्ता अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वे युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी खामियां हैं जिनका जिक्र मैं इस वक्त नहीं करना चाहता।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि मंत्री महोदय यहां पर इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता दर्शायेंगे। अन्यथा हर कोई यही प्रश्न कर रहा है कि इसमें केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है और किस बात ने सरकार को यह कानून पेश करने के लिए प्रेरित किया।

महोदय, यह कहना बहुत अच्छा है कि अधिवक्ता यह राशि स्वयं अदा करेंगे, वे यह राशि अपने मुवक्किलों से प्राप्त करेंगे और फिर अदा करेंगे। लेकिन ये सभी व्यर्थ के प्रावधान हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ-वहाँ से थोड़ी-थोड़ी धनराशि प्राप्त करने के बजाय सरकार द्वारा कुछ योगदान करने से वास्तव में मदद मिलेगी। मैं श्री वरकला राधाकृष्णन के विचारों से सहमत हूँ। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। बहुत से वरिष्ठ अधिवक्ता अंशदान देने को इच्छुक हैं। मेरे विचार में निर्धारित राशि अत्यल्प है। किन्तु मैं समझता हूँ कि इस विधेयक का मसौदा संभवत: मंत्री महोदय की सरकार बनने के पहले तैयार किया गया था। आज एक का मूल्य नहीं के बराबर है। रुपए का तीव्र गति से अवमूल्यन हो रहा है। इसलिए 30,000 रु. की इस राशि से सरकार क्या करेगी। 30 वर्ष के बाद, यदि आप इस राशि को देंगे तो भी संभवत: कोई न लेगा।

महोदय, यह उपबंध उन अधिवक्ताओं के लिए है जिनकी वकालत समाप्त हो गई है अथवा जिन्होंने वकालत छोड़ दी है और जिन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खण्ड 19 व्यक्तिगत समस्याओं जैसे अस्पताल में भर्ती होना, कुछ बीमारियों इत्यादि से संबंधित है। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे उपबंध किये जायें जिनके अंतर्गत कनिष्ठ अधिवक्ता और ऐसे अधिवक्ता जो अधिक सफल नहीं हैं, आवास ग्रंथालय और अन्य सामान्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

मंत्री महोदय को काफी अनुभव है और मुझे विश्वास है कि वह अनेक जिला न्यायालयों या उपमण्डलीय न्यायालयों में भी गए होंगे और वहां की शोचनीय स्थिति देखी होगी। सभी जगह एक जैसी स्थिति है। कहीं भी पर्याप्त स्थान नहीं है, पुस्तकालय की सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर लोग बैठने और काम करने के लिए जगह के लिए भी वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर न्यायालय कक्षों की स्थिति भी दयनीय है। अत: वकालत की अवधि के दौरान सहायता की जानी चाहिए।

मैं निश्चित रूप से उन लोगों की बात से सहमत हूं जिन्होंने यहां पर धनाभाव होने की बात कही है। अपेक्षित धनराशि जुटाई जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए एक विस्तृत प्रावधान किया जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि इस विधेयक का दायरा सीमित है लेकिन मंत्री जी को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि यदि हम यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में ईमानदार और गंभीर हैं कि जिन लोगों ने वकालत को अपना व्यवसाय बनाया है वह अच्छी सेवा प्रदान करें तो कम से कम हमें वकीलों को इतना विश्वास दिलाना होगा कि इस व्यवसाय से सेवानिवृत्त होने का फैसला करने पर उन्हें कुछ मिलेगा।

महोदय, मेरी स्थिति ऐसी है कि संसद सदस्य के बतौर मिलने वाली पेंशन के अलावा मेरी कोई पेंशन नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि क्या श्री अरुण जेटली जी पेंशन के पात्र हैं। संभवत: मंत्री पद पर बने रहने पर वह पेंशन के पात्र होंगे। अत: हमें कोई पेंशन भविष्यनिधि और उपदान नहीं मिलता है। अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस राशि को समुचित किया जाए। दूसरी बात यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर अपना अंशदान करने के अतिरिक्त कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन वे इससे जरा भी लाभान्वित नहीं होंगे।

मुझे नहीं मालूम कि यह कर योग्य है या नहीं। इस पर विचार करना होगा।

श्री जेटली जी, मुझे विश्वास है कि आप इन लोगों के बारे में सोचेंगे। आप उनकी समस्याएं जानते हैं। हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि इसे कैसे किया जाए। आप उन लोगों की सहायता के लिए एक तंत्र बना सकते हैं जो अपने तरीके से

समाज के विकास और लोगों के बीच उत्पन्न हो रहे विवादों और समस्याओं के समाधान में सहयोग दे रहे हैं। अत: कुछ स्थानों पर कुछ लोग अधिवक्ताओं को किसी भी दृष्टि से देखते हों, फिर भी हम समाज की सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। अत: उनके संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इस मामले में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय अपनी बात रखेंगे।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी का भाषण समाप्त होने के बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि हमें चार बजे दूसरे मामले पर विचार आरंभ करना है।

श्री ए.सी. जोस: क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? हर एक सदस्य ने 30,000 रुपए के बारे में कहा है। मेरा मंत्री महोदय से इस धनराशि के उपयोग की शक्तियों के बारे में अनुरोध है। इस निधि में वृद्धि होने तक धन देने हेतु परिगणना की शक्ति न्यासियों को दी जानी चाहिए ताकि अधिक धन उपलब्ध होने की स्थिति में 30,000 रुपए की राशि को उस धनराशि से न जोड़ा जाए। इसका निर्णय किया जा सकता है।

सभी बार काउंसिलों के पास काफी धन है। सदस्यता शुल्क का पैसा उनके पास है। धारा 15 में प्रावधान है कि बार काउंसिल की निधि में से 20 प्रतिशत धनराशि इस निधि के लिए ली जा सकती है। मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर सकते हैं। बार काउंसिल की निधि से कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि ली जा सकती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम को दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई जा सकती है। कम से कम 10 लाख रुपए दिये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री चक्रवर्ती जी, आपका क्या विचार है?

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): हमारा विचार यह है कि हमें कई बातों पर बोलने से वंचित किया गया है। अधिवक्ताओं को इस सभा में बोलने का अवसर मिलना चाहिए। मैं बीस वर्ष से अधिक समय से वकालत कर रहा हूं। मैं एक निचली अदालत में वकालत करता हूं। मैं समझता हूं कि श्री अरुण जेटली जी और श्री सोमनाथ चटर्जी अधिवक्ताओं के सामने जो समस्याएं हैं उन्हें नहीं समझते हैं और उन्हें निचली अदालतों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की स्थिति की जानकारी नहीं है। अत: हमें इस बात को उजागर करने के अवसर से वंचित किया गया है और इसका कारण यह है कि हम निचली अदालतों में वकालत करते हैं। वह बड़ी अदालतों में वकालत करते हैं इसलिए उन्हें पहले अवसर मिला।

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या विचार है? समय बहुत कम है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): स्पीकर होने के साथ-साथ आप भी तो वकील हैं, आप भी कुछ इस मामले में इंटरवीन कीजिए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: समयाभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ आपत्तियां होने के बावजूद 'अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक' का समर्थन और स्वागत करता हूं। यह विधेयक कनिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य वर्गों के अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उददेश्य से लाया गया है। हमारे देश में अधिवक्ताओं के दो वर्ग हैं। उनमें से एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, वे लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वकालत करते हैं। दूसरे वर्ग के अधिवक्ता जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करते हैं।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री अरुण जेटली जी और श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे अधिवक्ता जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करने वालों अधिवक्ताओं की स्थिति और कठिनाइयों को नहीं समझ पाए हैं। अत: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता फीस के रूप में मोटी रकम जो कि कल्पनातीत है मांगते हैं और वह उन्हें मिलती भी हैं। आम आदमी के लिए उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में जाना और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त करना एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा संबंध निचली अदालत से है।

वहां पर पुस्तकालय की सुविधा नहीं है। कभी-कभी मुझे जिला न्यायालय बारसाट में जाना पड़ता है। *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि अधिवक्ता इस विधेयक के संबंध में एक पक्ष हैं अत: उन्हें इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती: पुस्तकें खरीदने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यद्यपि निचली अदालतों में वकालत करने वाले अधिवक्ता वित्तीय दृष्टि से सक्षम भी नहीं हैं। उनके चैम्बर्स घटिया किस्म के हैं। बार एसोसिएशन और निचली अदालतों के पुस्तकालय भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। निचली अदलतें अपने भवनों का पुनर्निर्माण करवा पाने की स्थिति में नहीं हैं।

मैंने निचली अदालतों में अधिवक्ताओं की टूटी हुई बेंचों और कुर्सियों पर बैठे हुए देखा है। निचली अदालतों में अधिवक्ताओं की ऐसी स्थिति है। अत: बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के निर्माण, पुस्तकें खरीदने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। वे हमारी न्याय प्रणाली के आधारभूत हैं।

अधिवक्ताओं को अपने मामलों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 364 और 376 के अंतर्गत निचली अदालतों में पेश होना पड़ता है। अत: मैं माननीय विधि मंत्री जी से जिला न्यायालयों और निचली अदालतों के अधिवक्ताओं के लिए कल्याणनिधि के सृजन हेतु विशेष प्रावधान करने का निवेदन करता हूं। अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित तीस प्रतिशत राशि पर्याप्त नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अधिवक्ताओं के साथ भिखारियों जैसा बर्ताव न करें। तीस वर्षों तक वकालत करने के बाद उन्हें केवल 30,000 रुपए मिलेंगे। तीस वर्ष बाद इस 30,000 रुपए की कीमत केवल तीन रुपए रह जाएगी।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा। न्यासी समिति एक सचिव है उस समिति में कोई अधिवक्ता नहीं है। अत: इस समिति में अधिवक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अत: मैं मंत्री महोदय से अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का आग्रह करता हूँ।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं और सभी सदस्यों ने बिना किसी अपवाद के न केवल इस विधेयक का समर्थन किया है बल्कि इस विधेयक में संभावित सुधारों के सुझाव भी दिए हैं।

सर्वप्रथम, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। जिन राज्यों में यह निधि सृजित की गई हैं और जिन राज्यों में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है हमने उनके कानूनों की प्रतियां मंगाई हैं। मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अनेक बार एसोसिएशनों और विधि आयोग से इस संबंध में परामर्श किया है कि प्रत्येक राज्य में उनका कैसा अनुभव रहा है। कई राज्यों में यह कानून लागू नहीं था क्योंकि उनमें ऐसा कोई कानून नहीं था। संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसा कोई कानून नहीं था और कुछ राज्यों में हमने यह भी देखा कि कतिपय राज्यों में विशेष कारणों से इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। अत: जिन मुद्दों पर चिन्ता प्रकट की गई है, हम राज्यों को अधिकार देना चाहते हैं कि वह इस संबंध में अपने कानूनों को ही लागू रख सकते हैं परन्तु उनके पास यह विकल्प होगा कि यदि उन्हें केन्द्रीय कानून अधिक फायदेमंद लगता है तो वे इसे अपना सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: राज्य केन्द्र से धन चाहते हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, सर्वप्रथम मैं अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए तीन-चार महत्वपूर्ण मुद्दों का ही उल्लेख करूंगा। पहला निधि के लिए सारा धन कहां से आएगा?

श्री चटर्जी और अन्य सदस्यों की यह बात बिल्कुल सही है कि इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसमें केवल वही 50,000 रुपए होंगे जिनका उन्होंने उल्लेख किया है या यह एक सक्रिय निधि होगी। अनेक राज्यों में सदस्यता अनिवार्य नहीं थी इसलिए नियमित आधार पर 'वेलफेयर स्टैम्प' लगाने का प्रचलन संभव नहीं था। कुछ राज्यों में कार्यान्वयन न होने का यह भी एक कारण था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हमने अपने राज्य में इसे लागू किया है।

श्री अरुण जेटली: यही कारण है कि केरल अत्यन्त सफल राज्य है। इसीलिए, खण्ड 3 के अंतर्गत, हमने उन विभिन्न क्षेत्रों को लिया है जहाँ से राशि प्राप्त होगी। बार काउंसिल द्वारा सदस्यता शुल्क के रूप में जो राशि एकत्रित होती है उसका 20 प्रतिशत यह राशि होगी जिसे कल्याण कोष में अंतरित कर दिया जाएगा इसे पहले 'बार काउंसिल' के प्रशासनिक व्ययों पर खर्च किया जाता था।

अपराह्न 4.00 बजे

यदि अतिरिक्त पैसा आता है, जैसा कि श्री जोश मुझे सुझाव दे रहे थे, तो उस अतिरिक्त पैसे को 'बार काउन्सिल' हस्तांतरित

कर सकता है। हमने खण्ड 3(2)(घ) के अंतर्गत विशेष उपबंध किए हैं कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें भी इस कोष में उचित विनियोग के बाद अंशदान कर सकती हैं। धारा 203 और 204 के अंतर्गत हम एक कोष बना रहे हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि राज्य अपने खर्चों की व्यवस्था कैसे करेंगे। इसलिए, एक समर्थकारी उपबन्ध बनाया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप ऐसा उपबन्ध ला सकते हैं जो सरकार पर लागू हो। आप राज्य सरकारों को बाध्य कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के लिए समर्थकारी उपबन्ध है जिससे वे अंशदान करें। खण्ड 3(2)(घ) इसी के लिए विशेषत: व्यवस्था करता है। कृपया इस मुद्दे पर चिन्तित न हों।

अन्त मैं, बीमा पॉलिसियों के अतिरिक्त, ब्याज, खण्ड 26 के अंतर्गत स्टाम्प की बिक्री से एकत्रित धनराशि और स्टाम्पों का विक्रय तथा माडल जिसे हमने कुछ राज्यों से अपनाया है जहाँ बार काउंसिल की तरफ से उन स्टाम्पों का मुद्रण राज्य सरकार करती है, ये सब बातें आती हैं। बार काउंसिल वह एजेन्सी है जिसके माध्यम से स्टाम्पों का वितरण होता है और इसकी सदस्यता अनिवार्य है जो इसके सदस्य हैं उनको भी वार्षिक शुल्क देना होता है और इस प्रकार इस समस्त प्रक्रिया से जिसे अनिवार्य बना दिया गया है यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस कोष के लिए पर्याप्त धनराशि एकत्रित हो। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि प्रत्येक राज्य कितनी धनराशि एकत्र करेंगे। किन्तु यदि आप प्रत्येक वर्ष देश के अधीनस्थ न्यायालयों में दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या का मोटे तौर पर मूल्यांकन करें तो यह संख्या एक करोड़ से अधिक है। इसलिए यदि आप पांच रुपये की दर से इस पूरे भारत के आंकड़े को दोगुना करें क्योंकि प्रत्येक वर्ष दो पक्ष होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों में कितने मामले होंगे।

श्री पवन कुमार बंसल ने अन्य प्राधिकरणों के विषय में पूछा था। हमने अधिनियम में ही यह सुस्पष्ट कर दिया है कि इसे सभी न्यायालयों अधीनस्थ से लेकर जिला न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकरणों में भी लागू करने की आवश्यकता है। यही उपबन्ध है। यह अधिनियम में ही शामिल है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैंने ये नहीं कहा था। मैंने मात्र यह कहा था कि एकत्रित करने का अधिकार न्यासी समिति को होना चाहिए न कि बार काउंसिल को।

श्री अरुण जेटली: मैं इसके कारणों को स्पष्ट करूँगा। श्री बंसल ने यह मुद्दा उठाया है कि खण्ड 27 के अंतर्गत, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 5 रु., न्यायाधिकरणों, अन्य प्राधिकरणों और उच्च न्यायालयों में 10 रु. है। उन सभी प्राधिकरणों में जहाँ वकालतनामा दाखिल करना आवश्यक है वहाँ इस कोष को अनिवार्य बना दिया गया है।

विधेयक के खण्ड 18 के अंतर्गत कोष की सदस्यता को अनिवार्य बना दिया गया है। एक प्रश्न उठाया गया है और जिसने कई सदस्यों को क्षुब्ध किया है कि तीस वर्षों में मात्र 30 हजार रुपये स्पष्टत: अपर्याप्त राशि है। यदि हम इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए विधान को देखें कि किन उद्देश्यों के लिए रुपये खर्च किए जाएंगे, धारा 19 के अंतर्गत ये रुपये अनुग्रह भुगतान के रूप मे उन बीमारियों और रोगों के लिए दिया जाता है जहाँ उपचार आवश्यक है। धारा 21 के अंतर्गत वकालत का व्यवसाय बन्द करने पर रुपये दिये जायेंगे। हमने अधिकतर राज्यों के विधानों की अनुसूचियों को जाँचा और उनमें से अधिकांशत: की अनुसूचियाँ लगभग समान हैं। लेकिन ये अनुसूची, जैसा कि श्री जोस ने सही टिप्पणी की कि अनिवार्य अनुसूची नहीं होगी और हमें विधि में संशोधन करना होगा। इसलिए, हमने अखिल भारतीय पद्धति शामिल की है और वो अनुसूची मात्र सीमित भुगतान के लिए है। यह इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ भुगतान नहीं है। मैं स्पष्ट करूंगा कि भुगतान क्या-क्या हैं। हमने, खण्ड 32 के अंतर्गत एक उपबन्ध बनाया है, जैसाकि श्री जोश ने कहा, प्रैक्टिस बन्द करने पर, यदि 30,000 रुपये हैं, तो धनराशि की उपलब्धता और न्यासी समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार इस राशि को में फेर-बदल कर सकती है। इसलिए राजकोष में धन की उपलब्धता के आधार पर इस राशि में कार्यकारी अधिसूचना द्वारा संशोधन किया जा सकता है तथा न्यासी समिति की सिफारिश पर ऐसा करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। लेकिन यह सम्पूर्ण भुगतान नहीं है जिसे दिखाया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह उपबन्ध कहाँ है? ...*(व्यवधान)* इसे आपको लाना होगा ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: महोदय, बड़ी संख्या में विधान में या तो अनुक्रमणिका बना कर या अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार विधान द्वारा प्रदान किया गया है। खण्ड 32(1) सुस्पष्टत: कहता है:

> "समुचित सरकार द्वारा न्यासी समिति की सिफारिशों पर और विधि में रकम की उपलब्धता पर सम्यक विचार करते हुए, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट दरों में संशोधन कर सकती है।"

यह शक्ति विधेयक में ही प्रदत्त है।

[श्री अरुण जेटली]

सबसे मुख्य बात यह है कि वकालत व्यवसाय के बन्द करने पर दी जाने वाली धनराशि या अनुग्रह राशि दो आनुषंगिक भुगतान हैं। यदि आप कृपया खण्ड 24 पर नजर डालें तो जीवन बीमा के माध्यम से, चिकित्सा संबंधी और शिक्षा संबंधी लाभों के माध्यम से धनराशि का भुगतान करने का प्रावधान है; और किताबों की खरीद के लिए भी धनराशि दी जाएगी इसके लिए पुस्तकों के क्रय की योजना का उपबंध है।

माननीय सदस्य उस सय बिल्कुल सही थे जब उन्होंने कहा कि इस निधि का सर्वाधिक उपर्युक्त लाभार्थी उसे होना चाहिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है और वो अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ता हैं। इस निधि का दस प्रतिशत प्रत्येक राज्य के जिला बार एसोसिएशन में सार्वजनिक सुविधाओं के ऊपर खर्च किया जाएगा जिससे अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि बढ़ जाएंगी। यह किसी राज्य के विधान में नहीं है, लेकिन हमने पहली बार ऐसा उपबन्ध किया है। धारा 24, न्यासी समिति जैसा निर्णय दे, उन अन्य सभी उद्देश्यों के लिए राशि उपलब्ध कराता है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, कृपया एक मिनट के लिए रुकें। माननीय सदस्यों, वास्तव में, 4 बजे हमें नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारम्भ करनी है। यदि सभा सहमत हो तो हम इस विधेयक को पारित करने के पश्चात् नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: सहमत हैं।

श्री अरुण जेटली: धारा 24 के अंतर्गत, निधि की उपलब्धता के आधार पर योजना बनाने का भी उपबंध है। अधिनियम में दर्शाए गए क्षेत्रों में से एक धारा 18 में यह है कि मृत्यु होने पर निधि के अंतर्गत बीमा पॉलिसी और सामान्य पालिसी दोनों से ही और उपलब्ध राशि से, मृतक अधिवक्ता के संबंधियों को धनराशि दी जाएगी जिसके लिए उसे धारा 18 के अंतर्गत नामांकन करना होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: प्रीमियम का क्या होगा? क्या यह वैयक्तिक प्रीमियम है या सामूहिक प्रीमियम? क्यों नहीं इसे सामूहिक प्रीमियम रखा जाए?

श्री अरुण जेटली: योजना में प्रीमियम शामिल है।

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, आप इयरफोन का प्रयोग नहीं कर रहे। कृपया इयरफोन का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि कुछ समस्या है।

श्री पवन कुमार बंसल: जीवन बीमा निगम से कुछ प्रीमियम निधि को मिलेगा।

श्री अरुण जेटली: जी, हाँ। आपने ठीक कहा। यह सार्वजनिक सुविधा है। बीमा किया जाएगा। नामांकन किया जाएगा। निधि में राशियाँ जमा होंगी और चिकित्सा संबंधी सहायता तथा नए अधिवक्ताओं के लिए किताबों की सुविधाओं के अतिरिक्त एक ऐसी योजना होगी जिसके अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में, कुल अधिशेष राशि जिसमें सामूहिक बीमा पॉलिसी से निधि को प्राप्त धनराशि शामिल है, उस 30,000 रु. से भिन्न है जो व्यवसाय के बन्द करने पर संदाय है तथा इसे मृतक के संबंधियों को दिया जाएगा। ये वो आंकड़ा है जिसे हमने दर्शाया है, जो बढ़ भी सकता है। इस प्रकार, सुविधाओं, सहायता का उपबन्ध है जो नए अधिवक्ताओं, जरूरतमंदों के लिए है। अनुग्रह राशि और मृत्यु होने की दशा में उसके संबंधियों को चिकित्सा सहायता राशि देने का उपबंध है और यह पूरा पैसा जहाँ तक निधि का संबंध है उस कोष से आता है जिसकी संकल्पना हमने विधेयक में की है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: ये समर्थकारी उपबंध हैं जिनका न्यासी समिति उपयोग करेगी। बात केवल यह है कि यदि पैसा होगा तब वो ऐसा कर सकेंगे।

श्री अरुण जेटली: मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का जो भी उन्होंने कहा उसके लिए बड़ा आभारी हूँ। इसलिए, हमने विभिन्न राज्यों के अनुभव का अध्ययन करके यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यता को अनिवार्य बनाना आवश्यक है जिससे वे अनिवार्यत: स्टाम्प लें क्योंकि यही पर कुछ राज्य विधान पूर्णत: लागू नहीं किए जा सकते। हमने उन परीक्षणों का अध्ययन किया है। हमने देश भर में लोगों से विचार-विमर्श किया है, हमने परीक्षणों में भाग लिया है। हमने बार काउंसिल से विचार-विमर्श किया है। इस पर हमने विधि आयोग से विचार विमर्श किया है। इसलिए, इस मुद्दे का मुख्य विषय यह है कि उस व्यक्ति को सहायता मिलनी चाहिए जिसे सबसे ज्यादा आवश्यकता हो। कुछ अनिवार्य दिशानिर्देश द्वारा निधि कोष को बढ़ाया जा सकता है। रुपये को कहाँ खर्च किया जा सकता है उसे आप सांविधिक तौर पर दर्शा सकते हैं। यह 30,000 रुपये वैसा क्षेत्र है जहाँ ये दिया जा सकता है। यह परिवर्तनीय रकम है जो निधि की उपलभ्यता पर निर्भर करता है। यह वह राशि है जिसे दर्शाया गया है। कुछ खास श्रेणी के लोग हैं जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बारे में एक बिन्दु उठाया गया था। केवल दो बातों को निधियों से बाहर रखा गया है। उनके बीमा पालिसियों इत्यादि को जिसमें वे अंशदान देते हैं, बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि अपने अंशदानों के कारण वे इस लाभ के अधिकारी बन जाते हैं। धारा 19, 21 और धारा 24 के कुछ लाभों से ही उन्हें बाहर रखा गया है।

ये कुछ क्षेत्र हैं जिनमें मैंने राज्य के विधानों में सुधार लाने का प्रयास किया है। उनमें से एक क्षेत्र अनिवार्य है। एक क्षेत्र आम सुविधाएं हैं जिसके लिए अंशदान देना होगा। एक क्षेत्र नए प्रवेशियों को पुस्तकालय इत्यादि मामले में सहायता देना है। जिन कल्याणकारी उपायों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, वास्तव में यह उनमें से एक है। जिस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार अथवा संसद यह सुविधाजनक विधेयक लाई है जो इस धनराशि के स्त्रोतों की व्यवस्था करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग अधिकतम लाभ के हकदार हैं, उन्हें इन निधियों में से वह लाभ मिले।

महोदय, एक आपत्ति की गई थी अथवा एक सुझाव दिया गया था कि किस धारा के अंतर्गत मुवक्किल पर धनराशि अदा करने का भार डालने के बजाय अनिवार्य रूप से अधिवक्ता द्वारा स्वयं उस धनराशि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाए। इस मामले पर अनेक टिप्पणियाँ की गई हैं और इस संबंध में सदस्यों द्वारा अनेक संभावित मुश्किलों के बारे में आशंका जताई गई है।

जहाँ तक इस देश का संबंध है, हमने उस पैटर्न का अध्ययन किया है। राज्य विधायिकाओं द्वारा तैयार और पारित अधिकांश विधानों में जिन्हें कार्यान्वित किया गया है, इसी प्रकार का संगत प्रावधान है। कम से कम आज तक इस क्षेत्र में कार्यान्वित राज्य विधानों में किसी समान स्वरूप वाले उपबंध में ऐसी किसी प्रकार की समस्या महसूस नहीं की गई, जैसा कि श्री खंडेलवाल ने आशंका व्यक्त की है।

महोदय, हमारा प्रयास सुविधा प्रदान करने वाला एक विधान लाने का था। मैं इस सभा के उन माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूँ जिन्होंने इस विधान को लगभग सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान किया है। अधिकांश सुझाव इसमें शामिल किये जा चुके हैं और यदि इसके कार्यान्वयन में अथवा कार्यान्वित किये जाने के उपरांत उसमें सुधार करने संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो मुझे विश्वास है कि यह सभा उसका समाधान कर देगी ...*(व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक प्रश्न उठाया है। मैंने पश्चिम बंगाल सहित अनेक अधिनियमों का अध्ययन किया है। यह अपील राज्य की पूरी बार काउंसिल से की गई है। अब, यह प्रश्न उठाया गया है कि इस न्यास के कौन-कौन से सदस्य होंगे। यह सच है कि इस न्यास में महाअधिवक्ता, राज्य सरकार के दो अधिकारी, बार-काउंसिल के अध्यक्ष तथा सचिव और बार-काउंसिल द्वारा नामित दो अन्य सदस्य होंगे। यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें मुख्य तौर पर वकील समुदाय का ही प्रतिनिधित्व होगा। अपील बार-काउंसिल को संबोधित की जायेगी। इसके नियम बनाने पड़ेंगे। ये नियम यह भी स्पष्ट कर सकेंगे कि मूल निर्णय लेने के समय जो इसके सदस्य थे, वे अपील न्यायाधिकरण वे सदस्य नहीं होंगे। श्री राधाकृष्णन ने एक सुझाव यह दिया था कि उसमें बार संगठन के दो सदस्य होने चाहिए। मैंने राज्यों में इसके बारे में किये गये प्रयोग का अध्ययन किया है। अधिकांश राज्यों में उन्होंने यह व्यवस्था इसलिए नहीं की क्योंकि प्रत्येक राज्य में असंख्य बार-एसोसिएशन होती हैं। वहाँ जिला स्तर, तहसील स्तर और उच्च न्यायालय स्तर पर बार-एसोसिएशन होती हैं। हम किस एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे? यह क्षेत्र कभी भी शक के दायरे से मुक्त नहीं होगा। चूँकि बार काउंसिल एक है और वह भी विधिक निकाय है अतः बार-काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया है।

महोदय, मैं सदस्यों का आभारी हूँ। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूँ कि वह इस विधेयक को मंजूरी प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिवक्ताओं के फायदे के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करेगी।

खण्ड 2-परिभाषाएँ

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3-अधिवक्ता कल्याण निधि

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा खण्ड-3 में संशोधन हेतु संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 26 और 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(घ) समुचित सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये से अन्यून रकम;" (2)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा खंड 3 में संशोधन हेतु प्रस्तुत संशोधन सं. 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4–न्यासी समिति की स्थापना

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा विधेयक के खण्ड 4 में संशोधन हेतु संशोधन सं. 3 प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 23 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

''(ज) दो अधिवक्ता, जो राज्य बार एसोसिएशन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे'' – सदस्य (3)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा खंड 4 में संशोधन हेतु प्रस्तुत संशोधन सं. 3 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 27–वकालतनामों पर स्टाम्प का लगा होना

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा खण्ड 27 में संशोधन हेतु संशोधन 4 प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 12, पंक्ति 33,–

''अधिवक्ता'' के पश्चात् ''जिसने निधि से बाहर रहने की इच्छा व्यक्त की है'' प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा खंड सं. 27 में संशोधन हेतु प्रस्तुत संशोधन सं. 4 को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 28 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची I

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, क्या आप अनुसूची I में संशोधन सं. 5 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 17, पंक्ति 5 से 34 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

30,000 रुपये के स्थान पर 3,00,000 रुपये

29,000 रुपये के स्थान पर 2,29,000 रुपये

28,000 रुपये के स्थान पर 2,80,000 रुपये

27,000 रुपये के स्थान पर 2,70,000 रुपये

26,000 रुपये के स्थान पर 2,60,000 रुपये

25,000 रुपये के स्थान पर 2,50,000 रुपये

24,000 रुपये के स्थान पर 2,40,000 रुपये

23,000 रुपये के स्थान पर 2,30,000 रुपये

22,000 रुपये के स्थान पर 2,20,000 रुपये

21,000 रुपये के स्थान पर 2,10,000 रुपये

20,000 रुपये के स्थान पर 2,00,000 रुपये

19,000 रुपये के स्थान पर 1,90,000 रुपये

18,000 रुपये के स्थान पर 1,80,000 रुपए

17,000 रुपये के स्थान पर 1,70,000 रुपये

16,000 रुपये के स्थान पर 1,60,000 रुपये

15,000 रुपये के स्थान पर 1,50,000 रुपये

14,000 रुपये के स्थान पर 1,40,000 रुपये

13,000 रुपये के स्थान पर 1,30,000 रुपये

12,000 रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये

11,000 रुपये के स्थान पर 1,10,000 रुपये

10,000 रुपये के स्थान पर 1,00,000 रुपये

9,000 रुपये के स्थान पर 90,000 रुपये

8,000 रुपये के स्थान पर 80,000 रुपये

7,000 रुपये के स्थान पर 70,000 रुपये

6,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये

5,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये

4,000 रुपये के स्थान पर 40,000 रुपये

3,000 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये

2,000 रुपये के स्थान पर 20,000 रुपये

1,000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये (5)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा अनुसूची I में संशोधन हेतु प्रस्तुत संशोधन सं. 5 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची I विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची I विधेयक में जोड़ दी गई।

अनुसुची II खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.16 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखरवार्ता

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि विदेश मंत्री किस समय आज इस चर्चा में भाग लेंगे? हमारे पास सूची में बहुत से वक्ता हैं। हम उन्हें कम कर सकते हैं। हम सत्ता पक्ष से यह जानना चाहेंगे कि विदेश मंत्री वाद-विवाद में किस समय भाग लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: सूची में सात वक्ता हैं और उनका नाम आठवें स्थान पर है।

डा. विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, समय का निर्धारण सभा में किसी दल के सदस्यों की संख्या के आधार पर किया गया था। यदि समय पहले ही ले लिया गया है, तो वक्ताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अन्यथा, वक्ता बोलना चाहेंगे किन्तु यह निर्धारित समय के अनुसार ही होना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि विदेश मंत्री आज वाद-विवाद में भाग लेंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: हम समय के अनुसार ही चल रहे हैं। सायं 5.30 बजे के लगभग माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं। अब मैं श्री अली मोहम्मद नायक को बोलने का समय देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): जनाब स्पीकर साहब, जम्मू-कश्मीर के लोगों का जहां तक ताल्लुक है, वे वजीरे आज़म की उन कोशिशों की सराहना करते हैं जिनके द्वारा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना ताल्लुकात बनाने और भाईचारा बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर के लोग अमन के हक में हैं और वे इसलिए भी अमन के हक में है क्योंकि रियासते

[श्री अली मोहम्मद नायक]

जम्मू-कश्मीर में रोजाना बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और जो मिलीटेंट्स हैं उन्होंने रियायत के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्राय कर दिया है।

अपराह्न 4.18 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

उसके अलावा हमारे दो लाख कश्मीरी पंडित, हमारे हिन्दू भाई अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। न केवल कश्मीरी पंडित, हिन्दू भाई बल्कि सिख और मुसलमान भी लाखों की तादाद में कश्मीर से बाहर आने के लिए मजबूर हुए हैं इसलिए कि उनकी जान और इज्जत को खतरा दिखाई दे रहा था। वे लोग अपने ही मुल्क में मुजाहिर हैं या रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं।

स्पीकर साहब, तीसरी बात यह है कि जो हालात रियासते जम्मू-कश्मीर में चल रहे हैं उनमें मुकम्मल डिवेलपमेंट मुमकिन नहीं है। इसलिए रियासते जम्मू-कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में अमन और दोस्ती कायम हो ताकि हम इज्जत और आबरू को सुरक्षित रख कर रियासत के अंदर अपनी गुजर-बसर कर सकें। जब मिलीटेंट्स की बात आती है, तो हिन्दू और मुसलमान की बात कही जाती है। मैं मुकद्दस ऐवान से गुजारिश करूंगा कि इन्नोसेंट किलिंग्स को आप हिन्दू और मुसलमान का सवाल न बनाएं।

मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे यह बता दें कि पिछले दस सालों में रियासत के अन्दर कितने हिन्दू-मुसलमान मिलिटेंट्स ने मारे। वहां हिन्दू भी मरे हैं, सिक्ख भी मरे हैं, जो यात्रा पर गए, वे भी मरे हैं या उनके साथ जो मुसलमान मजदूर थे, उनको भी मारा है। मिलिटेंट्स के पास मजहबी लिहाज नहीं है, वे हर आदमी के मारते हैं, जो लगता है कि हिन्दुस्तानी है, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो। अभी अरमनाथ यात्रा पर यात्रियों को मारा गया, हम पुरजोर शब्दों में मजम्मत करते हैं। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हिन्दुस्तान का मुसलमान इस्लाम नहीं जानता है, हम यह मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान जेहाद कर रहा है। हमको जेहाद के मायने पता है, हम को यह भी पता है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम कहता है कि बेगुनाह को मारना निहायत ही जुर्म है। जो कुछ इस्लाम में किया जा रहा है, इसके इस्लाम का नाम देकर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। मजहबी दहशत पैदा करके मुल्क में अपने लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और इसको आजादी की लड़ाई का नाम दे दिया जाए। कौन सी आजादी, कैसा आजादी, आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिली। हिन्दुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, हम आजाद हुए और 15 अगस्त के बाद जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान के साथ गया, उस समय हिन्दुस्तान में दो पोलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हिमायत करता था कि जो राजा-महाराजा करेंगे, वह हमको मन्जूर हैं, लेकिन कांग्रेस का यह नजरिया था कि जो लोग करेंगे, वही मन्जूर है। इसलिए जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंश का कांग्रेस के साथ नजदीक का रिश्ता रहा। हमारे ख्यालात, जजबात एक जैसे थे और यही वजह है कि पं. जवाहरलाल नेहरू को जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने कोहाला ब्रिज पर गिरफ्तार किया। यह तारीकी हकीकत हैं, इनको भुलाया नहीं जा सकता है। महाराजा ने हिन्दुस्तान के साथ जाने का फैसला किया, जो पाकिस्तान के नजरिये के खिलाफ था, तो उनको मिर्चें क्यों लगती है। मैं सरकार से गुजरिश करूंगा कि आपकी जो पालिसी है, वह काश्मीर के बारे में कन्सिसटेंट पालिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को एक पालिसी, सुबह दूसरी और तीसरे दिन तीसरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मिलिटेंसी का मुकाबला करना है, तो इसको हिन्दू-मुसलमान का सवाल मत बनाइए। परसों दूरदर्शन पर मैं न्यूज सुनकर हैरान हुआ, काश्मीर में 13 यात्रियों को मारा गया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मरने वालों में सात हिन्दू थे या पांच यात्री थे या एक जम्मू स्टेट का हिन्दू था। अगर इस तरह की खबर लोगों के सामने आती, मुल्क के सामने आती, तो लोगों को असली बात का पता लगता कि सिर्फ हिन्दू ही नहीं मारा जा रहा है, मुसलमान भी मारा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में हिन्दू भी मर रहा है, यह पता होना चाहिए। पाकिस्तान की पालिसी यह है कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं को मारकर जम्मू-कश्मीर से हिन्दुओं को निकाला जाए। मैं कहना चाहता हूं कि वहां से हिन्दुओं को निकालना उनकी साजिश है, उनकी सोच है। हमें इसका मुकाबला हिन्दू-मुसलमान के नाम से नहीं करना है, बल्कि इसका मुकाबला सब हिन्दुस्तानियों ने मिलकर, चाहे वह इधर है या उधर है, सबने मिलकर करना है। काश्मीर में जब हिन्दू मरता है, तो सोनिया जी तशरीफ ले जाती हैं, कांग्रेस का डैलीगेशन जाता है, सरकार का डैलीगेशन जाता है, मैं इसको एप्रीशिएट करता हूं। हमारे जाने से मरने वाले जिन्दा नहीं हो जायेंगे, लेकिन उन लोगों को लगेगा कि सारा हिन्दुस्तान हमारे पीछे खड़ा है। लेकिन मैं इस एवान से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

अपराह्न 4.25 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

राजौरी में 15 मुसलमान बकरवालो को मिलिटेंट ने मारा, गर्दन काटी, फिर मकानों को आग लगा दी तो क्या इस ऐवान का कोई मुअज्जीस मेम्बर उसे देखने गया, कोई नहीं गया। कश्मीर के मुसलमानों को आप क्या संकेत दे रहे हैं? जिसकी वहां मेजोरिटी है, उसे आपने क्या सिगनल दिया? उसके बाद फिर राजौरी में मुसलमान मारे तो कौन गया? इस ऐवान का कोई मेम्बर नहीं गया। अलबत्ता बाद में अखबारों में खबर आई-आईजी, एमओएफ होम, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं। वह आठ दिनों के बाद तशरीफ ले गए। कश्मीर के मुसलमानों को आप क्या संकेत देना चाहते हैं? खुदा के लिए आप इसे हिन्दू-मुसलमान का सवाल न बनाइये। मैं इसे कंसीस्टेंट पॉलिसी क्यों कहता हूं। उन्होंने हुर्रियत वालों को बुलाया। प्रधान मंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुशर्रफ के आने पर खाना दिया। आपने जम्मू-कश्मीर में जो

हिन्दू-मुसलमान हैं उन्हें नहीं बुलाया। वहां कांग्रेस के बड़े-बड़े लोग हैं, जो गवर्नर भी रहे हैं और सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं–गुलाम रसूलकार, सैयद मीर कासिम, शबीर कुरेशी गवर्नर रहे हैं, क्या आपने उन्हें खाने पर बुलाया? पाकिस्तान को पता लगता कि कश्मीर में मुसलमान कहां खड़े हैं। आपने मुझे नहीं बुलाया। आपने किसी को बुलाया, किंतु मुझे नहीं जो जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधि है। मौलाना इफ्तिखार हैं। हमारे मौलवी हैं, जो प्रो इंडिया हैं, जिनके पीछे लाखों लोगों की तादाद खड़ी है आपने उन्हें नहीं बुलाया। आपने केवल उन्हीं कश्मीरी पंडितों को बुलाया जो कश्मीरी पंडितों के लिए अलग होम लैंड चाहता है। कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं जनता दल के कम्युनिस्टों के मुसलमान हैं, जो असेम्बलियों के मेम्बर हैं, आपने उन्हें नहीं बुलाया। आप पाकिस्तान को क्या सिगनल देना चाहते हैं? अगर आपने बुलाया होता तो हर टेबल पर कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के साथ बैठता और हम उन्हें बता देते कि तुम कौन सा जेहाद चला रहे हो, हमें ये जेहाद मंजूर नहीं, इसे अपने पास रखो। आप लोगों को धोखा दे रहे हो। आप हुर्रियत के साथ बात करते। आप कभी कहते हो कि हुर्रियत ही सब कुछ है और कभी कहते हो कि वह कुछ नहीं। आपने हुर्रियत को पाकिस्तान भेजने की तैयारी भी की, पासपोर्ट इश्यु कराया। अगर वे गए होते, आप कहते हैं कि नहीं जाएंगे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। आप हरेक से बात करिए। कश्मीर में उन्हें घुसाने में हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपकी हुर्रियत से क्या बात हुई? वे कहते हैं कि कश्मीर को हिन्दुस्तान से निकाल कर पाकिस्तान ले जाओ। आप उन्हें पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, क्यों? जम्मू-कश्मीर रियासत की ट्राईफरकेशन का एक नारा चलता है–जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्सों में तकसीम करो–बौद्ध-लद्दाख, मुसलमान-कश्मीर, हिन्दू-जम्मू। कुछ पोलिटिकल पार्टी के लोग यहां भी बैठे हैं। यहां भी उनके लोकल यूनिट आज इसका सपोर्ट कर रहे हैं। लद्दाख-जम्मू को अलग कर रहे हैं। तो, कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को रखने का आपके पास क्या अधिकार हैं?

[अनुवाद]

क्या आप पाकिस्तान का खेल, खेल रहे हैं? क्या आप द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का खेल खेल रहे हैं?

[हिन्दी]

आप ट्राइफरकेशन कैसे कहते हैं? अगर आप ट्राइफरकेशन कहते हैं तो जम्मू में छः जिले हैं। तीन जिले मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, आपको वे तीनों जिले छोड़ने पड़ेंगे। क्या आप डिवीजन करने जा रहे हैं?

मेरी गुजारिश है कि आपकी एक कंसीस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। जितनी पोलिटीकल पार्टियां हैं उन सब ने प्रधान मंत्री जी को पूरा सपोर्ट दिया कि वह मुशर्रफ से बात करें। जब उन्होंने बात की तो सब पार्टियां थीं, मैं भी था। हमने कहा कि आप बात चालू रखें। अगर हमने प्रधान मंत्री जी को यह आथोरिटी दी तो फिर इस हाउस में किस बात पर डिसकशन हो रहा है। मैं खुश हूं कि कोई ज्वाइंट कम्युनिके इश्यु नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई ज्वाइंट कम्युनिके इश्यु होता है तो कश्मीर का आधा हिस्सा, कोई न कोई हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है।

शुक्र है वह इश्यू ही नहीं हुआ और हम कुछ और देने से बच गये। लेकिन पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की बात हुई तो किसको फायदा हुआ। उनको फायदा हुआ जो अमन चाहते हैं, जो दोनों देशों में दोस्ती चाहते हैं। आप पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं लेकिन आप कश्मीरियों से बात क्यों नहीं करते हैं? आपको जम्मू-कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए, उनका एतराम आपको करना चाहिए।

इस 50 साल के अर्से में कश्मीर में जो एलीनेशन हुआ, यह किसने कराया? लोग अलग क्यों हैं? मैं अलग-थलग नहीं हूँ। लोग अलग महसूस क्यों करें? आपने जम्मू-कश्मीर में जम्हूरियत को पनपने नहीं दिया। आपने वहां के वजीरे-आज़म, जिसको असेम्बली में अक्सीरियत हासिल थी, आधी रात में अंधेरे में पकड़ लिया और सुबह आर्डर निकाला, उसको डिसमिस किया और 22 साल जेल में रखा। बाद में बख्शी साहब को लाए। उसको भी डिसमिस किया, उसको भी जेल में डाला। फिर शेख साहब को दुबारा लाए। उनसे एग्रीमेंट हुआ। फिर 6 महीने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। शेख साहब ने इलेक्शन लड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि 1953 के बाद कश्मीर में मोरारजी देसाई जी ने सबसे बड़ा ईमानदाराना इलेक्शन कराया और उस इलेक्शन में जितने लीडर आज बने घूमते हैं इनका नामोनिशान ही मिट गया था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, सबने नेशनल कांफ्रेंस का साथ दिया। आपने फारूख अब्दुल्ला को दो बार डिसमिस कर दिया। आज फिर आवाज उठती है कि फारुख साहब को डिसमिस करो। क्या उनके डिसमिसल से कश्मीर का मसला हल हो जाएगा और मिलीटेंसी खत्म हो जाएगी तो मैं खुद उनको इसका मशविरा दूंगा। कभी कहते हैं कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दो। अगर उनके इस्तीफे से मसला हल होता है, मिलिटेंसी खत्म होती है तो मुझे उनके इस्तीफे पर कोई एतराज नही है।

तीसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान के लोगों से बात करना चाहते हैं तो कश्मीरी लोगों से बात क्यों नहीं करना चाहते? हमारे अहसासात को देखें। यह कश्मीरियों के दिल की बात है जो मैं इस एवान में रखना चाहता हूं। आपने कश्मीर में जम्हूरियत को पनपने नहीं दिया। आपने वहां की आर्थिक तरक्की नहीं की, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। आप देखें कि इन 50 सालों में आपने कितने मुसलमानों को सेंट्रल सर्विसेज में नौकरी दी। आपने

[श्री अली मोहम्मद नायक]

उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मेरा कहना है कि आप उनको अपनी छाती से लगा लीजिए, वे आपके हैं। आप कश्मीरियों की आर्थिक तरक्की कीजिए, एम्पलॉयमेंट दीजिए। आप हमको पैसा देते हैं और वह तब देते हैं जब सीजन खत्म हो जाता है। आपने पैसा रिलीज कर दिया, अब वहां बर्फ होगी तो काम नहीं होगा। ऐसा कैसे चलेगा? प्लॉन सैंक्शन होता है तो चौथे दिन चिट्ठी पहुंच जाती है कि इतना रुपया कट गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। यह मेरे और कश्मीरियों के दिल की बात है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आपको कश्मीरियों के जो इश्यूज हैं उनको समझना चाहिए। जब हम आपके साथ आए तो आपने उसे कुछ गारंटीज दीं। आपने उसे इंटरनल एटानॉमी दी। बाद में आहिस्ता-आहिस्ता उसको खा गये? आज होम-मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब हम स्टेटों को उनका हिस्सा देंगे, उस समय कश्मीर के बारे में भी सोचेंगे, कश्मीर के बारे में सैपरेट क्यों सोचेंगे? बाकी स्टेट हिन्दुस्तान के साथ मुदगम (मर्ज) हो गये, हम मुगदम (मर्ज) नहीं हुए। हम भारत के साथ एक समझौते पर सहमत हो गए थे। हमने आपको तीन चीजें दी हैं तीन चीजों के बाद बाकी चीजें हमने अपने पास रखी हैं तो आपको क्या तकलीफ है यदि वे हमारे पास हैं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन, इलैक्शन कमीशन जुरिसडिक्शन और उसके बाद जुरिसडिक्शन्स कश्मीरियों को सूट नहीं करती हैं।

[अनुवाद]

हमें यह निर्णय करना है कि यह हमारे अनुकूल है या नहीं। हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए।

[हिन्दी]

बात यह है कि आप हुर्रियत से बात करना चाहते हैं जो कश्मीर को हिन्दुसतान से निकालना चाहता है। आप जेकेएलएफ से बात करना चाहते हैं जो आजादी की बात करता है। आप नेशनल कांफ्रेंस को इग्नोर करना चाहते हैं जो जम्मू-कश्मीर को हिन्दुस्तान में रखना चाहता है। हमने इलैक्शन लड़ा। हमने इलैक्शन में वहां के लोगों से साफ कहा कि हम इंटरनल ऑटोनॉमी दिलाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जाएगा। हम उस नारे को लड़ कर यहां आए। आप दफ्तर में बैठ कर कहते हैं कि हमें आपकी बात मंजूर नहीं।

[अनुवाद]

आप इस पर हमसे चर्चा कीजिए। यदि वे कुछ ऐसा कहें जो देश के हित के विरुद्ध हो तो इन सुझावों को समुद्र में फेंक दीजिए, यदि वे ऐसा कहते हैं जो देश के हितों और उसकी एकता के लिए है, तो आप उससे सहमत क्यों नहीं हैं?

[हिन्दी]

आप इसे क्यों नहीं मानेंगे? आपको यह बात माननी चाहिए। आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे कश्मीरियों को लगे कि हमें अपने छाती से ये लोग लगाने के लिए तैयार हैं। आज वहां मिलिटैंसी है। वहां सिक्योरिटी फोर्सिज काम कर रही है लेकिन वे बड़ी ज्यादती करते हैं। कृपया यह कार्यवाही प्रारंभ कीजिए। वहां बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। आज आप शोर कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सिज ने अनन्तनाग में 5-6 मुसलमानों को यह कह कर मारा कि वे मिलिटैंट्स थे लेकिन जब पता लगा कि वे मिलिटैंट्स नहीं थे तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जबकि कुछ मामलों में हाई कोर्ट की यह डायरैक्शन है कि उन अफसरों को पेश किया जाए लेकिन आपने किसी अफसर को पेश नहीं किया। इससे एक-आध अफसर बेइज्जत हो सकता है लेकिन कश्मीर के जहन में यह बात आएगी कि इतने बड़े मुल्क में हमें इन्साफ मिला। आप कश्मीरियों को यह यकीन दिलाइए कि आपको इस मुल्क में इन्साफ मिलेगा। इससे वे लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे चाहे 50 बार पाकिस्तान हमारे खिलाफ लड़े। इस चीज को आप देखिए। शाम के समय वहां से लोग गायब हो जाते हैं। उन्हें उठा लिया जाता है। फिर उनका कोई अता-पता नहीं चलता। ये चीजें बंद होनी चाहिए।

मैंने जैसा पहले कहा कि आप हमें एक पैकेज दें और हमारे मसले हल करें। वहां इन्नोसैंट किलिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सिज मिलिटैंट्स से निपटे और उन्हें पनाह देने वालों के साथ निपटे। किसी भी हाल में निर्दोष व्यक्तियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत होती है। आप हमें लड़ने के लिए हथियार दीजिए। आप हमें हथियार नहीं देंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? मेरी गुजारिश है कि आप कश्मीरियों के दिलों की आवाज को समझिए और सुनिए। दोनों तरफ के लोगों से मेरी गुजारिश है कि कश्मीर में दो लाख कश्मीरी पंडितों का होमलैंड कायम करने का जो नारा चला है, आप इसका साथ बिल्कुल न दें। यह विभाजन में एक और विभाजन है। इसे कोई नहीं चाहता। कश्मीरी पंडित हमारे देश के पार्ट एंड पार्सल हैं। वह हमारे खून और गोश्त का हिस्सा हैं। यदि आप पाकिस्तान की चाल को डीफिट करना चाहते हैं तो आप कश्मीर से निकले हिन्दुओं को एडवाइज करिए कि वे वापस आ जाएं। यदि वहां 10 लोग मर रहे हैं तो वे मुल्क के लिए मर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि वह बताएं कि कितने मुसलमान कश्मीर में मारे गए? क्या वे इसलिए मर गए क्योंकि वे हिन्दुस्तानी हैं। हमारे एक दर्जन एक्स एमएलए मारे गए, हमारा एक मिनिस्टर मारा गया। उन्हें कौन देखने आया? हम नहीं चाहते कि आप से इसके लिए पैसा मिले। इससे एक यूनिटी दिखाई देती है कि मुल्क हमारे पीछे खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर की अमन की कोशिशों का मैं साथ देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं।

جناب علی محمد نایک (اننت ناگ) : جناب اسپیکر صاحب، جموں وکشمیر کے لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ وزیرِ اعظم کی ان کوششوں کی سراہنا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ دوستانہ تعلقات بنانے اور بھائی چارہ بڑھانے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ امن کے حق میں ہیں اور وہ اسلئے بھی امن کے حق میں ہیں کیونکہ ریاست جموں کشمیر میں روزانہ بے گناہ لوگ مارے جارہے ہیں اور جو ملیٹینٹس ہیں انہوں نے ریاست کے اندر پچھلے ۱۰ سالوں میں جو بیسک اسٹرکچر ہے، اسکو ڈسٹرائے کردیا ہے۔

1618. **(ڈاکٹر رگھوونش پرساد سنگھ رونق افروز ہوئے)**

اسکے علاوہ ہمارے دو لاکھ کشمیری پنڈت، ہمارے ہندو بھائی اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ نہ صرف کشمیری پنڈت، ہندو بھائی بلکہ سکھ اور مسلمان بھی لاکھوں کی تعداد میں کشمیر سے باہر آنے کے لئے مجبور ہوئے ہیں اسلئے کہ انکی جان اور عزت کو خطرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے ہی ملک میں مہاجر ہیں یا رفیوجی بن کر رہ گئے ہیں۔

اسپیکر صاحب، تیسری بات یہ ہے کہ جو حالات ریاست جموں کشمیر میں چل رہے ہیں ان میں مکمل ڈولپمینٹ ممکن نہیں ہے۔ اسلئے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں امن اور دوستی قائم ہوتا کہ ہم عزت اور آبرو کو حفاظت سے رکھ کر ریاست کے اندر اپنی گذر بسر کرسکیں۔ جب ملیٹینٹس کی بات آتی ہے، تو ہندو اور مسلمان کی بات کہی جاتی ہے۔ میں مقدس ایوان سے گذارش کرونگا کہ انٹوسینٹ کیلینگ کو آپ ہندو اور مسلمان کو سوال نہ بنائیں۔

میں ہوم منسٹر صاحب سے گذارش کروں گا کہ وہ یہ بتادیں کہ پچھلے دس سالوں میں ریاست کے اندر کتنے ہندو مسلمان ملیٹینٹس نے مارے۔ وہاں ہندو بھی مرے ہیں، سکھ بھی مرے ہیں، جو یاتراپر گئے، وہ بھی مرے ہیں یا ان کے ساتھ جو مسلمان مزدور تھے، ان کو بھی مارا ہے۔ ملیٹینٹس کے پاس مذہبی لحاظ نہیں ہے، وہ ہر آدمی کو مارتے ہیں، جو لگتا ہے کہ ہندوستانی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو۔ ابھی امرناتھ یاتریوں کو مارا گیا، ہم پرزور الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان اسلام نہیں جانتا ہے، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان جہاد کررہا ہے۔ ہم کو جہاد کے معنی پتہ ہے، ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بے گناہ کو مارنا نہایت ہی جرم ہے۔ جو کچھ اسلام میں کیا جارہا ہے، اسکو اسلام کا نام دیکر اسلام کو بدنام کیا جارہا ہے۔ مذہبی دہشت پیدا کرکے ملک میں اپنے لوگوں کو مارا جارہا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا جارہا ہے اور اسکو آزادی کی لڑائی کا نام دے دیا

جائے۔ کون سی آزادی، کیسی آزادی، آزادی تو ہمیں ۱۵/اگست کو ملی۔ ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، ہم آزاد ہوئے اور ۱۵/اگست کے بعد جموں کشمیر ہندوستان کے ساتھ گیا، اس وقت ہندوستان میں دو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، کانگریس اور مسلم لیگ۔ مسلم لیگ حمایت کرتا تھا کہ جو راجا مہاراجہ کریں گے، وہ ہم کو منظور ہے، لیکن کانگریس کا یہ نظریہ تھا کہ جو لوگ کریں گے، وہی منظور ہے، اسلئے جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کا کانگریس کے ساتھ نزدیک کا رشتہ رہا۔ ہمارے خیالات، جذبات ایک جیسے تھے اور یہی وجہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کو جموں کشمیر کے مہاراجہ نے کوہالہ برج پر گرفتار کیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، انکو بھلایا نہیں جاسکتا۔ مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، جو پاکستان کے نظریئے کے خلاف تھا، جو انکو مرچیں کیوں لگتی ہیں۔ میں سرکار سے گذارش کروں گا کہ آپ کی جو پالیسی ہے، وہ کشمیر کے بارے میں کانسیسٹینٹ پالیسی ہونی چاہئیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہئیے کہ ایک شام کو پالیسی، تو صبح دوسری اور تیسرے دن تیسری، ایسا نہیں ہونا چاہئیے۔ اگر ملیٹینسی کا مقابلہ کرنا ہے، تو اسکو ہندو مسلمان کا سوان مت بنایئے۔ پرسوں دوردرشن پر میں نیوز سُنکر حیران ہوا، کشمیر میں ۱۳ یاتریوں کو مارا گیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ مرنے والوں میں سات ہندو تھے یا پانچ یاتری تھے یا ایک جموں اسٹیٹ کا ہندو تھا۔ اگر اس طرح کی خبر لوگوں کے سامنے آتی، ملک کے سامنے آتی، تو لوگوں کو اصلی بات کا پتا لگتا کہ صرف ہندو ہی نہیں مارا جارہا ہے، مسلمان بھی مارا جارہا ہے جموں کشمیر میں ہندو بھی مر رہا ہے، یہ پتا ہونا چاہئیے۔ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کو مار کر جموں کشمیر سے ہندوؤں کو نکالا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے ہندوؤں کو نکالنا اسکی سازش ہے، اسکی سوچ ہے۔ ہمیں اس کا مقابلہ ہندو مسلمان کے نام سے نہیں کرنا چاہئیے، بلکہ اس کا مقابلہ ہندوستانیوں نے ملکر، چاہے وہ ادھر ہے یا اُدھر ہے، سب نے ملکر کرنا ہے۔ کشمیر میں جب ہندو مرتا ہے، تو سونیا جی تشریف لے جاتی ہیں، کانگریس کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، سرکار کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمارے جانے سے مارنے والے زندہ نہیں ہو جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو لگے گا کہ سارا ہندوستان ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ لیکن میں اس ایوان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔

(ڈاکٹر دیویندر پرساد یادو رونق افروز ہوئے)

راجوری میں ۱۵ مسلمان بکروالوں کو ملیٹینٹ نے مارا، گردن کاٹی۔ پھر مکانوں کو آگ لگادی تو کیا اس ایوان کا کوئی معزز ممبر اسے دیکھنے گیا، کوئی نہیں گیا۔ ~~you giving to Kashmiri~~ What you giving to kas Muslims? signal are جسکی وہاں میجورٹی ہے، اسے آپ نے کیا سگنل دیا؟ اس کے بعد پھر راجوری میں مسلمان مارے گئے تو کون وہاں گیا؟ اس ایوان کا کوئی ممبر نہیں گیا۔ البتہ بعد میں اخباروں میں خبر آئی۔

اسٹیٹ منسٹر ہوم، مجھے ان کا پورا نام یاد نہیں۔ وہ آٹھ دنوں کے بعد تشریف لے گئے۔ What signal you want to convey to the Muslims of Kashmir? خدا کے لئے آپ اسے ہندو مسلمان کا سوال نہ بنائیں۔ پاکستان نے حریت والوں کو چائے پر بلایا۔ وزیرِ اعظم اور صدر ہندوستان نے مشرف صاحب کے آنے پر کھانا دیا۔ آپ نے جموں کشمیر میں جو ہندو مسلمان لیڈر ہیں انہیں نہیں بلایا۔ وہاں کانگریس کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو گورنر بھی رہے ہیں اور سینٹر میں منسٹر بھی رہے ہیں۔ غلام رسول کار، سید میر قاسم، شبیر قریشی صاحب گورنر رہے ہیں، کیا آپ نے انہیں کھانے پر بلایا؟ پاکستان کو پتہ لگتا کہ کشمیر میں مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے نہیں بلایا You called somebody but not me مولانا افتخار ہیں۔ ہمارے who is the representative of Jammu and Kashmir. مولوی ہیں، جو پروانڈین ہیں، جن کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی تعداد کھڑی ہے آپ نے انہیں نہیں بلایا۔ اُپنے صرف اُن ہی کشمیری پنڈت کو بلایا جو کشمیری پنڈتوں کے لئے الگ ہوم لینڈ چاہتا ہے، کشمیر کو توڑنے کی بات کرتا ہے۔ جنتا دل کے، کمیونسٹوں کے مسلمان ہیں، جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں، آپ نے انہیں نہیں بلایا۔ آپ پاکستان کو کیا سگنل دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے بلایا ہوتا تو ہر ٹیبل پر کشمیری مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھتا اور ہم انہیں بتا دیتے کہ تم کون سا جہاد چلا رہے ہو، ہمیں یہ جہاد منظور نہیں، اسے اپنے پاس رکھو۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ آپ حریت کے ساتھ بات کرتے ہو۔ آپ کبھی کہتے ہو کہ حریت ہی سب کچھ ہے اور کبھی کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں۔ آپ نے حریت کو پاکستان بھیجنے کی تیاری بھی کی، پاسپورٹ ایشو کرایا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے۔ ہم اسکے خلاف نہیں ہیں۔ آپ ہر ایک سے بات کریے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو ہندوستان سے نکال کر پاکستان لے جاؤ۔ آپ انہیں پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں کیوں جموں کشمیر ریاست میں ٹرائی فرکیشن کا ایک نعرہ چلتا ہے۔ آپ جموں کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرو۔ بودھ کو لداخ، مسلمان کو کشمیر، ہندو کو جموں۔ کچھ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ ان کے لوکل یونٹ آج اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ لداخ اور جموں کو الگ کر رہے ہیں Then, what right do you have to keep the Muslim majority area of Kashmir? Are you playing the game of Pakistan? You are playing the game of two-nation theory. آپ ٹرائفرکیشن کیسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ٹرائفرکیشن کہتے ہیں تو جموں میں چھ ضلعے ہیں۔ تین ضلعے مسلم میجوریٹی کے ہیں، آپ کو وہ تینوں ضلعے چھوڑنے پڑیں گے۔ کیا آپ ڈویژن کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میری گذارش ہے کہ آپ کی ایک کنسیسٹینٹ پالیسی ہوئی چاہیے۔ جتنی پالیٹیکل پارٹیاں ہیں ان سب نے پردھان منتری جی کو پورا

سپورٹ دیا کہ وہ مشرف صاحب سے بات کریں۔ جب انہوں نے بات کی تو سب پارٹیاں تھیں، میں بھی تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ بات چالو رکھیں۔ اگر ہم نے پردھان منتری جی کو یہ اتھارٹی دی تو پھر اس ہاؤس میں کس بات پر ڈسکشن ہو رہا ہے۔ میں خوش ہوں کہ کوئی جوائنٹ کمیونی ایشو نہیں ہو، کیونکہ جب بھی کوئی جوائنٹ کمیونی ایشو ہوتا ہے تو کشمیر کا کوئی نہ کوئی حصہ پاکستان کو دیا جاتا ہے۔ شکر ہے وہ ایشو ہی نہیں ہوا اور ہم کچھ اور دینے سے بچ گئے۔ لیکن پاکستان ہندوستان کی بات ہوئی تو کس کو فائدہ ہوا۔ ان کو فائدہ ہوا جو امن چاہتے ہیں، جو دونوں ملکوں میں دوستی چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان سے بات کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کشمیریوں سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کرنی چاہئیے، ان کا احترام آپ کو کرنا چاہئیے۔

اس ۵۰ سال کے عرصے میں کشمیر میں جو ایلینیشن ہوا، یہ کس نے کرایا؟ Why are people alienated? I am not alienated. Why should people feel alienated? آپ نے جموں کشمیر میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا۔ آپ نے وہاں کے وزیرِ اعظم، جس کو اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی، آدھی رات میں اندھیرے میں پکڑ لیا اور صبح آرڈر نکالا، اس کو ڈسمس کیا اور ۲۲ سال جیل میں رکھا۔ بعد میں بخشی صاحب کو لائے۔ اسکو بھی ڈسمس کیا، ان کو بھی جیل میں ڈالا۔ پھر شیخ صاحب کو دوبارہ لائے۔ ان سے ایگریمینٹ ہوا۔ پھر ۶ مہینے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈینس ہوا۔ شیخ صاحب نے الیکشن لڑا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۵۳ کے بعد کشمیر میں مرار جی ڈیسائی جی نے سب سے بڑا ایماندارانہ الیکشن کرایا اور اس الیکشن میں جتنے لیڈر آج بنے گھومتے ہیں انکا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، سب نے نیشنل کانفرنس کا ساتھ دیا۔ آپ نے فاروق عبداللہ کو دو بار ڈسمس کر دیا۔ آج پھر آواز اُٹھتی ہے کہ فاروق صاحب کو ڈسمس کرو۔ کیا انکے ڈسمیسل سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائیگا اور ملیٹینسی ختم ہو جائے گی تو میں خود ان کو اس کا مشورہ دونگا۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہوم منسٹر استعفی دے۔ اگر انکے استعفی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، ملیٹینسی ختم ہوتی ہے تو مجھے ان کے استعفی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کشمیری لوگوں سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہمارے احساسات کو دیکھیں۔ یہ کشمیریوں کے دل کی بات ہے جو میں اس ایوان میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کشمیر میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا۔ آپ نے وہاں کی ایکونومی ترقی نہیں کرائی، بے روزگاروں کو روزگار نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ ان ۵۰ سالوں میں آپ نے کتنے مسلمانوں کو سینٹرل سرویسیز میں نوکری دی۔ آپ نے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ میرا کہنا ہے کہ آپ ان کو اپنی چھاتی سے لگا لیجئے، وہ آپ کے ہیں۔ آپ کشمیریوں کی ایکونومی ترقی کیجئے، روزگار دیجئے۔ آپ ہم کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ تب دیتے ہیں جب

سیزن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پیسہ ریلیز کر دیا، اب وہاں برف ہو گی تو کام نہیں ہو گا۔ ایسا کیسے چلیگا؟ پلان سینکشن ہوتا ہے تو چوتھے دن چٹھی پہنچ جاتی ہے کہ ۷۰۰ کروڑ روپیہ کٹ گیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہئے۔ یہ میرے اور کشمیریوں کے دل کی بات ہے۔ میں سب سے گذارش کرتا ہیں کہ آپ کو کشمیریوں کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھنا چاہئیے۔ جب ہم آپ کے ساتھ آئے تو آپ نے اسے کچھ گارنٹیز دیں۔ آپ نے اسکو انٹرنل اٹانومی دی۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس کو کھا گئے۔ کیوں کھا گئے؟ آج ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم اسٹیٹوں کو ان کا حصہ دیں گے، اس وقت کشمیر کے بارے میں بھی سوچیں گے، کشمیر کے بارے میں سپریٹ کیوں سوچیں گے؟ باقی اسٹیٹ ہندوستان کے ساتھ مُدغم ہو گئے، ہم مُدغم نہیں ہوئے۔ We had acceded with India on an Agreement. ہم نے آپ کو تین چیزیں دی ہیں۔ تین چیزوں کے بعد باقی چیزیں ہم نے اپنے پاس رکھی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے اگر وہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جیوریسڈیکشن، الیکشن کمیشن جیوریسڈیکشن اور اسکے بعد باقی جیوریسڈیکشن کشمیریوں کو سوٹ نہیں کرتے ہیں۔

It is to be decided by us whether it suits us or not. Let we be allowed to have our own say. بات یہ ہے کہ آپ حریت سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کشمیر کو ہندوستان سے نکالنا چاہتا ہے۔ آپ جے۔ کے۔ ایل۔ ایف۔ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آزادی کی بات کرتا ہے۔ آپ نیشنل کانفرنس کو ایگنور کرنا چاہتے ہیں جو جموں کشمیر کو ہندوستان میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے الیکشن لڑا۔ ہم نے الیکشن میں وہاں کے لوگوں سے صاف کہا کہ ہم انٹرنل آٹونومی دِلائیں گے۔ کشمیر پاکستان میں نہیں جائیگا۔ ہم اس نعرے پر الیکشن لڑکر یہاں آئیں۔ آپ دفتر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات منظور نہیں

You discuss it with us. If they say anything that is against the interest of the country, then throw there suggestions into the ocean, if they say all the things that are for the interest and unity of this country, then why do you not agree to that? آپ اسے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کو یہ بات ماننی چاہئیے۔ آپ کو ایسی کوشش کرنی چاہئیے جس سے کشمیریوں کو لگے کہ ہمیں اپنی چھاتی سے یہ لوگ لگانے کے لئے تیار ہیں۔ آج وہاں ملیٹینسی ہے۔ وہاں سیکورٹی فورسیز کام کر رہی ہے لیکن وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ Kindly start this exercise وہاں بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ آج آپ شور کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسیز نے اننت ناگ میں 6-5 مسلمانوں کو یہ کہہ کر مارا کہ وہ ملیٹینٹس تھے۔ لیکن جب پتہ لگا کہ وہ ملیٹینٹس نہیں تھے تو آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جبکہ کچھ cases میں ہائی کورٹ کی

یہ ڈائریکشن ہے کہ ان افسروں کو پیش کیا جائے لیکن آپ نے کسی افسر کو پیش نہیں کیا۔ اس سے ایک آدھ افسر بے عزت ہوسکتا ہے لیکن کشمیریوں کے ذہن میں یہ بات آئیگی کہ اتنے بڑے ملک میں ہمیں انصاف ملا۔ آپ کشمیریوں کو یہ یقین دلایئے کہ آپ کو اس ملک میں انصاف ملے گا۔ اس سے وہ لوگ باہر کہیں نہیں جائیں گے چاہے ۵۰ بار پاکستان ہمارے خلاف لڑے۔ اس چیز کو آپ دیکھئے۔ شام کے وقت وہاں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ انہیں اُٹھالیا جاتا ہے۔ پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ یہ چیزیں بند ہونی چاہئیے۔

میں نے جیسا پہلے کہا کہ آپ ہمیں ایک پیکیج دیں اور ہمارے مسئلے حل کریں۔ وہاں انٹوسینٹ کیلینگس بالکل بند ہونی چاہیے۔ سیکورٹی فورسیز ملیٹینٹس سے نپٹے اور انہیں پناہ دینے والوں کے ساتھ نپٹے۔ Innocent people should not be harassed in any case کیونکہ اس سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ آپ ہمیں لڑنے کے لئے ہتھیار دیجئے۔ آپ ہمیں ہتھیار نہیں دیں گے تو ہم کیسے لڑیں گے؟ میری گذارش ہے کہ آپ کشمیریوں کے دلوں کی آواز کو سمجھئے اور سنئے۔ دونوں طرف کو لوگوں سے میری گذارش ہے کہ کشمیر میں دو لاکھ کشمیری پنڈتوں کا ہوم لینڈ قائم کرنے کا جو نعرہ چل رہا ہے، آپ اس کا ساتھ بالکل نہ دیں This is division within division. Nobody wants it کشمیری پنڈت ہمارے ملک کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ وہ ہمارے خون اور گوشت کا حصہ ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی چال کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کشمیر سے نکلے ہندوؤں کو ایڈوائس کریے کہ وہ واپس آجائیں۔ اگر وہاں ۱۰ لوگ مر رہے ہیں تو وہ ملک کے لئے مر رہے ہیں۔ میں ہوم منسٹر سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ کتنے مسلمان کشمیر میں مارے گئے؟ وہ اسلئے مر گئے کیونکہ وہ ہندوستانی ہیں۔ ہمارے ایک درجن ایکس ایم ایل اے مارے گئے، ہمارا ایک منسٹر مارا گیا۔ انہیں کون دیکھنے آیا؟ ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے اسکے لئے پیسا ملے۔ اس سے ایک یونیٹی دکھائی دیتی ہے کہ ملک ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ پرائم منسٹر کی امن کی کوششوں کا میں ساتھ دیتا ہیں۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, अभी अभी खबर मिली है कि जबलपुर शस्त्रागार में भारी अग्निकांड हुआ है जिसमें काफी नुकसान हुआ है। इस सरकार के आने के बाद पिछले कुछ महीनों में यह सातवीं घटना घटी है। इस अग्निकांड से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं, वे जवाब दें कि यदि इस प्रकार रोज आग लगती रही तो देश की सुरक्षा का क्या होगा?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, यह रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है।

सभापति महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। देश की सुरक्षा का सवाल है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि किसी भी बात को उठाने का कोई नियम होता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): चूंकि रक्षा मंत्री सभा में उपस्थित हैं अत: उन्हें स्थिति के बारे में सभा को अवगत कराना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में खुद कहा था कि देश की सुरक्षा को खतरा है। इस गंभीर घटना के घटित होने से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। आप रक्षा मंत्री जी को निर्देश दें कि सदन में अपना वक्तव्य दें। वे सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करें।

सभापति महोदय: आपको मालूम है कि सदन का यह नियम है कि बिना नोटिस दिये कोई बात नहीं उठायी जा सकती। आपने इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आखिर इस तरह कैसे होगा? सरकार को सदन में जानकारी देने के लिए समय चाहिए और वह तभी वस्तुस्थिति से अवगत करा सकती है।

श्री बसुदेव आचार्य: सभापति जी, रक्षा मंत्री सदन से मौजूद हैं। वे बता सकते हैं कि वहां क्या हुआ?

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): सभापति महोदय, स्टेटमेंट बाद में आ सकता है। वे बता तो सकते हैं।

सभापति महोदय: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार जानकारी प्राप्त करने के बाद ही सदन में आयेगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी को कम से कम यह पता है या नहीं *...(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सरकार को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार जानकारी प्राप्त करके ही सदन में आ सकती है।

डा. गिरिजा व्यास: सभापति जी, ऐसा नहीं हो सकता कि रक्षा मंत्री जी को इसकी जानकारी न हो। वे चुप बैठे हुये हैं।

सभापति महोदय: आप सदन में गलत परिपाटी मत डालिये। आप पुराने सदस्य हैं। आचार्य जी, आप बैठ जायें।

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति जी, माननीय मंत्री जी इतना ही कह दें कि तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सदन के सामने रखेंगे।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को मालूम है कि यहां कार्य संचालन नियमावली है जिसके तहत सरकार जानकारी प्राप्त करके सदन में आयेगी।

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति जी, जब माननीय सदस्य को इस घटना की जानकारी हो गई है तो मंत्री जो को निश्चित तौर पर जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। जहां तक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का सवाल है, हम उससे सहमत हैं लेकिन वे कह दें कि कल तथ्यों के साथ इस सदन में आयेंगे।

लेकिन मंत्री जी कम से कम सदन को आश्वस्त करें कि इस घटना से संबंधित तथ्यों को वह बाद में सदन को बतायेंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अखिलेश जी आप बैठिए।

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): सभापति जी, माननीय सदस्यों की यह मांग कि अभी जो घटना घटी है, सदन को उसकी पूरी जानकारी दी जाए, यह उचित मांग है और माननीय सदस्यों का अधिकार भी है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सदन के सामने सरकार की ओर से जब अधिकृत रूप से बयान दूं तो वह तथ्यों पर आधारित बयान दूं, सब तथ्य इकट्ठे करके बयान दूं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अवश्य इस बात को मानेंगे कि जहां तक जायज है चाहे वह विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो, जब-जब कोई घटना हमारे मंत्रालयों से संबंधित हुई है, हमने सदन में आकर स्वत: बयान देने में कोई कोताही नहीं बरती है। मेरा इतना ही निवेदन है कि मैं जो बयान दूं वह तथ्यों पर आधारित बयान दूं।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया (अमृतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले अध्यक्ष अपने अधिकतर भाषणों में यह कहते रहे कि कई हिन्दू मारे गए और कई मुसलमान मारे गए। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति कश्मीर में मारा गया वह एक भारतीय था। हमारे समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि वह हिन्दू था या मुसलमान। इसीलिए, हम पिछले 50 सालों से कश्मीर को बचाए हुए हैं। उन्होंने एक और प्रश्न उठाया था जोकि उन्हें सरकार से पूछना चाहिए क्योंकि एन.डी.ए. में उनका दल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि श्री अब्दुल्ला हमारे चुने गए नेता हैं और कश्मीर में वे हमारे नेता हैं। उन्हें बातचीत में पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए था। प्रधान मंत्री के साथ आगरा गए शिष्टमंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए था, क्योंकि वे कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर का प्रतिनिधित्व हुर्रियत द्वारा नहीं किया जाता। उन्हें पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए था किंतु अचानक हुर्रियत बहुत महत्वपूर्ण हो गया हालांकि वे किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे केवल पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु इसके बावजूद सरकार और प्रैस उनसे बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार उनके पास श्री पंत को भेज रही है। आप उन्हें महत्व प्रदान कर रहे हैं। वे कोई नहीं हैं। उन्हें मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। कश्मीर में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे मान्यता मिलनी चाहिए और वह हैं श्री अब्दुल्ला।

महोदय, आगरा शिखर वार्ता बहुत महत्वपूर्ण शिखर था जिसमें भारतीयों के साथ-साथ पाकिस्तानी लोगों की रुचि भी थी बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि इसमें पूरे विश्व की रुचि थी और सभी की नजरें श्री वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ की भेंट पर लगी हुई थी। वे यह देख रहे थे इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा। बैठक के परिणाम की रिपोर्ट के लिए आगरा में विश्व भर से 500 पत्रकार आए थे। भारत में इस वार्ता के लिए सभी विपक्षी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि दो देशों के बीच विवाद का हल अंतत: वार्ता ही है। इसी कारण से, भारत ने कुछ तैयारियाँ भी की और मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। उन तैयारियों के चलते उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की। वार्ता के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए यह एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कुछ पाकिस्तानी कैदियों को रिहा भी किया। वह एक दूसरा कदम था।

तीसरा कदम था, पाकिस्तान से आयात होने वाले सामानों पर से शुल्क में कमी करना और चौथा कदम था, आपने पाकिस्तानी छात्रों को भारत में अध्ययन व छात्रवृत्ति की पेशकश भी की। सबसे अंतिम बात थी वीजा में रियायत। आपने कई अच्छे कदम उठा कर बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास किया किंतु दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने इसे महत्व प्रदान नहीं किया। उनके नेताओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सभी प्रयास बेकार हो गए।

मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप हमेशा कहते रहे हैं कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। प्रधान मंत्री ने कहा, आपने भी यह कई बार कहा और गृह मंत्री ने भी कहा। और तब हुआ क्या, कि तुरन्त आपने अपनी विदेश नीति में एकदम बदलाव किया और बातचीत की? देश इस बारे में नहीं जानता और हमें हैरानी हुई कि आखिर हुआ क्या। इस नीति में परिवर्तन करते समय क्या आपने अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श किया? इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई? क्या एन.डी.ए. में इस पर चर्चा की गई? आपने राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा व्यवस्था गठित की है। क्या आपने अपने सेना प्रमुखों से बात की जिनका इससे सीधा संबंध है? इस बातचीत का कश्मीर मामले से संबंध हैं। जब आप अपनी नीति को बदलना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि यह राष्ट्रीय सहमति पर आधारित होनी चाहिए। आपको हम सभी से परामर्श लेना चाहिए था। विपक्ष में कई अच्छे लोग हैं, जिनकी रुचि भी हैं, आपको उनसे भी परामर्श करना चाहिए था ताकि मामले पर आम सहमति बनाई जा सकती। इस नीति को बदलने की आवश्यकता क्या थी? मैं जानना चाहूँगा कि क्या कश्मीर में स्थिति बदल गई या वहां सेना कम कर दी गई थी? या फिर आपको दूसरे रास्ते से कोई सूचना मिली, जिसे प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के साथ प्रारंभ किया है और आपके पास ऐसी सूचना है कि पाकिस्तानी नेताओं की सोच में बदलाव आया है।

इसके अलावा, वार्ताओं में अमरीका बहुत रुचि ले रहा है। वे इस बारे में भारत और पाकिस्तान दोनों से पूछ रहे हैं। उनके मंत्री भारत व पाकिस्तान में आए। उन्हें आपसे अवश्य परामर्श

करना चाहिए था; उन्हें, उनसे परामर्श करना चाहिए था। क्या उन वार्ताओं से कोई ऐसा संकेत था कि पाकिस्तान ने अपनी सोच बदल ली है और यह कि वे खुले विचारों के साथ हमसे बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं?

मेरी शिकायत यह है कि आपने गलत आदमी से बात की। आपने श्री मुशर्रफ से बात की। जिन्होंने पाकिस्तान में सत्ता छीन ली। वे सेना के जनरल थे। उन्होंने पाकिस्तान में सत्ता हथियायी। वहां के सभी राजनैतिक दलों ने उनका विरोध किया। कुछ लोग उन्हें हटाने के लिए न्यायालय भी गए। श्री मुशर्रफ ने भारत आने से पहले विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक भी बुलाई किंतु उन्होंने बातचीत से मना कर दिया। उन्होंने कहा, "आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास पाकिस्तान का जनादेश भी नहीं है, फिर आप वहां क्यूं जा रहे हैं?

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर अमरीका, पाकिस्तान में कोई परिवर्तन नहीं चाहता था। इसी प्रकार यूरोप में भी नहीं चाहता था। उन्होंने मुश्किल से यह सोचा कि पाकिस्तान की स्थिति से कैसे निपटा जाए और आपने उन्हें आमंत्रण भी दे डाला।

महोदय, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सेना का स्वार्थ निहित है।

पाकिस्तान के निर्माण से ही वहां सेना का प्रभुत्व रहा है, भले ही वह नागरिक शक्ति हो या सैनिक शक्ति। सेना ने वहां चार बार चुनी हुई सरकार को बेदखल कर सत्ता पर कब्जा किया। पाकिस्तान में सेना, संविधान से ऊपर है किंतु भारत में सेना, राष्ट्रपति के, संसद के और प्रधान मंत्री के अधीन हैं, किंतु पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है। वहां इसका पृथक अस्तित्व है और वहां, वे लोग नागरिक सरकार से सहमत नहीं होते। खैर, हमारी सरकार एक सैनिक से बात कर रही है और माननीय विदेश मंत्री भी सेना ही में थे। इसलिए उन्हें, उनके सोचने के तरीके और उनकी सोच का पता होना चाहिए था। वे केवल बंदूक में विश्वास रखते हैं, वार्ताओं में नहीं। इसलिए, मेरा मानना है कि सरकार एक गलत आदमी से बातचीत कर रही है।

महोदय, अलग-अलग समय पर पाकिस्तान में शासन करने वाला सेना के चार तानाशाहों की क्या नीति रही है? उनकी आंतरिक नीति, विदेश नीति और सेना की नीति सभी, एक ही मुद्दे पर आधारित है कि कश्मीर को जबरदस्ती कैसे हासिल किया जाए। उन्होंने इसके लिए पहले तीन बार कोशिश की और चौथी बार वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। यह उनकी विचारधारा है और हमारी सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की है।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इतिहास को भी नजरअंदाज किया। जब हमारी सरकार ने पकिस्तान के नेता के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया था तो उन्हें पिछले 50 वर्षों में पाकिस्तान के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए था। विभाजन के समय उन्होंने कहा था कि विभाजन हिन्दु भारत और मुस्लिम भारत के बीच हुआ है। हमें इस पर आश्चर्य नहीं है लेकिन वे द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर देते रहे हैं। दूसरे, उन्होंने कहा कि कश्मीर, विभाजन का अपूर्ण एजेंडा है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों का विभाजन हुआ था और कश्मीर का विभाजन होना बाकी है तथा उन्हें निर्णय लेना होगा कि कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा अथवा भारत में जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर पर दावा कर रहा था क्योंकि यह मुस्लिम बहुल राज्य है और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं किया कि कश्मीर के महाराजा ने भारत की बात मानी थी कि हमारी सरकार उस व्यक्ति से वार्ता कर रही है जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता है। अतः, उन्होंने इतिहास को नजरअंदाज किया है।

महोदय, विभाजन के समय मैं पश्चिम पाकिस्तान में रहता था और विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने कहा: "हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिन्दुस्तान।" उनकी यह मानसिकता आज भी बनी हुई है और आज भी मुस्लिम लीग यह बात कह रहा है। वे कहते हैं कि वे पहले कश्मीर लेगें और उसके बाद भारत लेंगे। यह उनकी मंशा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक पाकिस्तानी सैनिक 10 भारतीय सैनिकों के बराबर है। यह उनकी विचारधारा है और यदि आप श्री भुट्टो के वक्तव्य को याद करेंगे, उन्होंने कहा था "हम कश्मीर लेने के लिए भारत से 1000 वर्ष तक युद्ध करेंगे।" जब यह उनकी विचारधारा है तो हमारी सरकार गलत व्यक्ति से बातचीत कर रही है। मेरे विचार से उन्होंने इतिहास और दो देशों के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि नहीं पढ़ी है।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): आपकी क्या राय है। यह ठीक है जैसा आपने बताया कि दो पाकिस्तान का उनका सिद्धांत है, चिन्तन वैसा ही है-हंस कर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिन्दुस्तान। इस चिन्तन के अन्दर क्या करना चाहिए, वह आप बताएं?

श्री आर.एल. भाटिया: मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं। जो मैं अभी तक कह रहा था, वह तो आपको हिस्ट्री बता रहा था कि आपने गलत आदमी से बात की है। उसका स्टेटस नहीं है क्योंकि वह वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है और अब मैं अगले पाइंट पर आ रहा हूं। अन्त में मैं उसी पाइंट पर आऊंगा जिसको आप पूछ रहे हैं।

[श्री आर.एल. भाटिया]

[अनुवाद]

महोदय, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कुछ पहले घोषणा की थी कि वह भारत के साथ हुए 1949 के समझौते से सहमत नहीं है। उन्होंने 1972 के समझौते के बारे में भी यही कहा था। उन्होंने लाहौर घोषणा को भी नहीं माना जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री भारत की सद्भावना दिखाने वहां गए थे।

सायं 5.00 बजे

हमने ऐसे व्यक्ति को भारत बुलाया। वे 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के बारे में कहते हैं। हम कहते हैं कि भारत द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। 16 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया था। यह भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति है।

उनकी नीति तब भी विफल हुई थी जब बंग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। बंग्लादेशी मुसलमानों ने पाकिस्तान में रहने से मना कर दिया था। यह बात जानते हुए कि उनका सिद्धांत गलत है उनकी सेना अभी भी उस सिद्धांत को अपनी दलील का आधार बना रही है।

मैं समझता हूं कि आमंत्रण भी गलत समय पर दिया गया। आप गलत आदमी से वार्ता कर रहे थे। आपने इतिहास को नहीं समझा। मैं समझता हूं कि समय गलत था। जब श्री मुशर्रफ ने अनधिकृत रूप से वहां के राष्ट्रपति का पदभार संभाला तो उन्होंने पाकिस्तान के निर्वाचित राष्ट्रपति श्री तरार को बर्खास्त कर दिया। इससे पाकिस्तान में काफी शोर-शराबा हुआ। पाकिस्तानी उनके विरुद्ध हो गए। सभी राजनैतिक दल उनके विरुद्ध हो गए। जब उन्होंने कहा कि वे चूंकि वे आगरा जा रहे हैं इसलिए अपना परामर्श दीजिए और बातचीत कीजिए तो राजनैतिक दलों ने उनसे बातचीत करने से इंकार कर दिया। उन्होंने बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा, ''आपको इस मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।'' लोग मामला न्यायालय में ले गए। अंतर्राष्ट्रीय मत मुशर्रफ के विरुद्ध था। लेकिन आपने उनको आमंत्रित किया।

किसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी। भारत पहला देश था जिसने उन्हें मान्यता दी-ऐसा आदमी जिसने वाजपेयी के लाहौर पहुंचने पर उन्हें सलामी नहीं दी और कारगिल में परेशानी खड़ी कर दी। मैं नहीं जानता कि आपने उन पर कैसे विश्वास किया।

सरकार इस बात पर मौन है कि उन्होंने अपनी नीति क्यों बदली और वे बातचीत क्यों करना चाहते थे। समाचार पत्रों में इस बारे में काफी लेख प्रकाशित हुए। अनेक राजनैतिक दल इसके बारे में सरकार से पूछ रहे हैं लेकिन सरकार बिलकुल खामोश है। सरकार की खामोशी से काफी गलतफहमी पैदा हुई। अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी। आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रेस स्वतंत्र है। लोगों के अपने अनुमान थे। कुछ लोगों ने कहा कि अमरीका दोनों देशों को बातचीत करने के लिए बाध्य कर रहा है। आपने कभी इस बात का खंडन नहीं किया।

पाकिस्तान के समाचार पत्र कुछ और कह रह थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में उनके जेहादियों ने श्री वाजपेयी को बातचीत करने के लिए मजबूर किया है और क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसकी वजह से उन्हें वार्ता शुरू करनी पड़ी है। क्या आपने इसका खंडन किया? लेकिन पाकिस्तान से ऐसे समाचार छप रहे थे।

कुछ पत्रकारों ने कहा कि श्री वाजपेयी अलोकप्रिय हो रहे हैं। वे राष्ट्र का ध्यान दूसरी ओर हटाना चाहते हैं। सरकार को कहना चाहिए कि यह सब गलत है। मेरा विश्वास है कि यह सब गलत है। लेकिन ये सब बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। आपको आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि आपने तो केवल किस्मत अजमाई है।

[हिन्दी]

चलो चलकर देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। बातचीत करने के लिए लक-ट्राई कर रहे थे या इस देश में पोलिटिकल एस्ट्रोलाजार बहुत हैं, जिन पर पोलिटिकल आदमी बहुत डिपेंडेंट हैं या किसी एस्ट्रालाजर ने कह दिया कि वक्ता बढ़िया है, बात करो।

[अनुवाद]

तत्पश्चात्, आपने शिखर वार्ता के लिए तैयारी नहीं की। सभी शिखर वार्ताओं से पहले काफी तैयारी की जाती है। आप बहुत सक्षम मंत्री हैं। मैं मानता हूं कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस मामले में पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।

जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे उस समय मैं पार्टी का महासचिव था। हमने पहले कुछ कम्युनिस्ट नेताओं या तो श्री सुरजीत अथवा श्री बसु अथवा किसी और नेता को पहले भेजने का निर्णय लिया था।

जब हमने कम्युनिस्ट नेता को वहां भेजा तो वह बहुत अच्छी रिपोर्ट लाया। उनके बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने बताया कि चीन बातचीत करने के लिए तैयार है। तत्पश्चात् हमने कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल वहां भेजा क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है और यह दल सरकार से अधिक मजबूत है। वे योजनाएं और नीतियां बनाते हैं सरकार तो केवल उन्हें क्रियान्वित करती है। मैं भी उस

शिष्टमंडल का सदस्य था। हमने उनसे बातचीत की और वे हमसे हर मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। इसके परिणामस्वरूप हमने आधार तैयार किया। इसके बाद हमने अपने राजनयिक अधिकारी, सचिव तथा अन्य अधिकारी वहां भेजे जिन्होंने कार्यसूची बनाई कि क्या बैठक होगी, क्या चर्चा होंगी आदि। इसके बाद श्री राजीव गांधी वहां गए। इससे संबंधों में निकटता आई और शिखर वार्ता सफल रही। आपको याद होगा कि चीन के राष्ट्रपति डेंग जियावो पेंग ने श्री राजीव गांधी का हाथ पांच मिनट तक नहीं छोड़ा था, समाचार पत्रों में यह 'दि लांगेस्ट हैंडशेक इन दि वर्ल्ड' समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से शिखर वार्ता के लिए तैयारी की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि जब माननीय मंत्री वहां थे तो यह सब कुछ क्यों नहीं हुआ।

महोदय, अब मैं कार्यसूची के बारे में कहूंगा। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या एजेंडा तैयार किया। किसके साथ चर्चा की, क्या उन्होंने कश्मीर के मुख्यमंत्री अथवा रक्षा जैसे क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों अथवा अपने मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की। हमें नहीं पता कि उनका एजेंडा क्या था। लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा था। श्री मुशर्रफ, श्री सत्तार ने वक्तव्य दिया और प्रेस को निरंतर बताया कि उनका एजेंडा क्या है। लेकिन हमें हमारा एजेंडा नहीं पता था, भाजपा की तरह सब कुछ छिपा हुआ है इसलिए यह एजेंडा भी छिपा हुआ था।

जब एजेंडा के बारे में विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उनके प्रवक्ता ने जो कुछ बताया हमें उतना ही पता है क्योंकि कोई भी मंत्री इस बारे में बता नहीं रहे थे और कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं थी। प्रवक्ता ने कहा कि श्री वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ एजेंडा तय करेंगे। यह शिखर वार्ता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पूरे विश्व की आंखे इस ओर लगी हैं और विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री वाजपेयी तथा जनरल मुशर्रफ एजेंडा तैयार करेंगे। हमारी यह स्थिति है लेकिन पाकिस्तान मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहा था।

जनरल मुशर्रफ ने प्रेस के साथ दो बैठकें की थी। पहली बैठक लाहौर में नाश्ते पर की थी। उन्होंने भारतीयों को भी बुलाया था, एक बैठक यहां भी की थी जिसमें उन्होंने अपने एजेंडे के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री काजी की चाय पार्टी में हमारे बुद्धिजीवियों से यहां पर मिलने का प्रयत्न किया। श्री सुब्रमण्यम वहां थे, श्री दीक्षित वहां थे, श्री नय्यर वहां थे और अन्य कई लोग वहां थे जिनसे उन्होंने बात की। उन्होंने उनके दृष्टिकोण को समझाया। परंतु हमारे प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री ने पत्रकार या विशेषज्ञों को उनके साथ चर्चा के लिए बुलाने की और उन्हें इस बात का अहसास कराने की कोशिश नहीं कि उनसे मंत्रणा की जा रही है।

चूंकि समय नहीं है, मैं भाषण छोटा कर रहा हूं। पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री काजी ने कहा कि आगरा में नौ मुद्दों पर चर्चा हुई और उनमें से छः पर सहमति जताई गयी। प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर सहमति हुई। परंतु दूसरे अन्य मुद्दे पर सहमति से कठिनाई आई और जिसके कारण वार्ता टूट गई। कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया, मैं नहीं जानता कि किस बात पर सहमति हुई किस बात पर नहीं। मैंने कोई शिखर वार्ता नहीं देखी है हालांकि मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह नहीं कह सकता कि प्रत्येक शिखर वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किये जाते हैं, परंतु इस शिखर वार्ता के बाद कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं किए गए और इससे उलझन और बढ़ गयी।

फिर श्री वाजपेयी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वार्ता असफल नहीं हुई थी। पाकिस्तान में भी अब्दुल सत्तार ने कहा कि यह वार्ता निर्णायक वार्ता नहीं थी।

महोदय, कौन सी बात सही है? चुपके-चुपके, चोरी-चोरी क्या हो रहा है? कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप सहमत हुए? हम जानना चाहते हैं वो कौन से कारण थे जिससे आपने दूसरी बैठक की? वे कौन से मुद्दे थे जिन पर विचार किया गया?

महोदय, मैं कहता हूं कि वार्ता बुरी तरह असफल हुई। इसने इतिहास की अनदेखी की। आपके लिए ऐसी कोई विवशता नहीं थी कि आप वार्ता को आगे बढ़ाते जबकि पाकिस्तान में स्थिति स्थिर नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि वार्ता जारी है और उसके जारी रहने की संभावना है। महोदय, इस वार्ता के लाभार्थी कौन हैं? वह जनरल मुशर्रफ हैं। उनकी स्थिति स्थिर नहीं है। लोग उनके खिलाफ थे। आपने उनकी स्थिति मजबूत बना दी। वे एक विजेता के रूप में वापस गये और हमारा हाल यह है कि वे हीरो बन गये और हम जीरो। इसके परिणामस्वरूप, हमें इसके परिणाम भुगतने पड़े। जेहादी खुश है। उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। वे कह रहे हैं कि हम कश्मीर में जीत गये हैं। वार्ता का परिणाम, यह निकला। अब, कश्मीर में उनकी गतिविधियां और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के धूर्त लोग खुश हैं। आज, मंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जेहादी, धूर्त लोग और पाकिस्तानी जनता उनको अपना हीरो मानते हुए उनकी तारीफ कर रही है, क्योंकि वे भारत में अपने मत पर अड़े रहे।

अब पुनः वार्ता चल रही है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब आपने अपनी तैयारी पूरी रख ली है और यदि यह जारी रहता है तो आप दूसरा कौन सा रास्ता आख्तियार कर रहे हैं। और क्या आपको सही जानकारी दे रहे हैं या कूटनीति समर्थन मिल रहा है, आपको यह पता करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि

[श्री आर.एल. भाटिया]

किस बात पर सहमति हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वार्ता आगे भी जारी रखना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें आप वार्ता करना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम चाहते हैं आप वार्ता करें। हम वार्ता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि इसमें हम ईमानदारी से विश्वास करते हैं। इस पक्ष के सभी लोग कह रहे हैं कि आप वार्ता कर सकते हैं और इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु आप अपनी ओर से पूरी तैयारी करें। परंतु वहां जाने से पूर्व मंत्री महोदय मेरा सुझाव है कि आप कश्मीर में सारे जेहादियों से लड़े और उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दें।

हमने पंजाब में क्या किया? यह वहीं पाकिस्तान था, वही आईएसआई थी और हमने 3000 कांग्रेसियों को गंवा दिया, जिन्होंने गांवों में संघर्ष किया और हमने उन्हें भगा दिया। मैं भी उनमें से एक था मुझे तीन गोलियां लगी। मेरे पोते का अपहरण किया गया था और उसे 34 दिनों बाद छोड़ा गया। मेरी कार जला दी गई थी। हमने वहां पुलिस, बीएसएफ और सेना के साथ उनसे संघर्ष किया। कृपया कश्मीर में भी कुछ कार्यवाही कीजिए सेना, बीएसएफ और पुलिस और अन्य बलों के साथ समन्वय स्थापित करके आतंकियों का खात्मा कीजिए। उनको समाप्त करने के बाद ही आप पाकिस्तान जाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका आदर होगा और इस वार्ता का कुछ परिणाम निकल सकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने यहां जो चर्चा उठाई है हम उस पर नियम 193 के तहत चर्चा कर रहे हैं। यह मामला काफी संवेदनशील है और इस संबंध में इसी सदन में प्रधान मंत्री जी द्वारा विस्तार से अपने बयान दिये भी गये हैं कि किन परिस्थितियों में वार्ता हुई और उस वार्ता के क्या परिणाम हुए। प्रधान मंत्री जी ने विस्तार से अपने भाषण में इसकी चर्चा की है।

सभापति जी, पड़ोसी देश से हमारा क्या रिश्ता है इसे हम सभी जानते हैं और इस रिश्ते में कुछ बदलाव लाया जाए, सुधार लाया जाए, वैमनस्य के रिश्ते में कुछ अपनापन कायम किया जाए।

इसी नीति और नीयत के आधार पर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। वैसे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत में आईएसआई के माध्यम से यहां की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहा है और आतंकवाद के माध्यम से देश को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। यह कार्रवाई आज से नहीं, बहुत लम्बे समय से पाकिस्तान द्वारा एक साजिश के तहत चल रही है। हम यह मान कर चलते हैं कि वार्ता बड़ी विपरीत परिस्थिति में हुई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी कुछ दिन पहले बस पर सवार होकर पाकिस्तान इस मंशा से गए थे कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, पड़ोसी देश के साथ मधुर संबंध बनाएं और उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों लेकिन इसका अंजाम कुछ दिनों बाद कारगिल युद्ध के रूप में सामने आया। हमने कारगिल में विजय प्राप्त की। हम इसे लेकर विजय दिवस भी मनाते हैं लेकिन हमने वहां कुछ नहीं पाया। अपने सरहद की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने कुर्बानी दी। यह बात ठीक है कि इसके पहले जो भी लड़ाई हुई, उसमें हमने सैनिकों ने कुर्बानी भी दी, हमने अपनी जमीन को भी गंवाया लेकिन वह विपरीत परिस्थिति रही। हम अपनी जमीन की रक्षा करने में इसलिए सफल हुए कि हमने अपने लोगों की जान गंवाई। हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं पाया। जब किसी व्यक्ति से दोस्ती की जाती है तो मेरी नजर में तीन परिस्थितियां होती हैं-एक परिस्थिति तब होती है जब दोनों मानसिक रूप से मिलते हैं और दोनों दोस्ती चाहते हैं। दूसरी परिस्थिति तब होती है जब एक दुश्मन से दूसरा दुश्मन इतना कमजोर हो जाता है कि महसूस करने लगता है कि दोस्ती नहीं की तो काम चलने वाला नहीं है। एक और परिस्थिति होती है जब दुश्मन से दोस्ती यह सोच कर की जाती है कि आपने-सामने लड़ कर फैसला कर लें या फिर दोस्त बन कर धोखा देकर बदला लें। मैं यह महसूस करता हूं कि भारत के साथ कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी जिससे पाकिस्तान से मित्रता करके इतनी जल्दबाजी दिखाई जाती। हम बार-बार धोखा खाते आए हैं। धोखा खाने के बाद आदमी को चिंतन बढ़ाना चाहिए, सबक सीखना चाहिए, सतर्कता बढ़ानी चाहिए। आपने जब परमाणु परीक्षण किया तो ताकत बढ़ाई। आपने चेतावनी दी कि यदि कोई हमारी तरफ आंख उठा कर देखेगा तो हम लाहौर तक पहुंचने में देरी नहीं करेंगे। आपने ऐसा करके देश का सम्मान बढ़ाया लेकिन दोस्ती उस परिस्थिति में की, जब हम कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर अपना रुख साफ नहीं करेगा तब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें पाकिस्तान ने इच्छा जाहिर की कि वह बातचीत करना चाहता है। हमने उसे बातचीत का निमंत्रण दिया और उसने इसे स्वीकार किया लेकिन जिस ढंग से बयान आने लगे और जिस तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब का बयान भारत के मीडिया ने प्रमुखता से छापा, उसे देखकर उन्हें हीरो बनाने का काम किया। कहा जाता है कि स्वायतत्ता की बात है। देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ क्या किसी को स्वायतत्ता दी जा सकती है? इतने दिनों के बाद बयानबाजी की जाती है और अखबारों में दिखाया जाता है कि स्वायत्तता के नाम पर चुप बैठते हैं और हम मानते हैं कि नहीं है। यह आपकी कमजोरी है और आप किसी पर नियंत्रण करने में अक्षम हैं। इसी कारण से हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। पाकिस्तान के

जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान में बैठकर बयान आता है कि हम खुले दिल से आ रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है फिर कुछ दिन के बाद बयान देते हैं कि कश्मीर ही वार्ता का मुख्य मुद्दा होगा। यह खुले दिल का बयान है जो भारतीय अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर प्रथम लाइन में मोटे-मोटे अक्षरों में छप जाता है। हम कहते हैं कि हम संविधान के विरुद्ध कोई समझौता नहीं करेंगे, कश्मीर भारत का हृदय है। फिर समझौता किस बात पर? वे कहते हैं कि कश्मीर मुख्य मुद्दा है, हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा हृदय है। इसके बाद हम समझौते के लिए परेशान हैं। किस बात पर समझौता और किस परिस्थिति में समझौते की बात करते हैं? पाकिस्तान से बैठकर जनरल बोलते हैं कि अगर भारत कश्मीर को अटूट अंग मानता रहा तो वार्ता बेमानी है। फिर भी भारत वार्ता के लिए बेचैन है। भारत कहता है कि वार्ता मुख्यत: आतंकवाद एवं अन्य बातों पर होगी लेकिन यहां तो स्थिति बिलकुल विपरीत है। इस तरह दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। हम उत्तर कहते हैं तो वे दक्षिण की बात करते हैं, हम पूर्व कहते हैं, वे पश्चिम की बात कहते हैं। हम रात कहते हैं तो वे दिन कहते हैं और हम दिन कहते हैं तो वे रात कहते हैं।

सभापति महोदय, जब वार्ता की बात चली तो देश में दो तरह के लोगों की बातें आईं। गांव में रहने वाला कहता है कि इस वार्ता से क्या फायदा? बातों से मामला सुलझने वाला नहीं है तो दूसरी तरफ सीमा के समीप रहने वाला व्यक्ति, जो आतंकवाद का शिकार रहा है, न रात की नींद है और न दिन में चैन है और डर से जिन्दगी जी रहा है, उनके मन में इस बात का विश्वास जगा है कि अगर यह वार्ता हुई अगर इसमें सफलता मिली तो वह शान्ति से रह पायेगा।

सभापति महोदय, पाकिस्तान के जनरल जब इस धरती पर आते हैं तो उनकी तरफ से हुर्रियत के नेताओं को निमंत्रण जाता है। हमें उनकी नीयत को पहचानना चाहिए था कि वे किस नीयत से भारत आये हैं? उनकी मानसिकता क्या है? लेकिन आपने उनकी नीयत को नहीं पहचाना। आपने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिये जबकि हमारी नजर में उनकी नीयत में बेइमानी थी। वे भारत आते समय दो-तीन बातें अपने मन में लेकर आये। एक तरफ कश्मीर में अलगाववाद से उनके भाव बढ़ाना, पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की तुष्टिकरण और स्वयं राष्ट्रपति का पद लेने के बाद भारत की स्वीकृति लेना था। वे यही तीनों बिन्दु अपने मन में लेकर भारत आये। मुझे लगता है कि इन तीनों कामों में उन्हें सफलता मिली। हमारे घर में अतिथि बनकर आये और कहते हैं कि वे तय करेंगे कि उनसे बातचीत करने के लिए प्रतिनिधि कौन होंगे? वे कहते हैं कि हुर्रियत ही कश्मीर के असली प्रतिनिधि हैं। वे हमारे अतिथि बनकर आते हैं या मालिक बनकर आते हैं? अगर इस तरह की वार्ता करनी थी तो क्या फायदा?

सभापति महोदय, आगरा में क्या वार्ता हुई, हमें उन बिन्दुओं पर नहीं जाना क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यहां बता दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो हमारी पुरानी परम्परा है, उसके अनुसार हमने विश्व को शान्ति का संदेश देने का काम किया है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहां शून्यता थी, हम समझते थे कि पाकिस्तान से वार्ता नहीं होगी। उन्हें निमंत्रण देकर और उनके साथ वार्ता करके शून्यता को उन्होंने खत्म किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने की बात हम इसलिए करते हैं कि जिस दिन से पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत आये हैं, उनके आने के मात्र दो घंटे के बाद कश्मीर में 15 लोग मारे गए। उनकी नीयत क्या थी कि जिस पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत आते हैं और आतंकवादी जो उनके संरक्षण में पाकिस्तान में जिंदा रहते हैं, जो उनके धन पर इस देश में अलगाव फैलाना चाहते हैं, जिस दिन वह हमारे देश में आते हैं, उनकी सलामी में कश्मीर में 15 लोग मारे जाते हैं। जब वह वापिस जाते हैं, तब भी लोग मारे जाते हैं। आये दिन घटनाएं घटती हैं और हमारी सेना के लोग मारे जाते हैं। कश्मीर का एक भी नागरिक अमन-चैन की जिंदगी नहीं जी पाता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप संक्षेप में अपनी बात कहिये, अब आप कन्क्लूड करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं अभी बोलना चाहता था, अब हमें लगता है कि फिर से शुरू करूं तो वहां तक पहुंचूंगा। हम कोई लम्बा-चौड़ा भाषण करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम दो-तीन बातें जरूर कहना चाहते हैं कि हमें समीक्षा करनी चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। इसकी जिम्मेवारी के साथ समीक्षा होनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी के पुन: पाकिस्तान जाने की बात चल रही है, हम उसके विरोध में बोलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम सरकार के अंग है, हम सरकार को सलाह देंगे कि वार्ता के पहले हर बिन्दु की समीक्षा हो जानी चाहिए। सचिव स्तर पर, विदेश मंत्री स्तर पर वार्ता करके यदि किसी फार्मूले पर सहमति नहीं बन पाती है तो प्रधान मंत्री जी को पाकिस्तान जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा मानकर चलते हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ हम यह भी कहेंगे कि सरकार में रहने वाले लोगों को अगर ऐसे मामलों में कोई बयान देना चाहिए तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। हमने

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

सरकार के एक मंत्री का बयान पढ़ा था-उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ बहुत ही खुले दिल के आदमी हैं, खुले इंसान हैं, मैं चाहता हूं कि जिन्दगी भर उनके साथ रहूं। *...(व्यवधान)*

श्री आर.एल. भाटिया: वह आपकी पार्टी के हैं, उनका नाम बताइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मुझे नाम याद नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिए। हम नाम नहीं जानते हैं। हम कहना चाहते हैं कि क्या वह मंत्री मानते हैं कि उन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्दादिल इंसान जैसे नहीं लगते। हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी विदेशी राष्ट्रपति को इस ढंग की भाषा बोलकर सम्मानित किया जायेगा तो हम समझते हैं कि देश के सम्मान पर आंच पहुंचेगी। क्योंकि हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार चलाते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम आस्था रखते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने कदम से कदम मिलाकर चलने का वायदा किया है और हम चल रहे हैं। इसके बावजूद किसी विदेशी राष्ट्रपति के लिए इस ढंग की भाषा बोलकर हम अपने प्रधान मंत्री के सम्मान पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि कभी भी कोई ऐसी वार्ता हो तो किसी को इस तरह से हीरो नहीं बनाना चाहिए। उसे अपने देश का हीरो नहीं बनने देना चाहिए।

श्री आर.एल. भाटिया: इन्हें मंत्री बना दीजिए, फिर यह अच्छा काम करेंगे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): इन्हें मंत्री बना दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम न तुम्हारी वजह से मंत्री बनेंगे और न इनकी वजह से बनेंगे। हम जिस दिन बनेंगे उस दिन देख लेना यह देश हम चलायेंगे। आप घबराइये मत। *...(व्यवधान)* हम न इनके भरोसे हैं और न तुम्हारे भरोसे हैं। आप इसकी चिंता मत करिए।

श्री रामदास आठवले: हमारी सपोर्ट से बनेंगे, उधर से कुछ लोग इधर आयेंगे फिर हम लोग उधर जायेंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिये, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारा अंत में निवेदन है कि देश हित में, देश के सम्मान में, देश की सीमाओं की सुरक्षा के सवाल पर न तो किसी को स्वायत्तता देनी चाहिए और न ही इन बिंदुओं पर किसी से समझौता करना चाहिए। हम प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए पुनः एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान जाने से पहले हर बिंदु पर समीक्षा करनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहता हूं डोडा की घटना के संबंध में जिस ढंग से गृह मंत्री जी का बयान पाकिस्तान के बारे में अखबारों में आया है। उस बयान को पढ़ने से लगता है कि जिस तरह से महाभारत की लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई थी और कृष्ण पांडवों की माँ से मिलने गए थे तो उन्होंने पूछा था कि पांडवों के लिए कोई संदेश है, तो उन्होंने कहा था कि जाकर कह देना कि जिस दिन के लिए मैंने तुमको दूध पिलाया था, वह समय आ गया है और युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।

हम कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान कूटनीति करके हमारे देश में अलगाववाद पैदा कर रहा है, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहा है, जिस तरह से आई.एस.आई. के माध्यम से हमारे गांव-गांव में जाकर हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहा है, अगर सीधे तरीके से पाकिस्तान हमारी बात को नहीं सुनता है तो जिस तरह से कारगिल में पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया था, हमारे जवानों को जिसमें शहीद होना पड़ा था, अब समय आ गया है कि हमें लाहौर की ओर बढ़ना चाहिए और वहां पर तिरंगा फहरा देना चाहिए, रोज का विवाद समाप्त हो जाएगा, यही कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री श्री जसवंत सिंह जी हस्तक्षेप करेंगे।

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): जब सभी सदस्य बोल लें तो उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय विदेश मंत्री जी आज 5.30 बजे बोलेंगे और उसके बाद अन्य वक्ता अपना भाषण जारी रखेंगे और माननीय प्रधानमंत्री कल उत्तर देंगे। दलों के मध्य ऐसी आपसी सहमति हुई है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यहीं आसन से अध्यक्ष महोदय ने साफ कहा था कि 5.30 बजे माननीय मंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे। इसीलिए मैंने उनका नाम कॉल किया था।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर देने से पूर्व अन्य सदस्यों के भी विचार सुनें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप एक मिनट बैठिए। राज्य सभा से संदेश।

अपराह्न 5.32 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

''मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 3 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है:-

प्रस्ताव

'कि राज्य सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा भारतीय विश्व मामले परिषद की राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, जिसे लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2000 को पारित किया गया था और 18 दिसंबर, 2000 को राज्य सभा पटल पर रखा गया था, को वापस लेने के लिए राज्य सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।' ''

अपराह्न 5.34 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखर वार्ता–*जारी*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): जब तय हुआ था कि 5.30 बजे मंत्री जी बोलेंगे तो इन्हीं से बुलवाइए। *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): सभापति जी, मेरी आपसे एक विनती है। ऑनरेबल स्पीकर साहब के चैम्बर में 15 से ज्यादा सदस्यों ने जाकर विनती की थी कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर हमें बोलने की आज्ञा दी जाए। पिछले 15 दिनों से हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तैयारी कर रहे हैं और 10 लाख पंजाब के लोग माइग्रेट हुए हैं। वह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आप्रवासन था और हमें इस मुद्दे पर बोलने का मौका ही न दिया जाए तो इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारी और कोई नहीं हो सकती। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि माननीय स्पीकर साहब ने चेयर से स्पष्ट कहा था 5.30 बजे माननीय मंत्री जी इंटरवीन करेंगे, आपको बोलने से हम रोक नहीं रहे हैं।

माननीय श्री जसवंत सिंह।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला): महोदय यदि मंत्री जी सारे सदस्यों द्वारा अपनी बात कहे जाने से पहले ही अपना उत्तर देंगे तो यह गलत परंपरा होगी।

सभापति महोदय: यह उत्तर नहीं है।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर: यह उत्तर देने जैसा ही है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं रिकार्ड के लिए यह स्पष्ट करना चाहता हूं। यह माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य है और माननीय प्रधानमंत्री कल प्रश्न काल के बाद उत्तर देंगे। माननीय विदेश मंत्री चर्चा के बीच में बोल रहे हैं, और यह उनका अधिकार है कि जब वे उचित समझे बीच में बोलें। इसमें किसी भी सदस्य का अनादर नहीं होता।

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिन्ह): सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया है। मैं यह चाहता था कि चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर मैं बोलूं और मेरा यह प्रयास होगा कि सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूं। मैं समझता हूं, इसीलिए यह चर्चा तीन दिन से चली आ रही है। हाल ही में एक शाम हम यहां इस पर चर्चा के लिए रात के लगभग दस बजे तक बैठे। आज भी जब चर्चा शुरू की गई तो मुझे यह सूचित किया गया कि केवल 7-8 सदस्य रह गये हैं और उन्हें जो कुछ भी कहना है,

[श्री जसवन्तसिंह]

वह सायं 5.30 बजे तक अपनी बात कह देंगे। यही कारण था कि मैंने यह तय किया और मुझसे कहा भी गया कि मैं 5.30 बजे अपनी बात कहूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई इरादा नहीं है और न सरकार का ही कोई आशय है कि आप अंततः जितने भी सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने के लिए जितना भी समय दें हम उस पर कोई गौर न करें। यह स्वाभाविक है कि उन्होंने तदनंतर जो मुद्दे उठाये हैं, यदि उन मुद्दों को अन्य सदस्यों द्वारा पहले नहीं उठाया गया है तो, उन पर अलग से ध्यान देना होगा।

महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चर्चा आरम्भ की थी, मुख्य विपक्षी दल के माननीय उप-नेता माधवराव सिंधिया जी ने इसमें भाग लिया और कई अन्य सदस्यों ने भी सरकार को अपने-अपने विचारों से लाभान्वित किया। मुझे ऐसा लगा है कि माननीय माधवराव सिंधिया जी ने अपने भाषण में परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए ऐसा आभास देने लगे मानो वह आगंतुक (मुशर्रफ) के विचारों से ज्यादा सहमत थे। हालांकि बाद में उन्होंने उसमें सुधार करने का निरर्थक प्रयास किया, मुझे विश्वास है कि स्थिति ऐसी नहीं है। यदि आप उनकी बात का या अन्य माननीय सदस्यों की बातों का निचोड़ निकालें, तो वे सभी एक या दो मुख्य श्रेणियों में आती हैं। तथापि, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं विपक्ष के माननीय उप-नेता द्वारा की गई टिप्पणी के एक विशेष पहलू का उल्लेख करूंगा*....

सरकार उस ढंग से इन मुद्दों पर ध्यान देती है और यदि मैं माननीय सभा को यह बताना चाहूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? लेकिन मोटे तौर पर, जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां अथवा अन्य बातें कही गई है, वे चार मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। हमारी तैयारी, ''होमवर्क'' और इसी तरह के अन्य मामलों के संबंध में टिप्पणियां की गईं। महोदय, एजेंडा के बारे में, मीडिया की प्रतिक्रिया और सरकार ने इस संबंध में किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की और तत्पश्चात् शिखरवार्ता की सफलता अथवा असफलता का मूल्यांकन करने के संबंध में भी टिप्पणियां की गईं।

मैं शुरू में ही यह कह देना चाहता हूं कि हम यहां पर एक अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से एक अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। निःसन्देह विपक्ष के उप-नेता ने अपने भाषण के दौरान वह अंतर स्पष्ट किया था। यह दर्शाना उचित होगा कि इतिहास, किसी की जीवनी को महिमामंडित करने और अपनी बात को असरदार बनाने के लिए नाटकीयता करने में काफी अंतर होता है। जहां तक उदाहरण की बात है, तो तैयारी और तैयारी की पर्याप्तता के बारे में अंतर का उल्लेख करते हुए विपक्ष के प्रमुख दल के बहुत से वक्ताओं ने देश के भूतपूर्व प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री के एक दौरे का उल्लेख किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनके शासनाध्यक्ष के रूप में हाथ मिलाये जाने में लगे समय की मिसाल दी गई है। मुझे इस बात में कतई संदेह नहीं है कि इस दौरे पर इससे पहले घटित हुई कुछ घटनाओं की छाप पड़ी थी जिसने बाद में चीन और भारत के बीच भावी घटनाओं का स्वरूप निश्चित किया।

यह मेरे लिए निराशा की बात है कि यही कांग्रेस पार्टी 1996 में अथवा उससे पहले 1994 में की गई प्रगतियों का उल्लेख तक नहीं करती। मैं उन आदरणीय सदस्यों की चयनशीलता को उजागर करना चाहता हूं जिसने उन्हें तब की शिखरवार्ता की तैयारी का बार-बार उल्लेख करने के लिए प्रेरित किया और उस तैयारी में ''हैन्ड शैक'' तक का भी उदाहरण दिया लेकिन यह सब करते समय उन्होने उस वास्तविकता को भुला दिया जो मुख्य रूप से भारत-चीन मुद्दे की समूची समस्या की जड़ थी, यह सीमावर्ती विवाद का मुद्दा था जो तत्कालीन सत्तारूढ़ दल की दहलीज पर दस्तक दिए जा रहा था। मैं 1962 से पहले की घटनाओं की गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ अथवा 1962 से पहले के उन उद्धरणों की गहराई में नहीं जाऊंगा जिनसे हमारे इतिहास का लेखा-जोखा हमारे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जिनमें सत्तारूढ़ दल और अन्य महानुभावों द्वारा उजागर किए गए तैयारी के महत्व का वर्णन मिलता है।

जम्मू और कश्मीर के प्रश्न के संबंध में भी बहुत पहले से 1947 के आक्रमण से लेकर 1948 में तत्कालीन सत्तारूढ़ दल द्वारा उठाये गये सभी तदन्तर कदमों के बारे में जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है, ये सभी कदम तैयारी के कारण ही उठाये गये थे। चाहे वह 1963 में स्वर्गीय सरदार स्वर्ण सिंह और स्वर्गीय जुल्फीकार अली भुट्टों की वार्ता थी या 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद वार्ता थी, यदि विपक्ष के प्रमुख दल के माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि ताशकंद वार्ता तैयारियों की मिसाल थी अथवा वस्तुतः 1972 के शिमला समझौते ने तैयारियों की मिसाल पेश की थी, तो यह मेरे लिए बड़े खेद की बात है। वास्तविकता तो यह है कि 1965 में मुझे सेना में होने का गौरव प्राप्त था और 1965 में ही हमारी तैयारियों के परिणाम सामने आए तब मैं यह नहीं कह सकता कि पिछली तैयारियों के कारण ऐसा हुआ। उदाहरण के लिए, पहली बार हमने यह स्वीकार किया, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार-जब तत्कालीन सत्तारूढ़ दल ने तीसरे पक्ष का ''न केवल हस्तक्षेप'' बल्कि मध्यस्थता भी स्वीकार की।

जम्मू और कश्मीर की पूरी घटना, सम्पूर्ण प्रश्न, मुद्दा, समस्या अथवा इसे आप जो कुछ भी कहना चाहें, पर यहां नहीं, दोनों देशों के बीच नहीं, बल्कि ताशकंद में चर्चा की गई थी। ताशकंद में की गई इस महान तैयारी से भारत को क्या मिला? इसने निश्चित रूप से अन्य बातों के साथ-साथ हाजीपीर दर्रे को वापस किया जिसके बारे में अनेक वक्ताओं ने पहले ही उल्लेख किया

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

है। मैं उन तैयारियों का भी उल्लेख करूंगा जो 1972 में शिमला समझौते में की गई थीं। निसन्देह इसके लिए काफी तैयारियां की गई थीं। उस तैयारी का अंततः परिणाम क्या निकला?

इस वार्ता का पहला निष्कर्ष निकला कि इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उभरा अर्थात् इसके बाद जम्मू और कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान करने के लिए-इसका तब भी अंतिम समाधान के रूप में उल्लेख किया जा रहा था क्योंकि इसका समाधान नहीं हुआ था-भविष्य में दोनों देश परस्पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। तथापि, उस समय 93000 कैदी, जो हमारे कब्जे में थे, उन्हें सौंप दिये गये तथा कैदियों की सौदेबाजी हुई। शिमला समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि उस समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी। वह भी उन्हीं तैयारियों के उदाहरण का एक भाग था जिनका हमारे मित्रों ने उल्लेख किया है।

मैं तैयारी के अन्य उदाहरणों की गहराई में नहीं जाना चाहता, चाहे वह भारतीय शांति सेना का दुस्साहसिक हस्तक्षेप का उदाहरण हो अथवा अन्य उदाहरण। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। लेकिन तैयारी की बात करने वाले सभी माननीय सदस्यों के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस शिखरवार्ता के लिए कितनी तैयारी की गई और मैं एक मिनट बाद फिर इस मुद्दे पर आऊँगा। मैंने इस बात की पृष्ठभूमि बताना अनिवार्य समझा कि तैयारी और इस शब्द को बार-बार दोहराना कि पूरी तैयारी नहीं की गई थी, इसलिए ऐसा हुआ वस्तुतः आलोचना तो दूर की बात है, ऐसा कोई तर्क अथवा टिप्पणी भी नहीं है जिसका कोई आधार हो। महोदय, हमें बताया गया है और मैं शुरू से ही सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि यह कारगिल के बाद क्यों हुआ या उन्हें कोई छूट न देने की नीति क्यों अपनाई गई और सीमा-पार से आतंकवाद को क्यों नहीं स्वीकार किया गया, तत्पश्चात् किन तैयारियों, किस आकलन, किस समझ के कारण बाद में सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा और कहना पड़ा कि हम आपसे बात करेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

मुख्य मुद्दे का जिक्र करने से पहले मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के मूल प्रश्न के बारे में सभा के सभी पक्षों और सरकार के बीच मामूली मतभेद है। यह मेरा विश्वास है और इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध है-जो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था वही बात मैं यहां पर भी कहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर राज्य विवाद का कारण नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान द्वारा अपनाए जा रहे इस तरह के दृष्टिकोण का परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, यह पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति अपनाई जा रही सतत बाध्यकारी और शत्रुतापूर्ण नीति का परिणाम है; उस राष्ट्रवाद को बनाये रखने के लिए वे बाध्यकारी शत्रुतापूर्ण नीति अपना रहे हैं जिसका जन्म ही भारत के प्रति शत्रुता के आधार पर हुआ है। दो राष्ट्रों के निर्माण के सिद्धांत से इस बाध्यकारी शत्रुता की शुरुआत हुई जो आज भी है और पहले भी थी, पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में अपनी सभी कार्यवाहियों को औचित्यपूर्ण ठहराने की कोशिश की है। महोदय, मैंने यह बात बड़े ही स्पष्ट रूप से यहीं नहीं बल्कि सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में कही है और मुझे पुनः यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि जम्मू और कश्मीर मुख्य मुद्दा नहीं है जैसाकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जनरल मुशर्रफ साहेब बार-बार कह रहे हैं। जम्मू और कश्मीर मुख्य मुद्दा नहीं है। जम्मू और कश्मीर इस समस्या का कारण नहीं बल्कि परिणाम है। यह पाकिस्तान की इस नीति और भारत के प्रति उसके बाध्यकारी तथा निरन्तर शत्रुतापर्ण दृष्टिकोण का परिणाम है। जम्मू और कश्मीर भारतीय राष्ट्रीयता के मूल में है क्योंकि यह दो राष्ट्रों के निर्माण के सिद्धांत को अस्वीकार करता है इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन स्वीकार्य नहीं है। यह सोदाहरण स्पष्ट है कि भारत साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद, जिसका पाकिस्तान खुले रूप से समर्थन करता है, के बजाय सिविक राष्ट्रीयता में विश्वास करता है और करता रहेगा। जम्मू और कश्मीर भारत संघ का मात्र राज्य ही नहीं है बल्कि यह भारत की धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है इसलिए यह सरकार जम्मू और कश्मीर पर किसी अन्य तरीके से बात नहीं करेगी क्योंकि यह भारत का मुख्य भाग है। मैं, माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ।

मैं उस बात का जिक्र नहीं करूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री ने आगन्तुक अतिथि, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कही थी अर्थात "आप यह बार-बार दोहरा रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर मुख्य मुद्दा है, तो मुझे मुख्य मुद्दे के मूल में जाना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस मुद्दे के मूल में जाऊं जिसे आप मुख्य मुद्दा कहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं पिछली बातें दोहराऊं "इस पर आगंतुक अतिथि ने कहा कि" नहीं, हम इतिहास में वापस नहीं जाना चाहते। मैं 1947 अथवा 1948 की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहता" उन्होंने यह बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से बिना किसी लाग लपेट के कहीं। निःसन्देह प्रधानमंत्री महोदय ने आगन्तुक राष्ट्राध्यक्ष का समुचित सम्मान करते हुए बड़ी नम्रता और शालीनता से अपनी बातें कहीं। महोदय, लेकिन यह समझना नितांत आवश्यक है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को धोखा देने तथा भ्रमित करने के अतिरिक्त भारत में जिस तरह के कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है निःसन्देह वह चिंताजनक है। माननीय सदस्यों को भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए जिसके बारे में हम पूर्णतः सहमत है।

[श्री जसवन्तसिंह]

इससे उनके मन में मिथ्या सम्मान की धारणा पैदा होती है। पाकिस्तान के नेता जानबूझकर भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का खराब वातावरण तैयार कर रहे हैं। यह रास्ता किसी दूसरे देश की बजाय पाकिस्तान के लिए अधिक खतरनाक है। मैंने अनेक अवसरों पर पाकिस्तान से आए आगंतुकों से बार-बार यही कहा है कि आपने जो रास्ता चुना है वह बर्बादी की ओर जाता है। इस रास्ते को छोड़ना ही बेहतर है, अन्यथा पाकिस्तान में एक प्रकार की सामाजिक और राजनैतिक अराजकता फैल जाएगी जो नि:सन्देह, हमारे लिए चिन्ता का विषय है। लेकिन इन बातों पर ध्यान देना हमारे हाथ में नहीं है। उन्हें स्वयं इन पर ध्यान देना होगा। हमने इन प्रवृत्तियों पर सदैव ध्यान दिया है। यह सच्चाई है।

इसलिए हमने कहा कि वार्ता जारी रहनी चाहिए क्योंकि हम भारत के समक्ष चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और जहां आतंकवाद अथवा भारत की प्रादेशिक सीमा अथवा हमारे देश की किसी प्रकार की अखण्डता को चुनौती देने का प्रश्न है तो हम उस चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। उस चुनौती का मुकाबला किया जाएगा; उसे विफल किया जाएगा और हर बार उसका स्पष्ट रूप से तथा बिना किसी अपवाद के विरोध किया जाएगा कारगिल में यह बात साबित हो गई है। कारगिल युद्ध के दौरान हमने कहा था कि पहले कब्जा की गई भूमि को खाली करो।

महोदय, मुझे याद है कि 11 जून, 1999 को पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री की यात्रा की पूर्व संध्या पर मैंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि "कब्जा की गई भूमि को खाली करना होगा"। मैंने कई बातें कही थी क्योंकि उस समय हमारे छह सैनिक क्षत-विक्षत हालत में हमें सौंपे गए थे। हमने कहा था कि नियंत्रण रेखा की वैधता को पुन: स्थापित किया जाना चाहिए और हमने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दिया जाए बल्कि उसे रोका जाए। यहीं से सीमा पार से आतंकवाद के मुद्दे की शुरुआत हुई। पहली बार हमने सीमा पार से आतंकवाद को एक मुद्दे के रूप में दृढ़ता से प्रस्तुत किया था, इस पर पाकिस्तान को विचार करना चाहिए। नियंत्रण रेखा की वैधता को पुन: स्थापित करने के मामले में हमने शिमला समझौते पर प्रमुख रूप से बल दिया है क्योंकि शिमला समझौता संधि दस्तावेज है। शिमला समझौते में ही पूर्व युद्ध विराम रखा को नियंत्रण रेखा में परिवर्तित किया गया था। दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा को संधि दस्तावेज के रूप में अपनी सहमति दी और दोनों देशों के नामित सैन्य अधिकारियों ने निरन्तर बैठक की तथा अनेक मानचित्रों और विवरणों पर हस्ताक्षर किए ताकि नियंत्रण रेखा के बारे में कोई सन्देह न रहे। इस नियंत्रण रेखा की पुन: पुष्टि किए जाने की आवश्यकता थी। अत:, जब हम सीमा पार से आतंकवाद के बारे में कहते हैं तो हम इस बात की पुन: पुष्टि करते हैं और पुन: बल देते हैं कि सीमापार से आतंकवाद हमें मंजूर नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस मुद्दे को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। तत्पश्चात हमारी सरकार ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने की जिम्मेदारी ले ली जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध यह बताया गया कि यह न केवल भारत के समक्ष एक चुनौती है अपितु समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके प्रति सजग होना चाहिए क्योंकि इससे भारी खतरा पैदा हो रहा है।

सायं 6.00 बजे

वस्तुत: इससे विश्व के विभिन्न भागों में मानवता के सभ्य तौर-तरीकों के लिए खतरा है। यह कोई झूठा दावा नहीं है। यह वास्तविकता है। इसकी पुष्टि कारगिल और हाल में हुई घटनाओं से होती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस रूप में आतंकवाद को स्वीकार किया उससे पाकिस्तान के वर्तमान और भावी कृत्यों की स्पष्ट निन्दा परिलक्षित होती है।

अनेक माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा ...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप एक मुद्दे पर सदन को विश्वास में लेने की कृपा करेंगे? मीडिया से हमें ज्ञात हुआ - हो सकता है कि हम पूरी तरह गलत हो - कि शिखर वार्ता के दौरान एक समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ आपकी मुलाकात के दौरान यह मुद्दा लगभग तय हो गया था तथा मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया था परन्तु बाद में समझौता नहीं हो सका। क्या सीमा पार से आतंकवाद शब्द के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे अथवा और कोई बात है क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ आपकी सहमति के बाद तथा मसौदा तैयार होने के बाद भी समझौता क्यों नहीं हो पाया?

श्री जसवन्त सिंह: मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। यह केवल एक ख्याली बात है जो दुर्भाग्यवश न केवल हमारी मीडिया में बल्कि पाकिस्तान से हमारे संवादकारी द्वारा सक्रिय रूप से संप्रेषित किया गया है और यह मेरे लिए कुछ खेद की बात है। परन्तु मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखिए तथा मुझे इस मामले में अपनी बात को अपने ही ढंग से कहने दें।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय क्या सभा का समय बढ़ाया जाएगा?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभा की सहमति हो, तो सभा का समय जब तक यह चर्चा पूरी न हो, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह: माननीय सदस्यों की चिंता और संवेदनशीलता का ख्याल रखते हुए मैं यथासंभव संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा। विषय ऐसा हैं, और इस मुद्दे के संबंध में ऐसी-ऐसी बातें सोची गयी और कही गयी है कि मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझे इतना मौका देंगे कि मैं उन्हें स्पष्ट कर सकूं मैं आप लोगों के समय का ख्याल रखूंगा परन्तु कृपया आप मेरे उत्तरदायित्व को समझें तथा यह भी समझें कि मुझे जो बात स्पष्ट करनी है वह जितनी मैं स्पष्ट कर सकता हूं उतनी स्पष्ट मैं करूंगा और मैं इतना ही समय मांग रहा हूं।

सीमा-पार से आतंकवाद तथा आतंकवाद की समग्रता के प्रश्न पर मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कभी भी हमें ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है जब आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया हो और उसमें पाकिस्तान की भूमिका वह रही हो जो आज है और मैंने बार-बार बताया है कि क्या चल रहा है जिस प्रकार की अराजकता पाकिस्तान में व्याप्त है...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। महोदय, वे सहमत हो गए हैं। क्या मुशर्रफ के सत्तारूढ़ होने को सरकार ने वैधता प्रदान कर दी है...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि क्या हम सैन्य विद्रोह के जरिए श्री परवेज मुशर्रफ द्वारा सत्ता को हथियाने को मान्यता दे रहे हैं। मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया परेशान मत होइए।

महोदय, आपकी अनुमति से क्या मैं आतंकवाद के मुद्दे पर दुबारा बात आरम्भ कर सकता हूं तथा हम आतंकवाद की समस्या के प्रति क्या रवैया अपनाते है। यह एक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक अराजकता है जो अफगानिस्तान में दुर्भाग्यवश देखी जा रही है, जो आतंकवाद और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक परिणाम है।

वास्तव में, यह एक प्रकार से मध्यकालीन विद्वेषों को उन्मुक्त करना है जिसके बारे में मैंने पाकिस्तान के अपने मित्रों को सावधान किया था कि यदि इसका दमन नहीं करते है तो पाकिस्तान के लिए इसका परिणाम बहुत गम्भीर होगा। मैंने ऐसा सार्वजनिक रूप से कहा था ऐसा यहां, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कहा है कि भारत की पाकिस्तान के लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, इसी तरह भारत की पाकिस्तान के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है। हमें पाकिस्तानी इलाके के एक इंच क्षेत्र की चाह नहीं है। हम पाकिस्तान के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। यह बड़े दुःख की बात है तथा यह तथ्य है कि पाकिस्तान की सभी नीतियां भारत-केन्द्रित है, जबकि भारत के साथ ऐसी बात नहीं है।

जब माननीय सदस्य और अन्य इस बारे में हमारा नुक्स निकालते है की मीडिया के प्रति अथवा मीडिया को जानकारी देने अथवा हमें मीडिया से क्या कहना था आदि के संबंध में हम मर्यादा और वाकसंयम का पालन करते हैं उन्हें कृपया इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत को केवल एक संवादकारी अथवा एक देश के साथ ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निपटना है। जब हम एक देश के साथ बर्ताव करते हैं और विशेषकर गैर-जिम्मेदाराना ढंग से, तो ऐसा नहीं है कि भारत दूसरे देशों के साथ कैसा बर्ताव करेगा, खैर मैं इस मुद्दे पर बाद में आऊंगा। इसी कारण हमारे पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प सं. 1333 के रूप में एक स्थिति है जिसके पक्षकार अफगानिस्तान में दो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिस पर भारत ने भी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए है तथा यह संकल्प तालिबान से संबंधित है यह पहली बार किया गया है। यह एक बड़ी चेतावनी है। कई सदस्यों ने पूछा है कि यदि ऐसा है, तो पाकिस्तान को "आतंकवादी राज्य" क्यों नहीं घोषित किया गया है। मुझे यह स्पष्ट करने दें कि भारत के पास क्षमता है, संकल्प शक्ति है- तथा भारत आतंकवाद से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी की सहायता मांगे- यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं हैं, हम किसी की सहायता की आकांक्षा नहीं करते है तथा हमें किसी के दरवाजे पर दंस्तक देने की आवश्यकता नहीं है कि हम पाकिस्तान में घट रही घटनाओं की वास्तविकता को कैसे लेते है। मैंने पहले ही कहा है कि हम पाकिस्तानी क्षेत्र के एक इंच की भी आकांक्षा नहीं रखते है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): सभापति महोदय, भारत सरकार इस मूल स्थिति पर अडिग रही कि यदि सीमा पार से आतंकवाद नहीं रोका जाता है, तो हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उस स्थिति से हटने के लिए कोई संकेत अथवा कारण है।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं एक दो मिनट में इसी मुद्दे पर आ ही रही था क्योंकि यह प्रश्न कई सदस्यों द्वारा पूछा गया है।

महोदय, सरकार ने आतंकवाद के संबंध में अपनी स्थिति न तो पहले बदली थी और न ही अब बदली है। हम अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे परन्तु कारगिल युद्ध के बाद हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया और जिसे हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त भी किया कि आतंकवाद के संबंध में भारत के व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार

[श्री जसवन्तसिंह]

करने के लिए समग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तैयार किया जाए। उसी के बाद हमने यह निर्णय लिया। यह पूर्णतः सोच-समझकर लिया गया निर्णय था। मैं वे सभी बातें बताऊंगा जिनके कारण इस अचानक "यू टर्न" परिवर्तन जैसे निर्णय लिए गए है। यह सुविचारित और सोचा-समझा निर्णय था; यह एक ऐसा निर्णय था जो सम्पूर्ण का एक हिस्सा था "यह एक ऐसा निर्णय था यह समग्र दृष्टिकोण और नीति की निरन्तरता थी" यह एक ऐसा निर्णय नहीं था जो विपथन अथवा विचलन अथवा वास्तव में एक वापसी हो। यह एक निरन्तरता थी क्योंकि जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, इसे कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। इसे न अभी कोई महत्व दिया जा रहा है न भविष्य में दिया जाएगा तथा पाकिस्तान को आतंकवादियों की हर कार्रवाई का जवाब देना होगा जिसे वह बढ़ावा दे रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद पूरे मुद्दे पर यह भारत सरकार का सुविचारित दृष्टिकोण था। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रश्न से निपटने के बाद मैं माननीय सदस्यों के साथ इसे बांटना चाहता हूं। निस्संदेह माननीय सदस्यों ने इस बात की प्रशंसा की है कि हमने आतंकवाद के प्रश्न पर ध्यान दिया है। हम इससे दोनों स्तरों पर एक साथ निपट रहे थे- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और सुरक्षा बलों और विभिन्न कार्रवाईयों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने लगभग साथ-साथ शुरू किए थे। अन्यथा, आप कहते कि वह कार्रवाई तब क्यों की गई? यह एक सोचा समझा कदम था। इसे मेल-मिलाप की प्रक्रिया के रूप में, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया था जिसमें शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का एक और अवसर दिया गया था। निस्संदेह, माननीय सदस्यों को यह सब याद होगा। राष्ट्रीय स्तर पर पहला कदम ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के लोगों को रिहा करना था, ताकि वे जम्मू-कश्मीर जा सकें। उसके चार-पांच महीने बाद उन्हें अपने लोगों से मिलने और अपना काम करने की अनुमति दे दी गई। यह एक सोचा-समझा कदम था। सरकार ने ऐसा किसी भावावेश में आकर नहीं किया।

मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं कि घटनाएं किस प्रकार घटीं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इसके बाद संघर्ष विराम हुआ। हिजबुल मुजाहिद्दीन ने जिस संघर्ष विराम की घोषणा की, उसे हमने प्रोत्साहित किया। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हिजबुल मुजाहिद्दीन द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठे सलाहुद्दीन की ओर से पाकिस्तान के कहने पर शांति प्रक्रिया के संबंध में तमाम तरह की शर्तें लगाने, पाकिस्तान को शामिल करने की शर्त लगाने और आठ दिन के भीतर जवाब देने अन्यथा "यह हो जाएगा, वह हो जाएगा", जैसे वक्तव्य आ रहे थे। प्रक्रिया को एक बार फिर विफल कर दिया गया। लेकिन, हमने हार नहीं मानी। इसके बाद 23 नवम्बर को रमजान की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की जिसका सभी ने स्वागत किया।

पिछले 28 नवम्बर से, हमने अपनी ओर से कार्रवाई न करने की प्रक्रिया शुरू की। हमें पहले से ही पता था कि ऐसे प्रत्येक कदम का विरोध होगा और हर कदम पर शांति के प्रयासों की प्रक्रिया को विफल बनाया जाएगा। छह महीने तक हमने इसे जारी रखा। इन छह महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास जारी रहे इन महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केवल उस आतंकवाद पर रहा जिसका भारत सामना कर रहा था। अंदरूनी तौर पर हमने ये प्रारम्भ किए। पाकिस्तान की ओर से इन प्रयासों को विफल करने के लगातार प्रयास होते रहे। लेकिन हम अपने रूख पर अडिग रहे। इसके बावजूद, हम सरकार द्वारा किए गए कार्य के तर्क को समझ पाए। इस सबके बावजूद, पूर्णतः सफल नहीं होने की स्थिति में यह अपेक्षित था कि इस तर्क को इसकी परिणति तक ले जाया जाए। इसके बाद केवल एक ही बात रह गयी थी। तर्क बिन्दु यह था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बार-बार यह कह रहे थे कि मैं कहीं भी, किसी समय बात करने के लिए तैयार हूं, आदि, आदि।

बहुत सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें बात करनी चाहिए। हम बात करेंगे और सही तरीके से बात करेंगे। हम सभी समझौतों का पालन करेंगे। लेकिन, बातचीत की प्रक्रिया के बारे में आपका और पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहित पाकिस्तान में किसी का यह मानना कि भारत ने बातचीत की पेशकश किसी कमजोरी के कारण की है, या हम आतंकवाद का मुकाबला करते-करते थक गए हैं या हम किसी के कहने पर बातचीत के लिए सहमत हुए हैं या जेहादियों ने हम पर इतना दबाव बढ़ा दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं- तो यह सही नहीं है।

ऐसा सोचना बहुत ही बेईमानी है और इस प्रकार के विचारों का कोई समर्थन नहीं करेगा। यह जानते हुए भी कि बाद में इस प्रकार की टीका-टिप्पणियां होंगी, हमने शांति के लिए एक और प्रयास किया। हमने सोचा कि यह भी करके देखें क्योंकि यहां उद्देश्य शांति है।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं। लाहौर प्रक्रिया विगत में किए गए सतत प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया थी। लाहौर प्रक्रिया में हमने विगत पचास वर्ष के अनुभवों का उपयोग किया था।

हमने इस सार को एक ऐसी प्रक्रिया का रूप देने का प्रयास किया जिसका मूल उद्देश्य शांति है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य

भारत और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालीन, मित्रतापूर्ण और अच्छे संबंध स्थापित करना है, जैसाकि प्रधानमंत्री प्रायः कहते आए हैं 'आप जीवन में, वस्तुतः राजनीति में अपने मित्र बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। पाकिस्तान, भारत के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखने आया है।

हमने कहा, ''हम इसे भी आजमाएंगे।'' इसीलिए जब मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ के भारत आगमन से पहले प्रैस से मुलाकात में पाकिस्तान के लोगों से बात करने का अवसर मिला तो मैं यही कहता रहा कि पाकिस्तान को यह निर्णय करना है कि वह भारत के साथ किस प्रकार के दीर्घकालिक संबंध रखना चाहता है। भारत पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार का दीर्घकालिक संबंध चाहता है, वह स्पष्ट है। हमें पाकिस्तान की एक इंच भूमि तक की भी इच्छा नहीं है।

हमें आशा है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकेगा जहां सामाजिक शांति हो और राजनैतिक और लोकतांत्रिक स्थिरता हो। लेकिन हम पाकिस्तान पर इस संबंध में अपने विचार नहीं थोपेंगे कि वह अपनी आंतरिक व्यवस्था किस प्रकार संभाले। वस्तुतः हम अपने विचार थोप भी नहीं सकते हैं। आप चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र हो। लेकिन यदि पाकिस्तान शासन की कोई दूसरी व्यवस्था चुनता है तो हम पाकिस्तान और वहां की जनता के लिए केवल दुआ ही कर सकते हैं।

हमने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा तो वह स्वयं पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के लिए और इस भू-क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाकिस्तान के साथ बैठक कर वार्ता करने के अलावा, मैं ऐसा और कुछ नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान को यह तय करने में सहायता मिले कि वह भारत के साथ किस प्रकार के दीर्घकालिक संबंध चाहता है। अपने समाज की आंतरिक उथल-पुथल और सांप्रदायिक हिंसा की समस्या को पाकिस्तान को स्वयं हल करना होगा। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि यदि वह कट्टरवाद को इसी प्रकार बढ़ावा देना जारी रखता है तो उससे इस प्रकार मध्ययुगीन परोपकारिता शुरू होगी, जिससे केवल पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। भारत उसके खिलाफ संघर्ष करेगा, उसका मुकाबला करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत इससे मुक्ति दिलाएगा।

इसलिए इस दृढ़ विश्वास के साथ हमने तय किया कि, ''ठीक है, यदि इस समय लाहौर प्रक्रिया को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है, और मेरा विश्वास है कि इस बात की आवश्यकता है, कि हम पाकिस्तान सरकार के मुखिया के साथ बैठ कर भी बातचीत करें। हमें मिल कर बैठना चाहिए और कोशिश करके इस विवाद को हल करने के प्रयासों को एक और अवसर देना चाहिए क्योंकि हम पहले भी यह कह चुके हैं कि शांति का कारवां चलता रहना चाहिए।'' लेकिन शांति के कारवां के रास्ते में लाहौर वार्ता के बाद कारगिल की घटना हुई। इसके बाद कंधार की घटना भी घटी। हमने कारगिल और कंधार दोनों ही परिस्थितियों को संभाला। इसके कारण हमारे मन में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती थी और प्रधानमंत्री यह कह सकते थे कि ''इन घटनाओं के कारण मैं समस्या के समाधान के प्रयास छोड़ता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह पहचान है न केवल शांति और सामंजस्य के प्रति एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता की, बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के स्वरूप की।''

इसीलिए मैं कहता रहा हूं कि ''हमें पाकिस्तान के भू-क्षेत्र का लोभ नहीं है।'' वहाँ की जनता के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है। हम चाहते हैं कि वे भी शांति का रास्ता अपना लें। इसीलिए, हमने कहा, ''ठीक है, हम उनसे मिलेंगे''। महोदय, इस पृष्ठभूमि के साथ हम आगे बढ़े, सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया, उन मुद्दों को बार-बार बिल्कुल स्पष्ट किया गया जिन पर वार्ता को आधारित किया जाना था। जब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनरल परवेज मुर्शरफ बार-बार यह कहने लगे कि ''मैं शिमला समझौते को नहीं मानता हूं, और मैं लाहौर वार्ता को नहीं मानता हूं'' तो हमने इस बारे में पाकिस्तान से कहा।

यहां तो आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सोच लीजिए, यह आप क्या कह रहे हैं? कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान से बयान आते हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि हम शिमला और लाहौर डैक्लेरेशन दोनों पर भरोसा रखते हैं। इसलिए, हम आंख मूंदकर नहीं गए। हमें इस बात का पूरा ध्यान था, पूरी समझ थी। उसके बाद ही हमने यह कदम उठाया।

महोदय, अब मैं इन चार प्रमुख विषयों पर बात करता हूं। जहां तक तैयारी का प्रश्न है, निमंत्रण भेजे जाने से पहले जो तैयारी की गई उसके बारे में, मैं अभी बता चुका हूं। महोदय, तैयारी के बारे में मंत्री के रूप में और मंत्रालय की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि प्रधानमंत्री अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, उन्होंने इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संकल्पों से ले कर पाकिस्तान के साथ हुई सभी वार्ताओं का सम्पूर्ण ब्यौरा मांगा। वह मुम्बई के अस्पताल के बिस्तर पर भी इन दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहते थे।

यह कम तैयारी नहीं है। मैं अतीत में जाकर इतिहास को कुरेदना, नहीं चाहता। महोदय, इस प्रक्रिया में जैसा कि प्रधानमंत्री ने मेरे मंत्रालय से मांग की थी, मुझे पूरे विस्तार और गहराई से

[श्री जसवन्तसिंह]

अध्ययन करने का अवसर मिला। वर्ष 1963 में स्वर्गीय सरदार स्वर्ण सिंह और मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टों के बीच हुई बातचीत इसका उदाहरण है।

मुझे यकीन है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के मेरे मित्र मुझे उस वार्ता के विस्तार में जाने के लिये नहीं कहेंगे कि उसमें क्या प्रस्ताव किया गया था और उनकी दिशा क्या थी। उदाहरणार्थ मैंने ताशकंद वार्ता की तैयारी की बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया था। मैं उस बारे में या शिमला के बारे में बात नहीं करना चाहता। भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में यह इतिहास की गतिशीलता के अंश हैं।

हां, घटना क्रम के आकलन में आप अपना निर्णय कीजिये। लेकिन निर्णय लेते वक्त अपने विचारों के साथ छेड़छाड़ न कीजिए जैसे कि आपकी इस प्रकार की टीका-टिप्पणियों से क्या उद्देश्य हल होता है। अगर आप मुझमें, मेरे मंत्रालय या सरकार में कोई दोष निकालना चाहते हैं, तो निकालिये। कमी निकालने की प्रक्रिया में कृपया इस संबंध में देश के प्रयासों की सम्पूर्णता में दोष न निकालिये।

इस बारे में काफी कुछ कहा गया है कि बातचीत की कोई कार्यसूची नहीं थी। मैं पुनः दुहराता हूं कि कार्यसूची के लिए चार प्रस्ताव थे। ये प्रस्ताव भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत में पहले से ही मौजूद हैं और यह वह कार्यसूची हैं जो दोनों देशों के बीच निरंतर जारी प्रक्रिया के रूप में शिमला समझौते से विरासत में मिली है।

भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर मौजूद कार्यसूची के हिस्से के रूप में लाहौर घोषणापत्र पहले से ही मौजूद था।

हमने पाकिस्तान के सामने यह बात दुहराई थी। उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि ये मुद्दे बातचीत की कार्यसूची में शामिल है। तीसरी बात यह कि समग्रवार्ता की प्रक्रिया, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत के मुद्दों को निर्धारित और सूचीबद्ध किया था, वह एक निर्धारित कार्यसूची थी। हमने पाकिस्तान के सामने वही कार्यसूची दुहराई थी। चौथी बात, पाकिस्तान के बार-बार यह कहने के बावजूद कि वे कोई कार्यसूची नहीं चाहते- मैं एक मिनट में इस पर विस्तार से कहूंगा-लिखित रूप से विदेश मंत्रालय के संबंधित प्रभाग ने मुद्देवार कार्यसूची का प्रस्ताव किया था कि जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आयें तो इस कार्यसूची पर बातचीत होनी चाहिये।

यह टिप्पणी गंभीर नहीं है कि इतने बड़े परिपक्व और अनुभवी देश को हममें कमी दिखती है- जिसे राजनैतिक भूल ढूंढने की प्रक्रिया में बदल दिया गया है- देश की व्यवस्था में दोष निकालते हैं जिस व्यवस्था ने देश की इतनी अच्छी सेवा की है। ये सभी कार्यसूचियां वहां रखी गई थीं। पाकिस्तान सरकार के पास क्या कार्य सूची थी? पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने क्या प्रस्ताव रखा? स्वयं पाकिस्तान सरकार अंत तक स्पष्ट नहीं थी क्योंकि पाक राष्ट्रपति ने अपने सत्ता प्रतिष्ठान को पूर्णतः विश्वास में नहीं लिया था। इसके अलावा हमने यह प्रस्ताव किया था- जैसा कि सामान्यतः होता है-कि यात्रा पर आये सरकार/राज्य प्रमुख और प्रधानमंत्री की एकांत में होने वाली बातचीत के अलावा पूर्ण प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी होनी चाहिये। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप में भारत जिन बातों को शामिल करना चाहता था उसका पाठ पहले से ही तैयार कर लिया गया था।

मैं कोई शासनीय गोपनीयता की बात प्रकट नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तानी पक्ष के पास कोई पहले से तैयार पाठ नहीं था। यात्रा पर आये सरकार/राज्य प्रमुख द्वारा हस्तक्षेप किये जाने वाले बिन्दुओं को पाकिस्तान द्वारा उस समय तैयार किया गया जहां भारतीय प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे। यह एक विशेष परिस्थिति थी। यदि मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहूं तो यह सेना की सादगी का एक प्रतीक था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अपने सैनिक गुणों का गुणगान करने में शर्म नहीं महसूस करते। वे यह कहने में कभी नहीं हिचकिचाते कि उनमें एक सैनिक के गुण हैं। हम सभी ने उनके सैन्य गुणों की प्रशंसा की।

श्री संतोष मोहन देव: वे यह भूल गये कि आपमें भी ये गुण हैं।

श्री जसवन्त सिंह: मैं यह नहीं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: कृपया बीच में मत बोलिये।

श्री जसवन्त सिंह: लेकिन एक देश के रूप में, भारत भी सैन्य कौशल की दृष्टि से अक्षम नहीं है। दो शासन प्रमुखों के बीच वार्ता के लिए जो अपेक्षित था वह सैन्य कौशल अथवा सैन्य निदेशन का प्रदर्शन करना नहीं था। इसमें कुछ ऐसे विषय और जटिल मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था जिनमें भू-भाग शामिल नहीं था क्योंकि जम्मू और कश्मीर - मैं फिर कहता हूं - कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, इसमें लोगों की जटिल भावनाएं शामिल हैं। हमें अतीत में की गई त्रुटियों की जटिलताओं पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था उसमें यह बात साफ तौर पर स्पष्ट कर दी गई थी कि यह विवादित क्षेत्र नहीं है, अतः हम किन-किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं?

क्या हम सिर्फ श्रीनगर घाटी या कश्मीर घाटी की ही बात कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर राज्य अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 में परिभाषित है, जिसे 14 जून को स्पष्ट करके मैंने 11 जुलाई के

संवाददाता सम्मेलन में भी स्पष्ट कर दिया था। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था ''मैं कैसे बात करूं? मैं भारत के संविधान के साथ समझौता कैसे करूं? और इस जम्मू और कश्मीर में कौन-कौन से भाग हैं? इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तथा साक्षगाम घाटी सहित वह समस्त भाग शामिल हैं जो अनुसूची 1 में वर्णित है। साक्षगाम घाटी 380 वर्ग किलोमीटर का ऐसा भू-भाग है जिसे पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से चीन गणराज्य को दे दिया गया था। चीन अभी भी इसकी पूर्ण पुष्टि नहीं करता है और इस मुद्दे को अन्तिम निपटान के लिए छोड़ रखा है। इसलिए हम इस मुद्दे को किस रूप में मानें? क्या हमें इसे एक विवादित क्षेत्र मानना होगा?

मैंने कहा था ''क्या आप इसका उल्लेख विवाद के रूप में सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीनगर घाटी में इस्लाम की पाक आस्था को मानने वाली भारतीय नागरिकों की जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत या इससे अधिक है? तब मैंने दौरे पर आए गणमान्य नेता से कहा, ''मैं आज आपको भारत के उन कई जिलों की संख्या के बारे में बता सकता हूं जहां इस्लाम की पाक आस्था को मानने वाले भारतीय नागरिकों की जनसंख्या भी इतनी ही है। मैं उन जिलों का क्या करूंगा? आप उन जिलों पर अपना दावा सिर्फ उनकी जनसंख्या के आधार पर करोगे...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम सभी समझते हैं कि आपने वह बात बिल्कुल ठीक कही लेकिन जब परवेज मुशर्रफ ने आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बताकर हमारा अपमान किया, तो आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की और मीडिया को इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं कहा कि आपमें भी सैन्य कौशल है और आप हर तरह से सक्षम हैं। आपको यह सब मीडिया से कहना चाहिए था लेकिन आपने नहीं कहा। यह बातें आपने उस समय क्यों नहीं कहीं? आपने उन्हें हमारा अपमान करने दिया।

श्री जसवन्त सिंह: मैंने वह बात कही थी। कृपया मुझे बोलने दें। मुख्यत: तीन या चार मुद्दे थे : तैयारी, कार्यसूची और मीडिया भी। मैं मीडिया के मुद्दे पर ही आने वाला था। ईश्वर ने मुझे जितनी भी क्षमता दी है मैं प्रश्नों का उत्तर उतनी ही योग्यता से देने का प्रयत्न करूंगा। मैं मीडिया से संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा लेकिन चूंकि मैं कार्यसूची से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे रहा था इसलिए पहले मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों की शंकाओं का समाधान करना चाहूंगा।

यह विवादित क्षेत्र नहीं है। मैंने कहा 'यदि आपका प्रस्ताव तर्कसंगत प्रस्ताव है भी तो मैं भारत के इन जिलों का क्या करूंगा? ऐसे जिले उत्तर प्रदेश और बिहार के केन्द्र में हैं। पश्चिम बंगाल में हैं, केरल और तमिलनाडु में हैं। यदि आपकी धारणा या सिद्धान्त को किसी के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है, तो मैं इन जिलों के बारे में क्या करूंगा? क्या मुझे इन जिलों को रेलवे रैक में रखकर पश्चिम पाकिस्तान को भेजना होगा? मैं ऐसा कैसे कर सकूंगा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं।' मैं इन्हीं शर्तों पर टिका था और मैंने ऐसा ही कहा। यह धारणा पूर्णत: अस्वीकार्य है। यह धारणा या यह सिद्धान्त कि जम्मू और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है हमें स्वीकार्य नहीं है। इसको लेकर कभी कोई अस्पष्टता नहीं थी; कोई अस्पष्टता नहीं है और कभी कोई अस्पष्टता नहीं होगी। लेकिन हम उनके साथ बैठने को तैयार है। हम उनके साथ बातचीत करेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.): माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अपना दावा जताया था या नहीं?

श्री जसवन्त सिंह: सभापति जी, माननीय सदस्य की इस बात का स्पष्टीकरण मैं पहले दे चुका हूं। क्योंकि आपने उतावलेपन में यह प्रश्न पूछा है, मैं उतावलेपन का उत्तर नहीं दूंगा पर आपको उत्तर जरूर दूंगा। जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने अभी कहा था कि जब यह प्रश्न उठा, पाकिस्तान के सत्तार साहब जब फरमाने लगे कि जम्मू-कश्मीर कोर इश्यू है तो माननीय अटल जी ने कहा था कि कोर इश्यू है तो हमें कोर इश्यू में जाना होगा और फिर आपको हमें बताना होगा जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सन् 1947-48 सक्षगाम वैली, चितराल, ल्हासा, यह सब क्या मसला है? उन्होंने कहा कि यह इतिहास की बात है। कहने में, स्पष्ट करने में उनको जैसा कहते हैं उनको शीशा दिखाने में कोई कमी नहीं रही...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे खेद है, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। मुझे उत्तर देना पड़ रहा है क्योंकि यह पहला अवसर है जब सरकार यह सुस्पष्ट कर देना चाहती है कि राज्य के गम्भीर मामले हमेशा मर्यादा और गोपनीयता की दृष्टि से देखे जाने चाहिएं-कुछ बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

प्रथमत: कृपया यह समझ लें कि आगरा शिखर वार्ता की प्रकृति एकान्त में होने वाली वार्ता की थी। सामान्यत: 'एकान्त' शब्द से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी बैठक जहां आगन्तुक राष्ट्राध्यक्ष/सरकार और मेजबान राष्ट्राध्यक्ष/सरकार के साथ एकांत स्थल पर शान्तिपूर्वक, प्रेस से दूर, प्रचार से दूर मिलते हैं जिससे वे उलझे हुए और पेचीदा मुद्दों पर अकेले में बातचीत करने में समर्थ हो सकें और उनकी बातचीत में गोपनीयता बनी रह सके। इस प्रकार के एकान्त स्थलीय बैठकों में जब दो सरकारों के प्रमुख मिलते हैं

[श्री जसवन्तसिंह]

तो टिप्पणी लिखनेवाले भी उपस्थित नहीं रहते। टिप्पणी लिखनेवाले इसलिए उपस्थित नहीं रहते ताकि दोनों राष्ट्रों के प्रमुख उन विषयों पर एकदम खुलकर बोल सकें जिन पर वे सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते हों क्योंकि स्वाभाविक तौर पर, जटिल मुद्दों पर हमेशा न केवल राष्ट्र की नीति के बड़े पहलू शामिल होते हैं बल्कि जनभावना भी इसमें शामिल रहती है। आगरा शिखरवार्ता का यही स्वरूप था।

महोदय, इससे पहले क्या हुआ? हमने सुझाव दिया, और यहां भी फिर से मैं गोपनीयता का सम्मान करते हुए मैं यह कहूंगा कि यह सुझाव दिया गया था कि इस यात्रा को उपयोगी बनाने के लिए हमें सीधे गोवा में मिलना चाहिए। यह राजधानी से काफी दूर होगा। मैं तो कहूंगा कि राजधानी का जीवन वैसे भी कोलाहल और हलचल भरा होता है। गोवा में दोनों नेता एकान्त में मिल सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। हम 14 और 15 तारीख को मिलें जिससे 16 तारीख सुरक्षित दिन के तौर पर उपलब्ध रहे। आगन्तुक विशिष्ट व्यक्ति ने सीधे प्रधानमंत्री को निवेदन किया और कहा कि मैं दिल्ली अवश्य आऊंगा, इसके बाद मेजबान राष्ट्र के लिए यह संभव नहीं था कि वह यह कहे कि नहीं, आप दिल्ली नहीं आ सकते। आगन्तुक राष्ट्राध्यक्ष का सभी प्रकार से सम्मान करते हुए दिल्ली को यात्रा के प्रथम पड़ाव के लिए नियत किया गया। पुनः यह निर्णय लिया गया कि आगन्तुक राष्ट्राध्यक्ष के आगमन के पश्चात् कुछ रस्मों, सम्मान गारद, राष्ट्रपति के द्वारा भोज इत्यादि के तुरन्त बाद दोनों राष्ट्रों के प्रमुख एकान्तवास के लिए आगरा चले जाएंगे जिससे हमारे पास जुलाई की 14, 15 और 16 तारीख बची रहेगी। एक अनुरोध किया गया।

[हिन्दी]

''दिल्ली में एक रात रहना जरूरी है।'' कोई मेहमान आ रहा है और अगर ऐसा होता है और वह कहता है, फिर क्या हम यह कहेंगे कि नहीं, दिल्ली में आप नहीं रह सकते।

[अनुवाद]

महोदय, 14 जुलाई को क्या हुआ? 14 तारीख को जो हुआ उसके प्रति हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते थे, ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के सन्दर्भ में क्या किया गया? उनका किसी भी तरह का दावा नहीं है। उनकी जम्मू और कश्मीर के साथ किसी भी तरह की प्रतिनिधिक पहचान नहीं है। यदि वे जम्मू और कश्मीर के साथ प्रतिनिधिक पहचान बनाना चाहते हैं तो जम्मू और कश्मीर के किसी भी अन्य नागरिक की भांति चुनाव में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।

श्री आर.एल. भाटिया: तब आपने श्री के.सी. पंत को उनसे बात करने के लिए कश्मीर क्यों भेजा अगर आप उनको मान्यता ही नहीं देते?

श्री जसवन्त सिंह: श्री के.सी. पंत को यह निदेश दिया गया था कि केवल आलपार्टी हूर्रियत कांफ्रेंस से बात न करें बल्कि जम्मू और कश्मीर के सभी गुटों से बातचीत करें जो अब सामान्य स्थिति के रास्ते पर वापस आना चाहते हैं और हिंसा त्यागना चाहते हैं, और कई लोग इस दिशा में आगे आए भी हैं। यह आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस ही है जो पाकिस्तान के दबाव में हैं। आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस का स्वभाव न तो आपसे और न हमसे छुपा हुआ है। वे ए.पी.एच.सी. को छोड़ कर किसी और का न तो प्रतिनिधित्व करते हैं और न किसी की बात कहते हैं। वे जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं और अभिलाषाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम जानते थे कि क्या हो रहा है लेकिन अन्ततः आगन्तुक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति शिष्टाचार के कारण हमने उन्हें सभी से मिलने की छूट दी। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह शिष्टाचार और आतिथ्य का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश है। मुझे यह करने की जरूरत नहीं है कि 'अतिथि देवो भवः' आगन्तुक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण था।

इसके बाद 15 जुलाई का दिन आया। मैं उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। 15 तारीख की वार्ता कुछ विलम्ब से शुरू हुई क्योंकि आगमन इत्यादि देर से हुआ था। 11 बजे के बाद उसके आस-पास दोनों नेताओं में अकेले वार्ता शुरू हुई। 15 तारीख के अपराह्न की समाप्ति भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्व सहमति वाले संयुक्त वक्तव्य के साथ हुई जिसमें तब तक हुई बातचीत का ब्यौरा था।

पंद्रह की शाम को उ.प्र. के राज्यपाल द्वारा भोज से पहले संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाना था। हमारा यह मानना था कि जो कछ भी घटित हुआ है वह उन सब बातों के सार और चर्चा में जिन-जिन बातों पर बल दिया गया है, को संयुक्त वक्तव्य में शामिल किया जाएगा और विषय से हटकर कोई बात नहीं की जाएगी। वहां पर मीडिया की बहुत बड़ी टीम उपस्थित थी। माननीया सूचना और प्रसारण मंत्री जो मंत्रिमंडल में मेरी आदरणीय साथी हैं वे आगरा गई चूंकि हमने विदेश मंत्रालय से उन्हें वहां जाने का अनुरोध किया था। मैंने भी उनसे अनुरोध किया था। प्रधान मंत्री जी ने उन्हें वहां आने के लिए कहा था। उन्होंने प्रेस को वही बताया जिसके लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया था और उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ओर से भी यह अधिकार प्राप्त था। पाकिस्तान की शह पर यह कहना कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक सदस्य बिना अधिकार के वहां बोली हैं, पूर्णतः अनुचित है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। वहां पर कोई क्षति नहीं हुई। क्षति आपके दिमाग में हुई है। वहां पर बिलकुल भी कोई क्षति नहीं हुई।

संयुक्त वक्तव्य पंद्रह तारीख की बातचीत का परिणाम था। यह निर्णय लिया गया कि पंद्रह को हम एक संयुक्त दस्तावेज जारी करने का प्रयास करेंगे। एक संयुक्त वक्तव्य अथवा घोषणा जारी करने का प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव भी आया, ''क्यों न घोषणा की जाए?'' भारत ने तैयार कर लिया था - हमारे पास प्रेस वक्तव्य अथवा घोषणा के प्रारूप तैयार थे। मैं इस विडंबना पर हैरान हूं जब यह कहा जा रहा है कि हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। यदि कोई तैयारी थी, तो वह वास्तव में भारतीय पक्ष की ओर से ही थी। हमारे पास प्रेस वक्तव्य अथवा संयुक्त वक्तव्य का एक संभाव्य प्रारूप तैयार थे। घोषणा अथवा इससे भी अधिक कुछ होता तो इसके लिए हमारे पास संभाव्य प्रारूप तैयार थे। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि दौरे पर आए विशिष्ट मेहमान ने किस प्रकार इस कार्य को करना है। हमने कहा, ''कृपया अपने अधिकारियों को हमारे अधिकारियों के पास भेंजे ताकि प्रारूप पर काम किया जा सके।'' उन्हें सायं 4.30 बजे बैठना था। यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो पंद्रह को सांय 4.30 बजे अथवा 5.00 बजे का समय था। मैं अब पंद्रह की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आगरा पहुंच गए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रामदास आठवले: वह चर्चा दिल्ली में भी हो सकती थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए।

श्री जसवन्त सिंह: पाकिस्तानी दल के अधिकारियों को यह सुझाव दिया गया था कि दोनों पक्ष के अधिकारियों को साथ बैठ कर दस्तावेज पर काम प्रारंभ करने दें ताकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिए जा रहे भोज से पहले, दस्तावेज पर कुछ कार्य हो सके। मैं उनकी गलती नहीं निकालता। लेकिन यह एक तथ्य है। पाकिस्तानी पक्ष के अधिकारी हमारे अधिकारियों के साथ इसलिए बैठे क्योंकि उन्हें कोई निर्देश नहीं थे और उन्हें कोई अनुदेश नहीं दिए गए थे और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। भोज समाप्त होने के बाद पंद्रह की रात के 11.00 बज चुके थे और अंतत: रात को 11.00 बजे पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि वे तब हमारे साथ बैठने को तैयार हैं। यह सब पंद्रह की शाम को हुआ। तब केवल आधा दिन शेष बचा था।

[हिन्दी]

श्री संतोष मोहन देव: नमक खाने के बाद।

श्री जसवन्त सिंह: हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

मैं उन अधिकारियों की कर्त्तव्य निष्ठा और कठोर परिश्रम की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सुबह 4.30 बजे तक एक साथ बैठकर काम किया। संभावित रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। हां, उस रूपरेखा में ऐसा मसौदा था, जिसे कूटनीतिक भाषा में स्क्वेयर ब्रैकेट कहा जाता है। स्क्वेयर ब्रैकेट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोई समझौता नहीं होता। इस दस्तावेज को राष्ट्राध्यक्षों को 16 को सुबह दिया गया था। अब, कृपया इस पर विचार करें। आरंभिक कार्यक्रम यह था कि विशिष्ट अतिथि 16 को दोपहर बाद 2.30 बजे आगरा से प्रस्थान करेंगे। ताकि वह जयपुर जा सके और उसके बाद वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा अजमेर ले जाया जाए जिससे वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ जा सकें। अत: हम जानते थे और हम अब पहले से ही इसके लिए तैयार थे कि हमारे पास समय का अभाव था। सुबह के 11.00 बज चुके थे।

महोदय, कई प्रश्न उठाए गए हैं। मेरे मित्र, साथी और कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसा प्रारूप था जिस पर मैंने अपने हाथ से सुधार किए हों? महोदय, मैं आपको बता दूं कि यह सब केवल एक कागज का टुकड़ा तो था नहीं और कागज के बहुत सारे ऐसे पन्ने थे जिन पर मैंने पंजाबी, अंग्रेजी और व्याकरण के स्तर पर लेकर विराम चिह्न आदि जैसे हर प्रकार के सुधार करने का प्रयास किया हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जोधपुरी अंग्रेजी में...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: जी नहीं, मैं समझता हूं कि मेरी त्रुटि निकालना ठीक नहीं है।

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की संतुष्टि के लिए इस संबंध में कुछ और कहना चाहता हूं। मैं सरकार की कोई गुप्त बात यहां पर नहीं बता रहा हूं। मैं यह बात माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं क्योंकि इस पृष्ठभूमि में प्रचार माध्यम प्रबंधन का प्रश्न उठा है। आगन्तुक शासनाध्यक्ष ने प्रधान मंत्री के साथ मसौदा लेखन का कार्य आरंभ किया। महोदय, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष ने बाद में इस्लामाबाद में यह बात स्पष्ट की उन्होंने कहा कि 'घोषणा क्या है?' यह तो केवल अंग्रेजी में एक रचना लिखने का कार्य है। मैं आधे घण्टे में इसे कर सकता हूं। मैं यह बात बाद में

[श्री जसवन्तसिंह]

सोचकर नहीं जोड़ रहा हूं। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने यह वक्तव्य दिया उन्होंने कहा कि बस यही सब घोषणा है। अत: जब आगन्तुक राष्ट्राध्यक्ष द्वारा प्रयास किए जा रहे थे निसंदेह वह लिखे गए मसौदे में संशोधन करने अथवा मसौदा लेखन के समय सैन्य स्पष्ट-वादिता से प्रेरित थे।...*(व्यवधान)* फिर मैंने यह सुझाव दिया कि यह काम इस तरह से नहीं होना चाहिए।

यद्यपि यह अकेले में होने वाली वार्ता थी लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेहतर यह होगा कि मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जिन पर सहमति नहीं हो पा रही थी और मैं इस बारे में बेहतर ढंग से स्पष्ट कर सकूंगा। इसके बाद यह सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री सत्तार साहब को भी इसमें शामिल किया जाए। तब उस समय यह सुझाव दिया गया था कि शासनाध्यक्षों को मसौदा लेखन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए। यहां तक की विदेश मंत्री को भी मसौदा लेखन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए। खास कारणों की वजह से इसे अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री केवल हस्ताक्षर करने के लिए हैं।

श्री जसवन्त सिंह: निश्चय ही, विदेश मंत्री अथवा शासनाध्यक्ष यह काम नहीं करते हैं। लेकिन यदि आगन्तुक पक्ष यह कहता है कि इसे इस तरह से किया जाना चाहिए हम विनम्रतापूर्वक यह कहते रहे कि यह इस तरह से नहीं किया जाता हैं और यदि आगन्तुक पक्ष यह कहता है कि हम इसे इस तरह से करेंगे तो जहां तक संभव हो आप उनका मार्गदर्शन कीजिए और कहिए।

[हिन्दी]

"इस तरीके से नहीं, यह बेहतर होगा, इसको ऐसा किया जाए। इससे ज्यादा और क्या गुस्ताखी होगी।"

[अनुवाद]

इससे आगे संभव नहीं था। अत: मसौदा लेखन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और मेरे बीच मसौदा लेखन की जो प्रक्रिया चली उसमें मैंने पेंसिल से संशोधन किए और नि:संदेह रूप से उन्होंने भी पेंसिल से संशोधन किए। मैंने आज तक वे सब बातें समाचार पत्रों को जाहिर नहीं की है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के विदेश मंत्री महोदय ने अपने पेंसिल से ये शब्द लिखे।

[अनुवाद]

जैसा कि मेरे अच्छे मित्र और वरिष्ठ तथा सुस्थापित अधिवक्ता श्री सोमनाथ चटर्जी जानते हैं कि अधिवक्ताओं को बहुत सारी चीजें ठीक करनी होती हैं। वह अपने विशिष्ट कानूनी जीवन-वृत्त में किसी मामले पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करता जब तक कि वह स्पष्ट नहीं हो जाता और उसमें सुधार तथा संशाधन करता रहता है। परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया में किसी चीज को दस्तावेज कैसे माना जा सकता है? कोई भी कागज-पत्र तक 'दस्तावेज नहीं कहलाता है' जब तक कि उस पर दोनों शासनाध्यक्षों के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं।

बाकी सब कुछ अब इतिहास बन चुका है। साढ़े बारह बजे की नियत समय-सीमा का पालन नहीं हो सका। बातचीत लम्बी खिंचती गई। हरसंभव प्रयास किया गया था। इसमें क्या रूकावट थी? जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें रूकावट यह थी कि पाकिस्तान निरन्तर इस बात पर जोर देता रहा और अड़ियल रवैया अपनाए रहा कि आगे प्रगति जम्मू और कश्मीर के मामले पर निर्भर करती है।

कई मित्रों ने पूछा कि वह नौ मदें क्या थीं। वह सभी समग्र वार्ता प्रक्रिया में सम्मिलित कुछ पहलू और मुद्दे थे। इसमें परमाणु विश्वासोत्पादक उपाय, परमाणु जोखिम में कमी, सियाचिन, वुलर, सर क्रीक, वाणिज्यिक संबंध और सभी प्रकार की बातों पर चर्चाएं शामिल थी। मैं इन सब बातों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि माननीय सदस्य इन बातों से अनभिज्ञ हैं। हमने कहा है कि सरकार ने चार, छह और नौ जुलाई को अनेक एक तरफा कदमों की घोषणा की है जैसे आर्थिक, परमाणु विश्वासोत्पादक, सैन्य कार्यवाही महानिदेशकों के बीच बात-चीत, 50 लाइनों की पहचान। यद्यपि पाकिस्तान ने भारत को प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है। इनमें श्रीनगर-मुजफ्फराबाद राजमार्ग और संभवत: मोनाबाऊ-कोकराभर लाइन को खोलना शामिल है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी क्षेत्रवाद की भावना से इसकी सिफारिश की है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या ये सड़कें आतंकवादियों के लिए खोली जा रही है?

श्री जसवन्त सिंह: आतंकवादी ऐसे रास्तों से नहीं जाते हैं जो सरकारी तौर पर खुले रहते हैं। आतंकवादी अन्य रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और मेरे मित्र यह जानते हैं। ये कदम पहले ही उठा लिए गए थे। इस पृष्ठभूमि में हमसे मीडिया का प्रश्न किया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि हमने संचार माध्यमों को यथेष्ठ रूप से सूचित नहीं रखा। मैंने वही कहा है जो घटित हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मुझे जब भी आवश्यक लगा मैंने प्रेस से सम्पर्क किया और भारत के रवैए को स्पष्ट किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: सुषमा जी की सहायता से।

श्री जसवन्त सिंह: हां, बिलकुल वे वहां मौजूद थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की मदद के बिना मैं भारत के पक्ष को सामने कैसे रख सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या उन्होंने भाषण को मंजूरी दी थी?

श्री जसवन्त सिंह: नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कृपया मेरी बहन पर आरोप नहीं लगाएं।

श्री जसवन्त सिंह: मुझे खुशी है कि उन पर आरोप नहीं लगाया गया है...*(व्यवधान)* यह जरूरी समझा गया है कि मैं 14 जून को प्रेस से मिलूं और यह तिथि प्रस्तावित यात्रा से काफी पहले थी क्योंकि इस यात्रा की घोषणा के तुरंत बाद हमने देखा कि महामहिम जनरल परवेज मुशर्रफ ने धड़ा-धड़ कई साक्षात्कार दिए उन्होंने दो-तीन-चार अनेक साक्षात्कार दिए। उन्होंने एक दिन में चार-चार साक्षात्कार दिए। वास्तव में मेरे विचार में मुझे लगा कि ऐसा करना आवश्यक नहीं और निश्चय ही हमारे प्रधान मंत्री भी एक दिन में चार-चार साक्षात्कार देने लगें - ऐसा वे नहीं कर सकते। ऐसा करना आवश्यक नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम पाकिस्तान के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की नीति भारत-केन्द्रित है। जबकि हमें और भी बहुत कुछ करना है। यह देश आगे बढ़ रहा है। बहुत सी बातें घटित हो रही थीं। अस्तु, मैंने वैसा नहीं किया।

तत्पश्चात् बहुत सी बातें हो रही थीं। मैंने यह आवश्यक समझा उनकी यात्रा की पूर्व संध्या पर मैं भारत का पक्ष पुनः स्पष्ट कर दूं और मैंने उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को ''सर्वथा अनुचित'' बताया। इसी प्रकार मैंने 11 जुलाई को पुनः प्रेस सम्मेलन बुलाया। उक्त सम्मेलन पूरे एक घंटा चला था।

इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान मैंने यह उचित नहीं समझा कि हम भी पाकिस्तान की तरह पेश आएं। हम पाकिस्तान द्वारा कायम किए गए उदाहरणों का अनुसरण नहीं करते। निःसंदेह पाकिस्तान को क्या करना है इसका निर्णय व चयन उसके द्वारा समझबूझ कर किया जाता है। हमने इसे ठीक नहीं समझा कि जो रास्ता पाकिस्तान ने अपनाया है हम भी वही अपनायें।

महोदय, मुझे यह भी बता देना चाहिए कि माननीय जनरल मुशर्रफ ने 17 जुलाई को या यों कहें कि 16 जुलाई की मध्य रात्रि के आसपास स्वेदश के लिए प्रस्थान किया, और चूंकि कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि जैसी बात नहीं थी इसलिए मैंने यह आवश्यक नहीं समझा कि मध्य रात्रि में ही प्रेस को सम्बोधित करूं। मैं 17 जुलाई की सुबह प्रेस से मिला और मैंने स्पष्टरूप से भारत के पक्ष को रखा और वार्ता के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे ज्यों का त्यों प्रेस के समक्ष रखा। अब जो गलती बताई जा रही है वह यह है कि हमने भी वो सब क्यों नहीं किया जो पाकिस्तान कर रहा था। महोदय, मैं बताऊंगा कि ऐसा करना क्यों संभव नहीं था। भारत का सरोकार केवल पाकिस्तान से नहीं है बल्कि पूरे विश्व समुदाय से है।

मुझे एस बात का खेद है कि मीडिया के हमारे मित्रों को निराश होना पड़ा। मीडिया के मित्रों ने जनरल मुशर्रफ तथा भारत के प्रधानमंत्री की बैठक के संबंध में अपनी ही ओर से कुछ निष्कर्ष निकाले थे लेकिन जब बैठक का निष्कर्ष उनकी सोच से अलग कुछ और निकला तो इसे असफल होना बताया गया। मेरा विचार इससे भिन्न है।

मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने जो कुछ भी किया उसका आधार यह नहीं था। हमारी पहल को पूरे विश्व ने इसलिए सराहा क्योंकि हमने जिम्मेदारी तथा संयम दर्शाया। इसलिए हमने वैसा नहीं किया। 1998 के दौरान भी उन्हीं देशों ने...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: भारत आने से दस दिन पहले वह कह रहे थे कि हिन्दुस्तान में जा रहे हैं और कश्मीर मेरा मेन मुद्दा है लेकिन हमारी तरफ से दस दिन क्या पांच दिन पहले यह कहा जा रहा था कि वह दिल्ली स्थित अपनी नहर वाली हवेली में इस समय आ रहे हैं। आपने भी दस दिन पहले क्यों नहीं बताया?

सभापति महोदय: मंत्री जी, आपको अभी कितना समय और लगेगा?

श्री जसवन्त सिंह: अभी पांच-सात मिनट में समाप्त कर रहा हूं? मुझे बड़ा खेद है कि माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी फरमा रहे हैं कि उन्होंने यहां आने से दस दिन पहले बयान दिया और हमने क्यों नहीं अपना बयान दिया?

सायं 7.00 बजे

महोदय, मैंने अभी दो मिनट पहले ही कहा कि 11 जुलाई को मैंने साफ बता दिया था कि टैरेरिज्म, जम्मू-कश्मीर और अन्य मसलों पर भारत का क्या रवैया है और क्या हमारी पोजीशन है।

[श्री जसवन्तसिंह]

हो सकता है, माननीय सदस्य ने मेरा यह बयान न सुना हो, न देखा हो।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: लेकिन दुनिया को आवाज नहीं पहुंच पाई।

श्री जसवन्त सिंह: अभी जो कहा है, वह भी न सुनें, तो यह मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, यथार्थ के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और मुझे तो लगता है कि भारत के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं मानता हूँ कि हम उस युग में रह रहे हैं जिसे "सूचना का युग" कहा जाता है। सभी बातों के साथ-साथ हमें सूचना-विज्ञापन साफ्टवेयर तथा वैसा ही अन्य विकासपरक बातों को लेकर चलना है। मेरा यह भी मानना है कि वर्तमान युग सब कुछ तत्काल हो, का युग है। मैं विशेष कर समाचार के संदर्भ में समय के महत्व को समझता हूं-दृश्य मीडिया के बाहुल्य में इसे पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। यदि समाचार का तत्काल प्रसारण न हो तो दृश्य मीडिया का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यदि आप उक्त घटना को 24 घंटे समाचार की व्यवस्था से जोड़ कर देखें या इसे आप जनरल मुशर्रफ की यात्रा से पहले इस प्रकरण को जिस प्रकार मीडिया में उछाला गया, उससे जोड़कर देखें तब उस हिसाब से समाचार के लिए चौबीसों घंटे कुछ घटित होता रहे। ऐसे आवश्यक लगेगा - अन्यथा सब कुछ विफल नजर आयेगा। महोदय - मैं, आपसे कहना चाहूंगा कि "महत्वपर्ण राष्ट्रीय नीति" के संबंध में जबकि ऐसे मुद्दे सन्निहित हों, ऐसा कदापि संभव नहीं है।

यहां केवल एक या दो बातें हैं। यह सब जानते हुए कि - हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, स्वतंत्र देश हैं - आगन्तुक अतिथि का आदर करना तथा वह जो कुछ भी करता है उसका ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य है। यदि आगन्तुक अतिथि स्थापित परम्पराओं तथा कूटनीतिक व्यवहार के मापदंडों का उल्लंघन करता है तब भी हम अपने खुलेपन तथा प्रेस से बातचीत करने की स्वतंत्रता के मद्दे नजर उसे इसकी अनुमति देते रहेंगे क्योंकि यह भारत की शक्ति का द्योतक है। जनरल मुशर्रफ जो भी करें उससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ता।

इससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हमारे विशिष्ट सम्पादकों के बीच, जिनमें से कुछ को उसके बारे में कोई पूर्व जानकारी भी नहीं थी, उन्होंने जो कुछ भी कहा और जिस तरह से उसका सीधा प्रसारण करवाया वह स्थापित कूटनीतिक व्यवहार के प्रतिकूल था; विशेषकर तब जब यह एक शिखरवार्ता थी, महत्वपूर्ण बैठक थी और एकांत में आयोजित थी। यह बात मीडिया के संबध में थी। क्या हम कुछ बेहतर कर सकते थे? निश्चय ही कर सकते थे। क्या हम निपुणता से मीडिया प्रबंधन कर पाये? नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाये। मीडिया-प्रबंधन की विफलता का दोष किसका है? यह दोष मेरा है। विदेश मंत्री होने के नाते यह जिम्मेदारी मेरी है। पूरी बैठक की जिम्मेदारी मेरी थी। आप यह दोष हमारे साथी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अथवा किसी अन्य पर कैसे लगा सकते हैं? यदि कहीं कोई गलती थी, कुछ कमियां अथवा खामियां थी तो उन सब की जिम्मेदारी मेरी है और इन सबके लिए मैं ही जवाबदेह हूं।

हम ऐसे प्रत्येक आयोजन का विदेश मंत्रालय में विश्लेषण करते हैं चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, और प्रत्येक घटना का विश्लेषण कर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या कुछ अलग हट कर किया जा सकता है। इस मामले में भी हम वैसा ही करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उनकी क्षमता, योग्यता कूटनीति के क्षेत्र में उनके वृहत ज्ञान तथा मीडिया-प्रबंधन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास है कि उनका कहना सही है। लेकिन मैं यह सब कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि मैं भी किसी नतीजे का इंतजार कर रहा था। यही पता चला था कि वार्ता सफल नहीं हुई। हमारे प्रवक्ता ने उस रात एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा व्यवहार एक परिपक्व राष्ट्र जैसा व्यवहार था। आप लोगों से क्या छुपाने का प्रयास कर रहे थे? किसी को कुछ भी पता नहीं था। यह सही है कि दूसरे दिन सुबह आपने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तत्काल सूचना का महत्व होता है। इस यात्रा को न केवल देश में बल्कि बाहर भी मीडिया में खूब प्रचारित किया गया था। जैसा कि मैंने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि इस यात्रा के दौरान चाय पार्टी अथवा भोजन पर मिले आमंत्रण को भी प्रतिष्ठा सूचक के रूप में लिया जाता है। इस संबंध में थोड़ी और स्पष्ट सूचना क्यों नहीं दी गई जैसा कि छोटी से छोटी घटना के बारे में किया गया। मैं जानता हूं कि यह सब विदेश मंत्री का काम था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि उक्त रिपोर्ट इतनी संक्षिप्त कैसे थी। संक्षिप्त रिपोर्ट जरूरी नहीं कि हमेशा प्रसंशनीय सिद्ध हो, माननीय विदेश मंत्री जी शायद यह सब समय की वजह से हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह: हमारे वरिष्ठ, प्रतिष्ठित वकील तथा विशिष्ट संसदविद श्री सोमनाथ चटर्जी जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे हमेशा गंभीरता से लेता हूं। मैंने आपकी टिप्पणी को नोट कर लिया है और यदि आप उसे नहीं भी दोहराते तब भी मैं नोट कर लेता।

महोदय, मैं जानता हूं कि आपने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा, उसे मैंने तैयार किया था। किंतु आपका कहना सही था। निश्चय ही, मंत्री होने के नाते मुझे अपने प्रवक्ता की मदद करनी थी। जो कुछ भी कहा गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है। दूसरी बात यह रह जाती है कि संवाददाता सम्मेलन दूसरे दिन 10 बजे बुलाने की बजाय उसी रात बुलाया गया और केवल एक पंक्ति में जानकारी दी गई। निश्चय ही ऐसा किया जा सकता था। यदि सारी बातों को देखें तो उक्त संवाददाता सम्मेलन 10 बजे करने के बजाए तथा मध्यरात्रि को एक पंक्ति का वक्तव्य देने के बजाए यदि मैं कुछ और कह देता तो शायद इससे भूख...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: ऐसी धारणा थी कि सरकार ने अभी अपना मन नहीं बनाया है।

श्री जसवन्त सिंह: लेकिन यह धारणा सही नहीं थी। मैं समझता हूं कि धारणा भूल से बनी थी। इसमें अंतर इतना ही है और मैं इस बारे में अपनी बुद्धि के बेहतर इस्तेमाल को सही मानता हूं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपके पीछे कुछ सदस्य सर हिला कर सहमति जता रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: यदि आप तथ्यों तथा परिस्थिति को देखें, तो आप पायेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि स्वदेश लौटने को तैयार खड़े थे...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं आपको संदेह का लाभ देता हूं।

श्री जसवन्त सिंह: धन्यवाद। मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। विस्तृत टिप्पणियां की गई हैं और मुझे इन सभी का उत्तर देना है। अन्यथा, यह माना जाएगा कि समय तथा कार्यक्रम - विदेशी दबाव में बनाया गया था। अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा भी है। मेरे विशिष्ट मित्र साथी श्री आर.एल. भाटिया भी ऐसा ही कहेंगे तो मुझे निराशा होती है। कोई प्रश्न नहीं है। इसकी शुरूआत 1998 में हुई थी। हमने अपने व्यवहार से जताया है कि भारत सरकार अपने मूल उद्देश्य अर्थात् राष्ट्र हित से भटकी नहीं है चाहे मामला किसी भी देश से संबंधित हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझ पर विश्वास करें कि इस प्रकरण में किसी भी विदेशी दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी भी विदेशी दबाव, विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी मध्यस्थता और बीच-बचाव का कोई सवाल ही नहीं है फिर चाहे कोई देश ऐसा करना भी चाहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है।

इस बहस को हम यही विराम दें क्योंकि यह इस उच्च सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैंने विवाद के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। मैंने सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा टी.वी. पर कही गई बातों के बारे में भी उत्तर दिया। यह भी पूछा गया कि जनरल मुशर्रफ ने केवल प्रधानमंत्री तथा मुझसे ही बात क्यों की और अन्य लोगों से क्यों नहीं की। उन्हें भारतीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों से बात करने का अवसर नहीं मिला। भारतीय शिष्टमंडल का चयन सोच समझ कर यह बात ध्यान में रखते हुए किया गया था कि पाकिस्तानी शिष्टमंडल छोटा था। फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शिष्टमंडल में गृहमंत्री को रखेंगे क्योंकि आतंकवाद का मामला अंतर्निहित था, वित्त मंत्री को रखेंगे क्योंकि हम आर्थिक मुद्दों पर बातें करना चाहते थे, वाणिज्य मंत्री को रखेंगे क्योंकि हम व्यापार के मुद्दों पर बात करना चाहते थे और विदेश संबंधों के मामले को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री को रखा गया था। हमारा शिष्टमंडल पूर्ण था।

श्री सोमनाथ चटर्जी: लेकिन शिष्टमंडल के दूसरे सदस्यों का कोई काम नहीं था।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, यह कहना कि क्या कोई सहमति लगभग बन गई थी, ठीक ऐसा ही है जैसे कहे कि कोई महिला आधी गर्भवती हो। ऐसा नहीं हो सकता। सहमति या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस मामले में सहमति नहीं बन सकी। सहमति किस बारे में क्या ऐसी सहमति जिसमें जम्मू और कश्मीर एक कारक हो और भारत-पाकिस्तान संबंध बंधक बन जाएं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसीलिए हम लगातार यह कहते आये हैं और तब भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि हमारे बीच विस्तृत संबंध बने।

एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार केवल कश्मीर मुद्दे पर ही केन्द्रित रहने के लिए राजी है। वस्तुतः, हमें यह स्वीकार नहीं था। क्या हम शिमला तथा लाहौर घोषणापत्र को त्यागने के लिए सहमत थे? नहीं हमें यह भी स्वीकार नहीं था। क्या हम सीमापार से आतंकवाद पर जोर देने से पीछे हट रहे थे? वास्तव में, हम यह भी नहीं चाहते थे। मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। आठ मुद्दों पर क्या समझौता हुआ। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया है। क्या विदेश मंत्री ने मसौदे में सुधार किया था। जी, हां, मैंने कई मसौदों में संशोधन किए थे। मेरे द्वारा कई मसौदों पर पेंसिल से किए गए संशोधन देखे जा सकते हैं जो कि पाकिस्तान विदेश कार्यालय के पास है। लेकिन ये वह चीजें नहीं हैं जिन्हें बाद में प्रस्तुत किया जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या वे सभी स्क्वैअर ब्रैकेट में थे।

श्री जसवन्त सिंह: हां, वे भी स्क्वैअर ब्रैकेट में थे। कुल मिलाकर छः स्क्वैअर ब्रैकेट थे। मैं इन सभी स्क्वैअर ब्रैकेटों के बारे में बोलना नहीं चाहता लेकिन आप अपनी तीव्र कानूनी बुद्धि से मुझे गलत ठहरा सकते हैं कि नहीं, वो छः नहीं वे केवल पांच थे। बातचीत का समग्र उद्देश्य तब बातचीत के दौरान इन सभी स्क्वैअर ब्रैकेटों को दूर करने की प्रक्रिया थी। क्या मैंने मसौदे में संशोधन किया था। जी, हां, मैंने कई मसौदों में संशोधन किया। कुछ कह रहे हैं कि कश्मीर कार्यसूची में सबसे ऊपर था। संयुक्त बातचीत प्रक्रिया में भी, यह आठ मुद्दों में से एक था जिन पर बातचीत होनी थी। यह कई जगह सूचीबद्ध था। मैं नहीं जानता कि इसे और कितनी उच्च प्राथमिकता दी जा सकती है। यह पहले से ही विद्यमान है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कभी भी संकोच नहीं किया। हम इस पर आगे भी बात करते रहने को तैयार हैं, किंतु हमारी दृष्टि में यह ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारत-पाकिस्तान संबंधों को सुधारने में बाधक बनना चाहिए, बन सकता है या बनेगा।

सार्क के बारे में एक प्रश्न पूछा गया। आगरा शिखरवार्ता से पहले भी हम इस बात पर सहमत हो गए थे कि सार्क बैठक होनी चाहिए विदेश सचिवों की बैठक होनी थी। सार्क की प्रक्रिया जारी रहनी है। मैं समझता हूं कि नौ और दस तारीख को विदेश सचिवों की बैठक होनी है और ऐसी आशा की जाती है कि सार्क चलता रहेगा। यह भी कहा गया कि विदेश मंत्रालय इस मामले में चुप रहा। मैंने अभी स्पष्ट किया कि विदेश मंत्रालय चुप नहीं था। विदेश मंत्रालय सभी शिष्टाचार निभा रहा है। हां ऐसी बातचीत चल रही है न्यौता प्रधान मंत्री जी को दिया जाए अथवा मुझे। निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया था। यहां एक सुझाव दिया गया है कि इस्लामाबाद दौरे पर जाया जाए। यह दौरे किये जायेंगे।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, आपकी उदारता के कारण, जनरल मुशर्रफ को मान्यता मिल गयी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। यदि मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो मुझे कहा जाता है कि मैं किसी भी बात का उत्तर नहीं देता। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हमने महामहिम पाकिस्तानी राष्ट्रपति को किसी प्रकार की वैधता प्रदान की है। कृपया मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। महोदय हमने पाकिस्तान के शासन तंत्र को किसी प्रकार की वैधता नहीं दी है। यह पाकिस्तान का संपूर्ण निर्णय है। यह उनका संकल्प है। जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें पाकिस्तान की वास्तविकता को समझते हुए व्यवहार करना है।

वे हमारे पड़ोसी हैं। आप अपने मित्र बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने पड़ोसी बिल्कुल नहीं बदल सकते। मैंने स्पष्ट किया है कि दो वर्ष तक हम बिल्कुल भी नहीं बदले। हम बदले नहीं किंतु हमने अपने एक अच्छे उद्देश्य हेतु अपनी राह फिर बदली क्योंकि जब हम शांति की तलाश में इस राह पर बढ़े, ऐसा नहीं कि तलाश जारी रखी जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बैठे हुए सदस्यों के प्रश्नों का रिस्पौंस न करें। अब आप कनक्लूड करिए।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह: बैठकें होंगी। इन बैठकों की तिथि और स्थान राजनयिकों की सुविधानुसार तथा दोनों दलों के कैलेण्डर के अनुसार निश्चित किए जायेंगे।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं इस जानकारी को सभी माननीय सदस्यों के साथ बांटना चाहूंगा कि शांति का कारवां चल चुका है। शेक्सपियर की सूक्ति कहना चाहूंगा कि "द डाग्ज आफ वार केन्नाट डेविएट इट फ्रोम इट्स पाथ।"

सभापति महोदय: श्री अमर राय प्रधान।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अमर राय प्रधान जी के अलावा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: मैं माननीय मंत्री से विश्वास बढ़ाने वाले उपायों के बारे में पूछना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अहमद साहब, आप आसन की इजाजत के बिना क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमदः भारत जैसे परिपक्व राष्ट्र के सम्मान और गौरव को शिखर वार्ता में बनाए रखा गया।...*(व्यवधान)* पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हमारे विश्वास बढ़ाने वाले उपायों की एकपक्षीय घोषणा का उत्तर नहीं दिया था। इस संबंध में हमारी सरकार का क्या रूख है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः अभी सूची में कई माननीय सदस्यों के नाम हैं। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंहः महोदय, माननीय सदस्य श्री अहमद ने पूछा है कि क्या हम 4, 6 और 9 जुलाई को उद्घोषित अपने एकपक्षीय उपायों पर दृढ़ हैं। और क्या हम उन्हें लागू करेंगे या नहीं। जी हां, हम अब भी दृढ़ हैं। हमने ऐसा कहा है। हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। हम उनमें से कुछ को तभी लागू कर सकते हैं यदि पाकिस्तान भी बदले में वैसा ही व्यवहार करे। किन्तु सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि उद्घोषणा करने के बाद, हम पीछे नहीं हटेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): महोदय, मैंने विदेश मंत्री का लम्बा और भावनात्मक भाषण धैर्यपूर्वक सुना...*(व्यवधान)* ताशकंद का उदाहरण देने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। एजेंडा पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि यह सब कुछ कैसे हुआ। मैं ताशकंद के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता किंतु आपके वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि प्रारूप के संबंध में 15 और 16 तारीख को आपने अच्छी तैयारी की थी। किन्तु 16 तारीख का प्रारूप प्रस्तुत नहीं हो पाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आगरा शिखरवार्ता बुरी तरह विफल रही है।

श्री भाटिया अभी उपस्थित नहीं हैं किन्त मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का सृजन हमारे लिए एक समस्या है। उन्होंने कहा है कि आज पाकिस्तान कह रहा है कि हंस के पाकिस्तान मिला है और हिन्दुस्तान के लिए लड़ेंगे। किंतु श्री भाटिया, भारत-विभाजन के समय अपने दल की भूमिका भूल गए। यह निश्चित तौर पर इतिहास है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वे किसी और की नहीं बल्कि केवल वही पुस्तक पढ़े जिसे मोहनदास कर्मचंद गांधी महात्मा गांधी ने अपने अंतिम 100 दिनों में लिखा था।

'हरिजन पत्रिका' में मोहनदास कर्मचंद गांधी ने कहा था कि उनके प्रिय दल के सहयोगियों में से कुछ मित्र सत्ता के लिए बहुत लालायित हैं और इसीलिए भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त, 1947 को वे कलकत्ता में थे किंतु सत्ता पक्ष के मेरे मित्रों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय भाजपा नहीं थी पर उस समय हिन्दू महासभा और आर.एस.एस. थी। हिन्दू महासभा और आर.एस.एस. की भूमिका क्या थी? 1946 में डा. मुंजे के नेतृत्व में उन्होंने यह निर्णय लिया था कि भारत-विभाजन ही एकमात्र विकल्प है, स्वतंत्रता प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। इस तरह पाकिस्तान एक अभिशाप है, इसी कारण हम बहुत बात उठा रहे हैं। यह इतिहास है। हम इसे कैसे भूल सकते हैं।

महोदय, हमें आगरा शिखरवार्ता से कोई अधिक आशाएं नहीं थीं। विदेश मंत्री के सहयोगियों में से एक ने 15 जुलाई को मीडिया के माध्यम से यह कहा था कि हम उम्मीदों से कहीं अधिक की आशा कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने स्वाभाविक रूप से यह सोचा कि कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा। हम मित्रता चाहते हैं। केवल पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, बंग्लादेश, चीन, श्रीलंका और दूसरे पड़ोसी देशों से भी मित्रता चाहते हैं।

महोदय, वार्ता से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में, हमने कहा था कि हमें इस प्रकार आगे आना चाहिए जिससे कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर हो सकें। कारगिल युद्ध के पश्चात् जब सरकार ने पहली बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जनरल परवेज मुशर्रफ को वार्ता का निमंत्रण दिया तो हम विपक्षी दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया था क्योंकि हमने सोचा था कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों के लिए यह आवश्यक है। सरकार मीडिया के माध्यम से कहा कि उन्होंने श्री मुशर्रफ को नाश्ते, मध्याह्न भोजन व रात्रि भोजन में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कराया। इस पर हमें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि भारतीय रीति रिवाज में अतिथि को अच्छा भोजन कराया ही जाता है।

महोदय, विदेश मंत्री ने कहा है कि बैठक से पहले उनके एजेंडा में चार मुद्दे थे किन्तु हमने साफ तौर पर कहा कि आगरा-वार्ता में कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें आशा थी कि इससे सीमा पार से आतंकवाद बंद हो जाएगा, सांस्कृतिक संबंध और सुदृढ़ होंगे व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा और परमाणु युद्ध का खतरा भी खत्म हो जाएगा। किन्तु आगरा शिखरवार्ता

[श्री अमर राय प्रधान]

से इनमें से किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाई। कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं और जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंकवाद तेजी से फैल रहा है। सर्वदलीय बैठक में हमने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के आधार पर होनी चाहिए। इस संबंध में मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमारे प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया और माननीय प्रधानमंत्री ने यह आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। हम उनके आभारी है। हम अपने पड़ौसियों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए आपको इस प्रकार का आमंत्रण स्वीकार करना ही होगा। यह सही है। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। जल्दबाजी न करें। आप यह मत कहिए कि कल या परसों आप इस्लामाबाद जाएंगे। तारीख निर्धारित कीजिए। आप तारीखों के साथ आगे आइए। आप राजनैतिक तौर पर तारीखें निर्धारित कीजिए न कि जल्दबाजी में। इससे पहले उचित तैयारी करे। एक ठोस एजेंडा तैयार करें कि बैठक में किस पर चर्चा की जाएगी। बिना एजेंडा के कोई कदम न उठाएं। यह कोई मित्रवत् वार्ता नहीं है। यह राजनैतिक चर्चा है। यह दो देशों की चर्चा है। ठोस एजेंडा होना चाहिए। आपको एजेंडा के बारे में पता होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आपको तैयारियां काफी होंगी। आपको पूर्व तैयारी करनी होगी।

मेरे विचार से, वहां जो भी बातचीत होगी, वह शिमला और लाहौर में लिए निर्णयों पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी। इसके बाद, आपको आगरा-वार्ता की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कुछ नहीं हुआ। इसका कोई परिणाम नहीं निकला सरकार की ओर से किसी माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी की थी: "भारत जीरो है और पाकिस्तान हीरो है।" मैं इस प्रकार, नाम लेना नहीं चाहता किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि अंततः आगरा-वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए हमें भविष्य की वार्ताओं में इसे उदाहरण के तौर पर लेने की आवश्यकता नहीं है। वार्ता के बाद वार्ता होने दीजिए। केवल यही समाधान है। हम पाकिस्तान के साथ मित्रता रखना चाहते हैं। हम कश्मीर समस्या का समाधान चाहते हैं। यह भारत का अभिन्न भाग है। इसमें कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस दल के अपने मित्रों के बारे में जानता हूं। आप इस पर क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि आप काफी पहले पाकिस्तान के समक्ष समर्पण कर चुके हैं। बेरुबाड़ी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात् संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम देखिए। यह भारत का अभिन्न भाग था किन्तु उस संशोधन के साथ तत्कालीन सरकार ने इसे भारतीय क्षेत्र से अलग कर दिया। उस समय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो विपक्ष में थे। इस संशोधन का पुरजोर विरोध किया। इस संबंध में, मैं श्री एन.सी. चटर्जी, श्री त्रिदेव चौधरी, श्री अरविंद घोषाल, प्रो. एन.जी. रंगा, श्री त्यागी और श्री सुलेमन घोष के नाम का जिक्र करना चाहता हूं। जिन्होंने इस संशोधन का विरोध किया। इन महान नेताओं ने इसका विरोध किया। वे इस संविधान संशोधन के विरुद्ध लड़े थे। इस समय, 1950 के दशक में जो भी हुआ हो किंतु मैं यह कहूंगा कि इस सभा के सभी सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिए क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है। इसे भारत से अलग नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा होना चाहिए। बेरुबाड़ी की तरह, भारत के अभिन्न भाग, कश्मीर का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, माननीय विदेश मंत्री के बोलने के बाद मेरा बोलने का इरादा नहीं था किन्तु मैंने सोचा कि अक्तूबर में आने वाली स्थिति को देखते हुए बोलना और देश को सम्बोधित करना मेरा कर्त्तव्य है। जहां तक आगरा-वार्ता का संबंध है, मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। दरअसल, विदेश मंत्री ने कुछ तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। एजेंडा तैयार करने में किए उनके सभी प्रयास विफल हो गए।

महोदय हालांकि इसका जिक्र नहीं करना चाहता परन्तु यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हिजबुल मुजाहिद्दीन ने पहले युद्ध विराम की मांग की थी। इसके पीछे कारण जो भी रहे हो सभी ने यह स्वीकार किया है कि हिजबुल मुजाहिद्दीन के पीछे पाकिस्तान सरकार का ही दिमाग है। क्या मैं सरकार से यह पूछ सकता हूं जिसका उत्तर देने में वे असफल रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हिजबुल मुजाहिद्दीन किस वजह से यह कहने के लिए मजबूर हुए कि वे युद्ध विराम के लिए तैयार हैं? वे कौन सी परिस्थितियां थी?

सभा को जानने का अधिकार है। देश को यह जानने का अधिकार है कि वे क्या कारण थे जिन्होंने हिजबुल मुजाहिद्दीन को यह कहने के लिए विवश किया कि वे एकपक्षीय युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, जिसकी उन्होंने घोषणा भी की। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की शुरूआत इसमें निहित हैं। यदि हमने कुछ समय तक प्रतीक्षा की होती और इस प्रयास को आज करने के बजाए चार-पांच माह बाद किया होता तो मेरा विचार से आगरा वार्ता के दौरान संबंधों में गिरावट आने के बजाय वे बेहतर होते।

मैं केवल एक रिपोर्ट पढ़ना चाहूंगा जो फ्री प्रैस जर्नल, मुम्बई में छपी है। यह आज की नहीं बल्कि 19 सितम्बर 2000 की है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध राष्ट्रपति मुशर्रफ की भारत यात्रा के दौरान उनके व्यवहार से है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है रिपोर्ट के अनुसार:

"देश को विदेशी ऋण के रूप में अत्यधिक भुगतान करना है जो अवमूल्यन के कारण 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो जाएगा। आज पाकिस्तान का विदेशी ऋण 29.5 बिलियन डॉलर है। विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम है, यह 1.35 बिलियन डॉलर है जबकि पिछले वर्ष यह 1.72 बिलियन डॉलर था।"

रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है:

"वर्ष 1999-2000 के दौरान विदेशों से केवल 9.83 मिलियन डॉलर ही प्राप्त हुए जबिक पिछले वर्ष 1.6 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे।"

महोदय वर्ष 2000 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है। आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है? महोदय आगे रिपोर्ट में यह कहा गया है:-

"आज पाकिस्तान का ऋण बढ़कर 62 बिलियन डॉलर हो चुका है तथा उसका विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 0.8 बिलियन डॉलर है। सितम्बर के दौरान पाकिस्तान की अल्प कालीन ऋण के भुगतान के रूप में लगभग 10 बिलियन डॉलर देने हैं।"

आज पाकिस्तान की यह वित्तीय स्थिति है।

महोदय, मैं एक दूसरे पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और यह पाकिस्तान का खाद्यान्न स्थिति के बारे में है। पाकिस्तान में गेहूं का कुल उत्पादन-मैं केवल एक फसल के आंकड़े दूंगा-प्रतिवर्ष लगभग 20 मीट्रिक मिलियन टन है। किन्तु आज स्थिति क्या है? 'द डॉन' 13 मार्च, 2001 में यह बताया गया है:

"प्रांतीय प्राधिकरण ने संघीय सरकार को यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सूखे के कारण गेहूं की फसल को करीब 30 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक नुकसान होता है।"

महोदय, यदि हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो पाकिस्तान को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूं का आयात करना पड़ेगा।

महोदय, कुछ और मुद्दे भी हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मुख्य मुद्दे पर आइए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, मैं अन्य विषयों पर बोलते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। यह बात सभा में नहीं कही गई है। सभा में इस तरह बात नहीं कही गई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम इस स्थिति का सामना अक्तूबर में करेंगे। महोदय मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, मुझे पता है कि समय की कमी है, महोदय, यदि आपने प्रत्येक दल के वक्ताओं के बोलने के लिए एक निश्चित समय सीमा कर दी होती तो मैं समझता हूं कि अन्तिम वक्ता को भी बोलने का समय मिल गया होता। मेरा विचार है कि अध्यक्षपीठ द्वारा अन्तिम वक्ता को समय सीमा की याद दिलाने से पहले पूर्व वक्ताओं को भी यह याद दिलाया जाना चाहिये था कि वे समय का ध्यान रखें। अन्यथा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें केवल कुछ लोग बोलेंगे और शेष लोग दर्शक बने रहेंगे। मेरे विचार से सभा में इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना है। हममें से प्रत्येक सोचता है कि चीन, पाकिस्तान का मित्र है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य के विचार को कौन नोट कर रहा है? अधिकारी दीर्घा में कोई सदस्य नहीं है। यह संसद का उपहास है...*(व्यवधान)* क्या आप संसद के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सर, मैं समझता हूं कि यहां सभी सदस्य हैं और अपनी-अपनी बात रख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, यहां न तो विदेश मंत्री जी उपस्थित हैं और न ससंदीय कार्य मंत्री। इससे साफ-साफ परिलक्षित होता है कि आगरा शिखर वार्ता में भी सरकार देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर नहीं थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अखिलेश जी, आप बैठिए। श्री अम्बेडकर के अलावा और किसी सदस्य का भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सभा के साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार कर रही है। मैं इसका विरोध और निन्दा करता हूं।...*(व्यवधान)*

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): माननीय विदेश मंत्री अभी-अभी बाहर गये हैं। वह जल्दी ही वापस आ जायेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको बोलने वाले सदस्य का सम्मान करना चाहिये।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: माननीय विदेश मंत्री ने बीच में हस्तक्षेप किया और लगभग दो घंटे तक बोले। यह उनका कर्त्तव्य है कि अन्य सदस्यों की बात सुनें...*(व्यवधान)* हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। कोई समस्या नहीं है। यह जले पर नमक छिड़कने की बात है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है...*(व्यवधान)* यह किसी एक राजनीतिक दल का अपमान नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मैं आपकी बात नोट कर रहा हूं। माननीय विदेश मंत्री अभी-अभी बाहर गये हैं और वे जल्दी ही वापस आ जायेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, इस समय सदन में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और यहां पर माननीय विदेश मंत्री जी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अम्बेडकर जी के अलावा अन्य किसी माननीय सदस्य का भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सर, मैं समझता हूं कि इस सदन की जो गरिमा है, उसे इस सरकार के मंत्रियों को बनाए रखना जरूरी है। यदि ऐसा होगा, तो दूसरे मैम्बर को कहेंगे कि जब मेन पार्टी का मैम्बर बोले, तो सब को सदन से बाहर चले जाना चाहिए। सर मेरा सवाल यह है कि...*(व्यवधान)* मेरा ख्याल है और मेरी चेयरमैन साहब से प्रार्थना है कि वे ऐसी परिस्थिति इस सदन में न आने दें।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: अम्बेडकर जी, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सर, जब तक मैं अपनी पूरी बात नहीं कहूंगा, तब तक कंप्लीट नहीं करूंगा।...*(व्यवधान)* अब मैं यही करने जा रहा हूं। बोलने के लिये केवल तीन ही वक्ता शेष हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ऐसा आप कैसे कह सकते हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सभापति महोदय,*-*

हम अकेले सदस्य आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि*-*

सभापति महोदय: अम्बेडकर जी, आप अनुभवी मैम्बर हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सभापति जी, मैं यहां पहले भी सदस्य रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है कि यहां पर जो पार्टी स्ट्रैंग्थ होती है, उसके ऊपर चलता है जिसको हम प्रौटैस्ट करते रहे हैं। हम अकेले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमें बोलने का अवसर न दें। चेयरमैन साहब ने कहा था प्रत्येक को बोलने की अनुमति दी जायेगी। उसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे, उससे पहले नहीं।

सभापति महोदय: आप अकेले मैम्बर के नाते ऐसी कोई बात चेयर की नीयत पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि मुझे अपनी बात करने का मौका मिलेगा।

सभापति महोदय: आपको अपनी बात करने का मौका मिल तो रहा है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सभापति महोदय, यदि आप कहेंगे तो मैं अपनी बात बिना बोले बैठने के लिए तैयार हूं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी अगर आज्ञा होगी, तो बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय: आपको बोलने का मौका मिल तो रहा है। आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

*-*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकला दिया गया।

सभापति महोदय: इस विषय पर काफी देर से बहस हो रही है। आप मेन प्वाइंट पर आइए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: मैं अपनी बात कह रहा हूं। यदि आप कहते हैं कि मैं रिपीट कर रहा हूं मैं बैठ जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी कहा है, उसे रिपीट नहीं किया है।

सभापति महोदय: आप अपना दृष्टिकोण बताइए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: मैं दृष्टिकोण पर ही आ रहा हूं।

[अनुवाद]

महोदय, चीन को पाकिस्तान का मित्र माना जाता है। दिसम्बर, 2000 में भारत, संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, कजागिस्तान एवं अन्य देशों ने सुरक्षा परिषद् में हथियारों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प पास किया है। मैं अभी 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार को पढ़ता हूं:

> "अमेरिका, भारत, रूस कजागिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित सुरक्षा परिषद् के संकल्प में तालिवान के ऊपर हथियारों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई है और आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है... परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने तालिबान के ऊपर हथियारों की खरीद-फरोख्त पर नियंत्रण करने हेतु एक टीम का गठन किया है।"

महोदय, चीन भी इस अभियान में सम्मिलित है। जहां तक इस संकल्प को लागू करने का संबंध है, सुरक्षा परिषद् में मतदान के लिए वह अनुपस्थित रहा तथा संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को अपनी जमीन को प्रयोग करने की अनुमति दी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व-बैंक जी-7 और पी-5 सभी पाकिस्तान को दिये गये ऋण की 'रिशिड्यूलिंग' करने को तैयार नहीं है। अत: सितम्बर या अक्टूबर तक पाकिस्तान लगभग ऋण-अदायगी न कर पाने की स्थिति में पहुंच जायेगा। पाकिस्तान में वाह्य भुगतान संतुलन और वर्तमान खाद्य स्थिति, जैसाकि अभी कहा गया है, के कारण क्या स्थिति होगी? जब विश्व पाकिस्तान पर नियंत्रण लगाकर सीमापार से आंतकवाद या तालिबान की सहायता से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आंतकवाद को रोकना चाहता है तो भारत जनरल मुर्शरफ को न केवल मान्यता देकर बल्कि उन्हें अपने देश में जनरलों का प्रिय और देश का भी सपूत बता कर इस मामले में अलग दृष्टिकोण अपना रहा है। एक तरफ जब विश्व पाकिस्तान पर नियंत्रण लगा रहा है लेकिन हम जनरल मुर्शरफ को वैधता प्रदान कर इस संबंध में विपरीत रवैया अपना रहे है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं। क्या जनरल मुर्शरफ को इस समय बुलाने का उचित समय था जबकि भारत सरकार को ज्ञात है कि 1990 के दशक के दौरान हम वाह्य भुगतान संतुलन की दृष्टि से चूककर्ता हो गये थे, यही स्थिति पाकिस्तान में संभवत: सितम्बर, अक्टूबर में होने वाली है जबकि वे वाह्य भुगतान संतुलन के मामले में लगभग चूककर्ता की स्थिति में होंगे? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक, पी-5, जी-7 कोई भी उसके ऋण की 'रिशिड्यूलिंग' के लिये तैयार नहीं है। उसे सितम्बर के अन्त तक अत्यन्त कम समय में 10 बिलियन डालर का भुगतान करना है। हमने 1990 के दशक में जो स्थिति झेली वही स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है। जब हम वाह्य भुगतान संतुलन के चूककर्ता की स्थिति में थे तो हमने विश्व बैंक की रखी गई सारी शर्तें स्वीकार की थी। जैसा कि हमें ज्ञात है चीन, अमेरिका समेत प्रत्येक देश जब पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद के विरुद्ध दबाव डाल रहा है तो इस समय हम बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में हैं? हमने सम्मेलन अभी क्यों बुलाया। प्रश्न यह है कि अनुरोध करने पर भी जनरल मुर्शरफ किसी एजेन्डा पर सहमत नहीं हुए तो हम बड़ी सहजता से शिखर वार्ता को स्थगित कर सकते थे और यह उस समय होता जबकि समय भारत के लिये अत्यन्त अनुकूल होता। जब हिजाबुद्दीन को यह ज्ञात था तो भारत सरकार की इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। मेरे विचार से यही मुद्दा था और मैं सोचता हूं, कि सरकार भी मेरे इस विचार से सहमत होगी कि पाकिस्तान में लगभग एक करोड़ अफगान शरणार्थी हैं जिन्हें पाकिस्तान को खिलाना पड़ रहा है पाकिस्तान की 44 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है, और ऋण का भुगतान न करने के कारण सितम्बर के बाद उस देश का सारा आयात रूक जायेगा, वहां सूखा भी पड़ा हुआ है? क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि इससे पाकिस्तान से शरणार्थी भारत की ओर आयेंगे? क्या पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है? यदि ऐसा होने वाला है तो क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि किन बाध्यताओं के तहत उसने जुलाई में शिखर वार्ता की और उस समय की प्रतीक्षा नहीं की जब कि पाकिस्तान चूककर्ता घोषित हो जाता और तब हम उससे शिखर वार्ता करने के लिए कहते?

माननीय विदेश मंत्री जी, क्या हमें बतायेंगे कि कोई गुप्त एजेन्डा था। क्या आप हमें बतायेंगे कि क्या आप ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को सीमापार से आतंकवाद की बात स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाये और सीमापार से आतंकवाद बन्द किया जाए? यदि वे सीमापार से आतंकवाद के अस्तित्व को स्वीकार करते और इसे बन्द कर देते तो हम उस स्थिति में होते जहां जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होती और पाकिस्तान से संबंध सामान्य होते। जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान की सम्पूर्ण पहचान और एकता उसके हिन्दू-विरोधी और भारत-विरोधी दृष्टिकोण पर टिकी है और पाकिस्तान को एक रखने की ताकत भी यही है। लेकिन जहां तक

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

आपकी पार्टी का संबंध है। उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम-विरोधी और पाकिस्तान-विरोधी दृष्टिकोण आपके पार्टी के राजनीतिक जीवन का आधार है? क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से संबंध सामान्य होने की स्थिति में वे आधार खत्म हो जायेंगे? क्या आपने पाकिस्तान के समक्ष ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे कि उन्हें कोई समझौता करने के लिए बाध्य किया जाए और शिखर वार्ता असफल हो जाए?

यद्यपि मैं समझता हूं कि आपने श्री टालबोट से मिलकर भारत के संदर्भ में सीमापार से आतंकवाद को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में पेश कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है लेकिन आगरा शिखर वार्ता का आयोजन कर कश्मीर को मुख्य मुद्दे का स्वरूप दे दिया है। मेरे विचार से हर व्यक्ति की जिससे मैं मिला, उसकी यही धारणा है।

क्या मैं जान सकता हूं कि शिखर वार्ता में कोई स्थानीय एजेन्डा था? यदि कोई स्थानीय एजेन्डा था तो फिर आपने राष्ट्र की घोर उपेक्षा क्यों की, जबकि हमें ज्ञात है कि चीन पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, अमेरिका पहले ही पाकिस्तान के विरुद्ध होना शुरू हो गया है, जी-7 पहले से ही पाकिस्तान के विरुद्ध हो रहा है, पी-5 पहले से ही पाकिस्तान के विरुद्ध हो रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पाकिस्तान के विरुद्ध हो रहे हैं और वे सभी पाकिस्तान को सीमापार से आतंकवाद को मुद्दा मानने को विवश कर रहे हैं? क्या मैं यह कह सकता हूं कि आगरा शिखर वार्ता में आपने अपनी पार्टी के एजेन्डा को राष्ट्र से ऊपर रखा?

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास: माननीय सभापति महोदय, अपने आकर्षक व्यक्तित्व और शब्दों के जाल से, माननीय मंत्री जी ने पौने दो घंटे तक अपने भाषण के द्वारा, अपने जवाब के द्वारा इस हाउस को थोड़ा आश्वस्त किया और थोड़ा भ्रमित किया, थोड़ा संदेह के जाल से उठाया तो थोड़ा संशय और बढ़ाया। लेकिन सब कुछ मिलाकर शब्दों के जाल के अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी बात माननीय मंत्री जी के संवाद के द्वारा निकलकर नहीं आई।

माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कुछ और प्रश्न प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाना चाहूंगी, लेकिन पहले हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और शान्ति की बात करना और शान्ति वार्ता की तरफ बढ़ना इस देश के लिए और खासकर आसपास के मुल्कों के लिए जरूरी है और भारत चूंकि वह सम्पूर्ण एशिया का एक बड़ा लीडर होने के नाते भी प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं आपसे निवदेन करूं कि दोस्ती का हाथ जब इन्दिरा जी ने पहली बार बढ़ाया था तो उन्होंने सावधानी बरती थी, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोस्ती के हाथ में, जो बढ़ाया गया, उसमें सावधानी नहीं बरती गई।

यही वजह रही कि इस वार्ता के पहले भी सभी समाचार पत्रों में और सब विषयों के जानकारों ने संशय से अपनी बात की शुरूआत की थी। उम्मीदों राजनीतिक दलों को भी नहीं थीं, किन्तु कांग्रेस सहित सभी ने संवाद को आवश्यक बताते हुए अपना समर्थन दिया था। अभी यहां पूर्व विदेश मंत्री जी बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को एक्सीडेंट प्रोन कहकर व्यक्त किया था। यही बात अभी मंत्री जी ने भी अपनी वार्ता में कही। लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता के साथ इन सारे विवादों को न सुलझा कर उसे और उलझाने का प्रयास किया है। पाकिस्तान की मानसिकता का पता 18 जून से ही लगातार लग गया था। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने 14 जुलाई को अपनी बात को स्पष्ट किया। पाकिस्तान 18 जून से लगातार एक बात कह रहा था कि कश्मीर प्राथमिकता है, उसके एजेंडे से हम नहीं उठेंगे, कश्मीर तथा अन्य मुद्दों पर बात होगी। यही बात अनेक पत्रों में और इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा भारत में भी आ रही थी। उस बात पर कोई चर्चा भारत की सरकार ने नहीं की। हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि प्रधान मंत्री जी के कवि हृदय ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को बधाई ही नहीं दी, बल्कि अपनी संवेदना को और आगे बढ़ाते हुए आनन-फानन में भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया।

श्री जसवंत सिंह: मेरी पहली कांफ्रेंस 14 जून को हुई थी। उसके बाद दूसरी 11 जुलाई को और तीसरी 17 जुलाई को हुई थी।

डा. गिरिजा व्यास: आपने 11 तारीख वाली कांफ्रेंस का जिक्र ज्यादा किया था और 17 तारीख वाली कांफ्रेंस में बात स्पष्ट नहीं थी। 11 तारीख वाली कांफ्रेंस में था, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन 11 तारीख को आपकी पहली कांफ्रेंस हुई थी। 11 से 18 जुलाई के बीच काफी लम्बा अंतराल है, जिसमें हमारी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और पाकिस्तान स्पष्टत: अपनी बात को कहता रहा।

मैं मंत्री जी को याद दिलाऊं, अभी बहुत सारी बातें मणिशंकर जी ने और दूसरे साथियों ने कही थीं। लेकिन पार्थसारथी जी ने इस सम्मिट के पहले कुछ प्रश्न उठाए थे। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्यवश भारत यह मान लेता है कि हर पाकिस्तानी शासक अपने पूर्ववर्ती से अलग होगा और हम यह भी मान लेते हैं कि हमें अतीत को भूलकर नए मसीहा पर भरोसा कर लेना चाहिए, शायद

इसलिए इस कदम को बढ़ाया होगा। लेकिन वाजपेयी जी से यहीं भूल नहीं हुई। इसके बहुत पहले भी लाहौर यात्रा के दौरान भी वे भूल कर चुके हैं। मैं याद दिलाऊं कि 1993 में हुए मुम्बई बम कांड की योजना वालों में मुख्य रूप से शरीफ साहब और आई.एस.आई. के प्रमुख नासिर साहब थे। इस बात को हमारे प्रधान मंत्री जी भूल गए थे। जनरल मुशर्रफ को भारत आने से पहले, उनसे बात करना, एजेंडे के बारे में बात करना जरूरी था। लेकिन पार्थसारथी जी आगे फिर लिखते हैं कि पाकिस्तान सीमा पार से आंतकवाद को कम करने के बारे में वादे से बचेगा और ऐसी स्थिति बनाएगा कि कह सके कि भारत कश्मीर मसले को हल करने के बारे में गम्भीर नहीं है। यही हुआ भी। पाकिस्तान अपने उद्देश्य में सफल होकर चला गया और हम लोग देखते रह गए। बिना तैयारी के बातचीत का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इसको कुछ हद तक मंत्री जी ने भी माना है।

प्रधान मंत्री जी ने एक ओर जब जम्मू-कश्मीर में युद्धबंदी खत्म करने की अप्रत्याशित घोषणा की थी, लेकिन तभी उन्होंने अप्रत्याशित ढंग से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को भी बातचीत करने का न्यौता दे दिया। सरकार के प्रवक्ताओं ने कई बार कहा कि वे कारगिल युद्ध को थोपने वाले के साथ बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी अनेक बार कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को प्रशिक्षित करने और शस्त्र सज्जित कश्मीर की वादी में भेजना बंद नहीं करेगा तथा उसकी सेना गोलीबारी जारी रखेगी, तब तक भारत-पाक में बातचीत नहीं हो सकती। इस पृष्ठभूमि में श्री वाजपेयी द्वारा जनरल मुशर्रफ को निमंत्रण देना बहुत आकस्मिक लगा, इस देश को ही नहीं, बल्कि अन्य देशों को भी लगा। इसके साथ ही इस सारे मसले को समझने वाले लोगों को भी यह बहुत आकस्मिक लगा, क्योंकि न तो वे शर्तें पूरी हुई थीं और न जनरल मुर्शरफ ने सैनिक तानाशाह होने की अपनी छवि को बदला था।

जहां पंत जी की बात उठापटक भी व्यर्थ साबित हुई, अनिश्चय की स्थिति में जो आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण के बाद भी बातचीत की पूरी तैयारी नहीं हुई, हालांकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन प्रधान मंत्री जी अस्पताल में थे, गृह मंत्री जी तुर्की में थे और विदेश मंत्री जी संभवतः आस्ट्रेलिया में थे। बहरहाल भारत सरकार का यह समझना कि कश्मीर विवाद पर बातचीत के बगैर आतंकवाद का खात्मा हो सकता है, साधारण स्थिति का निर्माण संभव है और व्यापार में भारी गतिविधि संभव है, केवल एक कपोल कल्पना ही थी, यह वास्तविक नहीं थी। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगी कि आपके जवाब के बाद भी इस प्रकार की नाराजनीतिक वार्ता में जो प्रशासनिक स्तर पर की जानी चाहिए थी और एक लम्बा दौर चलना चाहिए था, उसकी कमी खली और इसलिए हम चाहेंगे कि आगे की वार्ता में कम से कम यह कमी न खले। पाकिस्तान अपने उद्देश्य की पूर्ति करके चला गया। मुझे कवि नीरज का यह गीत याद आता है जो इस सरकार पर पूरी तरह से लागू साबित हुआ: "कारवां गुजर गया, गुंवार देखते रहे।" अभी उस गुंवार की स्पष्ट व्याख्या करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है।

पाकिस्तान यहां पर दोस्ती के लिए नहीं आया था, यह बात स्पष्ट है। वह यहां पोलिटिकल गिमिक्स के लिए आया था और जनरल मुर्शरफ अपने उद्देश्य में सफल होकर गये हैं। वह यहां पर शांति का मसीहा अपने आपको साबित करने आये थे। राष्ट्रपति पद पर छाप लगाने आये थे। लैजिटीमैसी उनको मिल गई। कश्मीर एकमात्र मुद्दा है, उसे उठाने आये थे और उसमें भी वह कामयाब रहे। हुर्रियत नेताओं से बातचीत वहां नहीं हो सकती थी लेकिन यहां पर, हमारी जमीन पर आकर बातचीत करके चले गये। कश्मीर को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे, वह उसमें सफल हुए और मीडिया का प्रचार तंत्र का पूरा उपयोग करके वह चले गये लेकिन भारत की प्रचार तंत्र में करारी मात इस बात को दृष्टाती है कि हमारी पूरी तैयारी नहीं थी।

सभापति महोदय: आप इसे टेबल पर ले कर दीजिए।

डा. गिरिजा व्यास: मीडिया कम्युनिकेट करने की क्षमता में हम लोग आज भी विफल रहे हैं और कल भी, लेकिन दोनों देशों के लोग जहां इस वार्ता की सफलता की कामयाबी की खुशी मनाने के लिए बैठे थे, वहीं हमारा देश स्पष्ट मैसेज देने में भी असफल रहा कि वार्ता तोड़ने का जिम्मेदार वह नहीं है और भारत ने कोशिश की कि वार्ता आगे बढ़े, इस बात को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाये, जिसका दर्द हम सभी को है। इस बात में भी दम लगता है कि दोनों देशों की अनेक समस्याएं थीं और वे उनमें उलझे हुए थे। उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए संभवतः इस वार्ता को करना दोनों देशों के लिए जरूरी था। भारत जिस तहलका कांड से लेकर अर्थव्यवस्था और यू.टी.आई. के मसलों में उलझा हुआ था, वहीं पर पाकिस्तान आर्थिक मंदी और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इस वार्ता को करना चाहता था लेकिन पाकिस्तान ने चालाकी के साथ, इस वार्ता में जहां कामयाबी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हासिल की वहीं पर भारत के हाथ कुछ नहीं लगा और यह सही है कि "न खुदा ही मिला न बिसाल-ए-सनम्।"

माननीय मंत्री जी राजस्थान के हैं और आईएसआई की गतिविधियों से भी परिचित हैं। इनका इलाका वहां से बिल्कुल लगता हुआ है जिसके संबंध में वह स्वयं भी चिंतित हैं लेकिन समय से पहले आईएसआई के संबंध में कोई भी वार्ता की जाएगी, इस बात का कोई संकेत कहीं से भी नहीं मिला। सीमा पर

[श्री गिरिजा व्यास]

आतंकवाद तो हमारा मुद्दा था ही, लेकिन उस पर भी लगातार बयान सरकार न दे सकी। उनकी सीमाओं पर भी ध्यान देना चाहिए था और इस पर बातचीत होगी, इस बात को सरकार न कह सकी। राजस्थान से लेकर कच्छ तक जो लम्बी सीमा है, उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी बातचीत करनी चाहिए थी जो सीमाओं से लगे हुए हैं, चाहे वह जम्मू व कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या गुजरात हो। अगर उसमें कोई संशय था तो केवल राजस्थान के बारे में हो सकता था जहां पर आप लोगों की एनडीए से संबंधित सरकार नहीं है, जहां पर कांग्रेस शासित सरकार है। लेकिन अन्य स्थानों पर या तो सरकारें आपकी हैं या आपसे संबंध रखने वाली हैं। उन लोगों से भी बातचीत की जानी चाहिए थी।

सांस्कृतिक घुसपैठ के संबंध में सरकार न पहले बोली और न बाद में बोली। सुषमा जी बोली भी थीं तो उन्हें सांस्कृतिक घुसपैठ के बारे में भी बातचीत करनी चाहिए थी। पाकिस्तान अत्यंत चालाकी के साथ आतंकवाद को स्वतंत्रता का आंदोलन और आतंकवादियों को स्वतंत्रता सैनानी कहकर चला गया और फिर भी दोनों देशों के विशेषकर हमारे भारत के मंत्री जी कह रहे थे कि आपसी समझ पैदा हुई है। पाकिस्तान के एक्सटर्नल एफैयर्स मिनिस्टर ने भी यह बात कही।

रात्रि 8.00 बजे

हो सकता है, आपसी समझौता हो, लेकिन देश का समझौता वह नहीं बन पाया, यह बात स्पष्ट है।

मैं प्रधान मंत्री जी के स्टेटमेंट से दो-तीन बातें कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र के आधार पर हमारी बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन अभी मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि पहले ही दिन से पाकिस्तान इन दोनों समझौतों की धज्जियां उड़ाता रहा और उस प्रासंगिक बताते हुए, चला गया। यात्रा से पूर्व आतंकवाद पर अपना मन्तव्य, वे कहते हैं कि स्पष्ट किया, लेकिन नहीं कर पाए। यह सीधी सी बात है और मीडिया पूरी तरह से अछूता रहा। राजनैयिक सम्मान जरूर उन्हें राजपथ पर मिला और कुछ प्रश्नों पर सहमति की बात इसमें कही गई है, लेकिन प्रश्न यह है कि कितने मुद्दों पर सहमति हुई, यह हम जानना चाहते हैं। उनकी जेलों में बन्दियों की बात, कुख्यात आतंकवादियों को पनाह देने की बात, गुरुद्वारों या मंदिरों में, भारत की रक्षा की बात, परस्पर लाभ-व्यापार की बात, इन बातों के जवाब भी हम जानना चाहते हैं। ऐसा लगता है, स्पष्ट तौर पर डिलेमास और पैराडाक्स की कहानी कहते हुए सारा समय समाप्त हो गया। वार्ता के पहले संशय था, वार्ता के दौरान किंर्कतव्य विमूढ़ता और वार्ता के बाद आतंकवाद का नंगा नाच आज भी जारी है। जिसका साक्षी अभी डोडा का नरसंहार है। यह इस बात को दर्शाता है कि यह वार्ता पूरी तरह से असफल रही है। द्विपक्षीय वार्ता के जरिए वार्ता में विवादों को निपटाने की बात करते हुए, जिसमें संवाद का रास्ता खुला था। माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनकी ही बात उन तक पहुंचाना चाहती हूं, अटल जी ने यहां बोलते हुए कहा, जब-जब पाकिस्तान कुछ लेना चाहता है, वह शांति की भाषा बोलता है। हम पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान ने जो इस बार शांति की भाषा बोली, वह किसके कहने से बोली है?

आखिर में, मैं कहना चाहती हूं, उस दिन जो हुआ, उस पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। उस रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए और हम भी यह पूछना चाहते हैं कि वार्ता जो सुलझ रही थी, वार्ता जिस पर आखिरी नोट बन रहा था, वार्ता जिस पर कि दोनों हस्ताक्षर करने जा रहे थे, वार्ता सुलझते-सुलझते कैसे उलझ गई - इन प्रश्नों के जवाब भी सदन में आने चाहिए। मैं फिर सरकार से अपील करना चाहती हूं कि वार्ता जारी रहे, लेकिन वार्ता के पहले पूरी तैयारी के साथ और भारत के गौरव के साथ, वार्ता को आगे बढ़ायें। यहीं हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कड़े शब्दों में अपनी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। यदि इतिहास पर नजर डालें, तो श्री मोरारजी भाई, श्री वी.पी. सिंह, श्री देवेगौड़ा और श्री गुजराल, चार प्रधान मंत्री इस सदन ने दिए हैं। विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री ने कहा कि सहमति लाने के लिए, शिखर वार्ता के बारे में, सभी पार्टियों को बुलाया गया। इस बात को मैंने पेपर में पढ़ा। मैं थोड़ा इतिहास दोहराता हूं। जब शिवाजी महाराज पर आपत्ति आई थी, मैं तो आदिमजाति का आदमी हूं और उनके वंशजों में से हूं।

उनके साथ महाले जिवा था- "होता जिवा इसलिए बचा शिवा।" उन्हें विदेश मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भूल गए, यह बात ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, कश्मीर और भारत का मसला 1940 से अभी तक चल रहा है। हमारे पाकिस्तान से ताशकंद और शिमला करार हुआ। इसमें कुछ जमीन गई लेकिन आगरा शिखर परिषद् में जमीन नहीं गई, यह बात सच है। जहां मुशर्रफ ने आत्मविश्वास पैदा किया वहीं भारत सरकार ने आत्मविश्वास खो दिया। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। सब कुछ चला जाए परन्तु आत्मविश्वास नहीं जाना चाहिए। भारत का आत्मविश्वास चला गया, यह बात ठीक नहीं। कमजोरी से क्या-क्या होता है। चार-पांच बार युद्ध हुआ। कृष्ण की गीता दुर्योधन कैसे सुनेगा, यह सब

को मालूम है। आगरा शिखर परिषद् में भारत सरकार ने आत्मविश्वास खोया और मुशर्रफ को आत्मविश्वास आया। पाकिस्तान को आत्मविश्वास पैदा हो गया।

सभापति महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी से होनी चाहिए। मैं 375 वर्ष के इतिहास की याद दिलाता हूं। अफजल खां और शिवाजी महाराज की प्रतापगढ़ के नीचे मुलाकात हुई थी। उस वक्त शिवाजी महाराज की सावधानी से वह बच गए। उन्होंने अफजल खां को बड़ी होशियारी से मार डाला। 375 वर्ष का राजनैतिक संबंध अलग था और अब अलग है। भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी को पाकिस्तान से दोबारा वार्ता करने के लिए सावधानी से जाना चाहिए और चर्चा शुरू रखनी चाहिए। भारत को अपना आत्मविश्वास और आत्म सम्मान बढ़ाना चाहिए, यही हमारी विनती है।

श्री जे.एस. बराड़: सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी संजीदगी और सब्र को देखते हुए, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदन के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह जी ने 24 जुलाई को जो मुद्दा उठाया, उसके बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दुनिया में बहुत चर्चित विदेश मंत्री साहब ने इंटरवेंशन के समय अपनी बात कही है। जो प्वाइंट्स कहे गए हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा और थोड़ा वक्त लूंगा। जितने बातें माननीय जसवंत सिंह जी ने कही है उनका अगर में सार और आगरा हिन्द-पाक शिखर वार्ता का निचोड़ निकालना चाहूं तो मुझे दुनिया के महान शायर गालिब साहब का एक मिसरा याद आता है, जो उनकी तकरीर पर सही उतरता है। उन्होंने तीन शब्दों में कहा- ''न गुले नगमा हूं, न पर्दा ए साज, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज।''

आगरा में आपकी शिकस्त हुई है, इसे आपको मानना चाहिए और सारी दुनिया में इस शिकस्त की चर्चा है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। आपने बुचर आफ कारगिल को जिसकी जिम्मेदारी 600 से ज्यादा जवानों की है और हमारे वे जवान जिन्होंने देश की आने वाले दिनों में सेवा करनी थी, उनकी लाशों के ऊपर से गुजर करके और 1700 वे आदमी जो इस जंग में अपाहिज हो गये, उनको आपने प्रैसीडेंट बनने के बाद जो लैजिटिमेसी दुनिया में दी है - इस मुद्दे के लिए मैं आपको मुबारकवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, मैं उन 10 लाख पंजाबियों की तरफ से भी बोल रहा हूं जो 1947 में सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन के शिकार हुए हैं और जिनकी मां, बाप, बच्चों को लाखों की तादाद में काटा गया। जिनके बारे में पंजाबी की महान शायरा अमृता प्रीतम में कहा है कि ''लखां धीयां रोंदियां तैनू वारेशा वे कहन, उठ दर्द मनाने हैं दर्दिया किथे कब्रां विचो बोल'' आज मैं उनकी तरफ से खड़े होकर भी बोल रहा हूं जो 1962, 1965, 1971 और 1999 में लोग शहीद हुए हैं और आपकी इस कार्रवाई के बाद भी जिनकी लाशें डब्बों में बंद होकर आई। हमारा नेशनल एन्थम राष्ट्रपति भवन में और पाकिस्तान का नेशनल एन्थम जो हबीब जालंधरी नाम के शायर ने लिखा है गुनगुनाया जा रहा था और पालम हवाई अड्डे पर हमारे जवानों की लाशें राष्ट्रीय झंडे में लिपटी हुई इस देश में आ रही थीं, तब हमने इस डिक्टेटर को इतनी बड़ी मान्यता दी।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की पुरानी बातों के बारे में कहा और श्री जसवन्त सिंह जी ताशकंद और 1965 की बात कह रहे थे। लेकिन एक बात आप न भूलें कि इस क्रांस बार्डर टैरेरिज्म की वजह से दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी के चिथड़े-चिथड़े हो गये लेकिन इस मुल्क की आस्था और इस मुल्क की आजादी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ीं कुर्बानी दी है। इस बात को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए।

माननीय जसवन्त सिंह जी, आपने कारवां ऑफ पीस का जिक्र किया है। यह कारवां ऑफ डैड-बाडीज और जो क्रास बार्डर टैरेरिज्म की वजह से हो रहा है। अमरनाथ की यात्रा में सौ आदमी मारे जाते हैं, चरारे शरीफ गिरती है, छत्तीससिंह पुरा की हत्याएं होती हैं, यह क्या हैं? यहां श्री क्लिंटन साहब जब आये थे और उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर को डिस्प्यूटेड टैरेटरी कहा और हमारी तरफ से एक भी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं। हमें वैसे तो मौका वहां मिलता है लेकिन बाई-चांस जब इस दरवाजे से क्लिंटन साहब निकलने लगे तो मैंने उनको नमस्कार किया और पूछा कि आनरेबल प्रैसीडेंट साहब क्या आपको मालूम है कि आपकी विजिट के कारण छत्तीससिंह पुरा में एक दिन पहले कत्लेआम हुआ था और एक समुदाय विशेष के लोगों को मारा गया था। शायद उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी ने भी उस मौके पर कोई प्रोटैस्ट नहीं किया - यह अफसोसनाक बात है।

माननीय जसवन्त सिंह जी सोल्जरली क्वालिटी की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि वे उस धरती से आते हैं जिस हल्दीघाटी का इतिहास देश के लिए प्रेरणाजनक है और उन्होंने कहा कि हमने परवेज मुशर्रफ साहब को शीशा दिखाया है। शीशा आपने यह दिखाया है कि ''क्या नाम पूछते हो अपने कारोबार का, हम अंधों के शहर में आईना बेचते हैं।'' प्रधान मंत्री जी ने कहा

[श्री जे.एस. बराड़]

कि परवेज मुशर्रफ साहब जब यहां से गये तो मुंह लटकाए हुए थे। उनकी कोई बात नहीं मानी गयी और हमारे मुंह कमल के फूल से खिले हुए थे। जब परवेज मुशर्रफ साहब यहां से गये तो सारे भारत का मुंह लटका हुआ था।

मैं चार मुद्दों पर प्वाइंटवाइज एक्सप्लेन करूंगा। 15 जुलाई की प्रेस कान्फ्रेंस में परवेज मुशर्रफ साहब ने स्पष्ट रूप से चार बातें कहीं। उन्होंने सियाचीन के ऊपर अग्रैशन की बात को लेकर गलत इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैरारिस्ट्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वे फ्रीडम फाइटर्स हैं। यहां जेहाद की भी बात हुई। जेहाद पर और किसी ने नहीं बल्कि श्री बलराज मधोक, जो जनसंघ के फार्मर प्रेसीडैंट थे, अपने आर्टिकल में लिखा है कि अगर भारतवर्ष कश्मीर तश्तरी में रख कर उन्हें दे दे तो भी जेहाद बंद नहीं होगा। जेहादियों के लिए किसी की औरत का अपमान करना, किसी की जायदाद पर कब्जा करना, क्या ठीक है? जेहाद के मायने जो वह निकाल रहे हैं, वह इस्लाम के अनुकूल नहीं है। आपके नेता श्री बलराज मधोक ने लिखा है कि भारतवर्ष को बहुत सम्भल कर कदम रखना चाहिए और यह लड़ाई हमेशा जारी रहने वाली है, आप इस बात को मन में रखें। मैं आपकी कद्र करता हूं लेकिन सारा मुल्क यह कहता है, चाहे आप उसे मानों या न मानो कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के खिलाफ हमने कुछ नहीं कहा। हमने उनको रीकाग्निशन दिया। उनकी शायर, कवि, वाइस चांसलर, ह्यूमन एक्टिविस्ट्स जहांगीर यहां आई। फैज अहमद फैज जैसे शायर को वहां के डिक्टेटर हुकूमत ने जेल में बंद किया। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने क्या लिखा? जेल में जहां कलम नहीं थी, वहां उन्होंने लिखा :

''मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है,
कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने,
जबां पर मोहर लगी है तो क्या रख दिए हैं,
हरेक हल्काए जंजीर को जुबां पर मैंने''

इस तरह आपने वहां की तानाशाही को सारी दुनिया में रीकाग्निशन दिया। इस तानाशाह ने हबीब जालिब जैसे उर्दू के शायर के हाथ काट दिए। जसवन्त सिंह जी यहां कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। उन्होंने लिखा कि:

''फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो,
और चाक सीने के सिलने लगे तुम कहो,
ऐसे दस्तूर को और सुबह के नूर को''

सुबह बेनूर का जिक्र ट्रैजरी बैंचिस की तरफ से किया जा रहा था। मैंने जसवन्त सिंह जी की तकरीरें दसवीं लोक सभा में बोफोर्स के ऊपर सुनी हैं। आज वह नाअहलियत और नाकामी को छुपा रहे थे। मैंने उनको फार्मर मिनिस्टर के ऊपर अग्रैसिव अटैक करते देखा है। अनसबस्टैंटिएटिड चार्जिज हम वहां बैठ कर सुनते थे, जब यह लगाते थे। यदि आप कहें कि हमने इसमें फतह हासिल की है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। इस देश के एक-एक बशर ने यह महसूस किया है कि आगरा में हिन्द-पाक शिखर वार्ता से हिन्दुस्तान के सौ करोड़ लोगों की बेइज्जती हुई है, तौहीन हुई है, उसका जिक्र सभी अखबारों में हुआ।

सभापति महोदय, मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे एक बात का अफसोस है, अगर जसवंत सिंह जी इस बात को ध्यान से सुनें। जिन लोगों का पब्लिक लाइफ का 45 साल का तजुर्बा है, जिन्हें देख कर हम सिर झुकाते हैं, मैं यह बात पार्टी विचारधारा के तौर पर नहीं कर रहा हूं हम आपका सम्मान करते हैं। आप पब्लिक लाइफ में रहे हैं जेलों में रहे हैं, सालों तक आपने संघर्ष किया, डैमोक्रैटिक प्रोसैस में अपना जीवन बिताया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री जसवंत सिंह जैसे इतने शाईस्तां, इतने लायक आदमी इतनी बड़ी गलती करेंगे, यह हमने सोचा नहीं था। आप यहां प्रशंसा की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ताशकंद में हमारी तैयारी नहीं थी और जब स्वर्ण सिंह यूएनओ गए थे तब हमारी तरफ से तैयारी नहीं थी लेकिन आप अपनी नाअहलियत को क्यों छुपा रहे हैं? 2001 में, 21वीं सदी में और पिछले 54 साल में कूटनीति की इतनी बड़ी हार आज तक देश की नहीं हुई। ट्रैजरी बैंचिस की अगुवाई में यह सबसे बड़ी हार हुई।

मैं ज्यादा समय न लेकर एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा और अन्य पार्टियां जो इन्हें सपोर्ट कर रहीं है, अन्य 24 लोग जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर श्री उमर अब्दुल्ला साहब बोले। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। उन पर पांच बार अटैक किये गये। हम उनकी कद्र करते हैं। वे देश के लिये लड़ रहे हैं लेकिन वे क्या भूल जाते हैं कि वे उस बी.जे.पी. पार्टी और उनकी पालिसीज को सपोर्ट करते हैं जिनके वरिष्ठ नेता स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्रीनगर जेल में अपनी गिरफ्तारी दी थी और उस आदमी की स्लो पायजनस डैथ की गई क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 के खिलाफ जद्दो-जहद का ऐलान किया था। आज उस भाजपा और उसकी पालिसीज के हक में जब डा. फारूख अब्दुल्ला और श्री उमर अब्दुल्ला जैसे लोग बोलते हैं तो मैं यह महसूस करता हूं कि उन्हें इतिहास के फैक्ट्स के बारे में जानना चाहिये।

सभापति महोदय, मेरे दो प्वाइंट्स रह गये हैं। एक तो यह है कि कल अमरीका के राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश का बयान छपा है:

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय को जार्ज बुश के छपे उस वक्तव्य पर कोई चिन्ता नहीं है जिसमें कश्मीर से कोसवो तक के लोगों की ''फ्रीडम'' का समर्थन किया गया है।

[हिन्दी]

कश्मीर से लेकर कोसवो तक जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसकी हम हिमायत कर रहे हैं लेकिन हम सोये हुये हैं और हम समझते हैं कि सारा मुल्क और सारी दुनिया इस बात को समझती है लेकिन वे इस बात को नहीं समझते है। यहां पर क्लिंटन साहब बात कर रहे थे:

[अनुवाद]

बुश ने कल एक भाषण में कोसवो में अमेरिकी सैनिकों से कहा, ''हम कोसवो से कश्मीर तक सहनशील और आजाद दुनिया बनायेंगे।''

उन्हें यह बात पुनः दोहरायी।

[हिन्दी]

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मिनिस्ट्री आफ एक्सट्रनल अफेयर्स इस बात का नोटिस लेकर कोई कदम उठायेगी?

सभापति महोदय, मैं अब पाकिस्तान के नेशनल एन्थम की बात कहूंगा जिसे मैंने इंटरनैट के जरिये निकाला है। इसको लिखने वाले शायर जालंधर के हैं। दस हजार शायरों ने लिखा है जिसे टी.वी. पर इसे इन्कलूड किया गया है।

पाक सरजमीं शाद बाद, किश्वार-ए-शाद बाद,

तू निशान-ए-अज्म-आलीशान, अर्ज-ए-पाकिस्तान॥

यह पहली बार 54 साल के बाद हुआ है कि पाकिस्तान के एक डिक्टेटर, जिसने बूटों तले हमारे लोगों को रौंदा और मारा। अभी जिक्र किया जा रहा था कि हमारे आदमियों की म्युटिलेटेड बौडीज निकलीं। उनकी बोटी-बोटी काट दी गई। क्या आपको मालूम है कि उनकी विडोज ने क्या कहा है?

[अनुवाद]

परमवीर चक्र विजेता कैप्टन सोरव कालिया की माता, श्रीमती कालिया, उनके पिता डा. एन.के. कालिया ने कहा कि इसका पूर्वाभास था कि भारतीय नेतृत्व जोरदार प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी फौजों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले को नहीं उठायेगा।

[हिन्दी]

यह परमवीर चक्र विजेता और उनके मां-बाप की बात कर रहे हैं जिनके लिये कहा गया था कि उन लोगों को पेट्रोल पम्प दिया जायेगा, उनके लिये बहुत से काम किये जायेंगे, लेकिन जो कारगिल के समागम में आती हैं, उनको पूछने के लिये कोई तैयार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां श्रीमती जया जेटली का नाम लूंगा जो समता पार्टी की पूर्व अध्यक्षा रही हैं। श्रीमती अस्मां जहांगीर, पाकिस्तान, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरमैन हैं तथा ऐसी कई औरतें हैं जिनके अंदर लड़ने का दम है और अपने मुल्क के लिये जिन्दगी देने के लिये तैयार हैं। जिस जनरल ने अपने बूटों तले हमारे जवानों को रौंदा, आप उसे रैड कारपेट वैलकम दे रहे थे। मैं उस बात का जिक्र करूंगा जब जनरल मुशर्रफ प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। उनसे कहा गया कि कुछ लोग हिन्दुस्तान में जाकर आपके खिलाफ बात कर आये हैं, आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? उस जनरल ने इतनी खतरनाक बात कही कि मैं मौका देखूंगा कि जिन लोगों ने मेरे देश के खिलाफ बात की है, उनके खिलाफ मुझे क्या एक्शन लेना है?

[अनुवाद]

जहांगीर ने मुशर्रफ को जो सार्वजनिक जवाब दिये उससे हमारे प्रजातांत्रिक लोग एक-दो बात सीख सकते हैं। उनके वक्तव्य में कहा गया है। ''जनरल मुशर्रफ का स्पष्टवादिता पर एकाधिकार नहीं है। जिन्होंने प्रजातंत्र के लिये संघर्ष किया है, सभ्य समाज के अधिकारों के लिये संघर्ष किया है, वे भी अपना मत रखने के लिये समान रूप से हकदार हैं। मैंने प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिये गत तीस वर्षों से संघर्ष किया है, और चार तानाशाहों की तानाशाही झेली है।''

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह पांचवां डिक्टेटर है जिसे हमने दुनिया में बहुत बड़ा हीरो बनाकर भेजा है। मुझे हिन्द-पाक आगरा शिखर वार्ता पर बेहद एतराज है। माननीय मत्री जी इस पर जवाब देंगे या नहीं लेकिन कल माननीय प्रधान मंत्री जी जवाब देंगे। इसलिये कहता हूं:

पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है,
जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।

[श्री जे.एस. बराड़]

देश के सौ करोड़ लोग यह मानते है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों की कूटनीति में बहुत बड़ी शिकस्त हुई है।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहकर कंक्लूड करूंगा कि प्रैस की आजादी की बात करने वालों यहां पर किस तरह से प्रैस को मेनीपुलेट किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। मसूद मलिक जो नवाये वक्त के एडीटर हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ से डेमोक्रेटिकली और अधिकार के मुताबिक सवाल किया तो उस आदमी की क्या हालत की गई यह माननीय जसवन्त सिंह जी जानते हैं। अंत में मेरा कहना है कि हिन्द-पाक शिखर वार्ता देश के 54 साल के इतिहास में हमारी सबसे बड़ी शिकस्त हैं और इससे देश का अपमान और तौहीन हुई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, वक्ताओं की सूची समाप्त हो चुकी है। माननीय प्रधान मंत्री कल प्रश्न काल के बाद उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

आठ घंटे का समय तय हुआ है, अब तक 12 घंटे की डिबेट पूरी हो गई है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमें तीन मिनट बोलना था, सूची में कैसे हेरा-फेरी हो जाती है।

सभापति महोदय: कोई हेरा-फेरी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अब सभा कल 7 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.26 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 अगस्त, 2001/16 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 6 अगस्त,2001/15 श्रावण ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
187	9 और 16	इंडोर	इन-डोर
228	12	श्री त्रिलोचन कानू	श्री त्रिलोचन कानूनगो

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।